59TH
ANNUAL REPORT
2018-2019

५९ वीं
वार्षिक रिपोर्ट
२०१८-२०१९

NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.

राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ मर्यादित

BOARD OF MANAGEMENT
AS ON 01 AUGUST 2019

Chairman

Shri K. Sivadasan Nair
Director, Kerala SCARDB

Managing Director

Shri K. K. Ravindran

Vice Chairpersons

Shri K. Shadakshari
President, Karnataka SCARDB

Shri Bijay Kumar Singh
Chairman, Multi SCLDB (Bihar-Jharkhand)

Shri K. Ravinder Rao
President, Telangana SCAB

Shri Marchynna Syiem
Chairman, Meghalaya CAB

Directors

Dr.Bijender Singh
President, Delhi SCB

Shri Shiv Pal Singh Yadav
Chairman, Uttar Pradesh SGVB

Shri R. Parimel Azhagan
Chairman, Tamil Nadu CSARDB

Shri Rash Behari Datta
President, Tripura CARDB

Shri P. S. Upadhyay
Custodian, Gujarat SCARDB

Shri G. L. Swami
Administrator, Rajasthan RSBVB

Shri Naresh Goyal
Managing Director, Haryana SCARDB

Shri Jitender Sanjta
Managing Director, Himachal Pradesh SCARDB

Shri Mohammad Aslam Bhat
Managing Director, Jammu & Kashmir SCARDB

प्रबन्धन मण्डल

अध्यक्ष

श्री के. शिवदासन नायर,
निदेशक, केरला एससीएआरडीबी

प्रबन्ध निदेशक

श्री के. के. रविन्द्रन

उपाध्यक्ष

श्री के. शदाक्षरी
अध्यक्ष, कर्नाटक एससीएआरडीबी

श्री बिजय कुमार सिंह
अध्यक्ष, बहुराज्यीय एससीएलडीबी (बिहार–झारखण्ड)

श्री के. रविन्दर राव
अध्यक्ष, तेलंगाना एससीएबी

श्री मर्चिना सियेम
अध्यक्ष, मेघालय सीएबी

निदेशक गण

डा. बिजेन्द्र सिंह
अध्यक्ष, दिल्ली एससीबी

श्री शिव पाल सिंह यादव
अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश एसजीवीबी

श्री आर. परीमेल अजागन
अध्यक्ष, तमिलनाडु सीएसएआरडीबी

श्री राश बिहारी दत्ता
अध्यक्ष, त्रिपुरा सीएआरडीबी

श्री पी. एस. उपाध्याय
संरक्षक, गुजरात एससीएआरडीबी

श्री जी. एल. स्वामी
प्रशासनिक, राजस्थान आरएसबीवीबी

श्री नरेश गोयल
प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा एससीएआरडीबी

श्री जितेन्द्र संजिता

प्रबन्ध निदेशक, हिमांचल प्रदेश एससीएआरडीबी

श्री मोहम्मद अस्लम भट
प्रबन्ध निदेशक, जम्मू एवं कश्मीर एससीएआरडीबी

FIFTYNINETH ANNUAL REPORT 2018-19

NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LIMITED

701, A-wing, BSEL Tech Park, Plot No.39, Sector 30 A, Opp. Railway Station,
Vashi, Navi Mumbai - 400 703 (Maharashtra)
Tel. (022) 27814 114 / 226 / 426 Fax : (022) 2781 4225
E-mail : nafcard.org@gmail.com / info@nafcard.org
Website : www.nafcard.org

NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE & RURAL
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.

ANNUAL GENERAL MEETING OF THE FEDERATION

NOTICE

Notice is hereby given, that the Annual General Meeting of the National Co-operative Agriculture and Rural Development Banks' Federation Ltd., for the year 2018-19 will be held at **11.30 AM** on **Monday, 10th June 2019** at **Hotel 'The Resort', Marve Beach, Malad, Mumbai**, to transact the following business.

1. To confirm the proceedings of the Annual General Meeting of the Federation held on 15th September 2018 at Shillong.
2. Consideration of Audited Statement of Accounts for the year 2018-19.
3. Disposal of surplus for the year 2018-19.
4. Consideration of the Audit Report for the year ended 31.3.2019.
5. Consideration of Audit Compliance Report for 2018-19.
6. Consideration of Annual Report for the year 2018-19.
7. Appointment of Auditors for the year 2019-20 and fixing Audit Fees.
8. Consideration of Annual Budget for the year 2020-21.
9. Amendment to bye-laws for incorporating acronym 'NAFCARD' for full name of the Federation (Agenda note enclosed).

Notes on other agenda items being circulated shortly.

In accordance with the provisions of Multi State Cooperative Societies Act, 2002 and the Byelaws of the Federation, the General Body shall consist of one representative of each member bank of the Federation who shall be either Chairman/President or the Chief Executive or a member of the Board of the member bank nominated by the Board of Directors of the respective Bank by a resolution, or the Administrator, by whatever name called, of a member bank where there is no Board. Accordingly, member banks are advised to inform the Federation the names of their representatives to the General Body along with the resolution of the Board at least 10 days before the General Body Meeting.

By Order of the Board of Management

Sd/-
(K.K. Ravindran)
Managing Director

Place :Navi Mumbai
Date : 06 May 2019

BOARD OF MANAGEMENT

OFFICE BEARERS

(As of 1st August 2019)

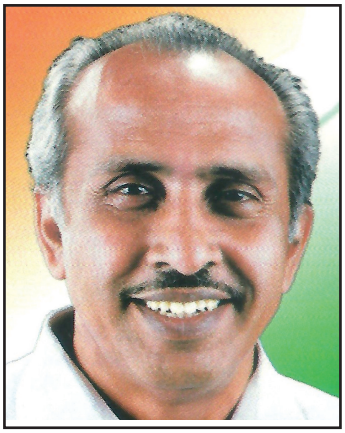

Shri K. Sivadasan Nair
Chairman

Shri K. Shadakshari
Vice Chairman

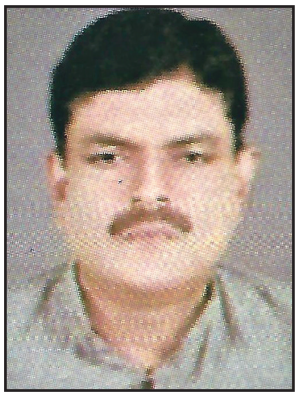

Shri Bijay Kumar Singh
Vice Chairman

Shri K. Ravinder Rao
Vice Chairman

Shri Marchynna Syiem
Vice Chairman

Shri K. K. Ravindran
Managing Director

BOARD OF MANAGEMENT

(As of 1st August 2019)

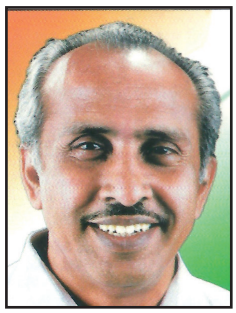

Shri K. Sivadasan Nair
(Director, Kerala SCARDB)
Chairman

Shri K. Shadakshari
(President, Karnataka SCARDB)
Vice Chairman

Shri Bijay Kumar Singh
Chairman, Multi SCLDB (Bihar-Jharkhand)
Vice Chairman

Shri K. Ravinder Rao
President, Telangana SCAB
Vice Chairman

Shri Marchynna Syiem
Chairman, Meghalaya CAB
Vice Chairman

Dr. Bijender Singh
President,
Delhi SCB

Shri Shiv Pal Singh Yadav
Chairman,
Uttar Pradesh SGVP

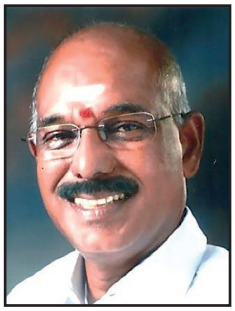

Shri R. Parimel Azhagan
Chairman,
Tamilnadu CSARDB

Shri Rash Bihari Datta
President,
Tripura CARDB

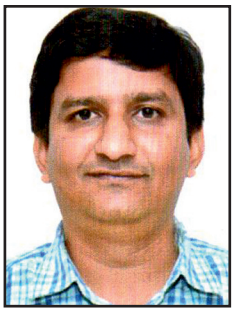

Shri P. S. Upadhyay
Custodian,
Gujarat SCARDB

Shri G. L. Swami
Administrator,
Rajasthan RSBVB

Shri Naresh Goyal
Managing Director,
Haryana SCARDB

Shri Jitender Sanjita
Managing Director,
Himachal Pradesh SCARDB

Shri Mohammad Aslam Bhatt
Managing Director,
Jammu & Kashmir SCARDB

Shri K. K. Ravindran
Managing Director

MEMBER BANKS

Chairman & Chief Executives
(As of 1st August 2019)

Multi State Co-operative Land Development Bank Ltd. (Bihar-Jharkhand)

Shri Bijay Kumar Singh
Chairman

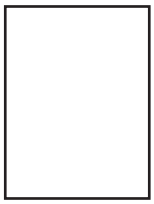

Shri Ajay Kumar Singh
Managing Director

Delhi State Co-operative Bank Ltd.

Dr. Bijender Singh
President

Smt. Anita Rawat
Managing Director

Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Shri P. S. Upadhyay
Custodian

Shri V.M. Chaudhari
General Manager

Haryana State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Shri Naresh Goyal
Managing Director

Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Shri Jitender Sanjta, HAS
Managing Director

Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Shri Mohammad Aslam Bhat
Chief Executive

Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Shri K. Shadakshari
President

Shri A.C. Diwakara
Managing Director

Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.

Shri Soloman Alex
President

Smt. Aparna Prathap
Managing Director I/C

Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd.

Shri Marchynna Syiem
Chairman

Shri Osmanat Nongbri
Managing Director

Odisha State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Shri Jogendra Swain
President

Shri Nityananda Rout
Managing Director

Pondicherry Cooperative Central Land Development Bank Ltd.

Shri D. Krishnamoorthy
Administrator

Shri Irysappan
Managing Director

Punjab State Cooperative Agricultural Development Bank Ltd.

Shri Charandev Singh Mann, PCS
Managing Director

MEMBER BANKS

Chairman & Chief Executives
(As of 1st August 2019)

Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.

Shri G.L. Swami
Administrator

Shri Rajeev Lochan Sharma
Managing Director

Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Shri R. Parimel Azhagan
Chairman

Shri R.G. Sakthi Saravanan
Managing Director

Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd.

Shri K. Ravinder Rao
Chairman

Dr. Nethi Muralidhar
Managing Director

Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Shri Rash Behari Datta
President

Shri Apurba Chakraborty
General Manager

Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.

Shri Shivpal Singh Yadav
Chairman

Shri K.P. Singh
Managing Director

West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Shri Moinul Hassan
Special Officer

Shri Amlan Bhattacharya
Managing Director I/C

Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

Shri A.B. Das
Chairman

Shri Ghana Pegu
Chief Executive Director

I. ECONOMIC SCENE

India has emerged as the fastest growing major economy in the world as per the Central Statistics Organisation (CSO) and International Monetary Fund (IMF) and it is expected to be one of the top three economic powers of the world over the next 10-15 years, backed by its strong democracy and partnerships. India's GDP which stood at 7.2% as per 1st Revised Estimate for 2017-18 declined to 7.0% during 2018-19 as per 2nd Annual Estimate and further down to 6.6% during the third quarter of 2018-19.

India's gross domestic product (GDP) at constant 2011-12 prices grew by 6.6% in September-December 2018 quarter as per the Central Statistics Organisation (CSO). Corporate earnings in India are expected to grow by 16.6% in the third quarter of FY 2018-19 supported by recovery in capital expenditure. As per the first advance estimates, the growth rate of Gross Value Added (GVA) at constant basic prices for 2018-19 is placed at 6.8% as against 6.9% in 2017-18 mainly on account of the slowdown in the second half of the year due to introduction of Goods and Services Tax (GST). Growth rate of GVA at basic prices for different sectors for years from 2013-14 to 2018-19 is furnished in the following table.

Growth Rate of GVA at basic price at Constant (2011-12) prices (in %)

Industry	2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17 (2nd RE)	2017-18 (1st AE)	2018-19 (2nd AE)
I. Agriculture	5.6	-0.2	0.6	6.3	5.0	2.7
II. Industry	3.8	7.0	9.6	7.7	5.9	7.7
Mining & quarrying	0.2	9.7	10.1	9.5	5.1	1.2
Manufacturing	5.0	7.9	13.1	7.9	5.9	8.1
Electricity, gas & water supply	4.2	7.2	4.7	10.0	8.6	8.0
Construction	2.7	4.3	3.6	6.1	5.6	8.9
III. Services	47.7	9.8	9.4	8.4	8.1	7.4
Communication & services relating to broadcasting	6.5	9.4	10.2	7.7	7.8	6.8
Financial Services, real estate & professional services	11.2	11.0	10.7	8.7	6.2	7,3
Public administration, defence and other services	3.8	8.3	6.1	9.2	11.9	8.5
GVA at basic price	**6.1**	**7.2**	**8.0**	**7.9**	**6.9**	**6.8**

**:Third Revised Estimates, RE: Revised Estimates AE: Advanced Estimate*
Source: Central Statistics Office.

At sectoral level, agriculture and allied sectors which improved significantly in 2016-17 mainly due to a normal monsoon during the year has started showing declining trend at 5.0% and 2.7% during 2017-18 and 2018-19 (third quarter) respectively. Industrial sector slowed down from 7.7% during 2016-17 to 5.9% during 2017-18 and started picking up at 7.7% during the third quarter of 2018-19 mainly on account of negative growth of mining and quarrying and manufacturing sector to the order of 7.9% during 2016-17 to 8.1% during the third quarter of 2018-19. Construction sector which stood at 6.1% during 2016-17 declined to 5.6% during 2017-18 and increased to 8.9% during the third quarter of 2018-19 due to the impetus given to the sector by the Government's policy initiatives. Services sector which showed a growth rate of 8.4% in 2016-17 could not maintain that pace during 2017-18 at 8.1% and further to 7.4% during the third quarter of 2018-19. Still, services continues to be the fastest growing sector with average 9% growth since 2001 and contributing 54.2% of GDP. Agriculture, in spite of being the largest employer contributes only 16.0% of GDP, which also is declining over the years, whereas share of industries in GDP remains almost steady at 29.8% while the share of manufacturing sector remains in the range of 16.6% in the last three years.

The trend of negative export growth was reversed from 183.48 bn during 2016-17 to 193.31 bn during 2017-18 and further to 218.94 bn during the third quarter of 2018-19 contributing to 20% and 21.1% of the GDP during 2017-18 and 2018-19 (2nd AE) respectively. Similarly, imports had also increased from 196.31 bn during 2016-17 to 231.87 bn during 2017-18 and further to 267.93 bn during 2018-19 (third quarter) contributing to 24.0% and 25.9% of the GDP during 2017-18 and 2018-19 respectively.

The Fiscal deficit came down to 3.4% in 2018-19 RE from the almost 6% seven years ago. India attracted massive amount of Foreign Direct Investment (FDI) worth $ 239 billion during the last 5 years. The Current Account Deficit (CAD) is likely to be only 2.5% of GDP this as against 5.6% six years ago. The double-digit inflation has been contained and fiscal balance has been restored during the period under review. Liberalisation of FDI policy, allowing most FDI to come through the automatic route were the major contributing factors of the revival of Indian economy during 2018-19.

External Debt in India decreased to 510428 USD Million in the third quarter of 2018 from 514442 USD Million in the second quarter of 2018. External Debt in India averaged 270297.38 USD Million from 1999 until 2018, reaching an all time high of 529685 USD Million in the first quarter of 2018 and a record low of 96392 USD Million in the third quarter of 2000. As per the RBI, the decrease in the magnitude of external debt was primarily due to valuation gains resulting from the appreciation of the US dollar against the Indian rupee and major currencies.

The external debt to GDP ratio stood at 20.4% at end-June 2018, a shade lower than its level of 20.5 per cent at end-March 2018.

II. AGRICULTURE - GENERAL SCENARIO

Agriculture is the primary source of livelihood for about 58 per cent of India's population. Gross Value Added by agriculture, forestry and fishing is estimated at ₹17.67 trillion (US$ 274.23 billion) in FY18.

During 2017-18 crop year, food grain production is estimated at record 284.83 million tonnes. In 2018-19, Government of India is targeting foodgrain production of 285.2 million tonnes. Milk production was estimated at 165.4 million tonnes during FY17, while meat production was 7.4 million tonnes.

India is the second largest fruit producer in the world. Production of horticulture crops is estimated at record 306.82 million tonnes (mt) in 2017-18 as per third advance estimates.

The Union Budget for 2018-19 with focus on uplifting the rural economy and strengthening of the agriculture sector, healthcare for the economically less privileged, infrastructure creation and improvement in the quality of education of the country. As per the budget, the government is committed towards doubling the farmers' income by 2022. A total of ₹14.34 lakh crore (US$ 196.94 billion) will be spent for creation of livelihood and infrastructure in rural areas. Budgetary allocation for infrastructure is set at ₹5.97 lakh crore (US$ 81.99 billion) for 2018-19.

As of September 2018, total area sown with kharif crops in India reached 105.78 million hectares. The second advance estimates for the production of most of the crops for the agricultural year 2018-19 been released by the Ministry of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare.

Data on Production of Food Crops

(in million tonnes)

Foodgrains	281.37
Rice	115.60 (record)
Nutri / Coarse Cereals	42.64
Maize	27.80
Pulses	24.02
Tur	3.68
Gram	10.32
Oilseeds	31.50
Soyabean	13.69
Rapeseed and Mustard	8.40
Groundnut	6.97
Cotton	30.09 million bales (of 170 kg each)
Jute and Mesta	10.07 million bales (of 180 kg each)

The report notes that cumulative rainfall during the monsoon season (June to September 2018) was 9% lower than Long Period Average (LPA). The cumulative rainfall in North West India, Central India and South Peninsula during the monsoon period has been overall normal and most of the major crops producing states have witnessed normal monsoon rainfall. As a result, the production of most of the crops for the agricultural year 2018-19 has been estimated higher than their normal production.

Climate Change and Agriculture

India is vulnerable to the vagaries of weather as 52% of cultivated area is rainfed (73.2 million ha area of 141.4 million ha. Net sown area) farm field is still unirrigated and dependant on rainfall. The

all India percentage of net irrigated area to total cropped area is even lower at 34.5%. At least three main channels through which climate change would impact farm incomes — an increase in average temperatures, a decline in average rainfall and an increase in the number of dry-days. Elaborating on the impact of climate change, it said “between the 1970s and the last decade, kharif rainfall has declined on an average by 26 millimetres and rabi rainfall by 33 millimetres. Annual average rainfall for this period has on an average declined by about 86 millimetres.” Similarly, the average increase in temperature during this period is about 0.45 degrees and 0.63 degrees in the kharif and rabi seasons, respectively. “The central priority of the government will be to provide opportunities for farmers to diversify their income generating opportunities to reduce the various risks by facilitating the development of agricultural sub-sectors like livestock and fisheries,” it said. The government has also been urged to take “radical follow-up action” to achieve its objective of addressing agricultural stress and doubling farmers' income.

These events point to the need to develop policies to make agriculture more resilient to changes in climate. Expanding area under irrigation occupies high priority in dealing with climate change. This, however, is a big challenge in the context of depleting water resources. Water use of low energy water saving irrigation techniques and equipments need to be encouraged for this. Further, indiscriminate use of water needs to be discouraged by regulating the present system of subsidies for water, power and fertilizers by switching to direct transfer regime.

Major highlights of the schemes, initiatives and activities of the Ministry of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare during the year 2018-19.

Doubling of Farmers' Income

- The Government has set a target of doubling farmers' income by the year 2022. An Inter-Ministerial Committee has identified seven sources of income growth which are:

  Improvement in crop productivity, improvement in livestock productivity, resource use efficiency or savings in the cost of production, increase in the cropping intensity, diversification towards high value crops and improvement in real prices received by farmers and shift from farm to non-farm occupations.

- The committee is looking into the investments in and for agriculture including increasing public investments for agriculture - rural roads, rural electricity, irrigation, etc. It is also looking into the need for policy support to enable investments by corporate sector in agriculture.

- Government is reorienting the agriculture sector by focusing on an income-centeredness, beyond the focus on production targets. The various initiatives at this end include the following:

  i. market reforms through State Governments by amending the agriculture marketing regime;

  ii. promulgation of Model Contract Farming Act to encourage contract farming through the State Governments;

  iii. 22,000 Gramin Haats are to be upgraded to work as centres of aggregation and for direct purchase of agricultural commodities from the farmers;

iv. launch of eNAM initiative to provide farmers an electronic online trading platform;

v. distribution of Soil Health Cards to farmers to optimise the use of fertilizers;

vi. "Per drop more crop" initiative to encourage drip/sprinkler irrigation for optimal utilization of water;

vii. "Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY)" to promote organic farming; North-East is being developed as organic hub;

viii. launch of revised farmer friendly "Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)"; covers various types of risks from pre-sowing to post harvest, provision for nominal premium;

ix. "Har Medh Par Ped" to promote agro forestry for supplementing farm income; increase risk management and climate resilient agriculture;

x. amendment of Indian Forest Act, 1927 to exclude bamboo from the definition of 'trees'; as a corollary, the restructured National Bamboo Mission was launched;

PM-Asha scheme

xi. to ensure MSP to farmers for oilseeds, pulses and copra;

xii. Government has approved the increase in MSPs for all Kharif & Rabi crops for 2018-19 season;

xiii. Bee keeping has been promoted under Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) as an additional source of income of farmers;

xiv. Rashtriya Gokul Mission to enhance milk production and productivity of bovines, to make milk production more remunerative;

xv. National Livestock Mission to increase productivity and genetic improvement of livestock;

xvi. a Blue Revolution with multi dimensional activities mainly focusing on fisheries production, both inland and marine, is being implemented;

xvii. a revised strategy document for 2018-2030 for the National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA) [0ne of the 8 Missions in PM's National Action Plan on Climate Change].

Key Schemes, Initiatives and Activities

Higher Production through Productivity Gains

National Food Security Mission (NFSM)

- NFSM programme is being implemented across the country for increasing the production and productivity of foodgrain crops (rice, wheat, pulses, coarse cereals & nutri-cereals) through
  i. area expansion and productivity enhancement;
  ii. restoring soil fertility and productivity at the individual farm level; and
  iii. enhancing farm level economy to restore confidence amongst the farmers.

Various initiatives were taken for increasing production and productivity of Pulses, Nutri-Cereals, etc. including -

i. Breeder Seed production of pulses and nutri-cereals;
ii. Creation of seed hubs;
iii. Certified seed production; and
iv. Creating buffer stock to control price fluctuation

Krishi Unnati Mela, 2018

- A National level 3rd Krishi Unnati Mela

was organized by DAC & FW to create widespread awareness about the latest agricultural technological developments and receive feedback from the agricultural community.

- Ways to enhance farmers' income through theme pavilions like micro irrigation, neem-coated urea, effectiveness of crop insurance scheme, etc. were showcased in the mela.

Mahila Kisan Diwas

- Mahila Kisan Diwas was organised on October 14-15, 2018 with participation of Women farmers, NGOs, Women Entrepreneurs, Academia, Researchers/ Scientists, Farmer Organisations, Banking Sector Representatives, Industry, etc. The focus was to learn and address issues related to women farmers in agriculture and allied sectors, access to institutional credit and micro-financing, etc.

Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)

- Additional areas were covered under the mission for identified horticulture crops and organic farming. Besides, Integrated Pests/Nutrient Management, Horticulture Mechanization, Beekeeping initiatives, Market and Management Infrastructures facilitation, and training of farmers were taken up.

Information Technology

- Number of farmers registered on M-kisan portal of DAC&FW for receiving agro-advisories has increased. Downloads of Kisan Suvidha app has also increased; 4 new services were added to the app, raising the services available to 10.

RKVY-RAFTAAR

- Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY) is aimed at strengthening infrastructure in agriculture and allied areas. A new component under the revamped scheme RKVY - RAFTAAR (Remunerative Approaches for Agriculture and Allied sector Rejuvenation) has been launched in 2018-19 to promote agri-entrepreneurship and agribusiness by providing financial support and nurturing the incubation ecosystem (RKVY — RAFTAAR Agribusiness Incubators (RABIs)).

Reduction in cost of cultivation

Agricultural Mechanization - Crop Residue Management Scheme

- A new Central Sector Scheme on 'Promotion of Agricultural Mechanization for In-Situ Management of Crop Residue' has been introduced for the States of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and NCT of Delhi for the period from 2018-19 to 2019-20. The Scheme's components (100% Central Share) include -
  i. financial assistance to groups and organisations for establishing Farm Machinery Banks for Custom Hiring of in-situ crop residue management machinery;
  ii. financial assistance to individual farmers for Procurement of Agriculture Machinery and Equipment for in-situ crop residue management; and
  iii. financial assistance to institutions for Information, Education and Communication (IEC) activities for awareness on in-situ crop residue management

Parampragat Krishi Vikas Yojana (PKVY)

- PKVY, to promote organic farming, is the first comprehensive scheme launched as a Centrally Sponsored Programme (CSP) from 2015-17, which now has been revised for next 3 years. Funds are given as incentives to farmers for organic conversion, organic inputs, on-farm inputs, production infrastructure, etc. The scheme is implemented with -
  1. 90:10 (GoI: State Govt.) funding pattern in 8 NE states and 3 hilly states of J & K, Himachal Pradesh and Uttarakhand.
  2. 100% central funding in Union Territory
  3. 60:40 funding pattern in remaining states of the country.

Total agricultural exports from India grew at a CAGR of 16.45% over FY10-18 to reach US$ 38.21 billion in FY18. Between Apr-Oct 2018 agriculture exports were US$ 21.61 billion. India is also the largest producer, consumer and exporter of spices and spice products. Spice exports from India reached US$ 3.1 billion in 2017-18. Tea exports from India reached a 36 year high of 240.68 million kgs in CY 2017 while coffee exports reached record 395,000 tonnes in 2017-18.

Investments

According to the Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), the Indian food processing industry has cumulatively attracted Foreign Direct Investment (FDI) equity inflow of about US$ 8.57 billion between April 2000 and June 2018. Some major investments and developments in agriculture are as follows:

- By early 2019, India will start exporting sugar to China.
- The first mega food park in Rajasthan was inaugurated in March 2018.
- Agrifood start-ups in India received funding of US$ 1.66 billion between 2013-17 in 558 deals.

Government Initiatives

Some of the recent major government initiatives in the sector are as follows:

- The Agriculture Export Policy, 2018 approved by Government of India in December 2018 aims to increase India's agricultural exports to US$ 60 billion by 2022 and US$ 100 billion in the next few years with a stable trade policy regime.
- In September 2018, the Government of India announced ₹15,053 crore (US$ 2.25 billion) procurement policy named 'Pradhan Mantri Annadata Aay Sanraks Han Abhiyan' (PM-AASHA), under which states can decide the compensation scheme and can also partner with private agencies to ensure fair prices for farmers in the country.
- In September 2018, the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) approved a ₹5,500 crore (US$ 820.41 million) assistance package for the sugar industry in India.
- The Government of India is going to provide ₹2,000 crore (US$ 306.29 million) for computerisation of Primary Agricultural Credit Society (PACS) to ensure cooperatives are benefitted through digital technology.

Interim Union Budget 2019-20 has placed focus on the following programmes in agriculture sector.

Total allocation for the Agriculture sector has seen an increase of 73% over 2018-19 (Revised

estimate).

- Interest subvention of 2% was announced for farmers affected by natural calamities. An additional 3% relaxation will be given for timely repayment of loans. This scheme has also been extended to farmers engaged in animal husbandry and fishery-related activities, and availing loans through Kisan Credit Cards.
- Minimum Support Price (MSP) fixed at 50% more than the cost for all the 22 crops.
- Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan) to benefit around ₹12 crore small and marginal farmers with direct income support of ₹6000 annually. ₹75,000 crore has been allocated to this.
- The amount of interest subvention has been doubled and crop loans to farmers increased to ₹11.68 lakh crore.
- Allocation for Rashtriya Gokul Mission increased to ₹750 crore. Rashtriya Kamdhenu Aayog has been established to genetically upgrade cow resources.
- Under National Disaster Relief Fund (NDRF), farmers affected by natural calamities will get 2% interest subvention. A prompt repayment incentive of 3% will be given for the entire loan reschedulement period.
- A separate Department of Fisheries to be created for welfare of 1.5 crore fishermen.

Climate Change

International Solar Alliance

- To promote renewable energy.
- First treaty based international inter-governmental organisation headquartered in India.
- Installed solar generation capacity grown over ten times in last five years.
- Now creating lakhs of new age jobs.

Digital India Revolution

- More than 3 lakh Common Service Centres (CSCs) exist to deliver services to the citizens.
- India now leading the world in the consumption of mobile data.
- Under Make in India, mobile and parts manufacturing companies increased from 2 to more than 268 providing huge job opportunities.

Banking Reforms and Insolvency and Bankruptcy Code (IBC)

- The IBC has institutionalized a resolution-friendly mechanism.
- Government adopted 4 'R' approach of recognition, resolution, re-capitalization & reforms.
- Government has implemented measures to ensure 'Clean Banking'.
- Government has already recovered ₹3 lakh crore in favour of banks and creditors.
- Government has invested ₹2.6 lakh crore for recapitalization of public sector banks.

III. RURAL CREDIT SCENARIO

The plan target and actual flow of credit to agriculture and rural sectors during the years i.e. from 2005-06 to 2018-19 is as given below together with the growth rate and percentage of achievements.

(₹ crores)

YEAR	TARGET	ACHIEVEMENT
2005-06	1,41,500 (34.76%)	1,80,486 (44.03%)
2006-07	1,75,000 (23.67%)	2,29,401 (27.10%)
2007-08	2,25,000 (28.57%)	2,50,000 (8.98%)
2008-09	2,80,000 (24.44%)	3,02,908 (20.76%)
2009-10	3,25,000 (16.07%)	3,84,541 (26.94%)
2010-11	3,75,000 (15.38%)	4,68,291 (21.79%)
2011-12	4,75,000 (26.66%)	5,11,029 (9.13%)
2012-13	5,75,000 (21.05%)	6,07,375 (18.85%)
2013-14	7,00,000 (21.74%)	7,30,765 (20.31%)
2014-15	8,00,000(14.28%)	8,45,328 (15.68%)
2015-16	8,50,000 (6.25%)	9,15,509 (8.30%)
2016-17	9,00,000 (5.88%)	10,65,755 (16.41%)
2017-18	10,00,000 (11.11%)	11,62,617 (9.09%)*
2018-19	12,00,000 (10%)	12,54,752 (7.92%)

Note: Figures in parentheses indicate percentage change over previous year
Source: Budget document & Economic Surveys of GoI (2005-06 to 2016-17) & NABARD Annual Reports

Access to agricultural credit is linked to the holding of formal land titles. As a result, small and marginal farmers, who account for more than half of the total land holdings, and may not hold formal land titles, are unable to access institutionalized credit. Farmers require credit for short term uses such as purchasing inputs, weeding, harvesting, sorting and transporting, or long term uses such as investing in agricultural machinery and equipment, or irrigation. Indian agriculture is heavily dependent on monsoon – 60% area rainfed – three Ms – Monsoon, money and market are crucial. Small and marginal farmers access to finance – about 50% (both formal and informal – 30% formal and 20% informal). Informal sources of credit are typically offered at higher rates of interests, and may not have proper documentation. Other major sources of agricultural credit include shopkeepers, relatives or friends, and co-operative societies. 85% of about 12.5 crore farms are small and marginal in terms of holding size.

- Farm household expenditure is more than farm household income for majority of small and marginal farmers – perpetual financial deficit / under nutrition / ill health /unmet basic needs.

  Majority of farmers are willing to take up other occupations, but stuck to agriculture for want of opportunities elsewhere.

- Over the past few decades, the trend of short term and long term agricultural credit in the country has reversed. From 1990-91 and onwards, the share of long term credit has been constantly decreasing implying that farmers are taking loans for recurring expenditures rather than to fund long term investments. Although the flow of production credit has been on the increase year after year due to the thrust of the Government of India, this has not, however, contributed significantly to the capital formation in agriculture. Production credit only ensures food security for the population. Only long term investment credit flow ensures capital formation in agriculture.

It is estimated that 75% of the total credit to agriculture has been contributed by Commercial Banks and balance by Cooperatives and RRBs with a share of 15% and 10% respectively. The reported growth in credit, however, is hardly reflected in the field. Nearly half of India's 1540 million farming households are excluded from the formal credit system. Ordinary farmers still find it difficult to access credit from banking system. In spite of domination of Commercial Banks in the statistics of agricultural lending, cooperatives continue to be the source of credit for 60% of borrowing farmers. RRBs have significantly increased their share in agriculture lending accounting for 10% of the total credit and about 20% of total borrowers. The fact that Cooperatives and RRBs together cover nearly 80% of borrowing farm households leaves Commercial banks to finance just 20% of borrowing farmers. Evidently, the direct loans of Commercial Banks to farmers should be much less than what is actually reported. This over counting of agricultural lending by Commercial Banks has caused to vitiate Govt policies in rural credit and drastically diminished the importance of cooperatives in Govt policies and programmes to augment credit flow to the sector.

The agricultural yield (in terms of average per hectare production) is found to be much lower in the case of most crops, as compared to other top producing countries such as China, Brazil and the United States. Key issues affecting agricultural productivity include the decreasing sizes of agricultural land holdings, continued dependence on the monsoon due to inadequate access to irrigation, imbalanced use of soil nutrients resulting in loss of fertility of soil, uneven access to modern technology in different parts of the country, lack of access to formal agricultural credit, limited procurement of food grains by government agencies, and failure to provide remunerative prices to farmers.

The large number of fragmented holdings and shift in the agricultural work force to urban areas in search of employment opportunities and as an occupation becoming non-remunerative have come in the way of smooth flow of institutional finance towards investment credit in a big way. This has also contributed to the declining trend in capital formation in agriculture.

Profitability of agriculture vis-a-vis other sectors influences private investment in agriculture and relative profitability of different crops determines the inter-crop allocation of land and other

resources. This slowdown in agriculture was mainly because of sharp deceleration/decline in public investment and input usage in agriculture, which is linked to decline in profitability of most crops. The complementarity between public investment and private investment as well as input usage, led to this severe crisis in agriculture. The increasing marginalization of land holdings in most of the states, accompanied with increasing fragmentation compounds the challenges of increasing productivity and accelerating agricultural growth. Ensuring sustainability and economic viability of smallholders and improving their competitiveness in production and marketing by facilitating better access to improved technology, inputs, credit and markets is crucial for higher and inclusive agricultural growth.

Shifting a large chunk of workforce from agriculture by creating productive work opportunities in the non-farm sector is also required to check the disturbing trend of increasing disparities between agricultural and non-agricultural occupations.

Policy measures like land reforms, enhanced rural credit, and greater public investment are important to promote agricultural growth in less developed regions.

Another major issue in agricultural credit is the steep decrease in the proportion of investment credit in the total credit flow since 90s. This has considerably slowed down capital formation in agriculture. The share of public investments in agriculture being only 25%, bulk of investments in this sector takes place through private initiative facilitated mostly through bank loan. Average rate of gross capital formation in agriculture in the last 5 years comes to only 15%, which goes down to half of that when adjusted to inflation. The capital formation in agriculture in real terms does not even fully cover the replacement needs of worn-out assets, which leaves net capital formation negative. Gross capital formation needs to be stepped up by an additional 10% to avoid negative net capital formation.

With around 50% of the population still dependent on agriculture for its livelihood, the sector continues to play a vital role through its multiplier impact on the economy.

The most important pre-requisite in the agricultural sector is the need to encourage farmers to make long-term investments. Inevitably, public support is required not only through an increased flow of credit and creation of infrastructural investments but also through the development of agri-markets and investment in agro-processing. The investment needs may differ across countries/regions given their diverse agro-climatic conditions, and the level of agricultural development and the crop and allied activities being undertaken by them.

Considering existence of fiscal constraints, investment strategy in agriculture should be guided by efficient and equitable use of resources with high payoffs.

- Also a need to accelerate the supply response in agriculture and save on large wastages in the supply chains.
- Large investments in supply chains, R&D, logistics processing and organized retailing required to achieve this.
- Private sector investments can be leveraged through open and more investor-friendly policies, on the one hand, & FPOs, on the other, with the two reinforcing each other for a big push in agriculture.
- Ensuring more investment credit flow to dairy, poultry, horticulture, fisheries, storage and marketing, contract farming etc. which

would provide employment opportunities and additional income generation to the farmers.

Credit acts as an enabling and critical input in the production process. Studies reveal that loans from institutional sources, viz., commercial banks, regional rural banks and cooperatives, provide access to and usage of fertilisers, seeds and other inputs, and are also highly correlated with capital formation. Seen from the demand side, this indicates that nearly 86 per cent of the farm investment in India is undertaken through borrowed money from both institutional and non-institutional sources. The existing institutional finance mechanism takes care of more than 65% of the total production credit requirements and the balance goes for investment credit. The short term loans provided by all banks largely support for production of crop and lesser share goes towards investment in agriculture. This has affected the capital formation in agriculture which should have been increased substantially over the years mainly because of farmers not getting adequate returns for their investments made by borrowing through institutional credit agencies.

The current estimates suggest that long-term credit is not just declining but also that it constitutes less than a quarter of total agricultural credit. The policy thrust, therefore, has to be on incentivizing banks through adequate budgetary support. Similarly, reviving public sector investment is critical due to its multiplier effect on the overall GCF in the sector.

In India the investment requirements have not been estimated for agricultural growth at state level but only made at national level. The Planning Commission estimated that a 20.41% rate of investment was required to achieve a growth target of 3.5–4.2% during the Twelfth Five Year Plan (2012-17). This investment rate, based on the incremental capital output ratio (ICOR) of 5.32%, is to be met through the public and private (farm household) sectors. Based on the average ICORs from 2007-08 to 2011-12 and 2012-13 to 2013-14 and the targeted 9.23% annual increase in real farm income, the required rate of investment on private account is at 6.62%. In case of public investment ('for' agriculture) the targeted investment rate is assessed at 6.92% per year. In absolute terms, in order to enable the doubling of farmers' real income by generating higher farm incomes, the private investment in India should increase from ₹296 billion (₹29,559 crore) in 2015-16 to cumulative ₹463 billion (₹ 46,299 crore) in 2022-23, at 2004-05 prices.

Studies undertaken for the earlier periods also reported higher ICORs in agriculture, varying between 2.2 and 4%, which indicates that a one-rupee increase in output per year requires an one-time investment of ₹2.2 to ₹4. The capital requirement would almost double if public investment in infrastructure and supportive investments are also taken into account. With increased fragmented land holdings, it is quite unlikely that marginal farmers would be willing to take investment credit when the adequate return is not assured by such investments. Thus, the risk and return ratio on investment credit being quite high, there will be hesitancy on the part of the small/marginal farmers to borrow at a high cost where the return is going to be far less. As indicated above unless the investment risk return ratio becomes positive, farmers may not be willing to take any risk for putting additional investment by taking loans from institutional agencies.

The institutional credit delivery mechanism does not have long term resources. The refinance

facility from NABARD is only by way of liquidity support to the banks. Commercial Banks generally squeeze the repayment period for their investment credit support thereby compelling the farmers to repay their loans even without any income. Hence, they are forced to approach informal sources for their financial needs which carry exorbitant rate of interest. Cooperative banks and RRBs do not have adequate long term resources to augment their share in investment credit. ARDBs are the only source to support the investment credit needs of their members sometimes even with or without NABARD's refinance support. If the share of investment credit by ARDBs need to be expanded, they should be provided with liberalised funding from NABARD or any other higher financing agencies as the ARDBs are the only channel purposely created by the policy makers for providing long term investment credit support. It, therefore, calls for a relook on the refinancing policy of NABARD which should play the proactive role of supporting the ARDBs liberally without any strings instead of adopting restricted lending policies. In fact, NABARD has been first recovering its refinance dues from ARDBs even when they are not in a position to recover from the borrowing members, since its inception. This policy of NABARD needs to be relooked and it should adopt later-end repayment of its refinance instalments by the ARDBs. Such an approach would give adequate cushion to ARDBs in meeting unfavourable recovery climate arising out of various socio-political reasons and NABARD would also take part in risk sharing approach.

In case the country wants to increase its share in export of agricultural produce, it needs to make huge investments in agriculture (both public and private) towards capital formation for creation of assets for undertaking post-harvest technology activities in a big way. ARDBs can play a vital role in expanding their credit portfolio by encouraging investment credit liberally for those farmers who are willing to undertake such activities in rural areas. To enable the ARDBs to play a meaningful role in this direction, NABARD needs to extend liberal refinancing support so that ARDBs can continue to remain as an active partner in rural development. In the first place, Govt. continues to ignore the potential role of Long Term Cooperative Credit Structure (LTCCS), which is the only specialized agency for investment credit to farmers. The revamping of LTCCS is badly delayed affecting its ability to meet the Long Term credit needs of farmers. Govt. should implement the revival package for LTCCS recommended by Vaidyanathan Task Force II without further delay.

High interest rates payable by farmers for investment credit is another issue that should be addressed on priority. Central Govt. has taken steps for keeping interest rate of crop loans at affordable rates. After the interest subvention of 3% the maximum interest rate on crop loans is 4% per annum. With additional interest subvention by State Governments crop loans are now available at zero interest rate in some states. However, none of these measures to reduce the cost of agriculture credit has been extended to loans given for farm investments. NABARD's refinance support to banks for investment credit carries interest rates of about 8.50% per annum, making the cost of loans at ultimate borrower level in the range of 12-14% per annum. The huge gap between interest rates of crop loans and investment loans has become a major disincentive for farm investments.

Govt. has set up Long Term Rural Credit Fund with NABARD out of deficit in commercial banks' lending to agriculture started initially with an allocation of ₹5000 crore in 2014-15 was further increased to ₹15000 crore during 2015-16. NABARD has been using this Fund for giving investment credit refinance at a lower rate for a maximum period upto 5 years. However, SCARDBs got only a small share of LTRCF as their loans are mostly of longer term than 5 years.

Financing agriculture, especially under rain-fed conditions, which accounts for 63% of the total area under cultivation, involves high risk. At present, the entire risk involved in farm financing is borne by lending institutions resulting in high level of NPAs with them. For large number of institutions in the cooperative credit structure including ARDBs which cater mainly to small and marginal farmers, the NPAs are beyond tolerable level.

Implementation of Debt Waiver Scheme by Central and State Govts, continued to vitiate the climate of loan recovery. Govt. support to farmers for agriculture insurance should be extended for insuring farm assets also apart from crops. Govt. should also refrain from actions that vitiated recovery climate and restrain from interference in the recovery process of ARDBs.

Most part of the institutional credit goes to a few developed states in the South and North-west regions of India. Consequently, rural areas in Eastern and North-eastern states with huge potential for agricultural growth are not getting adequate credit. Addressing the skewed distribution of credit between various regions as well as between rural communities within each region is another major challenge for rural financial system.

IV. COOPERATIVE LONG TERM CREDIT STRUCTURE - OVERVIEW

Rural Cooperative Credit System in India evolved into two separate streams for ST credit and LT credit. The Long Term Cooperative Credit Structure had its beginning in the early 1920s with the establishment of Land Mortgage Banks to provide long term loans to farmers to redeem debts on land. The first Land Mortgage Bank was established in 1920 in Punjab followed by establishment of a large number of such banks in all provinces. The first Central Land Mortgage Bank started functioning in Madras to centralize the issue of debentures and to coordinate the working of Primary Land Mortgage Banks. The Bombay Banking Enquiry Committee (1930) mentioned about the inadequacy of resources of primary credit societies to undertake long term lending and advocated formation of Land Mortgage Banks to meet long term credit needs of farmers. The 1930s and 40s witnessed mushroom growth of Land Mortgage Banks throughout the country without any uniform pattern with regard to their size and operations. The All India Rural Credit Survey Committee recommended reorganization of Land Mortgage Banks with a State level apex body and Primary Land Mortgage Banks at taluka level affiliated to it. The Committee also recommended diversifying their operations into investment credit for agriculture. Central Land Mortgage Banks were established in almost all States during the IInd Five Year Plan which came to be known as State Cooperative Land Development Banks which were renamed as State Cooperative Agriculture & Rural Development Banks with further diversification into rural non-farm sector in the 80s.

The contributions of Agriculture & Rural Development Banks (ARDBs) to the development of Indian agriculture have been quite significant in the post-Independence era. ARDBs played a very important role in improving the productivity of land especially through development of minor irrigation and facilitating farm mechanization in the 60s and 70s. While continuing to promote capital formation in agriculture, these banks started financing rural non-farm sector projects in a big way in the 80s and 90s which helped rural families to increase their incomes substantially through value addition to their produce apart from providing opportunities for alternate employment. It will not be out of place to mention that till the 1980-1990 the ARDBs were effectively the only banks which were engaged in providing investment credit for agriculture. The role of the commercial banks was limited primarily to financing corporate sector in plantation, commercial poultry and dairy units.

The Long Term Cooperative Credit Structure comprises of SCARDBs in 16 States operating either through their own branches at ground level or through Primary Agricultural and Rural Development Banks affiliated to the state level Apex. In Andhra Pradesh, the SCARDB was merged with Andhra Pradesh State Cooperative Bank in 1995 to form an integrated structure. Chhattisgarh State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank was also merged with Chhattisgarh State Cooperative Bank in October 2014. In most of the states formed after 1960, State Cooperative Banks also perform investment credit operations in agriculture and rural sectors in the absence of separate structure for Long Term credit.

At present the structure comprises of 16 SCARDBs of which only 13 are fully functional with a network of 1,751 PCARDBs / branches of SCARDBs at ground level. These banks have a

total membership of 1,07,49,291 rural households of which 62,40,508 have outstanding loans. The Total Loans Outstanding and Borrowings Outstanding of these banks as on 31.03.2019 were ₹20679.26 crores and ₹15059.18 crores respectively. Fully functional SCARDBs have total deposits as on 31.3.2019 were ₹ 2133.38 crore as against ₹ 2157.38 crores as on 31.3.2018 while their total lending stood at ₹4230.62 crores as against ₹4421.46 crores during the previous year. Aggregate recoveries of these banks stood at 43.31% (upto June 2018) as against 37.89% last year.

Growth of Long-Term Cooperative Credit Structure as on 31 March 2019

(₹ Lakh)

Sr. No.	Particulars	During the year	
		2017-18	2018-19
1.	No. of SCARDBs		
	i Fully Functional	13	13
	ii Others	3	3
2.	Network of outlets		
	i Branches of SCARDBs	686	686
	ii PCARDBs and its branches	1,065	1,065
	TOTAL	**1,751**	**1,751**
3.	Membership of individuals		
	i Borrowing Members	59,65,000	62,40,508
	ii Non-borrowing Members	47,72,728	45,08,783
	TOTAL	**1,07,37,728**	**1,07,49,291**
4.	Loans Outstanding	20,67,586.36	20,67,925.88
5.	Loans Disbursed	4,42,146.36	4,23,062.02
6.	Borrowings Outstanding	15,16,917.01	15,05,917.61
7.	Deposit Outstanding	2,15,738.01	2,13,338.07
8.	Loan Recovery Position		
	As on	**30 June 2017**	**30 June 2018**
	i Demand	12,53,600.36	14,11,461.03
	ii Recovery	4,75,020.35	6,11,252.50
	iii Recovery %	37.89	43.31
9.	Amount of Profit (As on 31st March)	7,452.10	12,589.31
	In Profit (no.)	10	9
10.	Amount of Losses	8,272.86	8,845.30
	In Loss (no.)	3	4
11.	Staff Position		
	i SCARDB Level	4985	4900
	ii PCARDB level	4788	4669
	TOTAL	**9773**	**9569**

Issues and Challenges in the Long Term Cooperative Credit Structure (LTCCS)

The LTCCS is primarily designed as non-resource based specialized term lending agency. The structure consists of Agriculture and Rural Development Banks at State and Primary levels. These institutions are not given license to function as Banks coming under the purview of Banking Regulations Act. Hence they are not allowed to take deposits from public like other Rural Financial Institutions (RFIs). As a result, they are dependent heavily on borrowed funds for advancing loans. Before Independence, Government was the main source of funds for their operations. In 1961, Agriculture Refinance Corporation (ARC) was established to mobilize Long Term resources for the operations of Land Development Banks (LDBs). In 1963, ARC was renamed as ARDC. Till formation of NABARD in 1982, Agricultural Refinance and Development Corporation (ARDC) and Agricultural Credit Department (ACD) of RBI together provided funds for the operations of LTCCS. In July 1982, NABARD was formed by merging ARDC and ACD. Since then, NABARD is the main source of funds for the structure for carrying out its lending operations. The refinance support of NABARD, however, has been steadily declining since the beginning of 2000s. This has severely restricted the lending operations of SCARDBs. Moreover, SCARDBs in some States which could not access NABARD's refinance due to non-availability of Govt. guarantee or failure to meet the eligibility conditions for refinance based on Risk Rating norms introduced had to suspend lending operations for want of resources. Most of the ARDBs had to bear the guarantee fee ranging from 0.25% (Gujarat) to 2% excepting West Bengal in addition to the Risk Cost being fixed by NABARD based on its Risk Rating parameters. Thus, effectively, the margin available for ARDBs is getting reduced year after year and their profitability is getting eroded. The resource poor institutions created for the specific purpose of providing long term investment credit need to be treated on a slightly different footing by the higher financing agencies like NABARD rather than compelling the ARDBs to fall in line with other rural financial institutions which are resource rich. It may not be out of place to mention here that NABARD does not insist on Government default guarantee while extending refinance support to other Cooperative credit institutions. Since NABARD has been insisting on for Government's default guarantee as security for its refinance, payment of guarantee fee to the concerned State Government and payment of risk cost are adding up to the cost of funds to ARDBs, which needs to be dispensed with. It should be appreciated that the ARDBs cannot pass on these additional charges to the ultimate borrowers when other rural financial institutions in their area of operation provide loans at a much cheaper rate. Further, there has been inordinate delay in getting the guarantee from some of the State Governments as a result of which they could not avail the NABARD refinance fully. NABARD in this context may consider implementing the recommendation of the Working Group on Enhancing the Share of ARDBs in Investment Credit under the chairmanship of Shri Y.C. Nanda, Ex-Chairman, NABARD to introduce a new additional refinance product to extend refinance to SCARDBs on the basis of their unencumbered quality assets and other qualitative norms without govt guarantee or collaterals.

Inability to meet Short Term production credit/working capital needs of Long Term borrowers has been another major deficiency in the working of ARDBs. Because of restrictions in the Act, SCARDBs in general, were unable to diversify lending to short term purposes until

recently. In recent years, ARDBs in most of the States are also meeting short term credit needs of long term borrowers out of funds mobilized as deposits from members and short term borrowings from NCDC and banking system. However, ARDBs still are unable to advance crop loans at 7% interest p.a. as crop loan interest subvention scheme of Government of India is not extended to them.

The financial performance of institutions in the structure started declining since 90s due to heavy overdues and losses in Govt sponsored schemes, long regime of regulated interest rates without allowing adequate margins to meet their transaction and risk costs and implementation of debt waiver scheme in 1990 by Central Govt without fully reimbursing the loans written off under the scheme. In fact, all rural financial institutions including Commercial banks, RRBs and Short Term Cooperative Credit Structure also incurred heavy financial losses due to the above reasons. While such losses of the Commercial banks, RRBs and STCCS have been compensated by the government through various revamping processes, the losses of ARDBs continue to remain uncompensated. Even though Task Force No.2 for LTCCS headed by Prof. Vaidyanathan recommended a revival package comprising of one time assistance by Central and State Govts for recapitalisation of ARDBs in 2006, it has not been operationalised so far.

The undue delay in implementing the revival package has considerably affected the ability of the structure to meet the credit needs of its members. In spite of these setbacks, the structure continues to be relevant and needs to be strengthened to arrest the rapid fall in the proportion of investment credit in the total flow of farm credit. The revitalization of the structure involves transformation of SCARDBs and PCARDBs into self-reliant member driven organizations capable of delivering financial services to the rural sector effectively, in a competitive environment with focus on capital formation in agriculture.

Deteriorating recovery climate is another major challenge faced by ARDBs. Aggregate average loan recovery at the ground level has been hovering around 50% in the last few years. Though loans are secured by mortgage of land recovery of loan by selling agricultural land is difficult in many States. Inability of the structure to give production credit/working capital loans along with investment credit results in full benefits of investments not accruing to borrowers who are not able to access short term loans from other agencies. Further, ARDBs which have not introduced short term loan products and saving products are unable to maintain regular contacts with borrowers which is necessary for high rate of repayment. Announcement of agricultural loan waiver by all major political parties prior to legislative assembly elections in 4 States held in March 2017 and writing off of entire crop loans by the Govt of Uttar Pradesh followed by Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Punjab immediately after elections has severely affected the repayment of agricultural loans all over the country. Loan waiver though may be done as an one time measure, gives rise to expectations of further waivers in the future leading to total break-down of agricultural credit system which cannot function without recycling of resources.

Recovery scenario of long term agricultural loans

Recovery scenario of long term agricultural loans has undergone further deterioration during 2018-

19 with another series of loan waivers by State Govts in a number of States. So far 8 State Govts have announced loan waivers since February 2017 including Uttar Pradesh, Maharashtra, Punjab, Karnataka, Rajasthan & Madhya Pradesh. In Karnataka and Rajasthan, waivers took place twice during this period, one before the recent assembly election and another after election. According to experts loan waivers do not solve the fundamental issue of farmers distress which is the result of rising costs and falling profitability of agriculture. However, the most serious issue in farm loan waiver is its impact on credit discipline and repayment culture. General loan waivers are promised and announced as universally applicable to all farmers without mentioning any conditionalities which will be known only at the implementation stage which involves considerable time lag after the public announcement of waiver. As every borrower expects his loan to be waived, no one would neither repay nor make provision for repayment any time in the future. Farmers who took long term loans were the most affected segment on account of such conditionalities which made these waiver schemes applicable only to crop loans. Except in the recent waiver scheme in Rajasthan, none of the waivers covered long term loans taken by farmers. Consequently, ARDBs which advance only long term loans ended up with zero liquidity in the last 2 years leading to problems in meeting their repayment commitments to NABARD and carrying on further lending. Though these waiver schemes covered only crop loans substantial number of crop loan borrowers also did not get any benefit due to conditionalities relating to size of land holding, cut off date of implementation etc. Further in all these schemes honest farmers who repay their loans on time are not given any benefit making them potential defaulters in the future. Nationwide waiver of all agricultural loans promised by major political parties prior to this year's general election has now virtually stopped repayment/recovery of any kind of agricultural loan by any category of farmer. In case these promises are not fully fulfilled by putting conditionalities at the stage of implementation, it will probably mark the end of the rural cooperative credit system which has a history of more than 100 years and continues to be the only reliable source of credit for ordinary farmers.

V. FEDERATION DURING 2018-19

A significant event in the history of Long Term Cooperative Credit Structure (LTCCS) in India has been the establishment of the National Co-operative Agriculture and Rural Development Banks' Federation Ltd (NCARDBF) in 1960. Since its inception, the Federation has been playing an important role in the growth of institutions in the sector. It has established effective coordination and promoted understanding among member banks and liaison with Central and State Governments, NABARD and financing agencies of SCARDBs.

Activities of the Federation also include organizing Seminars and Workshops, undertaking research studies and formulation of Plans and programmes through its Planning, Research and Development Cell, compilation and publishing of statistics of member banks' operations, sponsoring of study teams, coordinating investments in debentures, undertaking special training programmes, publicity work, providing guidance and advice on issues relating to operations and governance. The quarterly Land Bank Journal published by the Federation since last 55 years has gained considerable popularity. The Federation is also assisting member banks in business development and expansion by designing new products.

Lobbying with the Government for implementing revival package comprising of recapitalisation and reforms, guiding SCARDBs in self-driven reform initiatives and guidance and support to member banks in resource mobilization, recovery and NPA management, business expansion and diversification continued to be the thrust areas of Federation's activities during the year.

Lobbying

Revival package for ARDBs

Demand for revival package has been the main focus of Federation's lobbying with Central Govt in the last few years. Vaidyanathan Task Force recommended revival package for LTCCS in 2006 and Government announced its implementation in the Union Budget for 2008-09. Subsequently, a revival scheme was also approved by Union Budget 2009 which, however, could not be circulated due to Lok Sabha election of 2009 was notified soon after that. After elections, Ministry of Finance appointed a Committee headed by Shri Chaturvedi, then Additional Secretary (Finance) to review the revival scheme in the light of implementation of Agricultural Debt Waiver & Debt Waiver Scheme of 2008. Chaturvedi Committee submitted its report in February 2010 recommending implementation of this revival scheme for long term cooperative credit structure with certain minor modifications. However, no further action was taken to implement this scheme thereafter. Federation has been taking up this matter with various authorities in the Government including Prime Minister and Finance Minister from time to time. Federation has also convened Meetings of Parliamentarians on this issue. Federation has submitted fresh memorandum on this issue to Hon'ble Prime Minister on the eve of this year's Union Budget pointing out the need to revive institutions in the long term cooperative credit structure to boost capital formation in agriculture

and to address the credit crisis faced by their member farmers.

The delay in implementing the package aggravated financial weakness of ARDBs and drastically reduced their capacity to meet the credit requirements of about 98 lakh farmers (members of ARDBs with outstanding loans as on 31.3.2017) who by and large are unable to access credit from other agencies since their land is already mortgaged with ARDBs. Implementation of the proposed revival package is the only solution to address credit crisis faced by them. The structure which is present in all major states with a network of 2600 outlets has the potential of expanding its annual lending at least by 5 times in the short run from the present level of about ₹5000 crs, if revived.

The continuous representations and delegations keep the revival proposal live and the Federation hopes for a favourable decision on the same at political level.

Restructuring of ARDBs into Banks

There is consensus among institutions in the LTCCS as well as their stakeholders including State Govt and NABARD that ARDBs should be converted as regular banks to make them resource based institutions capable of meeting the credit needs of their members adequately and restoring its relevance in the rural financial system. Converting ARDBs into full-fledged banking institutions was one of the major recommendations of Capoor Committee which submitted its report in 1999. Based on the recommendations of Capoor Committee, the RBI in May 2002 constituted a Working Group to consider norms for conversion of ARDBs into full fledged banks. However, after a few meetings the Working Group was dissolved, before submitting its report with the observation that, looking at their financial strength and performance time did not come for ARDBs to become full-fledged banks.

Later on, Vaidyanathan Task Force II in its report also suggested that "if on date, or in the future any entity within this structure fulfils the conditions necessary for obtaining a banking licence, the banking regulator may consider it on merit." However, the banking regulator has not prescribed the conditions necessary for obtaining a banking licence by ARDBs, so far.

Another issue in licensing ARDBs is its structural pattern. As per the provisions of Banking Regulations Act, only a state cooperative bank or a district central cooperative bank or a primary cooperative bank is eligible for banking licence. A state cooperative bank and a district central cooperative bank are defined as principal cooperative society for the state or district respectively as notified by the State Govt. Since none of the SCARDBs or PCARDBs are notified as principal cooperative society for any state or district they are not eligible for banking licence in the category of a state cooperative bank or a district central cooperative bank. However, under the extant provisions of BR Act, ARDBs can still be licensed as Primary Cooperative Banks. Unitary SCARDBs are qualified to be licensed as Primary Cooperative Banks without any structural change while there is consensus among federal SCARDBs to adopt unitary structure if it becomes necessary for getting banking licence.

In response to Federation's representation on the subject, RBI has recently informed that the suggestion of framing norms for licensing ARDBs as banks is under their consideration.

Crop loan interest subvention scheme

The interest subvention scheme for crop loans

implemented by Govt of India is presently not extended to farmers who avail crop loans from ARDBs. The Federation has been persistently taking up with Ministry of Finance to address this issue by including SCARDBs in the list of institutions through which the crop loan interest subvention scheme is implemented. Another option is to channelize the crop loan refinance to SCARDBs through SCBs by providing a special additional allocation in the limit for crop loan refinance sanctioned to SCARDBs. NABARD Chairman in his meeting with representatives of the Federation on 6th March 2019 informed that such a proposal is under his active consideration which, if implemented, will help SCARDBs to give crop loans to their long term borrowers at interest rates on par with other banks.

Subventing cost of investment credit to agriculture

Federation has also moved Government to introduce an interest subvention scheme for investment credit to agriculture in the pattern of crop loan interest subvention scheme in order to reduce the cost of long term loans for capital formation in agriculture.

Reform initiatives

Core Group for Reform Initiatives (CGRI)

Core Group for Reform Initiatives constituted by SCARDBs continue to have regular meetings in most of the banks. CGRI has been concentrating on deepening of self-driven reforms at the ground level. CGRI also reviews the impact of reforms already initiated in the core areas of new avenues of mobilising resources, introduction of new products, identifying critical areas and taking corrective actions to improve the rating of SCARDBs, preparation of manuals on functional areas with a view to evolve consistent policies and well documented procedure specifying authority and accountability at various levels as well as recovery and NPA management.

The focus of CGRI meetings during 2018-19 was preparation and implementation of special revival plans by SCARDBs with thrust on resource augmentation, business expansion, NPA management and computerisation.

Follow-up with State Governments for enhancing policy support to SCARDBs

The two Conferences of Principal Secretaries of Cooperation and Registrars of Cooperative Societies organised by the Federation in 2012 and 2014 made several important recommendations for improving legal and policy environment of ARDBs and improving their working in general. Priority to SCARDBs in giving govt guarantee along with simplifying the procedure thereto and waiving guarantee fee or keeping such fees at lower rate in case waiver not possible, waiver of stamp duty and registration fee which is yet to be done in some States, introducing the system of loan documents being executed by the bank and sending the same to Sub Registrar directly by the bank without involving the borrower which also needs to be introduced in a few more States, removing restrictions on legal recovery measures with regard to wilful defaulters, vesting sale powers with bank officials which also has not yet been implemented in some States, giving permission for accepting deposits by ARDBs in a couple of States where it has not been done so far, amendment in the ARDB/State Cooperative Societies Act to enable ARDBs to meet short term credit needs of members, doing away with separate approval by the Govt for recruitment of staff as per the approved staff pattern etc. were among the important recommendations relating to State Govts made by the above Conferences. The Federation is continuously following up these recommendations

with State Govts concerned.

Scheme for Sanctioning Supplementary Credit Limit to meet Short term credit needs of long term borrowers

Absence of further financial support to supplement investment credit is a major shortcoming in the working of ARDBs. ARDBs generally give only long term loans leaving the short term credit needs of their members unattended and making them dependent on informal sources for such credit at exorbitant interest rates. Inadequate availability of short term credit also leads to sub-optimum utilisation of long term assets financed by ARDBs which affects borrowers' income and repaying capacity. Further, high cost of informal credit reduces the capacity of members to repay loans availed from the bank. Frequent contact of the borrower with the bank is necessary for timely repayment of loan is also not possible in the absence of further credit support after issuing investment credit.

Fixing supplementary credit limit which can be operated like a revolving cash credit to borrowers of long term loans will serve the twin purpose of meeting short term credit needs and improving loan recovery by increased borrower contact and reduced dependence of borrowers on informal sources of credit. Following are the salient aspects of the scheme.

- To start with SCARDB needs to assess the requirement of funds to finance the scheme and arrange for mobilising required funds through deposits, borrowings from NCDC, short term credit structure, commercial banks etc.
- Depending on the availability of funds, credit limits may be fixed as a certain percentage of investment credit sanctioned to a member.
- In the case of fresh long term loans, credit limit should be an essential additional component. In the case of existing loans credit limit being sanctioned in the case of non-overdue loans.
- The quantum of credit limit to be fixed on the basis of requirement, repaying capacity, security and availability of funds which can be used for the purpose.
- Credit limit can be sanctioned on the basis of residual market value of security given for long term loan.
- Credit limit can be operated by the borrower like a revolving cash credit subject to payment of quarterly interest and repayment of outstanding principal at the end of its tenure.
- Credit limit which is sanctioned for one year is renewed in subsequent years subject to fulfilment of terms and conditions including timely payment of instalment in other loans.
- The interest on credit limit is being charged on the basis of actual drawals on a quarterly basis.
- Interest rate on drawals from credit limit be fixed based on cost of funds plus reasonable margin to meet transaction and risk costs for both SCARDB and PCARDBs.

Working Group on Enhancing the Share of ARDBs in Rural Credit

Background

The ARDB structure is experiencing drastic decline in their market share since mid late 90s. Following are the important reasons for this.

Financial weaknesses on account of losses incurred under govt sponsored lending programmes, debt waivers as well as inadequate margins under the regulated interest rate regime prevailing till mid 90s.

Continuing with the original design of the structure as a non-resource based lender dealing in a single product which has lost its relevance in a multi agency multi product rural credit system dominated by full-fledged banking institutions.

Continuing dependence on NABARD's refinance and failure to diversify source of funds.

Drastic increase in the level of overdues and NPAs since early 2000 caused by a host of external and internal factors.

Suspension of lending operations by SCARDBs in the following States when NABARD stopped refinance support for want of govt guarantee and/or non-fulfilment of other conditions. Assam, Bihar, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Pondicherry, Tripura and Jammu & Kashmir. SCARDBs which continue to receive refinance from NABARD also could not maintain credit expansion matching with the market growth due to resource constraints and limited avenues for lending.

Deficiencies in Human Resources and technology adoption also hindered the growth of the sector.

It is also observed that land based investments like minor irrigation and farm mechanisation which accounts for most part of investment credit given by ARDBs has reached saturation. At the same time, ARDBs generally could not diversify into emerging growth areas in the rural sector which are generally capital and technology intensive.

ARDBs have also not developed the credit management skills required for financing such projects.

In absolute terms this implies that ARDBs need to achieve doubling of annual disbursements in every 4 years in the future. This requires significant scaling up of resources, capabilities of infrastructure including network and technology in their command.

ARDBs since 2013 have initiated a process of internal reforms especially in expanding avenues for raising resources and diversifying business. However, the big push required in achieving significant increase in annual lendings and market share is still absent in most of the States. Dr. Harsh Kumar Bhanwala, Chairman, NABARD, in his address in Annual Awards Function of Federation recently, highlighted the need for preparing a road map for enhancing the market share of ARDBs in agricultural rural credit and suggested constitution of a Working Group by the Federation for the same.

On this background, as decided by the Board of Management of the Federation in its meeting on 21st July 2017, Chairman Federation has constituted a Working Group on enhancing the share of ARDBs in rural credit with focus on investment credit to agriculture under the Chairmanship of Shri Y.C. Nanda, Ex-Chairman, NABARD and Co-Chairmanship of Shri D. N. Thakur, Dy. Managing Director, NCDC and with following persons as members.

1) Shri Ajit Kumar Singh, Assistant General Manager (IDD), NABARD (nominated by NABARD)
2) Shri Dalip Singh Yadav, Vice Chairman, NCARDBF
3) Shri K. Ravinder Rao, President, Telangana SCAB
4) Shri K. Shadakshari, Ex-MLA, Karnataka SCARDB
5) Shri Solomon Alex, President, Kerala SCARDB
6) Shri B. Shahul Ameed, Chairman, Tamil Nadu CSARDB

7) Shri D.B. Chaudhari, Chairman, Gujarat SCARDB
8) Shri H.S. Sidhu, Managing Director, Punjab SCADB
9) Shri Dhanesh Adlakha, Chairman, Haryana SCARDB
10) Shri Vijay Kumar Sharma, Managing Director, Rajasthan RSBVB
11) Pt. Shiv Lal, Chairman, Himachal Pradesh SCARDB
12) Shri K.P. Singh, Managing Director, Uttar Pradesh SGVB
13) Shri V.I. Ganesan, Senior Consultant, NCARDBF – Member Secretary
14) Shri K.K. Ravindran, Managing Director, NCARDBF - Convenor

The Working Group has submitted its report on 1st November 2018. The major recommendations of the Working Group are given in the next section.

Working Group on HR Policies in ARDBs

Human resource scenario in ARDBs in many States is marked by serious deficiencies in terms of quality and quantity. Recruitments have not been taking place on a regular basis for the last so many years resulting in ageing of staff and depletion of talent, creativity and imagination to contribute to achieving organisational objectives as also of core competencies for sustaining business growth and market share. Capacity building of existing staff and induction of competent fresh staff are critical to the success of the on-going initiatives in the sector for business diversification and expansion as well as enhancing market share. In this context, there is a need for devising appropriate HR policies by SCARDBs to ensure availability of staff of right size and quality at various levels to support their business development plans and to lay down norms and procedures on various aspects of human resource management.

On this background, the Board of Management of the Federation in its meeting on 21st July 2017 authorised Chairman to constitute a Working Group on HR policies in ARDBs. Accordingly, the Chairman, Federation is pleased to constitute a Working Group on HR policies under the chairmanship of Shri K. Sivadasan Nair, Vice Chairman of the Federation and co-chairmanship of Shri N. Satyanarayana, Chief Executive, NCUI and with following persons as members.

1) Shri Bhagwati Prasad, Vice Chairman, Sahkari Awas Nirman Evem Vitt Nigam Ltd.
2) Shri B.H. Jadeja, Vice Chairman, NCARDBF
3) Shri E. Devadasan, IAS, Managing Director, Kerala SCARDB
4) Shri A.C. Diwakara, Managing Director, Karnataka SCARDB
5) Dr. N. Vilvasekaran, Managing Director, Tamil Nadu CSARDB
6) Shri V.M. Chaudhari, General Manager, Gujarat SCARDB
7) Shri Naresh Goyal, Managing Director, Haryana SCARDB
8) Shri Y.P.S. Verma, Managing Director, Himachal Pradesh SCARDB
9) Shri H. S. Sidhu, Managing Director, Punjab SCADB
10) Shri Vijay Kumar Sharma, Managing Director, Rajasthan RSBVB
11) Dr.Nethi Muralidhar, Managing Director, Telangana SCAB
12) Shri V. I. Ganesan, Senior Consultant,

NCARDBF – Member Secretary

13) Shri K. K. Ravindran, Managing Director, NCARDBF - Convenor

The Working Group in its first meeting finalised the following terms of reference and also questionnaire for obtaining information from member banks.

- Review the present Human resource policies of SCARDBs and suggest a draft model policy of various aspects of HRM such as recruitment, induction, performance appraisal, transfer, promotion, training, compensation package including perks, leave, working conditions, grievance redressal, vigilance cell, prevention of harassment at work place, disciplinary proceedings etc.
- Reviewing existing staff pattern of ARDBs and making realistic assessment of requirement of staff in various categories based on business volume and suggest their minimum qualification and experience.
- Categorisation of SCARDBs and PCARDBs as per business volume and suggesting suitable staffing pattern based on business models.
- Assess the requirement of core staff to strengthen the second line of management with capabilities in critical areas of business operations including resource mobilisation, finance, risk management, information and communication technology etc.
- Departmentalisation – Functional and Geographical staffing of H.O. departments and Regional/District offices, Division of works and delegation of powers.
- Identify areas of work for outsourcing.
- Consider the need/feasibility of common cadres and identify cadres for SCARDBs and PCARDBs.
- Study the existing system of recruitment including filling up the posts of management cadres and suggest changes taking into account the need to maintain the staff of right size and quality.
- Review the arrangements for training including in-house, incentives for self-training.

The Working Group has completed the work of collection and compilation of data and is currently in the process of preparing the draft report.

Seminars on Functional Restructuring

During 2018-19 Federation organized 2 Seminars on Functional Restructuring in collaboration with National Institute for Rural Banking, Bangalore. Long term lending is the only business of ARDBs in majority of States even today. Accessing working capital/ production credit by long term borrowers of ARDBs from other formal sources is a big challenge mainly because their land is mortgaged for long term loan. Either they have to subject themselves to exploitation by informal sources of credit or confine their farm/non-farm operations to the extent possible within the limited availability of short term funds with them. This very often results in sub-optimum utilization of assets created out of long term loans leading to insufficient income generation and problems in loan repayment. Though statutes have been amended to enable ARDBs to introduce short term loan products as well it is yet to be operationalized in most of the States. Banks also need to mobilise resources through deposits and borrowings to introduce short term products. On the above background, the Federation has been organizing Seminars on Functional Restructuring

of ARDBs to middle level executives of SCARDBs and PCARDBs in the new areas of operations as part of functional restructuring. The first programme during the year was held during 9th to 11th October 2018 with the participation of 20 officers of SCARDBs from various States and the second seminar was organized during 22nd to 24th November 2018 exclusively for CEOs of PCARDBs and branch managers of SCARDBs which was attended by 22 participants from 5 States. The first seminar during 9th to 11th October 2018 was inaugurated by Shri K. Sivadasan Nair, Chairman, NCARDB Federation and the second seminar was inaugurated by Shri P. V. Prabhu, Ex.CEO of the Federation and presently Trustee Secretary, NIRB. Resource persons for the seminars consisted of Shri K. K. Ravindran, Managing Director and Shri V.I. Ganesan, Senior Consultant from the Federation as well as Shri R. Venkataswamy, Director and Shri Shivanna, Faculty Member from NIRB. The participants evaluated these seminars as highly useful and suggested more of such programmes for key functionaries of ARDBs at various levels.

Pilot Project for Agriculture Value Chain Financing by SCARDBs/Member SCBs based on Group Approach

The Board of Management of the Federation in its meeting on 20th December 2017 at Bangalore approved the Pilot Project for Agriculture Value Chain Financing by SCARDBs and member SCBs based on Group Approach. It was decided that all member banks which are eligible for refinance from NABARD should participate in the pilot project by selecting a contiguous area consisting of one or more panchayats in the respective States, suitable for the crops / activities identified by the banks.

The pilot project has two parts. The first part consists of financing farmers for raising of crops or undertaking activities as per package of practices recommended in the Project in the area identified. Banks should try to finance 15-20 farmers in each of the clusters/compact locality. If there is no provision for sanctioning a group loan, loans may be sanctioned to individual beneficiaries observing usual lending norms but the bank/field officer should facilitate formation of an informal group of all beneficiaries in the cluster for extending support services, facilitating effective supervision and credit discipline.

The second part of the pilot project is facilitating backward and forward linkages through a Multi Service Centre (MSC) set up by the SCARDB/PCARDB or in the absence of which through Farmer Producer Organisation (FPO) set up by the beneficiaries of the project. The objective of MSC/FPO is to maximize income of producers by undertaking post-harvest operations like procurement, processing including drying, cleaning, grading, packing, storage and marketing.

Publications

LAND BANK JOURNAL with a new look

Recently, the Federation has changed the size of the Land Bank Journal with improvement in the quality of paper and printing. The Federation has engaged the services of a Senior Accredited Journalist worked with the important National Dailies for professional support in editing and publishing the journal. His services are also available to member banks for feature writing based on sit-down interviews with Chairperson or Leadership team of the bank and for preparing features/reports on important events organised by the bank etc. The Journal will also give an overview of the recent developments in the sector

and a regular column featuring article/write-up from a sector leader/veteran in order to build a point of view so that the Journal becomes a platform that can give voice and argue positions that can weigh on policy makers for publishing in the Journal. These new features were introduced from March 2017 issue of the Journal.

Publication of Land Bank Journal is an important work of the PRD Cell. Three issues of Land Bank Journal i.e. June 2018, September 2018 & December 2018 have been published and circulated during the year and March 2019 issue is under print.

Annual Statistical Bulletin

Collection and compilation of statistics relating to member banks' operations and publication of Annual Statistical Bulletin is also undertaken by the Cell. Statistical Bulletin for the year 2016-17 was published during the year. The Bulletin for 2017-18 is under compilation. Federation is trying to make this important publication up to date by streamlining the reporting system relating to ground level data the operations of ARDBs.

Monthly Progress Report of ARDBs

Federation collects and compiles data on member banks' key operations on a monthly basis for review at its level and reporting to Govt of India. Loans disbursements, Recovery performance, Borrowings and Deposit Mobilisation are the main areas covered in the monthly progress report. 11 consolidated monthly reports from April 2018 to February 2019 were brought out during the year 2018-19. March 2019 report is under compilation.

VI. DEVELOPMENTS DURING 2018-19 – HIGHLIGHTS

Report of the Working Group on Enhancing the Share of ARDBs in Investment Credit

The Working Group on Enhancing the Share of ARDBs in Investment Credit constituted by the Federation under the chairmanship of Shri Y.C. Nanda, Ex-Chairman, NABARD submitted its report on 1st November 2018. The Working Group made a number of recommendations to build up the capacity of ARDBs in terms of structural design and business model, financial and human resources and technology to enhance their share in rural credit and in investment credit to agriculture.

The Working Group observed that the share of ARDBs in investment credit has been steadily declining since early 2000s. The sector had a share of 22% of annual disbursements of investment credit by all banks in 1995 which declined to 1.6% in 2017-18. When the market was going at 14% p.a. during this period the growth in ARDB sector was only 2%. Uncompensated financial losses due to govt. policies and dissolution/sickness of the structure in major States of Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Assam and Bihar contributed significantly to the declining share. The Working Group examined this issue very closely and identified the following major issues:-

Addressing structural and functional deficiencies

The Working Group felt that the ultimate solution to the structural deficiencies is conversion of institutions in the structure into full-fledged banks as recommended by Capoor Committee and Vaidyanathan Task Force II. However, RBI is yet to evolve a policy for giving banking licence to ARDBs.

The Working Group was of the view that under the extant provisions of BR Act unitary SCARDBs can be given licence as primary cooperative banks. There is consensus among federal SCARDBs to become unitary if it is necessary for getting banking licence. This, however, would be possible only in the medium term with coordinated efforts by stakeholders.

Internal reforms

In the short run, institutions in the structure need to focus on internal reforms to improve financial position and enhance market share and preparedness for banking licence. Following are the important recommendations of the Working Group in this regard.

- Arrangements for meeting adequately the production credit/working capital needs of borrowers of investment credit.
- Govt of India to extend interest subvention to crop loan borrowers of ARDBs also.
- Investment credit for different purposes may be given as composite loan including production credit/working capital for one season/one production cycle as part of term loan.
- SCARDBs need to augment their short term resources through deposits and borrowings to meet incremental working capital/production credit needs of their long term borrowers.
- ARDBs to encourage cluster farming based on group approach.

- All PCARDBs / branches of SCARDBs should set up Multi Service Centres for extending forward and backward linkages and other support services.
- Declining share of non-farm sector in the total advances by SCARDBs is a matter of concern. Share of NFS in total advance should be stepped up in view of its potential for employment generation and fewer problems in loan recovery compared to farm sector loans.
- SCARDBs projected annual growth rate of 12.72% in investment credit for the next 5 years. SCARDBs need to prepare separate action plan to achieve these projections.

NABARD's refinance to SCARDBs

- NABARD's funding to SCARDBs need to grow at 15.2% p.a. to achieve the projected growth in investment credit advances as above.
- The conditionality of govt guarantee for refinance is becoming increasingly difficult to fulfil as most of these States have already reached the statutory ceiling of guarantee.
- NABARD, therefore, may consider introducing a new additional refinance scheme for SCARDBs based on their unencumbered quality assets without govt guarantee which may also be linked to rating of SCARDB as per criteria for risk assessment and audit classification. This will encourage banks to raise more resources internally and will help them to realise on State Govts.
- Other issues relating to NABARD's refinance
  - NABARD may consider 100% refinance for all purposes as ARDBs don't have own funds to fill the gap in refinance.
  - Support from LTRCF helps SCARDBs to moderate average cost of funds. Increased support from LTRCF may be considered for reducing cost of loans for the farmers.
  - Collateral free loans may be given for setting up Multi Service Centres by PCARDBs / branches of SCARDBs on the security of receivables.
  - Waiving risk cost for refinance guaranteed by govt in view of guarantee fee paid for risk proofing.

Deposit Mobilisation

Deposits from public

- SCARDBs are allowed to mobilise term deposits from public as per NABARD guidelines on deposit mobilisation dt. 26 August 1997. As per these guidelines, deposits can be accepted from any individual, partnership firm, joint stock company or any other institution or association subject to following conditions.
  - 15% of deposits outstanding under the scheme to be kept in liquid form including cash, deposit with banks or govt securities.
  - Only term deposits of period not less than one year can be collected.
  - Aggregate deposits outstanding at any time shall not exceed the net owned funds of the SCARDBs.
  - Under federal structure, PCARDBs can function only as agents of SCARDBs initially at least for a period of 2 years before accepting deposits on their own.
- The Working Group observes that ARDBs

are collecting fixed deposits from public for more than 2 decades now as per the above guidelines and states that in view of the experience gained in mobilising deposits and the fact that no instance of failure/delay in meeting liabilities to the depositors have occurred so far, there is a case for broadening the scope for mobilising public deposits by ARDBs especially with regard to the tenure of deposits and the ceiling on deposits.

- Since SCARDBs have introduced short term loans the tenure restriction on deposits can be considered for relaxation. Similarly, the ceiling on deposits and the percentage of liquid reserve may be suitably revised taking the norms as applicable to NBFCs as the base as recommended by Vaidyanthan Task Force II.

Member deposits

- Accepting public deposits as per the scheme issued by NABARD in 1997.
- ARDBs are also accepting deposits from their members under deposit schemes as approved by Board of Directors of SCARDBs.
- The Working Group recommends that all depositors under member deposit schemes should be enrolled as members with voting rights.

CRAR

- Except Gujarat, Kerala and Tamil Nadu SCARDBs, CRAR of most of the banks is less than the desirable level of 9%.
- Banks need to strengthen their capital base to meet CRAR by accepting long term deposits which qualify for Tier II capital and unlocking capital funds locked up in provisions against NPA.
- ARDBs should not retrench share capital before completion of the statutory audit for the year during which the loan account has been closed.
- ARDBs may incentivise borrowers to convert share contributions as long term deposits with assured returns after closure of loans which would qualify for Tier II capital for complying with CRAR requirements.

Borrowings avenues other than NABARD

- Short term/medium term loans are available to SCARDBs which can be used for introducing short term products.
- SCARDBs with strong financial position and high recovery rate are eligible for NCDC loans on the security of receivables without collaterals.
- NHB refinance is available to SCARDBs under National Rural Housing Fund with loan recovery above 60% in the case of federal structure and 70% in the case of unitary structure without collaterals.
- SCARDBs should go for rating by accredited rating agencies which will help some of the financially strong SCARDBs to borrow from commercial banks on favourable terms.
- Rating may also pave way for collateral free loans from NABARD and other funding agencies.

Tackling of overdues and NPAs

- Recovery position both at ultimate borrower level and apex level showed remarkable improvement since the introduction of internal reforms in 2012-13. However, recovery suffered huge set-back in 2016-17 due to demonetisation which continued in 2017-18 also due to debt waiver announcements by State Govts across the country.

- The Working Group stressed the need for formulating recovery policy by SCARDBs and PCARDBs fixing responsibilities and accountability for concerned staff with arrangement for monitoring their performance. Federation has issued guidelines for formulating recovery policies containing suggestions for revamping, lending and repayment systems for achieving higher rate of due date repayment/voluntary repayment as well as strengthening the legal recovery system as an effective deterrent against wilful default. The Working Group recommended that SCARDBs and PCARDBs should formulate and implement recovery policies and strategies as per the guidelines of the Federation.
- SCARDBs and PCARDBs need to make concerted efforts to bring down gross NPAs within tolerable levels. ARDBs should carry out special recovery drive during October-March every year focusing on accounts which are classified as NPAs in March end.
- Working Group also recommended various measures for effective risk management such as
  - Risk Management Committee in the HO to suggest measures to expand credit portfolio.
  - Developing suitable exposure norms.
  - Improving appraisal system.
  - Insurance of assets financed at borrower level.
  - Financing agricultural value chain with tripartite arrangement for recovery of loans etc.

Technology adoption and upgradation

- Federation has earlier recommended the common software and core banking solutions for ARDBs developed by NIC.
- Most of the SCARDBs have already entered into MoU with NIC for computerisation and introducing core banking solutions. However, the progress of implementation is slow. NIC and SCARDBs need to finalise a time frame for completing the process of computerisation.

Human Resources Development

- There is deficiency in human resources in ARDBs in almost all States in terms of quantity and quality. Once staff norms and recruitment procedures are approved by Govt/RCS, the banks should be given freedom to make appointments as per staff pattern without further approval.
- The CEOs of SCARDBs and PCARDBs may be appointed through a selection process.
- Building up a cadre of professionals at middle level management to support CEOs and to maintain stability and continuity of policies at top management level.
- Revamping JLTCs as per guidelines for accreditation by C-PEC. Promoting self-training by staff by introducing appropriate incentive system for acquiring qualifications relevant to the job.
- Strengthening performance appraisal system for assessing training needs and as an important criterion for career advancement.
- Periodical review of staff pattern norms, work allocations and rotation of work, policy for direct recruitment at various levels, delegation of powers at various levels in the hierarchy as well as in the structure etc.

Profitability

- SCARDBs to pursue following measures to improve profitability.
  - Realistic pricing of loans keeping interest margin at minimum level of 5% for the structure as a whole.
  - Revising interest rates on loans based on subsequent increase in the cost of refinance after issuing loans.
  - Interest should be charged at the same rate on defaulted interest to avoid losses and avoid giving incentive for default.

Model Recovery Policy

The Model Recovery Policy for member banks finalized by the Board of the Federation recently, envisages significant changes in the loan and recovery systems. Banks need to view recovery as an essential part of credit cycle and not just as the final step, so that loan officers remain responsible for recovery of loans during the life of the loan. Timely detection of issues in the loan account can avoid default in repayment to a great extent. The system of quarterly/half yearly/annual due dates generally followed in agricultural term loan makes early detection difficult since by the time a loan account is identified as problematic when one or more instalments are defaulted, the amount of arrears surges beyond the capacity of the borrower to pay in the normal course.

Agriculture is prone to specific risks such as climate risk, price risk, risk of pests and diseases. In spite of reforms introduced in crop insurance through Pradhan Manthri Fassal Bhima Yojana the coverage of Crop Insurance at peak level in the last two years was limited to 40-45% of farmers. Similarly, there is a growing feeling that huge amount of Central and State Government subsidy going into crop insurance scheme actually benefits only the Insurance Companies as annual compensation payouts under crop insurance scheme is only to the extent of 60-65% of gross premium collected, that too with huge delay in disbursements. The total payouts under PMFBY in the last two years were only ₹31613 crores against gross premium collection of ₹470408 crores. It is reported that crop insurance enrolment has come down by 15% this year, which is attributed to a great extent to issues in claim approvals and getting compensations. Apart from crop loss, farmers often suffer substantial losses due to destruction and damage of farm assets in extreme weather events, which have become frequent in recent times. At the same time, farmers generally are shy of insuring farm assets due to high costs. Like crop insurance scheme, there is need for a Farm Assets Insurance scheme with the financial support of Government to address this problem. In fact, a portion of the huge surplus generated under Crop Insurance scheme at present, can be used for implementing such a scheme. Presently farm assets by and large remain uninsured. The uncompensated losses of farmers on this account significantly increase the risks for banks which finance such assets. The model recovery policy suggests that the banks should endeavor to make clients aware of these risks and should take such risks into account in the loan design. It is necessary to make a provision for rescheduling instalments due under agriculture term loan in a bad crop year either partly or wholly depending on the extent of losses and the impact of such losses on overall repaying capacity of the clients.

Lack of financial literacy among rural clients is another issue coming in the way of timely repayment. It is observed that clients who do not keep records of income and expenses, in spite of

having capacity and will, fail to pay on time due to poor management of cash flow. ARDBs should also help such clients to accumulate their routine savings by extending the facility of thrift and saving accounts.

Adequate arrangements for financing working capital/production credit needs of clients who avail investment credit, sanctioning of loan and fixing loan period and due dates strictly based on repaying capacity, regular monitoring of activities undertaken by clients using the loan, introducing incentive scheme to clients for timely repayment, incentive/penalty systems for loan officers for their performance in recovery, cluster based group approach, especially in sanctioning small loans to facilitate regular and continuous follow up, avoiding wasteful expenditure on the part of the borrowers to complete loan procedure, intensive pre-due date follow up and following a prescribed standard procedure for carrying out post-due date recovery follow up are the other major highlights of the model recovery policy.

The model recovery policy views legal recovery more as a deterrent than as a means to achieve recovery targets. While rescheduling and restructuring with additional period with lower instalments and waiving a portion of charges are recommended for making overdue loan accounts regular when reasons for default are genuine, legal recovery is the only option in the case of clients who avoid repayment in spite of having ability to pay. It is seen that completing legal recovery process effectively in a few cases can drastically bring down the incidence of willful default. Giving state wide publicity to auction for sale of mortgage property, ensuring participation of prospective buyers from other districts in the auction, sanctioning loans to prospective buyers wherever required, outsourcing legal support for completing sale procedure in case of shortage of staff etc. are some of the suggestions to make legal recovery effective.

Meeting of representatives of Federation with Chairman, NABARD on 6 March 2019

Representatives of the Federation had a meeting with Dr. Harsh Kumar Bhanwala, Chairman and other Senior Executives of NABARD on 6th March 2019 on the recommendations of the Report of the Working Group on Enhancing the Share of ARDBs relating to NABARD. Following are the gist of deliberations in the meeting.

Shri K. Sivadasan Nair, Chairman, Federation in his brief address requested the support of NABARD in extending interest subvention scheme of Govt of India to SCARDBs also and taking up with RBI the issue of framing norms for giving banking licence to SCARDBs. He also mentioned about the deteriorating climate of loan recovery on account of recent loan waivers by various State Govts and promises of further waiver on the eve of Lok Sabha Elections.

Shri Y.C. Nanda, Chairman of the Working Group,while briefing their important recommendations said that SCARDBs generally find it difficult to get govt guarantee to the extent required due to statutory ceiling on total guarantees that can be issued. Further, in most of the cases SCARDBs have to absorb the burden of guarantee fee by themselves which adversely affect their profitable working. He said that the Working Group in this context made a suggestion to introduce a new additional refinance product by NABARD based on quality assets and other qualitative norms as may be prescribed without govt guarantee or other collaterals. He also suggested to introduce provisions for including 2 professionals in the Board of SCARDBs. Similarly, the representatives of NABARD in the SCARDB

Board should play a more active role in guiding the bank for improving governance.

Shri K.K. Ravindran, Managing Director, Federation presented important recommendations of the Working Group concerning NABARD which included provision of 100% refinance for all purposes, a special line of credit to meet short term production and working capital needs of long term borrowers, extending the scheme for giving assistance to PCARDBs for setting up Multi Service Centres to unitary SCARDBs also and to provide collateral free soft loans for this purpose on the security of assets created and receivables, need for NABARD's interventions to improve policy environment at the State level including introduction of revolving block guarantee in the place of yearly guarantee still followed in some States, need to rationalise NABARD's policy regarding deposit mobilisation by ARDBs with due recognition to their mandate to accept member deposits without any restriction regarding the tenure of deposits and ceiling on total deposits, preference to SCARDBs in giving allocations under LTRCF in order to moderate average cost of funds.

Dr.Harsh Kumar Bhanwala, Chairman, NABARD said that the declining performance of ARDBs in credit delivery is a matter of grave concern when the agriculture credit is growing in double digit. The existence of the structure is in danger unless this trend is reversed. Policies of State Govts are of prime importance in facilitating this. The structure need to discuss with State Govts the issues concerning policy support. He said that RO of NABARD shall be advised to involve actively in this process. In response to the various suggestions relating to the refinance policies of NABARD, Dr.Bhanwala assured the support of NABARD in the following areas.

- Though interest rates on NABARD refinance remained high in the last 2 years impacting the margins available to ARDBs, during 2018-19 a decision was taken to pass on the benefit of interest rate revisions to the client institutions. During 2018-19 the average cost of funds including LTRCF for ARDBs could be brought down to 7%.
- Federation should advise SCARDBs to indicate requirement of their allocations under LTRCF in the beginning of the year so that the same can be accommodated even when there is delay in drawal due to delay in getting govt guarantee.
- NABARD has no objection in ARDBs mobilising deposits from their members under terms and conditions including duration of deposits as decided by their Board of Directors.
- NABARD shall soon issue revised guidelines on deposit mobilisation by ARDBs.
- SCARDBs having quality assets can consider securitisation of assets with commercial banks and private sector banks.
- SCARDBs in consultation with State Govts need to evolve a policy for taking resource support from other financial institutions/ banks through asset securitisation.
- NABARD is also open to fix a uniform repayment period of 7 years for refinance under LTRCF as well as normal line of refinance for investment credit.
- Federation should take up the issues in the policy environment of SCARDBs with concerned State Govt and suggested that NABARD may also be kept in the loop for taking up these issues at the state level

forums.

- Regarding the request for additional line of refinance for short term loans, the matter would be examined internally about the possibility of channelizing crop loans to SCARDBs through State Cooperative Bank by sanctioning an additional ST-SAO limit to the SCB for the same.
- Federation should ensure that SCARDBs complete the process of computerisation without further delay as digitalisation is the pre-requisite for business expansion including channelizing credit as BCs of other banks.
- NABARD will consider issuing fit and proper criteria guidelines for posting of CEOs of SCARDBs.

Refinance Policy of NABARD for Schematic lending for Financial year 2018-19 for SCARDBs

The eligibility for drawal of refinance by SCARDBs during the financial year 2018-19 continues to be linked to risk assessment made by NABARD. The refinance eligibility of SCARDBs under low risk, moderate risk, medium risk and high risk categories was fixed as under.

Criteria	Quantum of Refinance
a) Low Risk (Marks 65 & above)	Refinance up to the level of bank's realistic lending programme (RLP)1 approved by NABARD and the overall allocation for the State/Bank.
b) Moderate Risk (Marks 50 to 64)	Quantum of refinance will be average of **95**% of last three years' recovery or **95%** of last year's recovery, whichever is lower.
c) Medium Risk (Marks 40 to 49)	Cases to be referred to HO, with specific recommendations of the RO for consideration as per the extant instructions contained in circular letter dated 01.09.2015.
d) High Risk (Marks below 40)	

Audit Reports: Release of refinance would be subject to audit classification of the SCARDBs for the year 2017-18 and satisfactory compliance to inspection report observations of NABARD. SCARDBs with audit classifications 'A' or 'B' only would be eligible for refinance. Disbursements made by PCARDBs with audit classification 'D' were**not eligible** for refinance. Risk assessment for SCARDBs during April 2018 to September 2018 would be based on their audited financial position as on 31.3.2017. Risk assessment from October 2018 to March 2019, would be based on the audited financial position as on 31.3.2018. Drawals on or after 01.10.2018 were to be permitted only to such SCARDBs, which had completed the audit for 2017-18 and submitted the relevant audit report to the concerned RO of NABARD. In case of improvement or deterioration in any of the financial parameters as on 31.03.2018 (after completion of statutory audit) the same would be reckoned for eligibility of refinance.

No refinance was to be provided to the SCARDBs scoring 30 or less marks.

Before release of refinance, ROs should obtain confirmatory letter from the State Government regarding Government Guarantee and execution of supplementary GRA.

Automatic Refinance Facility - Continue to be extended to SCARDBs without any upper ceiling of refinance quantum, bank loan or Total Financial Outlay for projects both under Farm Sector and Non-Farm Sector. In case, any SCARDB intends to avail refinance under pre-sanction procedure, it could submit projects to NABARD.

Extent of Refinance: Extent of refinance continued to be 100% for all 'thrust areas' and 95% for all other approved purposes for investment credit and Krishak Sathi Yojana.

Interest rates on refinance

A review of the rate of interest charged by NABARD during 2018-19 on its schematic lending as also for its Short-term refinance to low risk SCARDBs has been presented below.

Rate of Interest on NABARD Refinance for Schematic Lending during 2018-19

(In percentage)

Effective from	Above 5 years	3-5 Years	18-36 months
03.5.2018	8.65 (8.30)* * Effective from 22nd January 2018	8.70 (8.40)* * Effective from 22nd January 2018	8.65 (8.40)* * Effective from 22nd January 2018
30.5.2018	9.25	9.35	9.30
14.6.2018	9.25	9.35	9.30
19.7.2018	8.80	9.00	8.75
10.8.2018	8.80	9.00	8.75
06.9.2018	9.05	9.25	9.00
08.10.2018	9.25	9.70	9.55
13.12.2018	9.25	9.70	9.55
16.01.2019	9.00	9.15	9.00

It may be seen therefrom that the rate of interest on NABARD's refinance which stood at 8.30% as on 22nd January 2018 had increased by 35 basis points as on 03 May 2018 and stood at 8.65% and further by 60 basis points and reached the highest level of 9.25% as on 30 May 2018 and 14th June 2018 respectively for periods above 5 years. Again, there was an increase of 30 basis points and 65 basis points during the same period in respect of refinance for period ranging from 3-5 years. However, for periods ranging between 18 and 36 months, NABARD's refinance rate rose by 25 basis points and 65 basis points respectively during the same period.

Effective from 19th July 2018 and 10th August 2018, the rate of interest on NABARD refinance declined by 40 basis points, 35 basis points and 55 basis points for above 5 years, 3-5 years and 18-36 months period respectively.

Keeping in tune with the rise in the prevailing interest rates at the market, NABARD had increased its lending rate with effect from 06th September 2018, 08th October and 15th December 2018 respectively as indicated in the table above.

Consequent on the declining interest rate regime prevailing in the market, NABARD has also reduced its rate of interest on refinance by 25 basis points and 55 basis points for periods above 5 years and both 3-5 years and 18-36 months respectively with effect from 16th January 2019 and has continued till the close of the financial year ending on 31st March 2019.

Effective from **03 May 2018 and onwards** NABARD had revised the interest rate on ST refinance to low risk SCARDBs as under:

Effective Date	Rate of Interest (%)
03.5.2018	8.00
30.5.2018	8.65
14.6.2018	8.30
19.7.2018	7.85
10.8.2018	7.95
06.9.2018	8.10
08.10.2018	8.80
13.12.2018	8.65
16.01.2019	8.40

All the relevant circulars advising the revision in the rate of interest on NABARD refinance were placed before the Board during 155, 156 and 157th Board Meeting held on 29 June 2018, 15th September 2018 and 18th January 2019 respectively for information.

It is seen that consequent upon the upward revision of interest rates on NABARD's refinance, the margin available to client banks also suffered a set back affecting their profitability. However, a higher proportion of LTRCF in the refinance mix during 2018-19 could significantly reduce average cost of investment credit refinance for SCARDBs and SCBs.

NABARD's refinance to SCARDBs during 2018-19

A statement showing statewide drawal of NABARD's refinance by SCARDBs during 2017-18 along with comparative figures for the previous 3 years and refinance allocation for the year 2018-19 is furnished below.

(₹ Crore)

Sr. No.	Name of SCARDB	Refinance drawn				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	Gujarat	80.00	80.00	80.00	0.00	-
2	Haryana	124.81	161.39	100.00	73.13	-
3	Himachal Pradesh	45.00	63.70	100.00	63.96	68.31
4	Jammu & Kashmir	-	-	-	-	-
5	Karnataka	236.36	250.00	239.73	350.00	286.39
6	Kerala	1154.79	1450.09	1490.32	1095.02	904.05
7	Pondicherry	-	-	-	-	-
8	Punjab	532.00	518.08	538.30	286.52	172.02
9	Rajasthan	171.00	200.00	250.00	225.00	137.73
10	Tamil Nadu	-	-	-	-	-
11	Tripura	-	-	-	-	-
12	Uttar Pradesh	450.00	450.00	450.00	288.84	117.10
13	West Bengal	129.99	165.00	150.00	212.00	250.00
	TOTAL	**2923.95**	**3258.26**	**3397.34**	**2594.47**	**1935.60**

The total refinance drawals by SCARDBs during 2018-19 were ₹1935.60 crores compared to ₹2594.47 crores during 2017-18 and ₹3397.34 crores during 2016-17. There was a decline of 25.4% in the refinance availed during 2018-19 as compared to 2017-18.

Out of 13 fully functional SCARDBs, only 7 SCARDBs had drawn refinance from NABARD during 2018-19. However, due to non-availability of State Government guarantee, Gujarat SCARDB could not draw any refinance during 2018-19. Out of fully functional SCARDBs, Tamil Nadu, Tripura, Jammu & Kashmir & Pondicherry continued to remain ineligible for refinance for want of govt. guarantee/non-fulfilment of eligibility norms. Kerala SCARDB which drew refinance of ₹904.05 crores accounted for 46.71% which was less by 9.87% comparing to the drawal by the bank during 2017-18. There was growth in drawals by Himachal Pradesh and West Bengal SCARDBs, while in respect of the remaining the drawals were less than that of the previous year. Notable decrease was noticed in the drawals of Karnataka, Kerala, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh. Haryana SCARDB did not draw any refinance during 2018-19.

NABARD has allocated ₹3000 crores to 9 SCARDBs for the year 2018-19 as against drawal of ₹1935.60 crores by 7 SCARDBs during the year.

NHB refinance to SCARDBs

NHB is extending refinance to SCARDBs under regular scheme as well as refinance scheme under Rural Housing Fund. Following are the eligibility criteria for availing NHB refinance by SCARDBs.

- Loan recovery of more than 60% at SCARDB level in case of federal structure and 75% in case of unitary structure.
- All overdue loans above 5 years should be covered by legal action.
- Should not have defaulted any lender.
- Under regular refinance scheme, refinance is given for loans against construction/ purchase of dwelling units as well as repairs/renovation/upgradation of dwelling units without restrictions regarding loan limit, location of property or category of borrowers.
- The interest rate on refinance under regular refinance scheme is market related. ARDBs can opt for either floating interest rate or a fixed interest rate with provision for resetting. NHB also extends concessions in interest rate on regular refinance in the following cases.
  - Loans upto ₹5 lakhs
  - Loans in rural areas
  - Loans to women
  - Loans to persons belonging to 3rd gender
  - Loans to differently abled persons
  - Loans to persons belonging SC/ST
  - Loans for green housing including solar equipments, water harvesting etc.
- SCARDBs have freedom to fix interest rates at the ultimate borrower level for loans issued under regular refinance scheme.
- SCARDBs are also eligible for refinance from Rural Housing Fund subject to the following conditions:-
  - Maximum size of individual loans shall be ₹20 lakhs for houses with total cost of construction not exceeding ₹25 lakhs.
  - Location of property should be in the rural areas i.e. villages with population upto 99999 as per 2011 census.
  - Borrower should be from weaker sections/ women and other rural population with annual income not exceeding ₹3 lakhs.
  - Interest rate on refinance shall be 4.86% p.a. fixed rate without provision for resetting.
  - Tenure of refinance shall be 3 to 7 years.
  - Interest margins for SCARDBs and PCARDBs together should not exceed 3.5%.
  - The allocation of refinance by NHB to financing agencies is given on yearly basis beginning July till June with provision for additional allocations if required after utilising initial allocations.

Interim budget 2019

Finance Minister Shri Piyush Goyal presented interim budget 2019 on 1st February 2019. In sectoral allocations, agriculture has seen an increase of 73% over revised estimate for 2018-19. Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme promising guaranteed income of ₹6000 per year to small and marginal farmers is the main highlight of the budget. This will involve an annual outlay of ₹75,000 crores accounting for about 0.36% of GDP. In addition to continuation of crop loan interest subvention scheme providing 3% rebate for timely repayment, interest subvention of 2% has been introduced for farmers affected by natural calamities. Income support scheme is expected to reduce farmers' distress and boost rural consumption and demand to a certain extent. This initiative also offers scope for enhancing the

support in coming years to create better impact. For the Micro, Medium and Small Enterprises (MSMEs) the Govt announced 2% interest rebate for loans upto ₹1 crore for units registered under GST. Requirement of sourcing by govt enterprises from MSMEs has also been increased upto 25% of which at least 3% should be from women led MSMEs. Interest rebate is expected to encourage more MSMEs to register under GST, expanding tax base and speeding up formalisation of the economy. Govt E-Procurement Market place (GEM) will also help MSMEs to access larger market. Pradhan Mantri Shram-Yogi Maandhan Yojana is an initiative for providing social security for workers in the unorganized sector. The scheme envisages provision of assured monthly pension of ₹3000 to workers in the unorganized sector with a monthly income upto ₹15000. The scheme is contributory with matching contribution by the Govt. The scheme is expected to promote savings among workers in unorganized sector apart from providing old age social security. In the real estate sector benefits under section 80-IBA of the IT Act has been extended by another year for projects approved till March 2020 facilitating real estate developers to deduct 100% of profits derived from affordable housing projects. This move will boost construction activity particularly in affordable housing. In personal taxes, while there are no changes proposed in the income tax slabs, the Govt has made certain key proposals to provide relief to tax payers especially those in the middle and salary earning classes. Raising the ceiling of tax free income from ₹2.5 lakhs to ₹5 lakhs for individuals, increasing the standard deduction from ₹40000 to ₹50000 for salaried persons, exempting second self occupied house from paying tax on notional rent and increasing the limit for deduction of tax on interest from bank or post office deposits from ₹10000 to ₹40000 are the main benefits extended to tax payers.

The budget envisages a total expenditure of ₹27,84,200 crores marking a significant increase over ₹24.42 lakh crores during 2018-19. As against the total expenditure of ₹27.84 lakh crores, the estimate of total revenue without considering borrowings is only ₹20.80 lakh crores. This implies that Govt needs to borrow or create other liabilities to the extent of ₹7.04 lakh crores to balance expenditure and receipts. This amount represents fiscal deficit which accounts for 3.4% of GDP. Ideally, fiscal deficit should be kept below 3% of GDP as per the guidelines in Financial Responsibility and Budget Management (FRBM) Act. Out of the total expenditure of ₹27.84 lakh crores, ₹3.36 lakh crores is allocated for capital expenditure constituting 12% of the budget. Further, ₹2 lakh crores is allocated to State Govts as grant-in-aid for capital asset creation raising the gross capital expenditure to 20% of the entire budget. Expected tax revenue is ₹17 lakh crores accounting for 61% of total expenditure. Govt also expects non tax revenue of ₹2.7 lakh crores which makes total revenue receipts to ₹19.77 lakh crores constituting 71% of total expenditure. Similarly, total revenue expenditure which in other words is expenditure required for day-to-day expenses of running govt machinery is ₹24.47 lakh crores as against total revenue receipts of ₹19.77 lakh crores.

The interim budget while providing fiscal stimulus of about ₹1 Trillion (₹1 lakh crore) through direct cash benefit to small and marginal farmers and tax benefits to middle class, however, puts further pressure on fiscal consolidation on the background of on-going slippage in budgeted fiscal deficits in the last 2 years.

VII. AFFILIATIONS

At National level

Federation is affiliated to the following organizations at the national level.

National Cooperative Union of India (NCUI)

Federation is a member of NCUI and associates actively with its programmes. Shri K. Sivadasan Nair, Chairman, is Federation's representative in the General Body of NCUI, who has been elected unanimously to NCUI Governing Council. During the year, the following programmes were organized by NCUI.

1) Indian Cooperative Delegation visited to Mauritius from 8 – 11 August 2018 under the leadership of Dr. Chandra Pal Singh Yadav, MP, President of NCUI, which was attended by Shri K. Sivadasan Nair, Chairman and Shri K. K. Ravindran, Managing Director, NCARDBF.

Federation is also affiliated to the following other national level organizations/associations.

Cooperative Bank of India (COBI)

Federation is one of the founder members of COBI. Shri K. Sivadasan Nair, Chairman of the Federation was nominated to the General Meeting of COBI. During the year, the following programmes were organized by NCUI.

1. General Body Meeting of COBI held on 28 August 2018 in New Delhi, attended by Shri K. Sivadasan Nair, Chairman, NCARDBF
2. National Seminar on "Need for Adopting Effective H. R. Policies for Human Resource Development in the Cooperative Sector' during 12 – 15 November 2018 at Budapest, Hungary – participated by Shri Dalip Singh Yadav, Vice Chairman, NCARDBF

National Film and Fine Arts Cooperatives Ltd. (NAFFAC)

Managing Director, Federation is a member on its General Body.

National Cooperative Development Corporation (NCDC)

Shri K. K. Ravindran, MD, Federation has been nominated as a Member of General Council of NCDC by Govt of India under Section 3(4)(XVII) of NCDC Act 1962.

During the year, NCDC's 83rd Meeting of General Council on 18.04.2018 and 84th Meeting of the General Council on 27.2.2019 at New Delhi, which were attended by Shri K. K. Ravindran, Managing Director, NCARDBF.

Federation is also holding associate membership with the following organizations.

- Indian Merchants Chamber (IMC)
- Indian Banks' Association (IBA)
- Indian Society for Studies in Cooperation (ISSC)
- Indian Tourism Cooperative Ltd. (ITC)

Centre for International Cooperation and Training in Agricultural Banking (CICTAB)

MD, Federation is a member of its General Council. Federation regularly nominates officials and non-officials from member banks to the programmes of CICTAB.

At International level

International Cooperative Alliance (ICA)

Federation is a member of ICA global as well as ICA Asia-Pacific Region. Federation also associates with the various Committees of ICA.

Shri K. Sivadasan Nair, as a representative of the Federation, continues to be the Chairman of Regional Cooperative Banking Association under ICA-AP. The representatives of the Federation participated in the following programmes of ICA during the year.

- ICA-AP SDGs Seminar 2018' organized by ICA-AP Consumer Committee and Malaysian National Cooperative Movement at Kuala Lumpur (Malaysia) during 24-25 April 2018, which were attended by following delegates.
  1. Shri Arvinder Singh, RCS, Punjab
  2. Shri H. S. Sidhu, Managing Director, Punjab SCADB
  3. Shri K. K. Ravindran, Managing Director, NCARDBF
- ICA General Assembly and other events during 19 Oct. 2018 to 26 Oct. 2018 at Argentina – attended by Shri K. Sivadasan Nair, Chairman and Shri K. K. Ravindran, Managing Director, NCARDBF
- 13th ICA AP Regional Assembly and Related events at Tehran (Iran) during 26th November to 30 November 2018, which was attended by Shri K. K. Ravindran, Managing Director, NCARDBF.

Asia and Pacific Regional Agricultural Credit Association (APRACA)

Federation is a founder member of APRACA. Shri K.K. Ravindran, MD, Federation is a member of its General Body since 1996.

International Raiffeisen Union (IRU)

Federation is a member of IRU. Chairman represents the Federation in the General Body of IRU. During the year, there was no delegation from Federation for programmes/meetings of IRU.

Apart from the above, the following programmes were attended by the members of the NCARDBF.

- Following Delegation to attend CIRIEC World Conference on Cooperatives & Social Enterprises in League, Belgium & Study visit to AGRICOLE, Paris & FAO, Rome.
  1. Shri K. Sivadasan Nair, Chairman, NCARDBF
  2. Shri Dalip Singh Yadav, Vice Chairman, NCARDBF
  3. Shri Soloman Alex, President, Kerala SCARDB
  4. Shri K. K. Ravindran, Managing Director, NCARDBF
- The Second International Forum of Cooperatives on “Development of Cooperatives in Central Asia” held in Bishlek during 10-14 Sept. 2018, was attended by the following delegates.
  1. Dr. Bijender Singh, Director, NCARDBF
  2. Shri Sukhbir Singh Panwar, Vice President, Delhi SCB.

VIII. MANAGEMENT OF THE FEDERATION

General Body

The General Body consists of members of the Federation, represented by the Delegates nominated by the Board of Directors of the respective banks.

Following is the list of members of the Federation.

1. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
2. The Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd. (Bihar-Jharkhand)
3. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
4. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
5. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
6. Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
7. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
8. Kerala State Co-operative Agricultural and Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
9. Orissa State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneshwar.
10. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Pondicherry.
11. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.
12. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
13. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
14. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
15. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
16. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
17. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
18. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.
19. Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd., Hyderabad

Board of Management

As per Byelaw No.20 (iii), the Board of Management of the Federation consists of 20 Directors elected by the General Body, 1 Director being nominated by the Central Govt., 2 Directors co-opted by the Board apart from Managing Director, who is ex-officio member of the Federation.

The Board of Management of the Federation consists of the following persons:-

(As on 1st August 2019)

Sr. No.	Name of Board Member	Member Bank representing
1.	Shri K. Sivadasan Nair Chairman	Kerala State Cooperative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.
2.	Shri K. Shadakshari Vice Chairman	Karnataka State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
3.	Shri Bijay Kumar Singh Vice Chairman	Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd. (Bihar-Jharkhand)
4.	Shri K. Ravinder Rao Vice Chairman	Telangana State Cooperative Apex Bank Ltd.
5..	Shri Marchynna Syiem Vice Chairman	Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd.
6.	Dr Bijender Singh	Delhi State Cooperative Bank Ltd.
7.	Shri Shiv Pal Singh Yadav	Uttar Pradesh Rajya Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.
8.	Shri R Parimel Azhagan	Tamil Nadu Cooperative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
9.	Shri Rash Behari Datta	Tripura Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
10.	Shri P. S. Upadhyay	Gujarat State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
11.	Shri G. L. Swami	Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.
12.	Shri Naresh Goyal	Haryana State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
13.	Shri Jitender Sanjta	Himachal Pradesh State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
14.	Shri Mohammad Aslam Bhat	Jammu & Kashmir State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
15.	Shri K. K. Ravindran	Ex-officio

Executive Committee

As per Byelaw No.26(a), Executive Committee shall consist of Chairman, 4 Vice Chairmen, Managing Director and 5 Board members elected by the Board.

(1) **Shri K. Sivadasan Nair,** Chairman
(Kerala State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.)

(2) **Shri K. Shadakshari,** Vice Chairman
(Karnataka State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.)

(3) **Shri Bijay Kumar Singh**, Vice Chairman
(Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd.)

(4) **Shri K. Ravinder Rao**, Vice Chairman
(Telangana State Cooperative Bank Ltd.)

(5) **Shri M. Syiem**, Vice Chairman
(Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd.

(6) **Shri K. K. Ravindran**, Managing Director, NCARDBF
(3 *positions remained vacant as on 1st August 2019)*

Administrative Committee

As per Byelaw No.27(a), the Administrative Committee consists of Chairman, 4 Vice Chairmen and the Managing Director. Following are the members of Administrative Committee as on 1st August 2019.

(1) **Shri K. Sivadasan Nair**, Chairman

(2) **Shri K. Shadakshari**, Vice Chairman

(3) **Shri Bijay Kumar Singh**, Vice Chairman

(4) **Shri K. Ravinder Rao**, Vice Chairman

(5) **Shri M. Syiem**, Vice Chairman

(6) **Shri K. K. Ravindran**, Managing Director

Meeting of General Body, and Board during the financial year 2018-19

The Meetings of the General Body, Board and Administrative Committee during the year under report with dates and venues are listed below :

Meetings	**Place**	**Date**
(a) Annual General Meeting (Election to Board)	Mumbai	30 June 2018
(b) Annual General Meeting (58th)	Shillong (Meghalaya)	15 September 2018
(c) Board of Management		
155th Board	Mumbai	29 June 2018
156th Board	Shillong (Meghalaya)	15 September 2018
157th Board	Dharamshala (H.P.)	18 January 2019

Important issues discussed in Board Meetings

The Board Meetings continued to be the main forum for discussing the policy and operational issues related to rural credit apart from reviewing the operations of member banks.

During the year under report, the Board, besides discussing regular items related to business operations of member banks and periodical review of performance under NABARD refinance, advances, recovery etc. also considered and discussed the following subjects in its meetings.

1. Working Group on enhancing the share of ARDBs in Investment Credit.
2. Guidelines for Revival action plan as part of preparations for Centenary Year.
3. Revision of interest rates of NABARD refinance to SCARDBs and average cost of NABARD refinancing including loans from LTRCF.
4. Proposal for organizing 3 Seminars on Functional Restructuring of ARDBs during 2018-19.
5. The calendar of Programmes for the financial year 2018-19.
6. Review of performance of SCARDBs during April'17 – March'18 in key operational areas.
7. National Conference of ARDBs.
8. Licensing State Cooperative Agriculture & Rural Development Banks (SCARDBs) as banks within the purview of BR Act.
9. NHB refinance to SCARDBs.
10. Including ARDBs in the list of Primary Lending Institutions under Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY).
11. Revision of interest rate on NABARD refinance.
12. Report of the Working Group on Enhancing the Share of ARDBs in Investment Credit.
13. National Seminar on Enhancing the Share of ARDBs in Investment Credit tentatively on 9th March 2019 in New Delhi.
14. Rate of interest on NABARD's refinance.
15. Seminar on Functional Restructuring of ARDBs organized by the Federation during 2018-19.
16. Improving the content, coverage and publishing of photos of Projects financed by Member Banks in our Land Bank Journal – Seeking inputs from the member banks.
17. Administrative approval for implementation of centrally sponsored Scheme "National Livestock Mission-EDEG Component during 2018-19".
18. Review of performance of SCARDBs during April'18 – October'18 in key operational areas.
19. Need for increasing the ARDBs' share in financing under Non-Farm Sector activities – Declining trend – A cause of concern.

IX. FINANCE AND ACCOUNTS

The summary of Assets and Liabilities and Income & Expenditure Accounts for the year 2018 - 19 are given below:

ASSETS AND LIABILITIES

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	LIABILITIES	As on		Sr.	ASSETS	As on	
		31.3.19	31.3.18			31.3.19	31.3.18
1.	Reserves & Other Funds	2143.37	2104.58	1.	Cash & Bank Balances	12.38	13.93
2.	Secured Loans	0.00	464.04	2.	Investments	1863.99	2280.99
3.	Other Liabilities & Provisions	75.17	85.98	3.	Fixed Assets	218.85	227.63
4.	Surplus transferred from Income &	14.57	14.88	4.	Sundry Debtors & Receivables	94.33	117.64
				5.	Loans & Advances	6.25	27.99
				6.	Long Term Capital Loss (c/f)	33.73	0.00
				7.	Sundry Deposits & Prepaid Exps.	3.58	1.30
	TOTAL	**2233.11**	**2669.48**		**TOTAL**	**2233.11**	**2669.48**

INCOME AND EXPENDITURE

(₹ in Lakhs)

Sr.No.	Particulars	Amount	
	INCOME	**2018-19**	**2017-18**
1.	AMS & Additional contributions from member banks	77.97	80.72
2.	Interest & Dividend Incomes	199.00	164.83
3.	Grants received (GOI & NCUI)	8.00	10.00
4.	Miscellaneous Income / Guest House service charges	0.30	0.07
5.	Recovery from BDDR, Excess Provision reversed & old Payables written off	24.96	3.77
	TOTAL (1 to 5)	310.23	259.39
	EXPENDITURE		
1.	Management Cost	114.86	104.63
2.	Other Office Expenses	60.74	33.63
3.	Meetings/Seminar/Conference Expenses/Award Function	8.09	9.17
4.	Premises Maintenance Expenses	8.12	10.13
5.	Provisions /Reserves	103.85	86.96
	TOTAL (1 to 5)	295.66	244.52
	Surplus	14.57	14.88

X. BRIEF PROFILE OF MEMBER BANKS

Fully Functional SCARDBs

Gujarat State Cooperative Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.			
489, Ashram Road, Opp. Nehru Bridge, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009			
Email – gscardb@gmail.com		Telephone Nos. 079-26585365/70/71	
Administrator/Custodian – Shri P. S. Upadhyay		**General Manager –** Shri V. M. Chaudhari	
Staff Position – At SCARDB (HO & Branches) – 323		**Interest rate on Loans –** 11.00% to 13.50% Interest rate on Deposit Collection – 6.75% to 7.50%	
Key Financial Parameters – (₹ Lakhs)			
Particulars	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
Loans Outstanding	56128.44	57965.12	58094.56
Loans Disbursed	14256.09	17762.88	14956.81
Total Paid up Capital	4563.35	4590.85	4532.39
Free Reserves	53901.51	54874.66	56022.41
Capital to Asset Ratio (%)	47.65	49.07	NR
Deposit Outstanding	27200.72	26078.30	27041.55
Borrowings Outstanding	45702.35	39201.55	34226.78
Net Profit	1804.83	2100.14	2101.52
Accumulated Loss, If Any	-	-	-

NR denotes Not Reported.

Haryana State Cooperative Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.			
Bays No. 31-34, Sector 2, Panchkula – 134 112			
Email – pa2md.hscardb@gmail.com		Telephone No. 0172-2587040	
Chairman – Shri Aditya Devilal Chautala		**Managing Director –** Shri Naresh Goyal	
Staff Position – At SCARDB:62· At PCARDB:792		**Interest rate on Loans –** 12.00% to 13.00% **Interest rate on Deposit Collection –** Not Applicable	
Key Financial Parameters – (₹ Lakhs)			
Particulars	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
Loans Outstanding	201444.37	196679.28	193118.05
Loans Disbursed	9834.58	7721.39	2644.00
Total Paid up Capital	4729.36	4509.36	4509.36
Free Reserves	42146.40	42144.90	42144.90
Capital to Asset Ratio (%)	NR	NR	NR
Deposit Outstanding	223.43	15.16	10.33
Borrowings Outstanding	173880.63	156209.22	157359.64
Net Loss	21809.87	3188.11	7638.23
Accumulated Loss, If Any	34600.19	37788.30	45426.53

NR denotes Not Reported.

Himachal Pradesh State Cooperative Agri. & Rural Dev. Bank Ltd.			
Block No. D-3, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171 009			
Email – hpardbank@gmail.com		Telephone No. 0177-2621437	
Chairman:		**Managing Director –** Shri Jitender Sanjita, (HAS)	
Staff Position – • At SCARDB (HO & Branches): 279 • At PCARDB: 54		**Interest rate on Loans –** 10.50% to 14.00% **Interest rate on Deposit Collection –** 4.00% to 7.45%	
Key Financial Parameters – (₹ Lakhs)			
Particulars	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
Loans Outstanding	34042.25	42566.46	45387.23
Loans Disbursed	8746.46	8217.82	8502.67
Total Paid up Capital	2425.26	2440.36	2606.50
Free Reserves	17.21	17.21	2121.95
Capital to Asset Ratio (%)	4.99	4.99	10.52
Deposit Outstanding	11821.63	13757.20	9909.94
Borrowings Outstanding	26560.56	27083.93	27510.66
Net Profit	360.04	127.43	32.01
Accumulated Loss, If Any	-	-	-

Jammu & Kashmir State Cooperative Agri. & Rural Dev. Bank Ltd.			
12, Post Office Lane, Hyderpora, Near Mubarak Hospital, Srinagar - 190 014			
Email – scardbjk@rediffmail.com		Telephone No. 0194-2431892/2431965	
Chairman:		**Managing Director –** Shri Mohammad Aslam Bhat	
Staff Position – • At SCARDB (HO & Branches) – 239		**Interest rate on Loans –** 14.50% **Interest rate on Deposit Collection –** 7.75%	
Key Financial Parameters – (₹ Lakhs)			
Particulars	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
Loans Outstanding	5251.09	5663.61	5567.67
Loans Disbursed	788.94	1268.75	1182.79
Total Paid up Capital	2974.25	2999.25	3016.92
Free Reserves	15.11	14.05	237.63
Capital to Asset Ratio (%)	53.20	NR	51.12
Deposit Outstanding	12935.16	15059.47	17658.1
Borrowings Outstanding	616.00	616.00	616.00
Net Loss	356.61	693.10	855.17
Accumulated Loss, If Any	6107.24	6800.34	7655.51

NR denotes Not Reported.

Karnataka State Cooperative Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.

Tippu Sultan Palace Road, Post Box No.1811, Fort, Bangalore - 560 018	
Email – stskscardb@gmail.com	Telephone No. 080-26702024/74
President – Shri K. Shadakshari, Ex-MLA	**Managing Director –** Shri A. C. Diwakara, KCS
Staff Position – • At SCARDB: 306 • At PCARDB: 575	**Interest rate on Loans –** 3.00% to 6.00% **Interest rate on Deposit Collection –** 9.40%

Key Financial Parameters – (₹ Lakhs)

Particulars	2016-17	2017-18	2018-19
Loans Outstanding	183460.32	179600.40	176405.16
Loans Disbursed	45077.84	20802.31	23377.09
Total Paid up Capital	7779.53	7987.11	7993.88
Free Reserves	2854.52	2860.71	2860.71
Capital to Asset Ratio (%)	6.05	6.23	NR
Deposit Outstanding	28396.81	36878.30	41339.49
Borrowings Outstanding	146719.65	148731.22	141693.40
Net Profit	14.87	68.69	NR
Accumulated Loss, If Any	-	-	-

NR denotes Not Reported.

Kerala State Cooperative Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.

Statue Junction, Thiruvananthapuram - 695 001	
Email – ho.cardbank@gmail.com	Telephone No. 0471-2460595
Part Time Administrator – Shri Sajjad K.	**Managing Director –** Mrs. Aparna Prathap, I/C
Staff Position – • At SCARDB: 221 • At PCARDB: 1178	**Interest rate on Loans –** 11.00% to 16.50% **Interest rate on Deposit Collection –** 5.00% to 8.00%

Key Financial Parameters – (₹ Lakhs)

Particulars	2016-17	2017-18	2018-19
Loans Outstanding	583725.29	636161.04	665853.77
Loans Disbursed	203893.80	232755.01	220951.60
Total Paid up Capital	17312.51	18843.28	19152.83
Free Reserves	25300.68	30201.41	63044.44
Capital to Asset Ratio (%)	10.10	10.71	12.10
Deposit Outstanding	77716.02	59378.94	47978.40
Borrowings Outstanding	565965.31	577682.28	622408.42
Net Profit	2330.97	2827.81	2713.95
Accumulated Loss, If Any	-	-	-

Pondicherry Cooperative Central Land Dev. Bank Ltd., P 106			
No. 24, Colas Nagar, Puducherry - 605 001			
Email – pccldb@dataone.in		Telephone Nos. 0413-2357985/2358827	
Administrator – Shri D. Krishnamoorthy		**Managing Director –** Shri A. Iryasappan	
Staff Position – • At SCARDB (HO & Branches):30		**Interest rate on Loans –** 11.50% to 13.50% **Interest rate on Deposit Collection –** 8.50%	
Key Financial Parameters – (₹ Lakhs)			
Particulars	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
Loans Outstanding	2721.69	3021.58	3188.84
Loans Disbursed	2422.05	2381.76	2441.57
Total Paid up Capital	455.56	463.69	484.67
Free Reserves	260.80	270.89	136.01
Capital to Asset Ratio (%)	NR	NR	NR
Deposit Outstanding	2334.48	2691.86	2989.27
Borrowings Outstanding	638.51	534.66	385.70
Net Loss	28.79	41.75	50.64
Accumulated Loss, If Any	340.66	383.86	434.50

NR denotes Not Reported.

Punjab State Cooperative Agricultural Development Bank Ltd.			
SCO No.51-54, Bank Square, Sector 17-B, Chandigarh-160 017			
Email – sadbmd@gmail.com		Telephone Nos. 0172-2708134/5011708	
-		**Managing Director –** Shri.J. K. Jain, PCS	
Staff Position – • At SCARDB:227 • At PCARDB:647		**Interest rate on Loans –** 11.75% to 12.95% **Interest rate on Deposit Collection –** 7.00% to 7.35%	
Key Financial Parameters – (₹ Lakhs)			
Particulars	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
Loans Outstanding	270403.09	269209.05	248012.05
Loans Disbursed	49022.08	28562.51	17486.17
Total Paid up Capital	7716.65	7853.15	NR
Free Reserves	13383.96	12791.19	NR
Capital to Asset Ratio (%)	13.12	12.96	NR
Deposit Outstanding	34683.27	34495.46	23505.24
Borrowings Outstanding	236863.30	240564.23	199928.44
Net Profit	1081.08	828.95	NR
Accumulated Loss, If Any	-	-	-

NR denotes Not Reported.

Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.

Nehru Sahakar Bhawan, 22- Godown Circle, Bhavani Singh Road, Jaipur - 302 005	
Email – rsldbanf@yahoo.in	Telephone Nos. 0141-2740760
Administrator – Shri G. L. Swami	**Managing Director –** Shri Rajeev Lochan
Staff Position – • At SCARDB: 69 • At PCARDB: 367	**Interest rate on Loans –** 12.80% **Interest rate on Deposit Collection –** 7.25% to 8.00%

Key Financial Parameters – (₹ Lakhs)

Particulars	2016-17	2017-18	2018-19
Loans Outstanding	153858.56	162972.89	157159.70
Loans Disbursed	19527.79	24372.30	13932.53
Total Paid up Capital	3817.55	3930.53	3988.06
Free Reserves	42364.73	51656.97	52057.40
Capital to Asset Ratio (%)	11.98	8.79	12.80
Deposit Outstanding	1130.78	1328.00	1242.15
Borrowings Outstanding	119601.12	123744.00	113791.84
Net Profit/Loss*	566.95	(4391.65)	4420.46
Accumulated Loss, If Any	-	-	-

*Figure in Bracket indicate Loss.

Tamil Nadu Cooperative State Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.

No. 181, Luz Church Road, Mylapore, Chennai - 600 004	
Email – sldbchn@yahoo.co.in	Telephone No. 044-24993854
Chairman – Shri.R. Parimal Azhagan	**Managing Director –** Shri.R. G. Sakthisaravanan
Staff Position – • At SCARDB: 113 • At PCARDB: 475	**Interest rate on Loans –** 8.25% to 9.00% **Interest rate on Deposit Collection –** 7.00% to 7.50%

Key Financial Parameters – (₹ Lakhs)

Particulars	2016-17	2017-18	2018-19
Loans Outstanding	68033.54	68652.15	71611.00
Loans Disbursed	80668.03	70843.05	77322.15
Total Paid up Capital	4037.12	4120.26	4120.26
Free Reserves	5918.44	8026.02	8026.02
Capital to Asset Ratio (%)	3.10	3.10	2.98
Deposit Outstanding	23655.36	22443.26	22724.00
Borrowings Outstanding	6397.97	6395.27	6392.57
Net Profit	821.65	1043.54	1909.00
Accumulated Loss, If Any	-	-	-

Tripura Cooperative Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.

Office Lane, Agartala - 799 001	
Email – tcardbltd.2012@gmail.com	Telephone Nos. 0381-2323972
President – Shri Rashbehari Datta	**General Manager –** Shri Apurba Krishna Chakraborty
Staff Position – • At SCARDB (HO & Branches): 23	**Interest rate on Loans –** 14.25% to 16.25%

Key Financial Parameters – (₹ Lakhs)

Particulars	2016-17	2017-18	2018-19
Loans Outstanding	1935.01	1646.94	1322.58
Loans Disbursed	63.25	13.70	0.00
Total Paid up Capital	1029.92	1019.35	1000.43
Free Reserves	8.85	8.85	8.85
Capital to Asset Ratio (%)	45.48	39.53	NR
Borrowings Outstanding	1417.05	961.02	559.83
Net Profit/Loss*	(62.73)	19.68	(301.26)
Accumulated Loss, If Any	1665.07	1645.38	1946.64

NR denotes Not Reported. *Figure in Bracket indicate Loss.

Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.

10, Mall Avenue, Lucknow - 226 001	
Email –upsgvb@yahoo.in	Telephone Nos. 0522-3056439/2238844/2239806
Chairman – Shri Shiv Pal Singh Yadav	**Managing Director –** Shri K. P. Singh
Staff Position – • At SCARDB (HO & Branches):2940	**Interest rate on Loans –** 13.00% to 13.50% **Interest rate on Deposit Collection –** 7.00% to 7.75%

Key Financial Parameters – (₹ Lakhs)

Particulars	2016-17	2017-18	2018-19
Loans Outstanding	360456.16	336079.54	313280.48
Loans Disbursed	23592.09	6251.27	15174.46
Total Paid up Capital	33149.62	31822.82	30413.10
Free Reserves	80161.20	81726.01	26151.00
Capital to Asset Ratio (%)	22.89	NR	NR
Deposit Outstanding	7513.37	6033.79	5400.12
Borrowings Outstanding	151439.01	128655.11	137548.51
Net Profit/Loss*	(2695.86)	191.80	NR
Accumulated Loss, If Any	2695.86	2504.05	NR

NR denotes Not Reported. *Figure in Bracket indicate Loss.

West Bengal State Coop. Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.			
25-D, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 017			
Email – wbscardb@gmail.com		Telephone Nos. 033-22871786/87/88 / 22806681	
-		**Managing Director –** Shri Amlan Bhattacharya	
Staff Position – • At SCARDB (HO & Branches): 85 • At PCARDB: 573		**Interest rate on Loans –** 8.08% (Tentative) **Interest rate on Deposit Collection –** 7.14% (Tentative)	
Key Financial Parameters – (₹ Lakhs)			
Particulars	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
Loans Outstanding	107724.88	110015.55	114462.63
Loans Disbursed	18736.73	22333.84	25090.39
Total Paid up Capital	4145.40	4161.11	4173.11
Free Reserves	1824.38	2001.55	2253.87
Capital to Asset Ratio (%)	3.50	3.44	3.25
Deposit Outstanding	20246.72	20577.52	22198.50
Borrowings Outstanding	81565.16	84030.41	89367.46
Net Profit	59.28	244.05	322.93
Accumulated Loss, If Any	1313.91	1211.27	1044.13

SCBs

Delhi State Cooperative Bank Ltd.			
31, Netaji Subhash Marg, Darya Ganj, New Delhi – 110 002			
Email –dscbho@gmail.com / bkg.dscb@gmail.com		Telephone No. 011-23272447 / 23281875	
Chairman – Dr. Bijender Singh		**Managing Director –** Smt. Anita Rawat	
Staff Position – • At HO: 58 • At Branches: 459		**Interest rate on Loans –** 7.00% to 18.50% **Interest rate on Deposit Collection –** 4.00% to 7.35%	
Key Financial Parameters – (₹ Lakhs)			
Particulars	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
Loans Outstanding	66742.41	76965.33	80293.12
Loans Disbursed	58866.53	55473.36	52404.36
Total Paid up Capital	971.19	1335.98	1512.46
Free Reserves	20557.67	23557.44	25056.65
Capital to Asset Ratio (%)	27.30	46.67	47.00
Deposit Outstanding	116478.26	114184.35	118578.50
Borrowings Outstanding	1777.06	1103.29	248.58
Net Profit	2857.51	2913.17	2668.99
Accumulated loss, if any	-	-	-

Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd.

M. G. Road, Head Office, Shillong – 793 001	
Email – apexbank@sancharnet.in / mcab@dataone.in	Telephone Nos. 0364-2224160/2222026
Chairman – Shri Marchynna Syiem	**Managing Director –** Shri Osmand E. J. Nongbri
Staff Position – • At HO : 145 • At Branches : 430	**Interest rate on Loans –** 9.00% to 10.00% **Interest rate on Deposit Collection –** 4.00% to 7.25%

Key Financial Parameters – (₹ Lakhs)

Particulars	2016-17	2017-18	2018-19
Loans Outstanding	106792.85	117302.21	137200.88
Loans Disbursed	22980.49	18806.52	20000.00
Total Paid up Capital	919.80	935.75	939.31
Free Reserves	11497.52	12123.90	13085.68
Capital to Asset Ratio (%)	18.98	19.68	20.00
Deposits Outstanding	225999.67	245979.01	265617.23
Borrowings Outstanding	4475.37	5004.53	5277.99
Net Profit	867.25	944.95	2000.00
Accumulated Loss, If Any	-	-	

Telangana State Cooperative Apex Bank Ltd.

4-1-441, Troop Bazar, Hyderabad - 500 001	
Email – mdoffice@tscab.org	Telephone Nos. 040-23443822
Chairman – Shri. Konduru Ravinder Rao	**Managing Director –** Dr. Nethi Muralidhar
Staff Position – • At HO : 190 • At Branches : 240	**Interest rate on Loans –** 5.00% to 14.00% **Interest rate on Deposit Collection –** 5.00% to 7.10%

Key Financial Parameters – (₹ Lakhs)

Particulars	2016-17	2017-18	2018-19
Loans Outstanding	445789.78	519575.61	559680.95
Loans Disbursed	426463.45	604400.18	608112.82
Total Paid up Capital	12048.16	14410.03	15729.62
Free Reserves	14178.75	15290.86	34690.61
Capital to Asset Ratio (%)	1.67	1.89	1.89
Deposits Outstanding	342438.44	385125.24	362225.81
Borrowings Outstanding	320204.38	338891.85	350198.80
Net Profit	5906.87	6656.45	6365.31
Accumulated Loss, If Any	-	-	-

Other SCARDBs

Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd.			
Budh Marg, Patna – 800 001			
Email – ldbpat@gmail.com		Telephone No. 0612-2226221/22	
Chairman – Shri Bijay Kumar Singh		**Managing Director –** Shri Ajay Kumar Singh	
Staff Position – At SCARDB (HO & Branches): 478		**Interest rate on Loans –** 11.00% **Interest rate on Deposit Collection -** NR	
Key Financial Parameters – (₹ Lakhs)			
Particulars	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
Loans Outstanding	5242.94	5032.95	NR
Loans Disbursed	125.00	175.00	169.00
Total Paid up Capital	2842.31	2833.32	NR
Free Reserves	1554.78	1554.78	NR
Capital to Asset Ratio (%)	3.48	3.20	NR
Deposit Outstanding	497.35	471.26	NR
Borrowings Outstanding	860.66	860.66	860.66
Net Loss	1351.77	2485.60	NR
Accumulated Losses If any,	-	-	-

NR denotes Not Reported.

XI. REPORT OF MEMBER BANKS' OPERATIONS DURING 2018-19

1. General Information

The Membership of the Federation as on 31 March 2019 comprises of 16 SCARDBs and 3 SCBs. Of the 16 SCARDBS, 7are under federal structure operating at ground level through their affiliated PCARDBs, 7 are unitary, operating through their branches and 2 SCARDBs have a mixed structurewith PCARDBs in some areas and own branches in other areas of the State. A brief report of organizational and operational information for 13 fully functional SCARDBs for the year 2018-19, based mainly on pre-audited data is furnished in this Section.

Fully functional SCARDBs with unitary/mixed structure were operating through 686 branches, while those with federal structure had a network of 602 PCARDBs and 463 branches of PCARDBs as on 31 March 2019. The total membership of 13 functional SCARDBs as on 31 March 2019 was 107.49lakh of which borrowing members were 62.41lakh. Out of 13 fully functional banks 7 had elected boards. 541 out of 602 PCARDBs also had elected boards as on 31 March 2019. Overall information on structure, Membership, staff and elected boards are furnished in the table below.

Sr. No.	Particulars	As on 31-03-2018	As on 31-03-2019
1)	Number of SCARDBs (Federal)	7	7
2)	Number of SCARDBs (Unitary)	7	7
3)	Number of SCARDBS with mixed Structural pattern	2	2
4)	Number of Branches of SCARDBs	686	686
5)	Number of PCARDBs (Federal)	601	602
6)	Number of Branches of PCARDBs	464	463
7)	Total Membership (in Lakh)	107.38	107.49
8)	Of item 7, Borrowing members (in Lakh)	59.65	62.41
9)	Number of SCARDBs having elected board	9	7
10)	Number of PCARDBS having elected board	544	541
11)	Staff in SCARDBs (Number)	4985	900
12)	Staff in PCARDBs (Number)	4788	4669

1. Loans advanced

The total loans advanced by 13 SCARDBs (fully functional) during the year 2018-19 amounted to ₹4230.62crore as against ₹4421.46crore during 2017-18 showing a negative growth of 4.32% mainly on account of set back to normal lending operations due to declaration of loan waivers by some of the State Governments. The aggregate loans outstanding of these banks at ApexBank level stood at ₹20679.26 crore for the year 2018-19 as against ₹20675.86 crore for the previous year 2017-18, showing a marginal increase of 0.02%.

2. Borrowings

Total borrowings by13 SCARDBs (Fully functional) during 2018-19 decreased to ₹2720.23 crore from ₹3109.34 crore during 2017-18. NABARD continued to be the main source of borrowings during the year, with total refinance support of ₹1935.60

crore accounting for 71.16% of total borrowings by the banks. Remaining 28.84% of borrowings by these SCARDBs were sourced from Govt. NCDC, NHB and various StCBs.

The Borrowings Outstanding of 13 SCARDBs as on 31 March 2019(Fully functional) stood at ₹15059.18 crore as against ₹15169.17 crore as on 31 March 2018. Borrowing outstanding of 5 banks viz., Himachal Pradesh, Kerala,Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal showed an increase and that of 7 states viz., Gujarat, Haryana, Karnataka, Pondicherry, Punjab, Rajasthan and Tamil Nadu, decreased over the previous year. Jammu & Kashmir, SCARDB did not show any change in its borrowings outstanding position.

3. Deposit Mobilisation

All fully functional SCARDBs except Tripura have been taking deposits during the year under report. Deposits of these banks mainly comprised of member deposits under various deposit schemes as approved by their Board of Directors. Some of the SCARDBs are also collecting fixed deposits of 1 to 3 years duration from public as permitted under NABARD's guidelines for deposit mobilization by SCARDBs issued in 1997.

Total deposit Outstanding of SCARDBs as on 31st March 2019 were ₹2133.38 crore as against ₹2157.38 crore as on 31st March 2018 registering a meagre decrease of 1.12% over the previous year.

4. Financial performance

The provisional Profit / Loss position as on 31stMarch 2019, in respect of 13 SCARDBs (Fully functional) shows that 9 SCARDBs are in profit and remaining 4 SCARDBs (Haryana, Jammu & Kashmir, Pondicherry and Tripura) have incurred losses. The number of SCARDBs in profit and those in losses during the year remain the same as in last year. All SCARDBs which received NABARD's refinance except Haryana were in profit during the year. Tamil Nadu though not getting NABARD's refinance continued to maintain the growth in net profits during the year. The position is likely to undergo changes once the audited figures in respect of Karnataka, Punjab, and Uttar Pradesh are available. In respect of these banks, the previous year's position has been retained for review.

5. Non-Performing Assets

The total loan outstanding of 13 SCARDBs (Fully functional) amounted to ₹20464.06 crore as on 31stMarch 2019 with Gross NPA of ₹5125.58 crore which worked out to 25.05% of the total loan outstanding as against 24.84% as on 31st March 2018. Of the 13 SCARDBs, NPAs of 3 SCARDBs (Kerala, Pondicherry and Punjab) were significantly below the tolerable level of 5%.

6. Recovery Performance

The yearly recovery performance at Apex and Ultimate Borrowers level is reported as of 30th June every year. Hence the latest available position of DCB is 30th June 2018.The total ground level demand of 13 SCARDBs (Fully functional) at the end of 30th June 2018 were ₹14114.61 crore against which collections were ₹6112.53 crore which formed 43.31% of demand as against 37.89% as on 30th June 2017. The recovery percentage at Ultimate Borrowers level was above 50% in the case of 4 SCARDBs viz., Himachal Pradesh, Kerala, Pondicherry and Tamil Nadu whereas Gujarat, Haryana, Jammu & Kashmir, Karnataka, Punjab, Rajasthan, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal were in the range of below 50%. The amount of overdues as on 30th June 2018 stood at ₹8002.09 crore compared to ₹7785.80 crore as of 30th June 2017, showing an increase of ₹216.29 crore over previous year. The recovery climate was vitiated by the declaration of debt waiver scheme in some of the States.

XII. ACKNOWLEDGEMENT

The Federation continues to maintain close contacts and liaison with Central and State Govts., NABARD, RBI, NCDC, NCUI and various other agencies and institutions in its endeavour to strengthen the structure and expand the operations of member banks. The Board of Management places on record its gratitude to all these agencies and institutions for the support and cooperation extended to the Federation.

The Federation as well as its member institutions have been receiving financial and policy support from Government of India, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. The Board of Management places on record its gratitude to the Ministry for its continued support and guidance to the Federation and to the Long Term Cooperative Credit Structure.

NABARD from its inception has been extending refinance as well as development support to SCARDBs. The Board of Management conveys its gratitude to NABARD for its continued refinance support to SCARDBs and the role it has been playing over the years to strengthen the Long Term Rural Cooperative Credit Structure.

We also extend our gratitude to NCDC, NHB, Scheduled Commercial Banks and State Cooperative Banks for continuing to provide funding support to SCARDBs which helped them to meet the credit needs of their members better.

The NCUI has been providing active support to the Federation in its activities. The Federation places on record its appreciation and gratitude to Dr.Chandrapal Singh Yadav, President and Shri N. Satyanarayana, Chief Executive.

The Federation continued to receive financial and other supports as well as active cooperation from its member banks during the year under report. We express our profound gratitude to the management and staff of all our member banks particularly to the Chairmen and Chief Executives of SCARDBs for their cooperation and support. The Board of Management also places on record the valuable contributions of Shri K. Sivadasan Nair, Chairman who with the able support of Vice Chairpersons Shri K. Shadakshari, Shri K. Ravinder Rao, Shri Bijay Kumar Singh and Shri MarchynnaSyiem who gave effective leadership to the Federation and the LT credit sector.

The Board appreciates the services of Shri K.K. Ravindran, Managing Director, who ably discharged the responsibilities of Chief Executive with dedication. The Management also appreciates the services of its officers and staff during the year.

On behalf of the Board of Management

K. Sivadasan Nair

Chairman

TABLE 1 - LOANS DISBURSED AND LOANS OUTSTANDING

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of SCARDB	Loans Disbursed During 2018-19			Loans Disbursed During 2017-18	Loans Outstanding as on 31 March 2019			Loans Outstanding as on 31 March 2018
		Farm Sector	Non Farm Sector (incl. of RHS/S.T. Loans/Others)	Total Loans Disbursed (3+4)		Farm Sector	Non Farm Sector (incl. of RHS/S.T. Loans/Others)	Total Loans Outstanding (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gujarat	11489.80	3467.01	14956.81	17762.88	53824.79	4371.40	58094.56	57965.12
2.	Haryana	2453.04	190.55	2643.59	7721.32	130252.15	62865.90	193118.05	196679.28
3.	Himachal Pradesh	NR	NR	8502.67	8217.82	NR	NR	45387.23	42566.46
4.	Jammu & Kashmir	NR	NR	1182.79	1268.75	NR	NR	5567.67	5663.61
5.	Karnataka	23377.09	0.00	23377.09	20802.31	187983.07	3737.80	191720.87	179592.24
6.	Kerala	73287.65	147663.95	220951.60	232755.01	208580.20	457273.57	665853.77	636161.04
7.	Pondicherry	0.00	2441.57	2441.57	2381.76	0.00	3188.84	3188.84	3021.58
8.	Punjab	13880.75	3605.42	17486.17	28562.51	159860.62	88151.43	248012.05	259684.94
9.	Rajasthan	11719.13	2213.40	13932.53	24372.30	121706.26	35453.44	157159.70	162972.89
10.	Tamil Nadu	0.00	77322.35	77322.35	69702.89	6721.11	64036.34	70757.45	75537.17
11.	Tripura	0.00	0.00	0.00	13.70	NR	NR	1322.58	1646.94
12.	Uttar Pradesh	NR	NR	15174.46	6251.27	NR	NR	313280.48	336079.54
13.	West Bengal	20941.43	4148.96	25090.39	22333.84	82820.14	31642.49	114462.63	110015.55
TOTAL [1 to 13]		**157148.89**	**241053.21**	**423062.02**	**442146.36**	**951748.34**	**750721.21**	**2067925.88**	**2067586.36**

Note: NR denotes Not Reported.

TABLE 2 - BORROWINGS DURING THE YEAR

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of SCARDB	Raised During 2018-19				Grand Total	
		NABARD	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC/ NHB/ SCB etc.)	2018-19 (3+4+5+6)	2017-18
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gujarat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Haryana	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	23382.83
3.	Himachal Pradesh	6830.60	NR	NR	NR	6830.60	6667.90
4.	Jammu & Kashmir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Karnataka	28638.83	0.00	61.82	0.00	28700.65	2011.57
6.	Kerala	90405.00	0.00	0.00	0.00	90405.00	124501.50
7.	Pondicherry	NR	NR	NR	NR	-148.96	-103.84
8.	Punjab	17202.14	0.00	0.00	15900.00	33102.14	58652.01
9.	Rajasthan	13773.55	0.00	0.00	18650.00	32423.55	45738.00
10.	Tamil Nadu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Tripura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Uttar Pradesh	11709.93	NR	NR	NR	35709.93	28883.98
13.	West Bengal	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	21200.00
TOTAL [1 to 13]		**193560.05**	**0.00**	**20061.82**	**34550.00**	**272022.91**	**310933.95**

Note: NR denotes Not Reported.

TABLE 3 - BORROWINGS OUTSTANDING

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of SCARDB	Borrowings Outstanding as on 31 March 2019				Grand Total	
		NABARD	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC/ NHB/ SCB etc.)	As on 31/03/2019 (3+4+5+6)	As on 31/03/2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gujarat	6690.62	40.74	180.27	0.00	6911.63	12434.77
2.	Haryana	62935.34	3441.13	73213.88	17769.29	157359.64	165209.22
3.	Himachal Pradesh	NR	NR	NR	NR	27510.66	27355.83
4.	Jammu & Kashmir	NR	NR	NR	NR	616.00	616.00
5.	Karnataka	109536.84	2005.77	2097.69	28053.10	141693.40	148731.22
6.	Kerala	551208.05	269.69	269.69	70660.99	622408.42	577682.28
7.	Pondicherry	NR	NR	NR	NR	385.70	534.66
8.	Punjab	180856.30	160.29	11.85	18900.00	199928.44	240564.23
9.	Rajasthan	101046.99	1657.97	1656.83	9430.05	113791.84	123744.00
10.	Tamil Nadu	0.00	0.00	6389.87	2.70	6392.57	6398.27
11.	Tripura	559.83	1.61	40.23	1401.67	2003.34	961.01
12.	Uttar Pradesh	NR	NR	NR	NR	137548.51	128655.11
13.	West Bengal	89298.80	9.30	59.36	0.00	89367.46	84030.41
TOTAL [1 to 13]		**1102132.77**	**7586.50**	**83919.67**	**146217.80**	**1505917.61**	**1516917.01**

Note: NR denotes Not Reported.

TABLE 4 - DEPOSIT MOBILIZATION

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of SCARDB	Deposit Outstanding as at the end of	
		31.03.2018	31.03.2019
1.	Gujarat	26078.30	27041.55
2.	Haryana	15.16	10.33
3.	Himachal Pradesh	13757.20	9909.94
4.	Jammu & Kashmir	15059.47	17658.11
5.	Karnataka	36878.30	41339.49
6.	Kerala	51207.55	39319.37
7.	Pondicherry	2691.86	2989.27
8.	Punjab	19667.60	23505.24
9.	Rajasthan	1328.00	1242.15
10.	Tamil Nadu	22443.26	22724.00
11.	Uttar Pradesh	6033.79	5400.12
12.	West Bengal	20577.52	22198.50
	TOTAL [1 to 12]	**215738.01**	**213338.07**

TABLE 5 - PROFIT / LOSS (AT APEX BANK LEVEL)

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of SCARDB	Profit / Loss as on		Accumulated Loss as on	
		31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019
1.	Gujarat	2100.14	2101.54	0.00	0.00
2.	Haryana	(3188.11)	(7638.23)	37788.30	45426.53
3.	Himachal Pradesh	127.43	32.01	0.00	0.00
4.	Jammu & Kashmir	(693.10)	(855.17)	6800.34	7655.51
5.	Karnataka *	68.69	68.69	0.00	0.00
6.	Kerala	2827.81	2713.95	0.00	0.00
7.	Pondicherry	(41.75)	(50.64)	383.86	434.50
8.	Punjab *	828.95	828.95	0.00	0.00
9.	Rajasthan	(4391.65)	4420.46	0.00	0.00
10.	Tamil Nadu	1043.54	1909.00	0.00	0.00
11.	Tripura	19.69	(301.26)	1645.38	1946.64
12.	Uttar Pradesh *	191.80	191.80	2504.05	2504.05
13.	West Bengal	244.05	322.93	1211.27	1044.13

Note:- (1) Figures in brackets indicate loss.
(2) Position as on 31-3-18 is considered for review.

TABLE 6 - NON-PERFORMING ASSETS (NPA)

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of SCARDB	As on 31 March 2018			As on 31 March 2019		
		Total Loan Outstanding	Total NPAs	NPA as % of Loans Outstanding	Total Loans Outstanding	Total NPAs	NPA as % of Loans outstanding
1.	Gujarat	57965.12	31894.00	55.02	58094.56	31855.34	54.83
2.	Haryana	196679.28	163363.54	83.06	193118.05	161155.79	83.45
3.	Himachal Pradesh	42566.46	9820.22	23.07	45387.23	11568.17	25.49
4.	Jammu & Kashmir	5663.61	1145.24	20.22	5567.67	1280.54	23.00
5.	Karnataka *	179609.20	40798.14	22.71	179609.20	40798.14	22.71
6.	Kerala	636161.04	3199.23	0.50	665853.77	15844.82	2.38
7.	Pondicherry	3021.58	215.39	7.13	3188.84	70.65	2.22
8.	Punjab *	259869.33	11781.21	4.53	259869.33	11781.21	4.53
9.	Rajasthan	162972.89	71975.16	44.16	157159.70	69713.50	44.36
10.	Tamil Nadu	68652.15	11690.67	17.03	71611.00	11548.00	16.13
11.	Tripura	1646.94	773.76	46.98	1322.58	1190.32	90.00
12.	Uttar Pradesh *	291161.28	128434.62	44.11	291161.28	128434.62	44.11
13.	West Bengal	110015.55	25597.15	23.27	114462.63	27316.77	23.87
TOTAL [1 to 13]		2015984.43	500688.33	24.84	2046405.84	512557.87	25.05

Note:- * Position as on 31.03.2018 is considered for review.

TABLE 7 - DEMAND, COLLECTION, BALANCE POSITION

(₹ Lakh)

Sr. No.	Name of SCARDB	At Apex Bank Level as on 30 June 2018				Recovery (%) as on 30.06.2017	At Ultimate Borrowers' Level as on 30 June 2018				Recovery (%) as on 30.06.2017
		Demand	Collection	Balance	Recovery (%)		Demand	Collection	Balance	Recovery (%)	
1.	Gujarat #	59183.94	19323.56	39860.38	32.65	32.43	59183.94	19323.56	39860.38	32.65	32.43
2.	Haryana	164699.72	26624.48	138075.24	16.17	11.88	174298.01	24277.63	150020.38	13.93	15.47
3.	Himachal Pradesh	11976.68	4976.54	7000.14	41.55	40.64	14716.34	7716.20	7000.14	52.43	51.30
4.	Jammu & Kashmir	2743.12	1267.08	1476.04	45.66	45.81	2743.12	1267.08	1476.04	45.66	45.81
5.	Karnataka	112466.87	39640.57	72826.30	35.25	44.01	77495.54	37902.40	39593.14	48.91	50.92
6.	Kerala	175182.14	173487.52	1694.62	99.03	98.91	242442.41	175130.48	67311.93	72.24	71.35
7.	Pondicherry	2705.32	2540.37	164.95	93.90	94.74	2705.32	2540.37	164.95	93.90	94.74
8.	Punjab	86635.19	58745.18	27890.01	67.81	61.30	227343.84	81364.05	145979.79	35.79	19.55
9.	Rajasthan	102669.38	26583.74	76085.64	25.89	29.99	120064.87	36147.03	83917.84	30.11	33.93
10.	Tamil Nadu #	84237.67	72146.82	12090.85	85.65	84.87	113097.28	102897.28	10200.00	90.98	88.43
11.	Tripura	1700.00	550.49	1149.51	32.38	38.99	1700.00	550.49	1149.51	32.38	38.99
12.	Uttar Pradesh	296884.37	90634.38	206249.99	30.53	13.97	296884.37	90634.38	206249.99	30.53	13.97
13.	West Bengal	72339.87	29210.58	43129.29	40.38	38.14	78785.99	31501.55	47284.44	39.98	36.87
TOTAL [1 to 13]		1173424.27	545731.31	627692.96	46.51	43.19	1411461.03	611252.50	800208.53	43.31	37.89

Note :- (1) * J & K SCARDB received ₹14.68 Lakh by waiver of interest during 2017-18 other than Cash Collection.
(2) # DCB position as on March 31.

TABLE 8 - NETWORK, MEMBERSHIP, ELECTED BOARD & STAFF (SCARDBs)

(Number)

Sr. No.	Name of SCARDB	Number of Branches (Unitary / Mixed Structures)		No. of PCARDBs (Federal / Mixed Structures)		No. of Branches of PCARDBs (Federal Structure)		Total Membership (Borrowings + Non-Borrowings)		Borrowing Members		Whether SCARDB has elected Board (Yes/No)		Number of PCARDBs having elected Boards		Staff of SCARDBs (Number)		Staff of PCARDBs (Number)	
		31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018	31.3.2019
1.	Gujarat	181	181	NA	NA	NA	NA	673827	674612	673827	674612	Yes	No	NA	NA	331	326	NA	NA
2.	Haryana	0	0	19	19	72	71	728305	732190	131370	109419	Yes	No	0	0	71	62	838	792
3.	Himachal Pradesh	51	51	1	1	30	30	87646	82816	29421	32070	Yes	Yes	1	1	177	279	54	54
4.	Jammu & Kashmir	51	51	NA	NA	NA	NA	97342	97841	77159	78040	No	No	NA	NA	240	239	NA	NA
5.	Karnataka *	25	25	177	178	NA	NA	1143888	1143888	651041	651041	Yes	Yes	175	175	306	306	613	575
6.	Kerala *	14	14	75	75	162	162	1154295	1154295	636685	636685	Yes	Yes	74	73	221	202	1178	1178
7.	Pondicherry	1	1	NA	NA	NA	NA	19018	5142	4038	3802	No	No	NA	NA	31	30	NA	NA
8.	Punjab	0	0	89	89	0	0	840989	832754	106618	99760	Yes	Yes	79	78	242	227	679	647
9.	Rajasthan *	7	7	36	36	125	125	1227930	1227930	742918	742918	No	No	12	13	85	69	367	367
10.	Tamil Nadu	26	26	180	180	2	2	1358533	1355660	181974	181974	Yes	Yes	180	180	117	113	486	475
11.	Tripura	5	5	NA	NA	NA	NA	22564	22573	2739	2742	Yes	Yes	NA	NA	29	27	NA	NA
12.	Uttar Pradesh	323	323	NA	NA	NA	NA	3024657	3037560	2519647	2806402	Yes	Yes	NA	NA	3050	2940	NA	NA
13.	West Bengal	2	2	24	24	73	73	358734	382030	207563	221043	No	No	23	21	85	80	573	581
	TOTAL [1 to 13]	686	686	601	602	464	463	10737728	10749291	5965000	6240508	-	-	544	541	4985	4900	4788	4669

Note:- (1) NA denotes 'Not Applicable'.
(2) * Position as on 31.03.2018 is considered for review.

Shri K. K. Ravindran, Managing Director, Shri K. Sivadasan Nair, Chairman, NAFCARD delivering key note address, Shri P. V. Prabhu, Trustee Secretary, Shri R. Venkataswamy, Director, NIRB and Shri V. I. Ganesan, Senior Consultnat, NAFCARD

View of Session in Progress

Shri P. V. Prabhu, Trustee Secretary NIRB, Shri K. K. Ravindran Managing Director, Shri V. I. Ganesan, Senior Consultant, NAFCARD and Shri Shivanna, Faculty Member, NIRB

View of Session in Progress

157th Meeting of the Board of Management and Workshop on Accelerated Recovery Drive held on 18th & 19th January 2019 at Dharamshala, H.P.

Meeting with Chairman NABARD on 6th March 2019
(R to L) Dr. Harshkumar Bhanwala, Chairman, NABARD, Shri Y. C. Nanda, Ex-Chairman NABARD, Shri K. Sivadasan Nair, Chairman and Shri K. K. Ravindran, Managing Director, NAFCARD

उनसठवीं वार्षिक रिपोर्ट २०१८-२०१९

राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ मर्यादित

७०१, ७ वी मंज़िल, बीएसईएल टेक पार्क, ए - विंग,
रेलवे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३.

टेलिफोन : (०२२) २७८१४ ११४ / २२६ / ४२६ फैक्स : (०२२) २७८१ ४२२५
ई-मेल : nafcard.org@gmail.com / info@nafcard.org
वेबसाईट : www.nafcard.org

राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ मर्यादित
वार्षिक सामान्य निकाय बैठक

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018-19 की राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक्स फेडरेशन लि. की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक सोमवार 10 जून 2019 को प्रात: 11.30 से होटल द रिसॉर्ट, मार्वे बीच, मलाड, मुम्बई में निम्नांकित व्यवसाय प्रबन्धन हेतु आहूत की गई है :-

1. दिनांक 15 सितम्बर 2018 को शिलांग में सम्पन्न फेडरेशन की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करने।
2. वर्ष 2018-19 के लेखापरीक्षित खातों के विवरण पत्रों पर विचार।
3. वर्ष 2018-19 के अधिशेष का निपटान।
4. 31.03.2019 को समाप्त हुऐ वर्ष के सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन पर विचार।
5. वर्ष 2018-19 की सम्प्रेक्षण अनुपालन आख्या पर विचार।
6. वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार।
7. वर्ष 2019-20 के लिये सम्प्रेक्षकों की नियुक्ति तथा सम्प्रेक्षा शुल्क निर्धारित करने पर विचार।
8. वर्ष 2020-21 के लिये वार्षिक बजट पर विचार।
9. फेडरेशन के पूर्ण नाम कें लिये परवर्णी नाम नैफकार्ड समाविष्ट करते हुये उपनियमों में संशोधन (एजेण्डा नोट संलग्न)

दूसरे एजेण्डा मदो पर टिप्पणी शीघ्र ही परिचालित हो रही हैं।

बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों तथा फेडरेशन की उपविधियों के अनुसार सामान्य सभा में फेडरेशन का प्रत्येक सदस्य बैंकं का एक प्रतिनिधि, जो या तो सम्बन्धित सदस्य बैंक के निदेशक मण्डल के प्रस्ताव, अथवा प्रशासक द्वारा, जहां निदेशक मण्डल नहीं है, जिस नाम से भी कहा गया हो, नामित अध्यक्ष/ सभापति अथवा मुख्य कार्यकारी, अधिकारी होगा। तदनुसार, सदस्य बैंकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वह फेडेरशन को, सामान्य सभा के लिये अपने अपने प्रतिनिधि का नाम, निदेशक मण्डल के प्रस्ताव के साथ सामान्य सभा की बैठक से न्यूनतम 10 दिन पहले सूचित करने का कष्ट करें।

फेडरेशन के निदेशक मण्डल की आज्ञा से

हस्ताक्षरित/-

स्थान - नवी मुम्बई
तिथि - 06 मई, 2019

(के.के.रविन्द्रन)
प्रबन्ध निदेशक

I. आर्थिक परिदृश्य

केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन (सीएसओ) तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार भारत विश्व में तीव्रतम गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुदृढ़ लोकतंत्र तथा सहभागिता के संरक्षण में आने वाले 10-15 वर्षों में इसके विश्व की तीन बड़ी आर्थिक शक्तियों में एक महाशक्ति होने की आशा की जाती है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) जो वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमान के अनुसार 7.2 वार्षिक तथा, द्वितीय वार्षिक अनुमान के अनुसार वर्ष 2018-19 में गिरकर 7.2 तथा 2018-19 की तीसरी तिमाही में उससे भी नीचे गिरते हुये 6.6 पर आ गया। केन्द्रीय सांख्यकी संगठन के अनुसार 2011-12 के स्थिर मूल्यो पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) सितम्बर से दिसम्बर 2018 की तिमाही में, 6.6 बढ़ा। वित्तीय वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में पूँजीगत व्यय में बहाली के साथ भारत के व्यावसायिक उपार्जन (कार्पोरेट आय) में 16.6 की वृद्धि का अनुमान है। प्रथम अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार, 2017-18 में 6.9 की वृद्धि के सापेक्ष, वर्ष 2018-19 के लिये स्थिर मूल्य पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) की वृद्धि दर विशेषरूप दूसरी छमाही में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किये जाने के फलस्वरूप आई सुस्ती के कारण 6.8 हो गई। 2013-14 से 2018-19 तक की मौलिक कीमतों पर विभिन्न क्षेत्रों के जोड़े गये मूल्य (जीवीए) की वृद्धि दर निम्नांकित तालिका में दी गई हैं।

स्थिर मूल्य (2011 - 12) पर विभिन्न क्षेत्रों के जोड़े गये मूल्य (जीवीए) की वृद्धि दर (% में)

उद्योग	2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17 (द्वितीय	2017-18 (प्रथम एई)	2018-19 (द्वितीय
I. कृषि	5.6	-0.2	0.6	6.3	5.0	2.7
II. उद्योग	3.8	7.0	9.6	7.7	5.9	7.7
खनन एवं उत्खनन	0.2	9.7	10.1	9.5	5.1	1.2
विनिर्माण	5.0	7.9	13.1	7.9	5.9	8.1
विद्युत गैस एवं जलआपूर्ति	4.2	7.2	4.7	10.0	8.6	8.0
भवन निर्माण	2.7	4.3	3.6	6.1	5.6	8.9
III. सेवाये	47.7	9.8	9.4	8.4	8.1	7.4
संचार एवं सेवा सम्बन्धी प्रसारण	6.5	9.4	10.2	7.7	7.8	6.8
वित्तीय सेवाएं, स्थावर सम्पदा तथा व्यावसायिक सेवायें	11.2	11.0	10.7	8.7	6.2	7,3
सार्वजनिक प्रशासन सुरक्षा एवं अन्य सेंवायें	3.8	8.3	6.1	9.2	11.9	8.5
आधारभूत मूल्य पर जीवीए	6.1	7.2	8.0	7.9	6.9	6.8

*: तीसरा संशोधित प्राक्कलन, 2nd आरई-द्वितीय संशोधित प्राक्कलन, एई : अग्रिम प्राक्कलन

स्त्रोत : केन्द्रीय सांख्यकीय कार्यालय

2016-17 में वर्ष के दौरान क्षेत्र स्तर पर, सामान्य मान्सून के कारण कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र में जो उल्लेखनीय सुधार हुए, ने 2017-18 और 2018-19 (की तीसरी तिमाही में) क्रमश: 5% और 2.7% के गिरते रुझान दिखाना शुरू कर दिया। औद्योगिक क्षेत्र 2016-17 के दौरान 7.7 से घटकर 2017-18 में से 5.9% पर आ गया तथा 2018-19 की तीसरी तिमाही में खनन एवं उत्खनन तथा विनिर्माण क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि के कारण 2016-17 के 7.9% से ऊंचे उठते हुये 2018-19 की तीसरी तिमाही के दौरान 8.1% पर पहुंच गया। भवन निर्माण क्षेत्र जो 2016-17 के दौरान 6.1% पर था, 2017-18 में घटकर 5.6% पर आ गया तथा सरकार की नीतियों पर पहल दिये जाने से इस क्षेत्र को मिले प्रोत्साहन के कारण 2018-19 की तीसरी तिमाही में ये बढ़कर 8.9% हो गया। सेवा क्षेत्र जिसमें वर्ष 2016-17 के दौरान 8.4% की वृद्धि दिखाई थी, 2017-18 में उस गति को बनाये नहीं रख सका जो गिरकर 8.1% तथा तीसरी तिमाही में 7.4% पर आ गया। इसके बावजूद वर्ष 2001 से अपने 9 की औसत वृद्धि दर के साथ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 54.2% के योगदान के साथ सेवा क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र बना हुआ है। सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने के बाद भी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि का योगदान मात्र 16.0% है जो विगत वर्षों से लगातार कम होता जा रहा है जबकि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) मे उद्योग का योगदान 29.8% पर लगभग स्थिर है और निर्माण क्षेत्र विगत तीन वर्षो से 16.6% की सीमा के अंतर्गत है। सकल घरेलू उत्पाद में 20% तथा 21.1% की क्रमश: 2017-18 तथा 2018-19 (के अग्रिम प्राक्कलन) में योगदान करते हुए 2016-17 में 183.48 बिलियन डालर से बढ़ कर 2017-18 में 193.31 बिलियन डालर तदपरान्त 2018-19 के तीसरे तिमाही में 218.94 बिलियन डालर की और अधिक वृद्धि के साथ नकारात्मक निर्यात वृद्धि की प्रवृत्ति उलट गई थी। उसी प्रकार 2017-18 तथा 2018-19 मे, सकल घरेलू उत्पाद में क्रमश: 24.0% तथा 25.90% का योगदान कराते हुए आयात में भी क्रमश: 2016-17 में 196.31 बिलियन से 2017-18 में 231.87 बिलियन तथा 2018-19 की तीसरी तिमाही में 267.93 बिलियन की और अधिक वृद्धि हुई थी। 2018-19, (संशोधित प्राक्कलन) में राजकोषीय घाटा सात वर्ष पहले के 6 से 3.4% पर नीचे आ गया। भारत ने गत पांच वर्षो के दौरान 239 बिलियन डालर की बहुत बड़ी धनराशि के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया है। चालू खाता घाटा (सीएडी) जो विगत छ: वर्ष पहले 5.6% था, से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का मात्र 2.5% ही सम्भावित है। इस समीक्षा अवधि के दौरान दो अंकीय स्फीत के बनाये रखा गया है तथा राजकोषीय संतुलन को पुर्नस्थापित किया गया है। अधिकांशत: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वयंचालित मार्ग से आने देने की अनुमति प्रदान करते हुये, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की उदारीकरण नीति, वर्ष 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के प्रमुख योगदान कारक रही। भारत में विदेशी ऋण में दूसरे तिमाही में 514442 मिलियन अमरीकी डालर से घट कर तीसरी तिमाही में 510428 मिलियन अमरीकी डालर की गिरावट आई। 1999 से 2018 तक भारत में विदेशी ऋण 270297.38 मिलियन अमरीकी डालर के औसत पर था, जो 2018 की प्रथम तिमाही में 529685 मिलियन अमरीकी डालर के अबतक के सबसे ऊंचे स्तर पर तथा वर्ष 2000 में 96392 मिलियन अमरीकी डालर के उल्लेखनीय न्यून स्तर पर था। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार विदेशी ऋण के परिमाण में गिरावट का कारण मुख्य रूप से भारतीय रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर के अभिमूल्यन, परिणामस्वरूप डालर के मूल्य में बढ़ोत्तरी रहा। जून 2018 के अंत में विदेशी ऋण में सकल घरेलू उत्पाद का औसत 20.4% था जो मार्च 2018 में 20.5% से बहुत थोड़े निचले स्तर पर था।

II. कृषि – सामान्य परिदृश्य

कृषि 58 ग्रामीण परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन है। वित्तीय वर्ष 18 में कृषि, वानिकी तथा मत्स्य पालन द्वारा योजित सकल मूल्य (जीवीए) रु. 17.67 खरब (274.23 बिलियन अमरीकी डालर) प्राक्कलित किया गया।

फसल वर्ष 2017-18 के दौरान 284.83 मिलियन टन रेकार्ड खाद्यान्न उत्पादन आंक्कलित है। 2018-19 में भारत सरकार ने 285.2 मिलियन टन खद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वित्तीय वर्ष 2017 में 165.4 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन और 7.4 मिलियन टन मांस उत्पादन अनुमानित था।

भारत विश्व में दूसरा सर्वाधिक फल उत्पादक देश है। तीसरे अग्रिम अनुमानों अनुसार 2017-18 में रेकार्ड 306.82 (मिलियन टन) औद्यानिक फसलों का उत्पादन आंकलित है।

2018-19 का केन्द्रीय बजट ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का उत्थान तथा कृषि क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण,आर्थिक रूप से विपन्न वर्ग के लिये स्वास्थ्य सेवाये, देश की शिक्षा में गुणात्मक सुधार तथा आधारभूत सृजन पर केन्द्रित हैं। बजट के अनुसार सरकार 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिये प्रतिबद्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आजिविका तथा मूलभूत आवश्यकताओं के सृजन के लिये रु.14.34 लाख करोड़ (196.94 बिलियन अमरीकी डालर) का परिव्यय किया जाएगा। वर्ष 2018-19 में आधारभूत आवश्यकताओं के लिये रु.5.97 लाख करोड़ (81.99 बिलियन अमरीकी डालर) का आवंटन किया गया है। सितम्बर 2018 तक खरीफ की फसल के लिये कुल बोया गया क्षेत्र भारत में 105.78 मिलियन हेक्टेयर पर पहुँच गया। वर्ष 2018 में अधिकांश फसलों के लिये द्वितीय अग्रिम प्राक्कलन कृषि, सहकारिता और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

खाद्य फसलों के आंकड	(उत्पादन मिलियन टन में)
खाद्यान्न	281.37
धान (चावल)	115.60 (रेकार्ड)
पोषक तत्व/मोटे अनाज	42.64
मक्का	27.80
दालें	24.02
टुअर	3.68
चना	10.32
तिलहन	31.50
सोयाबीन	13.69
सफेद सरसों व सरसों	8.40
मूंगफली	6.97
कपास	30.09 मिलियन (170 किलोग्राम की) गांठ
जूट एवं मेस्टा	10.07 मिलियन (180 किलोग्राम की) गांठ

रिपोर्ट में स्पष्ट करती है कि मान्सून के मौसम (जून से सितम्बर 2018) में संचयी वर्षा दीर्घ अवधि औसत (एलपीए) से 9% कम थी। उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत तथा उत्तरी दक्षिणी प्रायद्वीप मान्सून की अवधि में संचयी वर्षा पूर्णत: सामान्य रही तथा अधिकांशत: प्रमुख फसल उत्पादक प्रदेशों में मान्सून के दौरान सामान्य वर्षा हुई। परिणामस्वरूप कृषि वर्ष 2018-19 की अधिकांश फसलों में सामान्य से अधिक उत्पादन अनुमानित किया गया।

जलवायु परिवर्तन एवं कृषि

भारत मौसम की अनिश्चितता से ग्रस्त है जैसा कि 52% कृषि क्षेत्र (141.4 मिलियन हैक्टेयर में से 73.2 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र शुद्ध बुआई वाला क्षेत्र) वर्षा पोषित है, कृषि क्षेत्र अभी भी अर्सिचित है तथा

वर्षा पर निर्भर है। अखिल भारतीय कुल फसल वाले क्षेत्र में सकल निवल सिंचित क्षेत्र अभी भी 34.5% के निचले स्तर पर है। कम से कम तीन प्रमुख स्त्रोत -औसत तापमान में वृद्धि, औसत वृष्टि में गिरावट तथा सूखे दिनों में वृद्धि, जिनके माध्यम से जलवायु परिवर्तन कृषि आय को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर विस्तृत चर्चा में कहा गया कि, ''1970 और अंतिम दशक के मध्य में खरीफ वाली वृष्टि पर औसतन 26 मिलीमीटर तथा रबी वाली वृष्टि पर 33 मिलीमीटर की गिरावट आयी तथा सूखे के दिनों में वृद्धि हुई। इस अवधि की वार्षिक औसत वृष्टि में औसतन लगभग 86 मिलीमीटर की गिरावट हुई। '' इसी प्रकार, रबी और खरीफ में इसी अवधि में तापमान में क्रमश: लगभग 0.45 डिग्री व 0.63 डिग्री औसत वृद्धि हुई। इसमें कहा गया कि, ''सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को अनेक जोखिमों को कम करने के लिये अपनी आय सृजन के अवसरों को बहुआयामी बनाने हेतु पशुधन तथा मत्स्य पालन जैसे कृषि-उपक्षेत्रों, की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की होगी।'' सरकार से कृषि की कठिनाइयों को जानकारी करने तथा किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये आमूल आवतर्न कार्यवाही करने का भी आग्रह किया गया है। ये घटनायें इंगित करती हैं कि कृषि को जलवायु परिवर्तन से और अधिक लचीला बनाने हेतु नीतियों को विकसित किये जाने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन की स्थितियों पर विचार करते समय सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचित क्षेत्र का विस्तार किये जाने की है। घटते हुये जल संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में यद्यपि यह बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिये कम ऊर्जा स्त्रोत का पानी, जल बचत सिंचाई पद्धतियां तथा उपकरणों को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही, जल, ऊर्जा तथा उर्वरकों के लिये दी जाने वाले अनुदानों को विनियमित कर अविवेकपूर्ण जल के उपयोग को हतोत्साहित किये जाने की भी आवश्यकता है।

वर्ष 2018-19 में कृषि, सहकारिता एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजनाओं, पहल और गतिविधियों के मुख्य आकर्षण।

किसानों की आय को दोगुना किया जाना

- सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अन्तर मंत्रालय समिति ने आय वृद्धि के सात स्त्रोंतों की पहचान की है।
- फसल की उत्पादकता में सुधार, पशुधन उत्पादकता में सुधार संसाधन प्रयुक्त क्षमता अथवा उत्पादन लागत में बचत, फसलों की अधिकता, उच्च मूल्य फसलों का विविधीकरण तथा किसानों द्वारा प्राप्त वास्तविक मूल्य में सुधार तथा कृषि क्षेत्र से अकृषि व्यवसाय में जाना।
- समिति, कृषि, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण विद्युत सहित कृषि में तथा के लिये बढ़ते सार्वजनिक निवेषों का पर्यवेक्षण कर रही है। यह कृषि क्षेत्र में कार्पोरेट क्षेत्र द्वारा निवेश को सक्षम बनाने की आवश्यकता के अन्तर्गत नीतिगत सहयोग की आवश्यकता का भी पर्यवेक्षण कर रही है।
- सरकार उत्पादन पर संकेन्द्रित करने के लक्ष्य से परे आय संकेन्द्रितता को लक्ष्यित करते हुये कृषि क्षेत्र का पुर्नविन्यास कर रही है। इस स्तर पर अनेंक निम्नांकित उपक्रम सम्मिलित हैं:-

i. राज्य सरकार के माध्यम से कृषि विपणन व्यवस्था में संशोधन कराते हुये विपणन सुधार।

ii. राज्य सरकार के माध्यम से संविदा खेती को प्रोत्साहित करने के लिए आदर्श संविदा कृषि अधिनियम की घोषणा।

iii. 22,000 ग्रामीण हाटों (बाज़ारों) को एकत्रीकरण तथा कृषि वस्तुओं की किसानों से सीधे खरीद के केन्द्र के रूप में कार्य करने हेतु विकसित किये जाने हैं।

iv. किसानों को इलेंक्ट्रानिक आन लाइन ट्रेडिंग प्लेटफार्म प्रदान कराने के लिये ई-नाम को प्रारम्भ किया जाने की पहल।

v. उर्वरकों के उपयोग के अनुकूलन के लिए किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण।

vi. ''प्रति बूंद अधिक फसल'' की पहल से पानी के इष्टतम उपयोग के लिये टिपक/स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित करना।

vii. जैविक खेती के प्रोत्साहन हेतु परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाय)। उत्तर पूर्व जैविक केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है।

viii. कृषक हितैषी ''प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना''

(पीएमएफबीवाय) से बुआई से पहले से लेकर फसल तैयार होने तक के अनेक जोखिम आच्छादित होते हैं, को संशोधित कर प्रारम्भ कर दिया जाना।

ix. कृषि की पूरक आय सृजन, जोखिम प्रबन्धन को बढ़ाने तथा जलवायु रोधक कृषि व कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिये ''हर मेढ़ पर पेड़''।

x. बांस को पेड़ की परिभाषा से अलग रखने के लिये भारतीय वानिकी अधिनियम, 1927 में संशोधन, परिणामस्वरूप, पुनर्गठित नेशनल बाम्बू मिशन का प्रारम्भ किया गया।

xi. किसानों को तिलहन दाल तथा कोप्रा के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिये पीएम आशा योजना।

xii. सरकार ने वर्ष 2018-19 में खरीफ और रबी की फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का अनुमोदन कर दिया है।

xiii. किसानों की अतिरिक्त आय के स्त्रोत के रूप में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अन्तर्गत मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित किया गया है।

xiv. दुग्ध उत्पादन तथा गोजातीय पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि से दुग्ध उत्पादन को और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन।

xv. पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि तथा उसके आनुवांशिक सुधार हेतु राष्ट्रीय पशुधन मिशन।

xvi. मैदानी एवं समुद्री दोनों मत्स्य पालन उत्पादन पर संकेन्द्रित बहुआयामी गतिविधियों सहित नीली क्रान्ति का क्रियान्वयन हो रहा है।

xvii. वर्ष 2018-2030 के नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एनएमएसए) के लिये संशोधित रणनीति दस्तावेज (प्रधानमंत्री के जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान के आठ मिशन में से एक)

प्रमुख योजनायें ,पहल और गतिविधियां

उत्पादकता लाभ के माध्यम से उच्च उत्पादन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन(एनएफएसएम)

- निम्नांकित के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन तथा फसलों की उत्पादकता (धान, गेहूँ, दाल, मोटे अनाज, तथा पोषक अन्न) बढ़ाने एनएफएसएम प्रोग्राम को पूरे देश में लागू होने जा रहा है :-

i. क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादकता वृद्धि,

ii. मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को व्यक्तिगत जोत स्तर पर बहाल करना। तथा,

iii. जोत स्तर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर किसानों के आत्मविश्वास को बनाये रखना ।

निम्नांकित सहित दालों, पोष्टिक अनाजों आदि के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिये अनेक कदम उठाये गये :-

i. दालों एवं पौष्टिक अनाजों के प्रजनक बीज उत्पादन।

ii. बीज केन्द्रों का सृजन

iii. प्रमाणित बी उत्पादन तथा

iv. मूल्यों के उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण के लिये सुरक्षित भण्डार का सृजन।

कृषि उन्नति मेला 2018

- नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकीय विकास एवं कृषक समुदाय से प्रति पुष्टि प्राप्त करने के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिये राष्ट्रीय स्तर के तृतीय कृषि उन्नति मेंले का आयोजन डीएसी एण्ड एफ डब्लू द्वारा किया गया।

- किसानों की आय बढ़ानें के तरीकों को विषय मण्डपों के माध्यम से, जैसे कि सूक्ष्म सिंचाई, नीम लेपित यूरिया, फसल बीमा योजना की प्रभावकारिता को मेले में प्रदर्शित किया गया।

महिला किसान दिवस

- महिला कृषकों की सहभागिता, गैर सरकरी संगठनों, महिला उद्यमियों, शैक्षणिक समुदाय, शोधकर्त्ताओं/वैज्ञानिकों कृषक संगठनों, बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिनिधियों, उद्योगों आदि की सहभागिता के साथ महिला किसान दिवस का आयोजन 14-15

अक्टूबर 2018 को किया गया। मुख्य उद्देश्य कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की महिला किसानों से सम्बन्धित मुद्दों को जानना तथा समझना, संस्थागत ऋण और सूक्ष्म वित्त पोषण आदि था।

बागवानी के समन्वित विकास के लिये मिशन (एमआईडीएच)

- चिन्हित बागवानी फसलों तथा जैविक खेती के लिये मिशन के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्रों को आच्छादित किया गया। इसके अतिरिक्त समन्वित कीट पोषक तत्व प्रबन्धन, बागवानी, मशीनीकरण, मधुमक्खी पालन पहल कदमी, विपणन एवं आधारभूत प्रबन्धन सुविधा तथा किसानों का प्रशिक्षण को लिया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी

- कृषि परामर्शी प्राप्त करने के लिये डीएसी एण्ड एफ डब्लू के एम किसान पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। किसान सुविधा एप के डाउनलोड में भी वृद्धि हुई है, इस एप में चार नई सेवायें जोड़ी जाने के बाद उपलब्ध सेवाओं की संख्या 10 हो गई।

आरकेवीवाय-रफ्तार

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाय) का लक्ष्य कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में अवसंरचनाओं को सुदृढ़ करना है। कृषि उद्यमिता और कृषि व्यवसाय को वित्तीय सुविधा प्रदान कर तथा उद्भवन पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण (आरकेवीवाई-रप्तार कृषि व्यवसाय इनक्यूबेटर-आरएबीआईएस) के द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए पुनर्निर्मित योजना के अन्तर्गत नया घटक आरकेवीवाय- रप्तार (रेम्यूनरेटिव एप्रोचेज़ फार एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड सेक्टर रेज्यूवनेशन) 2018-19 में प्रारम्भ किया गया।

कृषि की लागत में कमी

कृषि मशीनीकरण- फसल अवशेष प्रबन्धन योजना

- फसल अवशेष के यथास्थान प्रबन्धन के लिये कृषि मशीनीकरण सम्वर्धन पर केन्द्रीय क्षेत्र की नयी योजना पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और दिल्ली के एनसीटी राज्यों के लिये 2018-19 से 2019-20 के लिये प्रारम्भ की गई है। योजना के घटक (शत-प्रतिशत केन्द्र के अंश) में सम्मिलित हैं:-

i. यथावत फसल अवशेष प्रबन्धन मशीनरी की कस्टम हायरिंग हेतु कृषि यंत्रों के बैंक स्थापित करने के लिए समूहों एवं संगठनों को आर्थिक सहायता।

ii. यथावत फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु कृषि मशीनरी व उपकरण की खरीद के लिये किसानों को व्यक्तिगत रूप से आर्थिक सहायता तथा

iii. यथावत फसल अवशेष प्रबन्धन की जागरुकता के लिये सूचना शिक्षा तथा संचार (आई ई सी) गतिविधियों हेतु संस्थाओं को वित्तीय सहायता।

परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाय)

- 2015-17 से केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में जैविक खेती को बढ़ावा देने की पहली व्यापक योजना पीकेवीवाय प्रारम्भ की गई जिसे आगामी तीन वर्षो के लिये पुनरीक्षित की गई है। जैविक रूपान्तरण, जैविक इनपुट, कृषि इनपुट, उत्पादन तथा मूल संरचना के लिये किसानों को प्रोत्साहन के रूप में धन दिया जाता है। योजना को निम्न के साथ क्रियान्वित किया गया :-

1. 8 उत्तर पश्चिम राज्यों, जम्मू व कश्मीर, हिमाचंल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड के 3 पर्वतीय राज्यों में निधिकरण का स्वरूप- 90:10 (भारत सरकार राज्य सरकार)।
2. केन्द्रशासित प्रदेशों में शतप्रतिशत निधिकरण।
3. देश के अवशेष राज्यों में 60:40 निधिकरण व्यवस्था।

वित्तीय वर्ष 18 में भारत से कुल कृषि निर्यात 38.21 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष में 10-18 से अधिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 16.45% पर बढ़ा। अप्रैल से अक्टूबर 2018 के मध्य कृषि निर्यात 21.61 बिलियन अमरीकी डालर था। भारत मसालों व मसाला उत्पाद का भी सबसे बड़ा उत्पादक,

उपभोक्ता तथा निर्यातक है। 2017-18 में भारत से मसाला निर्यात 3.1 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया। भारत से चाय निर्यात चालू वर्ष 2017 में 36 वर्षों कें सबसे ऊंचे स्तर 240.68 मिलियन किलोग्राम था जबकि कॉफी निर्यात 2017-18 में बढ़ कर रेकार्ड 395,000 टन पर पहुंच गया।

निवेष

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के अनुसार भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अप्रैल 2000 और जून 2018 के मध्य लगभग 8.57 बिलियन अमरीकी डालर की ईक्विटी आमद को संचयी रूप से आकर्षित किया है। कृषि में कुछ प्रमुख निवेश और विकसन निम्नवत हैं:-

- 2019 के प्रारम्भ तक भारत चीन को शर्करा का निर्यात प्रारम्भ कर देगा।
- मार्च 2018 में राजस्थान में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था।
- भारत में कृषि खाद्य लघु उद्योग (एग्री फूड स्टार्ट अप्स) ने 2013-17 के मध्य 558 सौदों में 1.66 बिलियन अमरीकी डालर की निधि संग्रहण प्राप्त की।

सरकार की पहल

इस क्षेत्र में सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए कुछ प्रमुख उपक्रम निम्नवत हैं:-

- भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 2018 में अनुमोदित कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य भारत के कृषि निर्यात को 2022 तक शासन की स्थिर व्यापार नीति के साथ 60 बिलियन अमरीकी डालर तथा आगामी कुछ वर्षों 100 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने का है।
- सितम्बर 2018 में भारत सरकार ने रु. 15,053 करोड़ (2.25 बिलियन अमरीकी डालर) की प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) नाम से सरकारी खरीद नीति की घोषणा की, जिसके अन्तर्गत राज्य क्षति पूरण योजना पर निर्णय ले सकते हैं तथां किसानों के लिये देश मे उचित मूल्य मिलना सुनिश्चित करने के लिये निजी एजेन्यिसियों को सहभागी बना सकते हैं।
- सितम्बर 2018 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए) ने भारत में शर्करा उद्योग के लिये रु. 5,500 करोड़ (820.41 मिलियन अमरीकी डालर) के सहायता पैकेज का अनुमोदन कर दिया।
- डिजिटल प्रौद्योगिकी से सहकारिताएं लाभान्वित होती हैं, सुनिश्चिति करने के लिये, प्राथमिक कृषि समितियों (पीएसीएस) के कम्प्यूट्रीकरण के लिये भारत सरकार रु. 2,000 करोड (306.29 मिलियन अमरीकी डालर). उपलब्ध कराने जा रही है।

अंतरिम केंन्द्रीय बजट 2019-20 ने कृषि क्षेत्र के लिये निम्नाकित कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित किया है :-

2018-19 से सर्वथा अधिक कृषि क्षेत्र के लिये कुल आवंटन में 73% की वृद्धि पायी गई है। (संशोधित अनुमान)

- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिये 2% की ब्याज माफी की घोषणा की गई। समय से ऋण अदायगी करने पर 3% अतिरिक्त का अनुदान दिया जाएगा।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सभी 22 फसलों की लागत से 50% अधिक निर्धारित किया गया।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) से, रु.6,000 वार्षिक की प्रत्यक्ष आय के संबल से लगभग 12 करोड़ लघु एवं सीमान्त कृषक लाभान्वित होंगे; इस कार्य के लिये रु.75,000 करोड़ का आवंटन किया गया हैं।
- ब्याज माफी की धनराशि को दोगुना कर दिया गया है तथा किसानों को फसली ऋण बढ़ा कर रु.11.68 लाख करोड़ कर दिया गया है।

- राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिये आवंटन बढ़ा कर रु.750 करोड़ कर दिया गया है। गाय संसाधन के आनुवांशिक उन्नत करने हेतु राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना की गई है।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत, पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसान ब्याज में 2% का अनुदान प्राप्त करेंगे। समय से ऋण अदायगी करने पर 3% अतिरिक्त का अनुदान दिया जाएगा।
- प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राष्ट्रीय आपदाराहत कोष के अन्तर्गत (एनडीआरएफ) 2% ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। 3% का त्वरित भुगतान प्रोत्साहन सम्पूर्ण ऋण पुनर्निधारण अवधि के लिये दिया जाएगा।
- 1.5 करोड़ मत्स्य पालकों के कल्याण के लिए मत्स्य पालन का पृथक विभाग बनाया जाएगा।

जलवायु परिवर्तन

आंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

- ★ अक्षत ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए।
- ★ प्रथम संधि आधारित आंतर्राष्ट्रीय अंतर -सरकारी संगठन का मुख्यालय भारत में बनाया गया।
- ★ विगत पांच वर्षो में दस बार से अधिक विकसित सौर्य ऊर्जा उत्पादन क्षमता की स्थापना।
- ★ और अब नये युग की लाखों नौकरियों का सृजन।

डिजिटल भारत क्रान्ति

- ☆ नागरिकों की सेवाओं के लिये 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेण्टर (CSC) उपलब्ध।
- ☆ अब भारत मोबाइल डाटा की खपत में विश्व में अग्रणी।
- ☆ मेक इन इण्डिया के अन्तर्गत बृहद रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए मोबाइल तथा उपकरण निर्माता कम्पनियों की संख्या 2 से बढ़कर 268 से अधिक पर पहुंच गई।

बैंकिग सुधार तथा दिवाला एवं दीवालियापन संहिता (आईबीसी)

- ✯ आईबीसी ने संकल्प अनुकूल तंत्र संस्थापित किया है।
- ✯ सरकार ने 4 आर- का दृष्टिकोण- रिकगनिशन, रिज़ोल्यूशन, रि-कैपिटेलाइजेशन, एवं रिफार्म का दृष्टिकोण अपनाया है।
- ✯ 'स्वच्छ बैंकिंग' को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मापदण्ड निर्धारित किये हैं।
- ✯ सरकार पहले ही बैंकों एवं लेनदारों के पक्ष में रु. 3 लाख करोड़ की वसूली कर चुकी है।
- ✯ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण के लिये 2.6 लाख करोड का निवेश किया है।

III. ग्रामीण साख परिदृश्य

पिछले एक दशक कें दौरान योजना लक्ष्य ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्रों में ऋण के वास्तविक के प्रवाह (अर्थात 2005-06 से 2017-18 तथा 2018-19 के लक्ष्य) वृद्धि दर तथा उपलब्धि के प्रतिशत के साथ नीचे तालिका में दिया गया है।

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2005-06	1,41,500 (34.76%)	1,80,486 (44.03%)
2006-07	1,75,000 (23.67%)	2,29,401 (27.10%)
2007-08	2,25,000 (28.57%)	2,50,000 (8.98%)
2008-09	2,80,000 (24.44%)	3,02,908 (20.76%)
2009-10	3,25,000 (16.07%)	3,84,541 (26.94%)
2010-11	3,75,000 (15.38%)	4,68,291 (21.79%)
2011-12	4,75,000 (26.66%)	5,11,029 (9.13%)
2012-13	5,75,000 (21.05%)	6,07,375 (18.85%)
2013-14	7,00,000 (21.74%)	7,30,765 (20.31%)
2014-15	8,00,000(14.28%)	8,45,328 (15.68%)
2015-16	8,50,000 (6.25%)	9,15,509 (8.30%)
2016-17	9,00,000 (5.88%)	10,65,755 (16.41%)*
2017-18	10,00,000 (11.11%)	11,62,617 (9.09%)
2018-19	12,00,000 (10%)	12,547,62 (7.92%)

टिप्पणी- कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े, गत वर्ष की तुलना में हुये प्रतिशत परिवर्तन इंगित करते है।
स्त्रोत: भारत सरकार का बजट डाक्यूमेण्ट एण्ड इकॉनामिक सर्वे (2005-06 से 2016-17 तक) तथा नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट।

कृषि साख तक पहुंच नियमानुसार कृषि भूमि के स्वामित्व से जुड़ी है। परिणामस्वरूप लघु एवं सीमान्त कृषक जो कुल कृषि भूमि के आधे से अधिक भूमि पर कार्य करते हैं, नियमानुसार कृषि जोत का स्वामित्व न रखने के कारण संस्थागत ऋणं को पाने में असमर्थ हैं। किसानों को अल्पकाल के लिए जैसे कि निवेश वस्तुओं के क्रय, निराई, कटाई, छटाई तथा ढुलाई के लिए अथवा दीर्घ काल के लिये-जैसे कि कृषि यंत्रीकरण तथा संयंत्र में निवेश, अथवा सिंचाई, छटाई तथा ढुलाई के लिए ऋण की आवश्यकता हो सकती है। भारतीय कृषि मान्सून पर बहुत अधिक निर्भर है-60% क्षेत्र वर्षा सिंचित है- तीन 'म'-मानसून, मुद्रा और मार्केट निर्णायक हैं। लघु एवं सीमान्त कृषकों को लगभग 50% - इसमें सामान्य एवं असामान्य दोनों ही वित्त सम्मिलित है, वित्त पाते हैं-(जिसमें 30% औपचारिक और 20% अनौपचारिक)। वित्त का अनौपचारिक स्त्रोत का ऋण आमतौर पर ऊंची ब्याज दर पर दिया जाता हैं तथा उसका समुचित अभिलेखीकरण नहीं किया जाता।

कृषि साख के अन्य प्रमुख स्त्रोतों में दुकानदारं, सगे-सम्बन्धीं और मित्र तथा सहकारी समितियां सम्मिलित हैं। कृषि जोत के आकार के संदर्भ में लगभग 12.5 करोड़ कृषि जोतों में से 85% लघु एवं सीमान्त कृषक भूमि की श्रेणी में आती हैं।

- कृषक परिवारों के व्यय कृषक परिवारों की आय की अपेक्षा कम होने के कारण अधिकांश सीमान्त एवं लघु कृषक-निरन्तर आर्थिक हानि/कुपोषण/बीमारी/ मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं।
- अधिकांश कृषक दूसरे व्यवसाय में जाने के लिये लालयित हैं लेकिन दूसरी जगह अवसरों की कमी के कारण उन्हें खेती में रहना पड़ रहा है।

पिछले कुछ दशकों में, देश में अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋणों की प्रवृत्ति विपरीत हो गई है। 1990-91 और उसके बाद के वर्षो में दीर्घकालीन ऋणों का अंश निरन्तर घट रहा है, इसका तात्पर्य है कि किसान दीर्घ कालीन निवेशों के लिये ऋण के स्थान पर आवर्ती व्ययों के लिए ऋण ले रहे हैं। यद्यपि भारत सरकार के दबाव के कारण उत्पादन ऋणों मे साल दर साल वृद्धि हो रही है, फिर भी इससे कृषि-पूँजी निर्माण में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है। उत्पादन ऋण से केवल आमलोगों की खाद्य सुरक्षा ही सुनिश्चित हुई हैं। केवल दीर्घकालीन ऋण निवेश का प्रवाह से ही कृषि में पूँजी निर्माण सुनिश्चित है।

ऐसा अनुमान है कि कुल कृषि ऋण का 75% वाणिज्यिक बैंकों द्वारा तथा शेष 15% और 10% का योगदान क्रमश: सहकारिताओं एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जा रहा है। यद्यपि ऋण के लिये प्रतिवेदित वृद्धि क्षेत्र में शायद ही परिलक्षित हुई है। भारत के लगभग 1540 मिलियन कृषक परिवार औपचारिक ऋण व्यवस्था से बहिष्कृत हैं। साधारण किसान अभी भी बैंकिग प्रणाली से ऋण पाने में कठिनाई अनुभव करता है। कृषि ऋण के आंकड़ों में वाणिज्यिक बैंकों के वर्चस्व के बावजूद 60% ऋण लेने वाले किसानों का ऋण का स्त्रोत अभी भी सहकारी बैंक ही हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपने ऋण खातों में अपने योगदान से कुल कृषि ऋण का 10% तथा लगभग कुल ऋण लाभार्थियों का 20% की उल्लेखनीय वृद्धि की है। वास्तविकता यह है कि 80% कृषक परिवारों का कृषि ऋण सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों दोनों से एक साथ आच्छादित किए जाने के उपरान्त मात्र 20% किसानों का कृषि ऋण वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया जा पाना सम्भव है। वास्तविक तौर पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को दिये जाने वाले प्रत्यक्ष ऋण प्रतिवेदित ऋणों से काफी कम होने चाहिए। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा की जा रही कृषि ऋण की अति-गणना से ग्रामीण ऋण व्यवस्था में सरकारी नीतियां दूषित हुई हैं और सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों में इस क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाने में सहकारिताओं के योगदान को काफी मात्रा में कम किया है।

कृषि उपज (औसत प्रति हैक्टेयर की दृष्टि से), अधिकांश फसलों के मामलों मे, चीन, ब्राज़ील, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे शीर्ष उत्पादक देशों की तुलना में, काफी कम हैं। कृषि जोतों के घटते आकार, अपर्याप्त सिंचाई के साधनों के कारण निरन्तर मान्सून पर निर्भरता, देश के विभिन्न भागों में मिट्टी के पोषक तत्वों के असन्तुलित उपयोग के कारण कृषि भूमि की उत्पादन क्षमता में आई कमी, देश के विभिन्न भागों में आधुनिक तकनीक की असंगत उपलब्धता औपचारिक कृषि ऋण की उपलब्धता के अभाव, सरकारी एजेन्सियों द्वारा अनाज की सीमित सरकारी खरीद तथा किसानों को लाभकारी मूल्य दिला पाने में असफलता, कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों में सम्मिलित हैं।

विभक्त कृषि जोतों की बड़ी संख्या तथा कृषि श्रम शक्ति का रोजगार के अवसरों की तलाश में शहर की ओर पलायन तथा व्यवसाय के रूप में कृषि का अलाभकारी होना, संस्थागत वित्त के दीर्घ कालीन निवेश के सुगम प्रवाह के मार्ग में बहुत बडी बाधा रहा। इसने कृषि में पूँजी विनिर्माण में घटती प्रवृत्ति में योगदान किया।

कृषि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों की लाभप्रदता से कृषि में निजी निवेश पर प्रभाव पड़ता है तथा विभिन्न फसलों की सापेक्षिक लाभप्रदता भूमि तथा अन्य संसाधनों के अन्तर फसल प्रावधान को निर्धारित करती हैं। कृषि में सुस्ती का प्रमुख कारण निजी निवेश तथा कृषि में उत्पादक सामग्री के उपयोग में आई कमी थी, जिससे अधिकांश फसलों की लाभप्रदता में हुई गिरावट से जुड़ी है। सार्वजनिक निवेश और निजी निवेश के साथ उत्पादक सामग्री के उपयोग के मध्य सम्पूरकता से कृषि क्षेत्र में गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया। बढ़ते विखण्डन के साथ अधिकांश राज्यों में सीमान्तीकृत होती कृषि जोतें मिलकर उत्पादकता में वृद्धि तथा कृषि विकास में तेजी के लिये एक चुनौती हैं। लघु कृषकों की संवहनीयता और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करना तथा उनकी उत्पादन एवं विपणन में प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाना बेहतर तकनीक, आदानों, ऋण तथा विपणन की बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराया जाना उच्च एवं समावेशी कृषि विकास के लिये महत्वपूर्ण है।

कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र के रोजगारों के मध्य बढ़ते भेदभाव से व्यवधान उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों को रोकने के लिये अकृषि क्षेत्र में लाभकारी व्यवसायों के सृजन के द्वारा कार्य-शक्ति के एक बड़े भाग को कृषि से स्थानान्तरित किये जाने की भी आवश्यकता है।

भूमि सुधार, ग्रामीण साख में बढ़ोत्तरी तथा अधिक सार्वजनिक निवेश जैसे नीतिगत उपाय कम विकसित क्षेत्रों में किये जाना महत्वपूर्ण है।

कृषि ऋण में दूसरा प्रमुख मुद्दा 90 के दशक से कुल ऋण प्रवाह में निवेश ऋण के अनुपात में आई भारी कमी हैं। इसने कृषि में पूँजी निर्माण की गति को बड़ी मात्रा में धीमा कर दिया है।सार्वजनिक निवेश का हिस्सा मात्र 25% होने के कारण, इस क्षेत्र में बहुत बड़े भाग का निवेश अधिकांशत: बैंक द्वारा दिये गये ऋण के माध्यम से निजी उपक्रम से किया जाता है। कृषि में सकल पूँजी निर्माण की औसत दर अंतिम पांच वर्षो में 15 आई जो मुद्रास्फीति से समायोजन किये जाने के उपरान्त गिरकर उसके आधे स्तर पर पहुंच जाती है। सही अर्थो में कृषि में पूँजी निर्माण जीर्ण हुई परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन आवश्यकताओं को भी पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाती है, जिससे शुद्ध पूँजी निर्माण नकारात्मक रहता है। नकारात्मक शुद्ध पूँजी निर्माण को रोकने के लिये सकल पूँजी निर्माण को अतिरिक्त 10% बढ़ाया जाना चाहिए।

50 आबादी जो जीवनयापन के लिये अभी भी कृषि पर निर्भर है, के साथ यह क्षेत्र अर्थ व्यवस्था पर इसके गुणक प्रभाव के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता रहा है।

कृषि क्षेत्र की सबसे प्रमुख आवश्यकता किसानों को दीर्घ कालीन निवेश सृजित करने के लिये प्रोत्साहित करने की है। न केवल बढ़े हुये ऋण प्रवाह और आधारभूत ढांचागत निवेश के माध्यम से वरन कृषि बाजार और कृषि प्रसंस्करण में निवेश में वृद्धि के द्वारा भी जनता के सहयोग की अनिवार्य रूप से आवश्यकता हैं।

पूरे देश/क्षेत्र में कृषि-जलवायु स्थिति तथा कृषि विकास के स्तर तथा उनके द्वारा की जा रही फसल और सम्बद्ध क्रियाकलापों के अनुसार निवेश की आवश्यकताओं में अंतर हो सकता है।

राजस्व अवरोधों की सम्भावना पर ध्यान रखते हुए, कृषि में निवेश नीति उच्च भुगतान के साथ संसाधनों के कुशल एवं न्यायसंगत उपयोग से मार्गदर्शित होनी चाहिए।

- आपूर्ति अनुक्रिया में तेजी लाये जाने तथा आपूर्ति श्रृंखला में भारी बरबादी रोकने की भी आवश्यकता है।
- इसे प्राप्त करने के लिये आपूर्ति श्रृंखला में बड़े निवेश, अनुसंधान एवं विकास, प्रचालन-तंत्र प्रसंस्करण तथा संगठित खुदरा व्यापार की आवश्यकता है।
- निजी क्षेत्र के निवेश को एक ओर, खुले तथा बहु-लाभप्रद निवेशक नीतियों के माध्यम से तथा दूसरी ओर एफपीओ (सार्वजनिक शेयर निर्गमन) जिससे दोनों एक दूसरे को कृषि में बड़े निवेश के लिये मजबूती प्रदान कर सकें- के द्वारा-लाभान्वित किया जा सकता है।
- दुग्ध विकास, मुर्गी पालन, बागवानी, मत्स्य पालन, भण्डारण तथा विपणन, संविदा खेती आदि में अधिक निवेश ऋण प्रवाह को सुनिश्चित किया जाना, जो किसानों को रोजगार के अवसर और अतिरिक्त आय के स्त्रोत सृजित करें।

ऋण व्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में एक सक्षम और आवश्यक निवेश के रूप में कार्य करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि संस्थागत स्त्रोंतो, यथा- वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा सहकारिताएं उर्वरकों, बीज, तथा अन्य आदानों के लिये सुगम्य एवं व्यवहार्यता प्रदान कराती हैं तथा पूँजी निर्माण के साथ अत्यधिक सहसम्बन्धित भी हैं। मांग पक्ष से देखने पर ज्ञात होता है कि भारत में लगभग 86 कृषि निवेश संस्थागत और गैर संस्थागत स्त्रोंतों के उधारित धन से किया जाता है। मौजूदा संस्थागत वित्त तंत्र कुल उत्पादन ऋण आवश्यकता का 65% पूरा करता है और शेष भाग निवेश ऋण से पूरा होता है। सभी बैंकों द्वारा प्रदान कराये जाने वाले अल्पकालीन ऋण केवल फसल के उत्पादन के लिये होते हैं तथा उनकी कृषि निवेश में बहुत ही कम मात्रा होती है। चूंकि संस्थागत साख एजेन्सियों के माध्यम से लिये गये उधार ऋण से किये गये निवेश से किसानों को अपने निवेश का पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है इससे कृषि में पूंजी निर्माण प्रभावित हुआ है, जिसमें विगत वर्षो में साथ काफी हद तक वृद्धि हो जानी चाहिए थी।

वर्तमान प्राक्कलन से पता चलता है कि दीर्घकालीन साख न केवल

नीचे गिरा है वरना यह कुल कृषि ऋण का एक चौथाई से भी कम है। इसलिये नीतिगत जोर पर्याप्त बजटरी समर्थन के साथ बैंकों को प्रोत्साहित करने पर दिया जाना चाहिये। इसी तरह, सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को इस क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) पर गुणात्मक प्रभाव के कारण पुर्नजीवित किया जाना आवश्यक है।

भारत में कृषि विकास के लिये निवेश आवश्यकताओं का प्राक्कलन राज्य स्तर पर न कर केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही किया गया। योजना आयोग ने अनुमान किया है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में 3.5 से 4.2 की वृद्धि दर के लक्ष्य को पाने के लिये 20.41% निवेश दर की आवश्यकता है। यह निवेश दर 5.32% की वृद्धिशील पूँजी अनुपात (आईसीओआर) पर आधारित है, इसे सार्वजनिक और निजी (कृषक परिवारों) क्षेत्र से पूरा किया जाना है। 2007-08 से 2011-12 तथा 2012-13 से 2013-14 के वृद्धिशील पूँजी अनुपात (आईसीओआर) के औसत पर आधारित तथा 9.23% वास्तविक कृषि आय में वार्षिक वृद्धि पर लक्ष्यित पर निजी खातों में निवेश के लिये अपेक्षित दर 6.62% है। (कृषि क्षेत्र के लिये) सार्वजनिक निवेश के परिप्रेक्ष्य में निवेश लक्ष्यित दर 6.92% प्रति वर्ष आंकलित की गई है। निरपेक्ष दृष्टि से, ऊंची कृषि आय सृजन के द्धारा किसानों की वास्तविक आमदनी को दुगना करने के लिये भारत में निजी निवेश 2004-05 के मूल्य पर 2015-16 में 296 बिलियन (29,559 करोड़.) से 2022-23 में बढ़ते हुये 463 बिलियन (46,299 करोड़) पहुंच जाना चाहिए।

पूर्व अवधि के लिये किये गये अध्ययनों में भी 2.2% से 4% के मध्य परिवर्तित होते कृषि में ऊंचे वृद्धिशील पूँजी अनुपात (आईसीओआर) के बारे में भी बताया है जो यह इंगित करता है कि प्रतिवर्ष उत्पादन में एक रुपये की वृद्धि के लिये रु.2.2 से रु.4 तक एकबार निवेश की आवश्यकता है। पूँजी की आवश्यकता भी लगभग दोगनुी हो जायेगी यदि आधारभूत संरचना तथा समर्थित निवेशों में सार्वजनिक निवेश को ध्यान में रखा जाता है। विभक्त जोतों की बढ़ी हुई संख्या के साथ ये असम्भव ही है कि सीमान्त कृषक निवेश ऋण लेना चाहेंगे जबकि ऐसे निवेश में पर्याप्त लाभ सुनिश्चिति नहीं है। इस प्रकार निवेश ऋण पर जोखिम और लाभ का अनुपात काफी अधिक होने के कारण, जहां लाभ की सम्भावना दूर तक न हो ऐसी स्थिति में लघु एवं सीमान्त कृषकों को ऊंची ब्याजदर पर ऋण लेने में हिचकिचाहट होगी। जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है जब तक कि निवेश जोखिम प्रतिफल अनुपात सकारात्मक नहीं होता, किसान अतिरिक्त निवेश के लिये संस्थागत एजेन्सियों से ऋण ले कर कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहेगा।

संस्थागत ऋण वितरण तंत्र के पास दीर्घकालिक संसाधन नहीं है। नाबार्ड की पुर्नवित्त सुविधा केवल बैंकों को तरलता समर्थन के माध्यम से ही है। सामान्य तौर पर वाणिज्यिक बैंक अपने निवेश ऋण के समर्थन में पुर्नभुगतान अवधि को पूरी तरह से दबा देते हैं जिसके कारण वह किसानों को बिना किसी आय के ऋण अदायगी के लिये बाध्य करते हैं। तथापि उन्हें अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिये अनौपचारिक स्त्रोतों से सम्पर्क करने के लिये बाध्य होना पड़ता है जिनकी ब्याज दरें बहुत अधिक होती हैं। सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास निवेश ऋण में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिये पर्याप्त दीर्घकालीन संसाधन नहीं हैं। कभी नाबार्ड के सहयोग से और कभी नाबार्ड के पुर्नवित्त के सहयोग के बिना, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबीएस) अपने सदस्यों की निवेश ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक मात्र स्त्रोत है। यदि कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबीएस) के द्धारा निवेश ऋण के मात्रा में वृद्धि की जानी है तो उन्हें नाबार्ड से अथवा अन्य किसी उच्च वित्तीय एजेन्सी द्धारा उदारीकृत वित्त पोषण किया जाना चाहिये क्योंकि कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबीएस) नीति निर्धारकों द्धारा दीर्घकालीन निवेश ऋण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य के लिये सृजित एक मात्र स्त्रोत है। अत: यह नाबार्ड से पुर्नवित्त नीति के पुनरावलोकन के लिये अपील करता है, कि इसे कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबीएस) के साथ विना किसी प्रतिप्रबन्धित नीतियों का अपनाने के उलझाव के, उदारता के साथ समर्थन की सक्रिय भूमिका निर्वहन करनी चाहिये। वास्तव में, नाबार्ड अपने स्थापना काल से ही कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबीएस) से अपने पुर्नवित्त की अदायगी कराता आ रहा है जब कि वे ऋणी सदस्यों से अपना ऋण वसूल कर पाने की स्थिति में भी नहीं होते हैं। नाबार्ड की इस नीति का पुनरावलोकन किये जाने की आवश्यकता है तथा इसे कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबीएस) के द्धारा अपनी पुर्नवित्त किस्तों के बाद में अंतिम पुर्नभुगतान नीति को अपनाना चाहिये। इस प्रकार के दृष्टिकोण से कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबीएस) को अनेक सामाजिक और राजनैतिक कारणों से उत्पन्न प्रतिकूल वसूली वातावरण का सामना करने के लिये पर्याप्त अनुग्रह मिल सकेगा तथा नाबार्ड भी

जोखिम उठाने में सहभागी हो सकेगा।

यदि देश कृषि उपज के निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है, इसे बड़े पैमाने पर उपज उपरान्त प्रौद्योगिकी क्रियाकलापों को आरम्भ करने के लिये, कृषि मे परिसम्पत्तियों के सृजन तथा पूंजी निर्माण के लिये (सार्वजनिक और निजी दोनों ही में) भारी निवेश करने की आवश्यकता है। एआरडीबीज़ अपने साख संविभाग के विस्तार में, उन किसानों के लिये जो ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को करना चाहते हैं, निवेश ऋण को उदारतापूर्वक प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सकते हैं। एआरडीबीएस को इस दिशा में सार्थक भूमिका निर्वहन के योग्य बनाने के लिये, नाबार्ड को एआरडीबीएस के प्रति उदार पुर्नवित्त अवलम्ब दिये जाने की आवश्यकता है जिससे एआरडीबीएस ग्रामीण विकास में सक्रिय भागीदार बने रह सकें। सर्व प्रथम, सरकार दीर्घकालीन साख संरचना की सशक्त भूमिका की उपेक्षा करती आ रही है, जो किसानों के लिए निवेश ऋण का एकमात्र विशेषीकृत अभिकरण है। दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना की पुर्नरोत्थान में अत्यधिक विलम्ब किया गया है जिससे किसानों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने की इसकी सामर्थ्य प्रभावित हुई है। भारत सरकार को दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के लिए वैद्यनाथन टास्क फोर्स-।। द्वारा संस्तुत पुनरुद्धार पैकेज को बिना किसी देरी के कार्यान्वित कर देना चाहिए।

किसानों द्वारा दी जा रही निवेश ऋण पर ऊंची ब्याज दर दुसरा प्रमुख मुद्दा है जिस पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने फसली ऋण की ब्याज दर को वहननीय दर पर बनाये रखने हेतु कदम उठाये हैं। फसली ऋण पर अधिकतम 3% ब्याज में अनुदान के बाद फसली ऋण पर अधिकतम ब्याज 4% वार्षिक है। राज्य सरकारों द्वारा इसके अतिरिक्त अनुदान दिये जाने के बाद कुछ राज्यों में फसली ऋण अब शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध है। फिर भी इन उपायों में से कोई भी उपाय कृषि साख की लागत को कम करने हेतु कृषि निवेश के लिये दिये जा रहे ऋणों के लिये लागू नहीं किए गये हैं। नाबार्ड का निवेश ऋण हेतु बैंकों को पुर्नवित्त सहयोग लगभग 8.50% वार्षिक पर है जो आधारभूत ऋण लाभार्थी स्तर तक पहुचने की लागत सहित 12-14% वार्षिक की सीमा पर पहुँच जाता है। फसली ऋण और निवेष ऋण में भारी अंतर कृषि निवेश के लिये प्रमुख निरुत्साहक हो गया है।

वाणिज्यिक बैंकों के कृषि ऋणों से हानि से बाहर निकालने के लिए वर्ष 2014-15 से बढाकर 2015-16 में रु.15,000 करोड़ किया गया है, के आवंटन के साथ सरकार ने नाबार्ड के पास एक दीर्घकालीन साख कोश की स्थापना की है। नाबार्ड इस निधि का उपयोग अधिकतम 5 वर्ष के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर निवेश ऋण पुर्नवित्त देने के लिए कर रहा है। यद्यपि एससीएआरडी बैंकों को उनके अधिकांश ऋण 5 वर्ष से अधिक होने के कारण एलटीआरसीएफ का एक छोटा हिस्सा ही मिला।

विशेष रूप से वर्षा पोषित स्थितियों के अन्तर्गत, जिसमें कुल कृषि क्षेत्र का 63% आता है, कृषि वित्त पोषणं बहुत जोखिमपूर्ण है। वर्तमान में कृषि वित्त पोषण में पूरी जोखिम वित्त पोषित करने वाली संस्थाओं द्वारा वहन की जाती है परिणाम स्वरूप उनकी गैर निष्पादित अस्तियों (एनपीए) का स्तर बहुत अधिक होता है। एआरडी बैंकों सहित सहकारी साख संरचना की अधिकांष संस्थाओं के लिए जो मुख्य रूप से सीमान्त एवं लघु कृषकों का पोषण करती हैं, उनकी गैर निष्पादित अस्तियां (एनपीए) बहुत ही असंतोषजनक है।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा ऋण माफी योजनाओं का क्रियान्वयन ने ऋण वसूली के वातावरण को दूषित किये हुए हैं। कृषि बीमा हेतु सरकार का किसानों को सहयोग फसलों के अतिरिक्त कृषि सम्पत्ति का बीमा करने के लिये बीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार को ऐसी कार्यवाहियों से बचना चाहिए जिससे वसूली का वातावरण दूषित होता है और एआरडीबैकों की वसूली प्रक्रिया में हस्तक्षेप से रोकना चाहिये।

संस्थागत ऋण का अधिकांश भाग भारत के दक्षिण और उत्तर पश्चिम क्षेत्र के कुछ विकसित राज्यों को जाता है। परिणामस्वरूप पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों जिनमें कृषि विकास की बहुत क्षमतायें हैं, पर्याप्त ऋण नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। अनेक क्षेत्रों के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र के ग्रामीण समुदाय के मध्य साख व्यवस्था के विषम वितरण पर ध्यान देना ग्रामीण वित्त पोषण व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है।

IV. दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना –विहंगावलोकन

भारत में ग्रामीण सहकारी साख प्रणाली दो अलग अलग धाराओं में विकसित हुई–अल्प कालिक एवं दीर्घ कालिक । दीर्घ कालिक साख संरचना का आरम्भ 1920 के प्रारम्भिक काल में किसानों को उनके पुराने ऋणों से मुक्त कराने हेतु दीर्घ कालीन ऋण प्रदान कराने हेतु भूमि बंधक बैंक की स्थापना के साथ हुआ। पहला भूमि बंधक बैंक 1920 में पंजाब में स्थापित हुआ इसके बाद बड़ी संख्या में इस प्रकार के बैंक दूसरे प्रान्तों में स्थापित किये गये। मद्रास में ऋण पत्र निर्गमन को केन्दीकृत करने तथा प्राथमिक भूमि बंधक बैंकों से समन्वय स्थापित करने के लिये पहला केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक स्थापित किया गया। बम्बई बैंकिग जांच समिति 1930 (बाम्बे बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी 1930) ने प्राथमिक ऋण समितियों के पास दीर्घ कालीन ऋण उपलब्ध कराने के संसाधनों की कमी का उल्लेख करते हुये दीर्घ कालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि बंधक बैंक की संरचना का सुझाव दिया। 1930 से 40 के दशक में पूरे देश में भूमि बंधक बैंको की तीव्र वृद्धि हुई जिनके कार्य व आकार की कोई समान संरचना नहीं थी। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने राज्यस्तरीय शीर्ष निकाय के साथ भूमि बंधक बैंको के पुर्नगठन तथा तालुका स्तर के प्राथमिक भूमि बंधक बैंको को इससे सम्बद्ध किये जाने का सुझाव दिया। समिति ने भूमि बंधक बैंको की कृषि के लिये निवेश साख में क्रिया कलापों को विविधीकृत करते हुये विकासात्मक भूमिका के लिये भी निर्दिष्ट किया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लगभग सभी राज्यों में स्थापित किये जा चुके थे जिन्हें भूमि विकास बैंक के नाम से जाना गया तथा 80 के दशक के आगे ग्रामीण अकृषि क्षेत्र में विविधीकरण कर इन्हें ही पुन: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक का नाम दिया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय कृषि के विकास में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबीज़) का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। एआरडी बैंकों ने 60 एवं 70 के दशक में कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि कर विशेष रूप से लघु सिंचाई संसाधनों एवं कृषि यंत्रीकरण की सुविधायें प्रदान कर एक सराहनीय योगदान दिया। 80 तथा 90 के दशक में कृषि कार्य में पूँजी निर्माण के साथ ग्रामीण अकृषि क्षेत्र की योजनाओं में बड़ी मात्रा में वित्त पोषण का कार्य इन बैंकों द्वारा आरम्भ किये जाने से ग्रामीण परिवारों को, अतिरिक्त रोजगार के अवसरों दिये जाने के अलावा अपनी उपज के बेहतर मूल्य वृद्धि के माध्यम से अपनी आय वृद्धि का सुदृढ़ आधार मिला।

यहां इस बात का उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि 1980–1990 तक केवल एआरडी बैंक ही प्रभावीरूप से एकमात्र बैंक थे जो कृषि के लिए निवेश ऋण उपलब्ध कराने में प्रवृत्त थे। वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका कार्पोरेट क्षेत्र में वृक्षारोपण, व्यावसायिक मुर्गी पालन तथा डेयरी इकाइयों को मुख्यरूप से वित्तपोषण तक ही सीमित थी।

दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना में या तो निचले स्तर पर अपनी शाखाओं अथवा राज्य स्तरीय शीर्ष संस्था से सम्बद्ध प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों से संचालित 16 राज्यों के एससीएआरडी बैंक सम्मिलित हैं। एक समन्वित संरचना बनाने हेतु 1995 में आंध्र प्रदेश एससीएआरडी बैंक का विलय आंध्रप्रदेश राज्य सहकारी बैंक से कर दिया गया। अक्टूबर 2014 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का भी विलय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के साथ कर दिया गया। 1960 के बाद बने राज्यों में अधिकतर राज्यों में दीर्घ कालीन साख के लिए पृथक संरचना के अभाव में, राज्य सहकारी बैंक ही कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवेश साख से सम्बन्धित क्रिया कलापों का भी संचालन करते हैं।

वर्तमान में (दीर्घकालीन सहकारी साख) संरचना में 16 एससीएआरडी बैंक्स हैं जिनमें से मात्र 13 बैंक्स 1,751 पीसीएआरडी बैंकों/निचले स्तर पर एससीएआरडी बैंको की शाखाओं के नेटवर्क के साथ पूर्णरूप से क्रियाशील हैं। इन बैंकों की कुल सदस्य संख्या 1,07,49,291 ग्रामीण परिवार है जिनमें से 62,40,508 परिवारों पर ऋणों का बकाया है। 31.03.2019 को इन बैंकों का कुल बकाया

ऋण और उधार बकाया क्रमश: रु.20,679.26 करोड़ तथा रु.15,059.18 करोड़ था। 31.03.2018 को रु.2,157.38 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2019 को इन पूर्ण क्रियाशील एससीएआरडी बैंक्स का कुल जमा रु.2,133.38 करोड़ था जब कि गतवर्ष वितरित रु.4421.46 करोड़ के सापेक्ष इनके द्वारा 31.03.2019 तक वितरित कुल ऋण रु. 4230.62 करोड था। इन बैंकों की कुल वसूली गत वर्ष 37.89 प्रतिशत की तुलना में (जून 2018 तक) 43.31 प्रतिशत रही।

31 मार्च, 2019 तक दार्घकालीन साख संरचना की संवृद्धि (लाखों में)

क्रम संख्या	विवरण	वर्ष के दौरान संख्या	
		2017-18	**2018-19**
1.	**एससीएआरडी बैंकों की संख्या**		
	पूर्ण क्रियाशील	13	13
	अन्य	3	3
2.	**शाखाओं का नेटवर्क**		
	एससीएआरडी बैंकों की शाखाएं	686	686
	पीसीएआरडी बैंक्स और उसकी शाखाएं	1,065	1,065
	योग	1,751	1,751
3.	**व्यक्तियों की सदस्यता**		
	ऋणी सदस्य	59,65,000	62,40,508
	गैर ऋणी सदस्य	47,72,728	45,08,783
	योग	**1,07,37,728**	**1,07,49,291**
4.	बकाया ऋण	20,67,586.36	20,67,925.88
5.	वितरित ऋण	4,42,146.36	4,23,061.99
6.	उधारी बकाया	15,16,917.01	15,05,917.61
7.	बकाया जमा	2,15,738.01	2,13,338.07
8.	**ऋण वसूली की स्थिति**		
	दिनांक तक	**30 जून 2017**	**30 जून 2018**
	मांग	12,53,600.36	14,11,461.03
	वसूली	4,75,020.35	6,11,252.50
	वसूली %	37.89	43.31
9.	**लाभ की धनराशि (31 मार्च को)**	7452.10	12404.39
	लाभ में (संख्या)	10	9
10.	हानि की धनराशि	8272.86	8845.30
	हानि में (संख्या)	3	4
11.	**कर्मचारियों की स्थिति**		
	एससीएआरडीबी स्तर पर	4985	4897
	पीसीएआरडीबी स्तर पर	4788	4669
	योग	**9773**	**9566**

दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना (एलटीसीसीएस) में मुद्दे एवं चुनौतियां

एलटीसीसीएस को एक गैर स्त्रोत आधारित विशिष्ट अवधि के ऋण प्रदान करने वाली संस्था के रूप में आकल्पित किया गया। संरचना में राज्य स्तरीय एवं प्राथमिक स्तरीय कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक सम्मिलित हैं। इन संस्थाओं को बैंकिंग नियामक अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली बैंकों के रूप में कार्य करने का लाइसेन्स नहीं दिया गया है। फलस्वरूप इन्हें अन्य ग्रामीण वित्तीय संस्थानों (आरएफआई) की तरह आम लोगों से जमा लेने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। परिणामस्वरूप इन्हें ऋण वितरण के लिये भारी मात्रा में उधारीकृत निधियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। स्वतंत्रता से पूर्व अपने कार्यो के संचालन हेतु सरकार का कोष इनके वित्त पोषण का प्रमुख स्त्रोत था। भूमि विकास बैंकों के कार्यो के दीर्घ कालीन संसाधन जुटाने हेतु वर्ष 1961 में कृषि पुर्नवित्त निगम(एआरसी) की स्थापना की गई। वर्ष 1963 में कृषि पुर्नवित्त निगम (एआरसी) को एआरडीसी के रूप में नाम दिया गया। वर्ष 1982 में नाबार्ड की स्थापना होने तक भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि पुर्नवित्त विकास निगम (एआरडीसी) तथा कृषि ऋण विभाग(एसीडी) दोनों दीर्घ कालीन साख संरचना (एलटीसीसीएस) के कार्यो के लिये कोष की व्यवस्था करते थे। जुलाई 1982 में कृषि पुर्नवित्त विकास निगम (एआरडीसी) तथा कृषि ऋण विभाग(एसीडी) दोनों को मिलाकर नाबार्ड बनाया गया। तब से इस संरचना के ऋण वितरण कार्य संचालन हेतु नाबार्ड ही कोषों का प्रमुख स्त्रोत है। तथापि, वर्ष 2000 के प्रारम्भ से नाबार्ड द्वारा दिया जा रहा पुर्नवित्त सहयोग शनै शनै घटता जा रहा है। इससे एससीएआरडी बैंकों का ऋण संचालन गम्भीर रूप से प्रतिबन्धित हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों के एससीएआरडी बैंक जो शासकीय गारण्टी न मिल पाने अथवा आरम्भ किये गये जोखिम मूल्यांकन मानदण्डों पर आधारित पुर्नवित्त के लिए पात्रता की शर्तो को पूरा कर पाने में असफल रहने के कारण नाबार्ड से पुर्नवित्त प्राप्त नहीं कर सके, उन्हें संसाधनों के अभाव में ऋण वितरण कार्यो को स्थगित करना पड़ा था। जोखिम मूल्यांकन मानदण्डों पर आधारित जोखिम लागत निर्धारित किये जाने के बाद भी पश्चिम बंगाल को छोड़ कर अधिकांश कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबीएस) को 0.25 (गुजरात) से 2 तक की सीमा तक गारण्टी शुल्क वहन करना पड़ा था। इस प्रकार प्रभावशाली ढंग से, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबीएस) को उपलब्ध मार्जिन हर साल कम होता जा रहा है और उनकी लाभप्रदता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। संसाधनहीन संस्था जो दीर्घकालीन निवेश ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के विशेष उद्देश्य से बनाई गई थी, के साथ नाबार्ड जैसे उच्च वित्तीय अभिकरण द्वारा एआरडीबैंकों के साथ थोड़ा अलग ढंग से व्यवहार किया जाने की आवश्यकता है, न कि ग्रामीण वित्त पोषण करने वाली अन्य संस्थाओं, जो कि साधन सम्पन्न है, की तरह व्यवहार करने हेतु बाध्य करना। यहां यह स्पष्ट करना गलत नहीं होगा कि अन्य सहकारी साख संस्थाओं को पुर्नवित्त सहायता प्रदान कराते समय नाबार्ड शासकीय डिफॉल्ट गारण्टी पर ज़ोर नहीं देता है। चूंकि नाबार्ड अपने दिये जा रहे पुर्नवित्त की सुरक्षा के आधार पर शासकीय डिफाल्ट गारण्टी के लिये, विवश करता है, सम्बन्धित राज्य सरकार को गारण्टी शुल्क का भुगतान तथा जोखिम लागत का भुगतान कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को दिये जा रहे पुर्नवित्त की लागत जुडता है जिसे समाप्त किये जाने की आवश्यकता है। सराहनीय है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक(एआरडीबीएस) इन अतिरिक्त प्रभारों को अपने मौलिक ऋण प्राप्तकर्त्ता को हस्तांतरित नहीं कर सकता जबकि उसी क्षेत्र में दूसरी अन्य ग्रामीण वित्त पोषण करने वाली संस्थायें अपेक्षाकृत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में गारण्टी मिलने में अत्यधिक विलम्ब होता है जिसके परिणामस्वरूप उन संस्थाओं को पूर्ण पुर्नवित्त की सुविधा नहीं मिल पाती है। इस संदर्भ में नाबार्ड एससीएआरडी बैंकों को उनकी भार रहित गुणवत्ता वाली सम्पत्ति और बिना सरकारी गारण्टी वाले अन्य गुणात्मक मानदण्ड अथवा इसी प्रकार के मापदण्डों के आधार पर एससीएआरडी बैंकों को पुनर्वित्त दिये जाने हेतु एक नया पुनर्वित्त उत्पाद प्रारम्भ करने के लिये निवेश ऋण में एआरडीबैंकों के शेयर बढ़ाने के लिये, नाबार्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री वाई सी नन्दा की अध्यक्षता में गठित कार्यदल की सिफारिश को क्रियान्वित करने पर विचार कर सकता है।

दीर्घकालीन ऋणी सदस्यों की अल्पकालीन उत्पादन ऋण/कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्षम रहना, एआरडी बैंकों की कार्यपद्धति एक अन्य दूसरी प्रमुख कमी रही है। अधिनियम में

प्रतिबन्ध होने के कारण एससीएआरडी बैंक, सामान्य तौर पर अभी हाल ही तक अल्पकालीन उद्देश्य हेतु ऋण परिवर्तित कर पाने में असमर्थ थे। हाल के वर्षो में, अधिकांश राज्यों में एआरडी बैंक अपने दीर्घकालीन ऋणी सदस्यों की अल्पकालीन ऋण आवश्यकताओं को सदस्यों के जमा संग्रहण से अर्जित कोष तथा एनसीडीसी से अल्पकालीन पुर्नवित्त व बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से पूरा कर रहें हैं। फिर भी एआरडी बैंक अभी भी फसली ऋण 7 वार्षिक की दर पर देने में असमर्थ हैं क्योंकि भारत सरकार की फसली ऋण ब्याज अनुदान योजना एआरडी बैंकों पर लागू नहीं किया गया है।

भारी बकाया तथा शासन द्वारा प्रायोजित योजनाओं में हानि, लेन-देन और जोखिम लागत में पर्याप्त मार्जिन की अनुमति दिये बिना विनियमित ब्याज दरों की लम्बी अवधि तथा योजना के अन्तर्गत खारिज किये गये ऋणों की प्रतिपूर्ति किये बिना 1990 में केन्द्र सरकार द्वारा ऋणमाफी योजना के क्रियान्वयन के कारण 90 के दशक से संरचना के संस्थानों में वित्तीय निष्पादन में गिरावट आना शुरू हो गई। वस्तुत: इन कारणों से वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अल्पकालिक सहकारी साख संस्थाओं सहित सभी ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को भी भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी। जबकि वाणिज्यिक बैंकों,क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अल्पकालिक सहकारी साख संस्थाओं की हानियां सरकार की अनेक पुर्ननिर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत पूरित कर दी गई, किन्तु कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकं (एआरडीबीएस) की हानियों की क्षतिपूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है। यद्यपि दीर्घकालिक ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के लिये प्रोफेसर वैद्यनाथन की अध्यक्षता में गठित कार्यदल-2 ने केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 2006 में एआरडी बैंकों को एकबार सहायता के लिये पुनरुद्धार पैकेज की सिफारिश की जो अभी तक क्रियान्वित नहीं हो सका है।

पुनरुद्धार पैकेज के क्रियान्वयन में अनपेक्षित विलम्ब ने अपने सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर पाने की इस संरचना की क्षमता को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इन असफलताओं के बावजूद यह संरचना अभी भी प्रांसंगिक है जिसे कृषि ऋण के कुल प्रवाह में निवेश ऋण के अनुपात में आई तीव्र गिरावट को रोकने के लिए सुदृढ़ बनाये जाने की आवश्यकता है। संरचना के पुनरुद्धार में एससीएआरडी बैंकों और पीसीएआरडी बैंकों का ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में कृषि में प्रभावी ढंग से पूँजी निर्माण पर केन्द्रित वित्तीय सेवायें प्रदान करने वाले आत्म निर्भर सदस्य संचालित संस्थान में रूपान्तरण किया जाना है।

वसूली की बिगड़ती स्थितियां एआरडी बैंकों की दूसरी प्रमुख समस्या है। बुनियादी स्तर पर कुल औसत ऋण वसूली कुछ वर्षो से 50% के आस-पास ही बनी हुई है। यद्यपि भूमि बंधक किए जाने से ऋण सुरक्षित हैं किन्तु कुछ राज्यों में कृषि भूमि के विक्रय के द्वारा वसूली करना कठिन है। संरचना की निवेश ऋण के साथ उत्पादन ऋण/कार्यशील पूँजी ऋण दे पाने में असमर्थता के परिणामस्वरूप उन ऋण लाभार्थियों को जो दूसरी अन्य संस्थाओं से अल्पकालीन ऋण नहीं ले पाते हैं, को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त जिन एआरडी बैंकों में अल्पकालीन ऋण और बचत खाता सुविधायें प्रारम्भ नहीं की हैं, अपने ऋण लाभार्थियों से नियमित सम्पर्क बना पाने में असमर्थ हैं जो ऊंची दरों की ऋण वसूली के लिए आवश्यक है। मार्च 2017 में 4 राज्यों के सम्पन्न विधान सभा चुनावों से पूर्व प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा ऋण माफी की घोषणा तथा चुनाव के तुरन्त बाद सभी फसली ऋणों की उत्तर प्रदेश के बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, सरकारों द्वारा माफ कर दिये जाने से पूरे देश में कृषि ऋणों की वसूली बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यद्यपि ऋण माफी एक बार के उपाय के रूप में की जाती है लेकिन यही भविष्य में आगे ऋण माफ हो जाने की उम्मीद को बढ़ाती है किन्तु इससे कृषि ऋण व्यवस्था, जो संसाधनों के पुर्नवर्तन के बिना कार्य नहीं कर सकती है, पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है।

दीर्घकालीन कृषि ऋणों की वसूली की परिदृश्य

वर्ष 2018-19 के दौरान अनेक राज्य सरकारों द्वारा ऋण माफी की एक अन्य श्रृंखला के साथ दीर्घकालीन कृषि ऋणों का वसूली परिदृश्य में और गिरावट आई है। फरवरी 2017 से अभी तक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान, और मध्य प्रदेश सहित आठ राज्यों ने ऋण माफी की घोषणा की हैं। कर्नाटक और राजस्थान में ऋण माफी इस अवधि में दो बार हुई, पहली हाल में हुये विधान सभा चुनावों से पहले तथा दूसरी बार चुनाव के बाद। विशेषज्ञों के अनुसार ऋण माफी से कृषि क्षेत्र की बढ़ती लागतों एवं घटती लाभप्रदता के

परिणामस्वरूप उपजी किसानों की मौलिक समस्यायें हल नहीं होती। तथापि, कृषि ऋण माफी में सबसे गम्भीर मुद्दा इसका दुष्प्रभाव साख व्यवस्था तथा ऋण भुगतान प्रवृत्ति पर पड़ना है। सामान्य ऋण माफी का भरोसा देते हुए बिना किसी शर्त के सभी किसानों के लिए लागू किये जाने की घोषणा की जाती है जिनके बारे में क्रियान्वित किये जाने के समय ही ज्ञात हो पायेगा तथा जिसमें ऋण माफी की सार्वजनिक घोषणा तथा क्रियान्वित किये जाने की अवधि में काफी बड़ा अन्तर होता है। जैसा कि सभी ऋणी सदस्य अपने ऋण माफ हो जाने की आशा करता हैं, अत: कोई भी ऋणी किसान न तो ऋण का भुगतान करता है और न ही भविष्य में ऋण अदा करने की कोई व्यवस्था ही करता है। वे किसान जिन्होनें दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किया है, सबसें अधिक प्रभावित लोग थे, इन सापेक्षताओं के कारण ये ऋण माफी केवल फसली ऋण पर ही लागू हो सकी। राजस्थान में अभी हाल ही में लागू की गई ऋण माफी को छोड़ कर, किसी भी ऋण माफी ने किसानों द्वारा लिए गए दीर्घकालीन ऋणों को सम्मिलित नहीं किया। फलस्वरूप एआरडीबैंक जो दीर्घकालीन ऋण वितरित करते हैं, विगत दो वर्षो में, नाबार्ड को ऋणभुगतान की प्रतिबद्धता को पूरा कर पाने में असफल होने तथा भविष्य में ऋण वितरित न कर पाने असमर्थता के कारण शून्य तरलता के साथ समाप्त हो गये। यद्यापि इस ऋण माफी योजनाओं में केवल फसली ऋण आच्छादित थे, जोत के आकार तथा माफी के क्रियान्वयन पर सीमा की निर्धारित तिथि की शर्तो आदि के कारण फसली ऋण ले पाने वाला बहुसंख्यक वर्ग को इसका कोई लाभ नहीं मिल सका। इसके साथ ही इन सभी योजनाओं में ईमानदार किसान जो नियमित रूप से अपना ऋण अदा करता आ रहा था, उसे कोई लाभ नहीं दिया गया जो आगामी भविष्य के लिए सम्भावित बकायेदार बन चुके हैं। इस चुनाव से पहले मुख्य राजनीतिक दलों द्वारा किये गये वायदों में देश भर के सभी कृषि ऋणों की माफी ने वस्तुत: किसी भी प्रकार व श्रेणी के किसी भी प्रकार के किसान द्वारा कृषि ऋणों के किये जाने वाले भुगतान/ऋण वसूली को पूर्णत: अवरुद्ध कर दिया है। अगर ये वायदे क्रियान्वयन के समय अनेक सापेक्षताओं के कारण पूरी तरह पूरे नहीं किये जाते हैं तो कदाचित ये ग्रामीण सहकारी ऋण व्यवस्था के अंत को चिन्हित करेगा जिसका सौ वर्षो का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और जो साधारण किसानों के लिये ऋण का एकमात्र प्रमुख विश्वसनीय संसाधन अभी भी है।

V. 2018-19 के दौरान फेडरेशन

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकिंग के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना 1960 में राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक्स फेडरेशन लि. (एनसीएआरडीबीएफ) की स्थापना रही है। अपने स्थापना काल से ही फेडरेशन इस क्षेत्र के विकास के लिये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इसने एक प्रभावी समन्वय स्थापित किया है तथा सदस्य बैंक के मध्य आपसी समझ को बढाया है तथा केन्द्र और राज्य सरकारों, नाबार्ड तथा एससीएआरडी बैंकों को वित्त पोषण करने वाली संस्थाओं से निकट सम्बन्ध विकसित किये हैं।

फेडरेशन की अन्य गतिविधियों में - संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन, अनुसंधान अध्ययन कराना तथा अपने नियोजन अनुसंधान एवं विकास (पीआरडी) प्रकोष्ठ के माध्यम से योजना एवं कार्यक्रमों का निर्माण, सदस्य बैंकों के क्रिया कलापों सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन, अध्ययन दलों का प्रायोजन, ऋण पत्रों के निवेश में सहसमन्वय स्थापित करना, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, प्रचार कार्य, संचालन एवं प्रशासन से सम्बन्धित मामलों में मार्गदर्शन एवं सलाह देना। विगत 55 वर्षो से फेडरेशन द्वारा प्रकाशित कराये जा रहे त्रैमासिक लैण्ड बैंक जरनल ने विशेष ख्याति अर्जित की है। फेडरेशन अपने सदस्य बैंकों को नये उत्पादों अभिकल्पना के द्वारा व्यवसाय विकास और विस्तार में भी सहायता प्रदान करता है।

पुर्नपूँजीकरण एवं सुधार, स्व-प्रेरित सुधारों की पहल के लिए एससीएआरडी बैंकों का मार्गदर्शन तथा संसाधनो के संग्रहण के लिये में सदस्य बैंकों का मार्गदर्शन एवं सहयोग, वसूली एवं अनर्जक परिसम्पत्तियों का प्रबन्धन तथा व्यवसाय संवर्धन एवं विविधीकरण

सहित पुनरुद्धार पैकेज के क्रियान्वयन के लिए सरकार से पैरवी, फेडरेशन की गतिविधियों के महत्ववाले क्षेत्र वर्ष के दौरान भी बने रहे।

पैरवी करना

एआरडी बैंकों के लिए पुनरुद्धार पैकेज

कुछ वर्षो से पुनरुद्धार पैकेज की निरन्तर मांग करते रहना फेडरेशन का केन्द्र सरकार से पैरवी का प्रमुख केन्द्र बिन्दु बना हुआ है। दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के लिए पुनरुद्धार पैकेज दिए जाने की संस्तुति वैद्यनाथन टास्क फोर्स द्वारा 2006 में की गई थी तथा भारत सरकार ने 2008-09 के केन्द्रीय बजट में इसके क्रियान्वयन की घोषणा की थी। तदनन्तर केन्द्रीय बजट 2009 द्वारा पुनरुद्धार योजना का अनुमोदन भी कर दिया गया था जो उस समय ही कदाचित 2009 के लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाने के परिचालित नहीं किया जा सका था जो उसके तुरन्त बाद अधिसूचित हुआ। चुनाव के बाद वित्त मंत्रालय ने ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन तथा 2008 की ऋण माफी योजना के परिप्रेक्ष्य मे पुनरुद्धार योजना की समीक्षा करने हेतु तत्कालीन अपर सचिव (वित्त) श्री चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया। चतुर्वेदी कमेटी ने दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के लिए पुनरुद्धार योजना के क्रियान्वयन की संस्तुति कुछ मामूली संशोधनों के साथ अपनी आख्या फरवरी 2010 को सौंपी। तथापि, उसके बाद से उसके क्रियान्वयन हेतु अभी तक कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई है। फेडरेशन समय समय पर इस मामले को सरकार में प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री सहित अनेक अधिकारियों के समक्ष भी उठाता रहा है। इस विषय पर फेडरेशन ने माननीय सांसदों की एक बैठक भी आयोजित की। फेडरेशन ने इस वर्ष के केन्द्रीय बजट के अवसर पर कृषि क्षेत्र में पूँजी निर्माण को बढ़ावा देने तथा सदस्य किसानों द्वारा ऋण के संकट का सामना करने के लिए दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना की संस्थाओं के पुनरुद्धार की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए इस मामले में एक नया ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री को दिया है।

पैकेज के क्रियान्वयन में विलम्ब ने एआरडी बैंकों की वित्तीय कमजोरियों को और अधिक विकृत कर दिया है तथा उनकी लगभग 98 लाख कृषक सदस्यों (31.03.2017 को एआरडी बैंकों के सदस्यों के बकाया ऋण) जो कुल मिलाकर किसी दूसरी संस्था से ऋण प्राप्त कर पाने में असमर्थ हैं क्योंकि उनकी कृषियोग्य भूमि एआरडी बैंकों के पास पहले से ही बन्धक है, की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को भारी मात्रा में कम कर दिया है। उनके द्धारा सामना किए जा रहे ऋण के संकट के निवारण का एकमात्र उपाय प्रस्तावित पुनरुद्धार पैकेज का क्रियान्वयन है। यदि पुनरुद्धार किया गया तो वर्तमान में प्रमुख राज्यों में कार्यरत 2600 बैंक शाखाओं के नेटवर्क की वर्तमान ऋण वितरण क्षमता जो लगभग रु.5000 करोड़ है, को इतने कम समय में भी कम से कम 5 गुना बढ़ाया जा सकता है।

इस प्रकार निरन्तर प्रतिनिधत्व एवं प्रतिनिधायन से पुनरुद्धार पैकेज के प्रस्ताव को जीवन्त बनाये रखा गया है और फेडरेशन को राजनैतिक स्तर पर इसके अनुकूल निर्णय की आशा है।

एआरडी बैंकों का बैंको के रूप में पुनर्गठन

राज्य सरकारों और नाबार्ड दीर्घकालीन सहकारी साख समितियों (एलटीसीसीएस) की संस्थाओं एवं हित धारकों के मध्य आम धारणा है कि एआरडी बैंकों को, उन्हें अपने सदस्यों की ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमतायुक्त बनाने के लिये संसाधन आधारित पर्याप्तरूप से नियमित बैंकों के रूप में परिवर्तित कर दी जानी चाहिये तथा ग्रामीण साख संचालन व्यवस्था में इनकी प्रासंगिकता को पुनर्स्थापित कर दिया जाना चाहिये। एआरडी बैंकों को पूर्णरूप से बैंकिंग संस्थान के रूप में परिवर्तित किया जाना, कपूर समिति, जिन्होने अपना प्रतिवेदन 1999 में प्रस्तुत किया, की सबसे प्रमुख सिफारिश थी। कपूर समिति की सिफारिश के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने मई 2002 में एआरडी बैंकों के पूर्णरूप से बैंक में परिवर्तित किये जाने के मापदण्ड निर्धारित करने हेतु एक कार्यदल का गठन किया था। तथापि, कुछ बैठकों के उपरान्त, यह कि उनकी वित्तीय स्थिति तथा कार्य निष्पादन शैली को देखते हुए एआरडी बैंकों को पूर्णरूप से बैंक में परिवर्तित किये जाने का समय नहीं आया है, से सम्बधित उनकी आख्या आने से पहले ही कार्यदल भंग कर दिया गया।

बाद में वैद्यानाथन कार्यदल-।। ने भी अपनी रिर्पोट में सिफारिश की, कि यदि निर्धारित तिथि तक अथवा भविष्य में संरचना की कोई संस्था

बैंकिंग लाइसेन्स पाने के लिये निर्धारित शर्तो को पूरा करती है, बैंकिंग नियामक उसे उसकी योग्यता के आधार पर विचार कर सकता है। लेकिन बैंकिंग नियामक ने एआरडी बैकों द्वारा बैंकिंग लाइसेन्स प्राप्त कराने के लिये आवश्यक शर्ते अभी तक निर्धारित नहीं की हैं।

एआरडी बैंको को लाइसेन्स दिये जाने में दूसरी समस्या इसके अपने संरचनात्मक स्वरूप में है। बैंकिग नियामक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केवल राज्य सहकारी बैंक अथवा प्राथमिक सहकारी बैंक बैंकिग लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र हैं। एक राज्य सहकारी बैंक तथा एक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को क्रमश: राज्य और जनपद की प्रमुख सहकारी समिति के रूप में परिभाषित किया गया है। चूंकि किसी भी एससीएआरडी बैंक अथवा पीसीएआरडी बैंक को किसी भी राज्य अथवा जनपद हेतु प्रमुख सहकारी समिति के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है, ये राज्य सहकरी बैंक अथवा जिला केद्रिंय सहकारी बैंक की श्रेणी का बैंकिंग लाइसेंस के लिये पात्र नहीं हैं। यद्यपि बैंकिंग नियामक के विद्यमान प्राविधान के अन्तर्गत, एआरडी बैंकों को अभी भी प्राथमिक सहकारी बैंक के रूप में लाइसेन्स दिया जा सकता है। एकात्मक एससीएआरडी बैंक बिना किसी संरचनात्मक फेर बदल के प्राथमिक सहकारी बैंक का लाइसेंस प्राप्त करनें के योग्य हैं और संघीय एससीएआरडी बैकों के मध्य, यदि बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवश्यक हुआ तो उनमें एकात्मक संरचना को अंगीकार कर लेने के प्रति आम सहमति है।

फेडरेशन द्वारा इस मुद्दे पर किये गए प्रतिनिधित्व के प्रतिउत्तर में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अभी हाल ही में सूचित किया है कि एआरडी बैंको को पूर्णकालिक बैंक बनाये जाने के लाइसेंस दिये जाने के लिए मानदण्ड निर्धारित करने हेतु दिये गये सुझाव विचाराधीन है।

फसली ऋण अनुदान योजना

फसल ऋण क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार की ब्याज अनुदान योजना वर्तमान में एआरडी बैंकों से फसल ऋण सुविधा प्राप्त करने वाले किसानों पर लागू नहीं की गई है। फेडरेशन वित्त मंत्रालय से फसल ऋण पर दिये जा रहें ब्याज अनुदान योजना की सूची में एससीएआरडी बैंकों को सम्मिलित कर उसके क्रियान्वित कराने हेतु निरन्तर इस मुद्दे पर विचार करने के लिये प्रयासरत है। दूसरा विकल्प फसल ऋण पुनर्वित्त को एससीएआरडी बैंकों को एससी बैंकों के माध्यम से फसल ऋण की सीमा तक एससीएआरडी बैंकों को स्वीकृत विशिष्ट अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध करा कर प्रवाहित कराना है। नाबार्ड के अध्यक्ष ने फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 6 मार्च 2019 को सम्पन्न बैठक में सूचित किया कि इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन पर बहुत तेजीसे विचार किया जा रहा है कि अगर इसे लागू किया गया तो एससीएआरडी बैंकों को अन्य बैंकों द्वारा दी जा रही ब्याज दर पर उसके अपने दीर्घकालीन ऋणी सदस्यों को फसल ऋण प्रदान कराने में बहुत सहायक होगा।

कृषि के लिये निवेश ऋण की लागत में सहायता

फेडरेशन ने सरकार को फसली ऋण के अनुरूप ही कृषि में पूँजी निर्माण के हेतु दीर्घकालीन ऋणों की लागत कम करने के लिए कृषि के लिए निवेश ऋण पर ब्याज अनुदान योजना लागू करने का प्रस्ताव भेजा है।

सुधार की पहल

सुधार की पहल हेतु कोरग्रुप (सीजीआरआई)

एससीएआरडी बैंकों द्वारा गठित सुधार की पहल हेतु कोरग्रुप (सीजीआरआई) की नियमित बैठके अधिकांश बैंकों में सम्पन्न हो रही हैं। सीजीआरआई बुनियादी स्तर पर स्व-प्रेरित सुधारों को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। सीजीआरआई संसाधन जुटाने तथा नये उत्पादों को लाने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान तथा एससीएआरडी बैंकों की श्रेणी सुधार हेतु सुधारात्मक कार्यवाही अनेक स्तरों पर प्राधिकार एवं जवाबदेही के साथ साथ एनपीए प्रबन्धन एवं वसूली कार्यात्मक क्षेत्रों की सुसंगत नीतियों एवं अच्छी तरह से प्रलेखित प्रक्रिया विकसित करने की दृष्टि से नियमावली निर्माण सहित संसाधन जुटाने के नये मार्गो के प्रभाव की भी समीक्षा कर रहा है।

2018-19 के दौरान सीजीआरआई बैंठकों का केन्द्र बिन्दु एससीएआरडी बैंकों द्वारा संसाधन वृद्धि पर जोर देने, व्यापार विस्तार, एनपीए प्रबन्धन तथा कम्प्यूटीकरण के साथ विशेष पुनरुद्धार की योजनाओं की तैयारी और उनका क्रियान्वयन था।

एससीएआरडी बैंकों को नीतिगत संबल बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ अनुवर्तन

2012 तथा 2014 में फेडरेशन द्वारा आयोजित कराए गये सहकारिता के प्रमुख सचिवों और निबन्धक सहकारी समितियों के दो सम्मेलनों में एआरडी बैंकों की विधिक एवं नीतिगत वातावरण को सुधारने तथा अपनी सामान्य कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण संस्तुतियां की गई। सरकार की गारण्टी दिये जाने में एससीएआरडी बैंकों को प्राथमिकता के साथ साथ प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाना, इसके अलावा गारण्टी शुल्क में छूट अथवा छूट दिये जाने की सम्भावना न होने पर इस शुल्क को न्यूनतम रखना, नाबार्ड द्वारा प्रदत्त पुर्नवित्त की कमी को पूरा करने हेतु भारत सरकार के साथ समान योगदान के लिए पर्याप्त बजट आवंटन कराना, स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क माफ कराना-जो अभी कुछ राज्यों द्वारा किया जाना है, ऋण प्रलेख प्रणाली की शुरुआत जिसे बैंक द्वारा निष्पादित करने तथा उन्हें सीधे ही बिना कृषक को शामिल किये बैंक द्वारा ही सब रजिस्ट्रार को भेजना - इसे अभी कुछ राज्यों द्वारा शुरू किया जाना है, हठी बकायेदारों के परिप्रेक्ष्य में वसूली विधिक उपायों में प्रतिरोधों को दूर करना, बैंक अधिकारियों में भूमि विक्रय के अधिकार की शक्तियां निहित करना जिसका क्रियान्वयन अभी कुछ राज्यों द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, कुछ राज्यों द्वारा जहां अभी यह लागू नहीं किया गया है, एआरडी बैंकों को निक्षेप जमा स्वीकार करने की अनुमति दिलाया जाना एआरडी बैंक/राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन करते हुए एआरडीबैंकों को अल्पकालीन ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सक्षम बनाना, अनुमोदित स्टाफ पैटर्न पर कर्मियों की भर्ती के लिए सरकार के पृथक अनुमोदन दिए जाने की प्रथा को समाप्त कराना आदि राज्य सरकार से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण सस्तुतियां उपरोक्त सम्मेलन में की गई। महासंघ लगातार राज्य सरकारों के साथ इन सिफारिशों का पालन कर रहा है ।

दीर्घकालिक ऋणी सदस्यों की अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पूरक ऋण सीमा स्वीकृत किये जाने की योजना

निवेश ऋण को पूरा करने के लिये और अधिक वित्तीय सहयोग का अभाव कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की कार्यप्रणाली का बहुत बड़ा दोष है। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक साधारणतया अपने सदस्यों को केवल दीर्घकालीन ऋण प्रदान कराते हैं तथा उन्हें अल्पकालीन आवश्यकताओं के प्रति अलभ्य रख कर उन्हें ऊंची ब्याज दरों पर ऋण के अनौपचारिक स्त्रोंतों पर निर्भर बना रहने देते हैं। अल्पकालीन ऋणों की अपर्याप्त उपलब्धता से कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा वित्तपोषित दीर्घकालीन परिसम्पत्तियों का उप-इष्टतम उपयोग होता है जिससे ऋणी सदस्य की आय तथा पुर्नभुगतान क्षमता प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त, अनौपचारिक ऋण की ऊंची लागत सदस्य द्वारा बैंक से लिये गये ऋण के पुर्नभुगतान करने की क्षमता को कम कर देता हैं। समय से ऋण के भुगतान के लिये ऋणी सदस्य का बैंक के साथ लगातार सम्पर्क बनाये रखना बहुत आवश्यक हैं, जो निवेश ऋण निर्गमन के उपरान्त आगे ऋण का सहयोग न मिल पाने के कारण भी सम्भव नहीं है। पूरक ऋण की सीमा निर्धारित करना जिसे दीर्घकालीन ऋणी सदस्य को चक्रीय नगद ऋण की तरह संचालित किया जा सकता है, अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ऋणी सदस्यों से बढ़े सम्पर्क के कारण वसूली में सुधार तथा ऋणी सदस्य की ऋण के लिये अनौपचारिक स्त्रोतों पर निर्भरता में कमी दोनों उद्देश्यों की पूर्ति होगी। योजना के मुख्य पहलू निम्नवत हैं:-

- ❏ सबसे पहले, एससीएआरडी बैंकों को वित्तपोषण के लिए धन की आवश्यकता का आंकलन करना चाहिये तथा (सावधि) जमा एनसीडीसी से ऋण, अल्पकालीन साख संरचना, वाणिज्यिक बैंको आदि से अपेक्षित धन के संग्रहण की व्यवस्था करना चाहिये।
- ❏ धन की उपलब्धता, ऋण सीमा पर निर्भरता को सदस्य पर स्वीकृत निवेश ऋण की प्रतिशतता के अनुसार निर्धारित किया जा सकता हैं।
- ❏ नए दीर्घकालीन ऋणों के सम्बन्ध में, ऋण सीमा एक अनिवार्य अतिरिक्त घटक होना चाहिए। विद्यमान ऋणों के मामलों में यदि ऋण गैर अतिदेय है तो ऋण सीमा स्वीकृत की जानी चाहिए।
- ❏ ऋण सीमा की मात्रा का निर्धारण आवश्यकता, पुनर्भुगतान क्षमता, सुरक्षा तथा धन की उपलब्धता के आधार पर होना चाहिए जिस का निर्धारित उद्देश्य के लिये उपयोग किया जा सकता है।
- ❏ ऋण सीमा दीर्घ कालीन ऋण दी जा रही सुरक्षा के अविशिष्ट

बाजार मूल्य पर स्वीकृति की जा सकती है।

- ऋण सीमा का संचालन तिमाही ब्याज के भुगतान तथा अदत्त मूलधन के पुर्नभुगतान के समय सीमा समाप्ति पर ऋणी सदस्य द्वारा चक्रीय नगद ऋण की भांति संचालित किया जा सकता है।
- ऋण सीमा, जो एक वर्ष के लिये स्वीकृत की जाय, उसे अन्य ऋणों के समय पर भुगतान किए जाने के साथ सहित निर्धारित नियम और शर्तो को पूरा करने की दशा में ही उसे आगामी वर्षो में नवीनीकृत किया जाय।
- ऋण सीमा पर ब्याज त्रैमासिक आधार पर वास्तविक आहरण के आधार पर प्रभारित किया जाता है।
- एससीएआरडी बैंको तथा पीसीएआरडी बैंकों दोनों के लिये, ऋण सीमा से आहरण पर ब्याजदर का निर्धारण, लेन-देन कार्य और जोखिम लागत को पूरा करने के लिये कोषों की लागत में उचित मार्जिन को जोड़ कर निर्धारित की जाय।

ग्रामीण ऋण में एआरडी बैंकों का अंशदान बढाने हेतु कार्य दल

पृष्ठभूमि

90 के दशक के मध्य से एआरडी बैंकों की संरचना में बाजार के हिस्सेदारी में भारी गिरावट हो रही हैं। इसके निम्नांकित कारण हैं:-

शासन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों, ऋण माफी के साथ 90 दशक के मध्य से चल रही विनियमित ब्याज दर प्रणाली के अंतर्गत अपर्याप्त मार्जिन से हुई हानियों के कारण वित्तीय कमज़ोरियां।

गैर स्त्रोत आधारित केवल एक वस्तु के ऋण प्रदाता की अपनी मौलिक स्वरूप की संरचना में ही बने रहना जो पूर्ण बैंकिंग संस्थानों की बहु-एजेन्सी, बहु-उत्पाद ग्रामीण ऋण प्रणाली के वर्चस्व के कारण अपनी अपनी महत्ता खो चुका है।

पुर्नवित्त के लिये निरन्तर नाबार्ड पर निर्भरता तथा कोषों को विविधीकृत कर पाने में असफल।

वर्ष 2000 के प्रारम्भ से बाहरी और आंतरिक कारकों के कारण बकाये के स्तर और अनर्जक परिसम्पत्तियों में तीव्र वृद्धि।

शासकीय गारण्टी तथा/अथवा अन्य शर्तो को पूरा न कर पाने की स्थिति में नाबार्ड द्वारा पुर्नवित्त पोषण रोक दिये जाने के कारण निम्नांकित राज्यों की एससीएआरडी बैंकों द्वारा ऋण वितरण कार्य स्थगित किया जाना :- असम, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पाण्डिचेरी, त्रिपुरा, व जम्मू एवं कश्मीर।

ऋण वितरण के संसाधनों की कमी तथा सीमित अवसरों के कारण जो एससीएआरडी बैंक नाबार्ड से पुर्नवित्त प्राप्त करते रहे वे भी बाजार की संवृद्धि के समरूप ऋण विस्तार बनाये नहीं रख सके।

मानव संसाधन तथा प्रौद्यौगिकी अंगीकरण में न्यूनता ने भी इस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध किया।

यह भी पाया गया कि भूमि आधारित निवेश जैसे कि लघु सिंचाई और कृषि यंत्रीकरण जो एआरडी बैंकों द्वारा पोषित निवेश ऋण का बहुत बड़ा हिस्सा रहा, अपने परिपूर्णता के स्तर पहुंच चुका है। इसके साथ ही, एआरडी बैंक सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे उभरते विकास क्षेत्रों विभेदीकरण नहीं कर पाये जो सामान्यरूप से पूँजी और प्रौद्योगिकी सम्पन्न हैं।

एआरडी बैंक ऐसी योजनाओं के वित्तपोषण के लिये अपेक्षित ऋण प्रबन्धन क्षमता भी विकसित नहीं कर पाये।

सही अर्थो में इसका मंतव्य यह है कि एआरडी बैंकों को भविष्य में प्रत्येक चार वर्षों में अपने ऋण वितरण को दोगुना करने की आवश्यकता है। इसके लिये स्त्रोतों , अपने नियंत्रण में नेटवर्क और प्रौद्योगिकी सहित मुलभूत संरचना की क्षमताओं के सार्थक प्रवर्धन की आवश्यकता है।

2013 से एआरडी बैंकों ने, विशेषरूप से संसाधनों को बढाने तथा व्यवसाय विविधकरण के लिये अवसरों का विस्तार हेतु आंतरिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारम्भ की है। फिर भी अधिकांश राज्यों में वार्षिक ऋण वितरण तथा बाजार अंशदान में अभी भी अभाव की स्थिति है, में संतोषजनक वृद्धि के लिये एक बड़े समर्थन की आवश्यकता है। डा. हर्श कुमार भांनवाला ने अभी हाल ही में फेडरेशन के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में अपने सम्बोधन में ग्रामीण ऋण में एआरडी बैंकों के लिये उनके बाजार के अंशदान को बढ़ाने के लिये रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला तथा उसके लिये फेडरेशन द्वारा एक कार्यदल के विधान का सुझाव दिया।

इस पृष्ठभूमि पर, जैसा कि फेडरेशन की प्रबन्धकारिणी समिति ने

अपनी बैठक दिनांक 21 जुलाई 2017 में फेडरेशन की बैठक में निर्णय लिया गया, फेडरेशन के अध्यक्ष ने कृषि के लिये निवेश ऋण पर संकेन्द्रित ग्रामीण साख में एससीएआरडी बैंकों के अंशदान को बढ़ाने के लिये श्री वाई सी नन्दा, भूतपूर्व चेयरमैन नाबार्ड, की अध्यक्षता, श्री डी. एन. ठाकुर, उपप्रबन्ध निदेषक एनसीडीसी की सह अध्यक्षता, तथा निम्नांकित गणमान्य व्यक्तियों की सदस्यता में एक कार्यदल का गठन किया:-

1. श्री अजीतकुमार सिंह, सहायक महाप्रबन्धक(आईडीडी) नाबार्ड, (नाबार्ड द्वारा नामितद्ध)
2. श्री दलीप सिंह यादव, उपाध्यक्ष, एनसीएआरडीबीएफ
3. श्री के. रविन्द्र राव, अध्यक्ष तेलंगाना एससीएबी
4. श्री क. शदाक्षरी, भूतपूर्व एमएलए, कर्नाटक एससीएआरडीबी
5. श्री सालोमन एलेक्स, अध्यक्ष, केरल एससीएआरडीबी
6. श्री बी. शाहुल अमीद, अध्यक्ष, तमिलनाडु सीएसएआरडीबी
7. श्री डी.बी. चौधरी, अध्यक्ष, गुजरात एससीएआरडीबी
8. श्री एच. एस. सिद्धू प्रबन्ध निदेषक, पंजाब एससीएडीबी
9. श्री धनेश अदलखा, अध्यक्ष, हरियाणा एससीएआरडीबी
10. श्री विजय कुमार शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान आरएसबीवीबी
11. श्री पंडित शिवलाल, अध्यक्ष, हिमांचल प्रदेश एससीएआरडीबी
12. श्री के. पी. सिंह, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश एसजीवीबी
13. श्री वी.आई. गणेशन, वरिष्ठ सलाहकार, एनसीएआरडीबीएफ- सदस्य सचिव
14. श्री के. के.रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, एनसीएआरडीबीएफ- संयोजक

कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट दिनाक 1 नवम्बर 2018 को प्रस्तुत की। कार्यदल की मुख्य सिफारिशें अगले भाग में दी गई है।

एआरडी बैंकों में मानव संसाधन नीतियों पर कार्यदल

कई राज्यों के एआरडी बैंकों में मानव संसाधन परिदृश्य गुणवत्ता व परिमाण में गम्भीर कमियों से ग्रस्त पाया गया। नियमित आधार पर नियुक्तियां विगत कई वर्षो से नहीं हुई हैं परिणामस्वरूप कर्मचारियों की बढ़ी आयु, प्रतिभा का क्षरण, परिलक्षित हुआ है, रचनात्मकता तथा कल्पनाशक्ति संगठनात्मक उद्देश्य की पूर्ति के साथ व्यापार विकास तथा बाजार हिस्सेदारी बनाये रखने के लिये विशिष्ट दक्षतायें हैं। विद्यमान कर्मचारियों की कार्यक्षमता निर्माण तथा नये कर्मचारियों का आगमन इस क्षेत्र में चल रहे व्यवसाय के विविधीकरण एवं विस्तार के साथ साथ बाजार की हिस्सेदारी बढ़ानें के लिये महत्वपूर्ण हैं। इस संदर्भ में एससीएआरडी बैंकों द्वारा अपने व्यवसायिक विकास योजना को आगे बढ़ाने के लिये तथा उचित संख्या और गुणवत्ता के अनेक स्तर के कर्मचारियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये मानव संसाधन प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं पर मानदण्डों एवं प्रक्रियाओं की उपयुक्त नीतियों पर विचार करने की आवश्यकता है।

इस पृष्ठभूमि पर, फेडरेशन के प्रबन्धक मण्डल की दिनांक 21 जुलाई 2017 की बैठक में अध्यक्ष महोदय को एआरडी बैंकों में मानव संसाधन नीतियों पर एक कार्यदल गठित करने के लिये अधिकृत किया। तदनुसार फेडरेशन के अध्यक्ष श्री के शिवदासन नायर, फेडरेशन के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता एवं श्री एन सत्यनारायण, एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सह अध्यक्षता एवं निम्नांकित व्यक्तियों की सदस्यता में मानव संसाधन की नीतियों पर कार्यदल के गठन किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं:-

1. श्री भगवती प्रसाद, उपाध्यक्ष सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लि.
2. श्री बी. एच. जडेजा, उपाध्यक्ष, एनसीएआरडीबीएफ
3. श्री ई. देवदासन, आई ए. एस, प्रबन्ध निदेशक, केरल एससीएआरडीबी
4. श्री ए. सी. दिवाकर, प्रबन्ध निदेशक, कर्नाटक एससीएआरडीबी
5. डा. एन. विल्वशेखरन, प्रबन्ध निदेशक, तमिलनाडु सीएसएआरडीबी
6. श्री वी.एम.चौधरी, महा प्रबन्धक, गुजरात एससीएआरडीबी
7. श्री नरेश गोयल, प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा एससीएआरडीबी
8. श्री वाई.पी.एस. वर्मा, प्रबन्ध निदेशक, हिमाचंल प्रदेश एससीएआरडीबी
9. श्री एच.एस. सिद्धू, प्रबन्ध निदेशक, पंजाब एससीएडीबी
10. श्री विजय कुमार शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान आरएसबीवीबी

11. डा. नेति मुरलीधर, प्रबन्ध निदेशक, तेलंगाना एससीएबी
12. श्री वी. आई. गणेशन, वरिष्ठ सलाहकार, एनसीएआरडीबीएफ- सदस्य सचिव
13. श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, एनसीएआरडीबीएफ- संयोजक

कार्यदल ने अपनी पहली बैठक में सदस्य बैंकों से सूचनायें प्राप्त करने के लिये निम्नांकित संदर्भ एवं प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया :-

- ❑ एससीएआरडी बैंकों की वर्तमान मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा तथा मानव संसाधन प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं की एक नीतिगत-नमूना आलेख का सुझाव जैसे कि नियुक्तियां, अधिष्ठापन, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन, स्थानान्तरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण, सुविधायें,अवकाश,कार्य स्थितियां परिवेदना निवारण,सतर्कता प्रकोष्ठ, कार्यस्थल पर उत्पीड़न की रोकथाम, अनुशासनिक कार्यवाही इत्यादि सहित प्रतिफल पैकेज।
- ❑ एआरडी बैंकों का वर्तमान स्टाफ पैटर्न तथा व्यवसाय की मात्रा के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में स्टाफ की आवश्यकता का वास्तविक आंकलन तैयार करना तथा उनके लिये न्यूनतम योग्यता व अनुभव की संस्तुति करना।
- ❑ व्यवसाय की मात्रा के अनुरूप एससीएआरडी बैंकों एवं पीसीएआरडी बैंकों का वर्गीकरण करना तथा व्यवसायिक माडल पर आधारित उपयुक्त स्टार्फिंग पैटर्न के लिये सुझाव देना।
- ❑ दूसरे क्रम के प्रबन्धन को जमा संग्रहण,वित्त,जोखिम प्रबन्धन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इत्यादि सहित व्यवसाय संचालन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दक्षता के साथ शक्तिशाली बनाने के लिये मुलभुत कर्मचारियों की आवश्यकता का आंकलन करना।
- ❑ विभागीकरण-प्रधान कार्यालय के विभागों कार्यात्मक एवं भौगोलिक कर्मचारीकरण तथा क्षेत्रीय/जनपदीय कार्यालयों में कार्य विभाजन तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन।
- ❑ बाहरी स्त्रोत से ली जाने वाली सेवाओं वाले कार्य के लिये क्षेत्रों का चिन्हीकरण।
- ❑ सामान्य संवर्ग की आवश्यकता/व्यवहार्यता पर विचार करना तथा एससीएआरडी बैंको/पीसीएआरडी बैंकों के लिए अपेक्षित संवर्ग को चिन्हांकित करना।
- ❑ प्रबन्धकीय संवर्ग के पदों को भरे जाने की पद्धति के साथ नियुक्ति की विद्यमान प्रणाली का अध्ययन करना तथा सही मात्रा व योग्यता के कर्मियों बनाये रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये अपेक्षित संशोधनों के लिये सुझाव देना।
- ❑ आंतरिक प्रशिक्षण, आत्म प्रशिक्षण के लिये प्रोत्साहन सहित प्रशिक्षण की व्यवस्था की समीक्षा।

कार्यदल ने आंकड़ों के जमासंग्रह और संकलन के कार्य को पूरा कर लिया है तथा अब आधार सामग्री तैयार करने की प्रक्रिया के अन्तर्गत है।

एआरडी बैंकों की कार्यात्मक नवीनीकरण हेतु संगोष्ठियां

2018-19 के दौरान फेडरेशन ने राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकिंग संस्थान, बैंगलोर के सहयोग से कार्यात्मक पुन: संरचना पर दो संगोष्ठियों का आयोजन किया। अधिकांश राज्यों में एआरडी बैंकों का आज भी एक मात्र व्यवसाय दीर्घकालीन ऋण वितरण ही है। एआरडी बैंकों के ऋणी सदस्यों द्वारा कार्यशील पूँजी/ उत्पादन ऋण की व्यवस्था किन्ही अन्य औपचारिक स्त्रोतों से कर पाना, मुख्यरूप से तब, जब कि उनकी भूमि दीर्घकालीन ऋण के लिये बन्धक है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। यातो उन्हें स्वयं को ऋण देने वाले अनौपचारिक स्त्रोतों के शोषण के अधीन करना होगा अथवा अपनी कृषि /अकृषि सम्बन्धी गतिविधियों को अपने पास उपलब्ध अल्प- कोष की परिधि में प्रतिबन्धित करना होगा। प्राय: इसका परिणाम दीर्घकालीन ऋणों से सृजित सम्पत्तियों के उप-इष्टतम उपयोग के फलस्वरूप अपर्याप्त आय सृजन तथा ऋण भुगतान में समस्याओं के रूप में परिलक्षित होता है। यद्यपि एआरडी बैंकों को अल्पकालीन ऋण उत्पाद के लिये सक्षम बनाने के लिये अधिनियमों में परिवर्तन किया गया है, फिर भी अभी भी अधिकांश राज्यों में परिचालित किया जाना है। बैंकों को अल्पकालीन ऋण उत्पाद के लिये जमा के माध्यम से अपने संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता है। उक्त पृष्ठभूमि पर, फेडरेशन एआरडी बैंकों के कार्यात्मक पुन:संरचना पर एससीएआरडी बैंकों और पीसीएआरडी बैंकों के मध्य स्तरीय अधिकारियों के लिये कार्यात्मक पुन:संरचना के हिस्से के रूप में कार्यो के नये क्षेत्र में संगोष्ठियों का

आयोजन करा रहा है। वर्ष के दौरान पहला कार्यक्रम 9 से 11 अक्टूबर 2018 में विभिन्न राज्यों के एससीएआरडी बैंकों के 20 अधिकारियों के साथ आयोजित किया गया तथा दूसरी संगोष्ठी का आयोजन अनेक राज्यों के विशेष रूप से पीसीएआरडी बैंकों के मुख्य अधिकरियों एवं शाखा प्रबन्धकों के लिये 22 से 24 नबम्बर 2018 को किया गया जिसमें 5 राज्यों से 22 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 9 से 11 अक्टूबर 2018 को सम्पन्न संगोष्ठी का उद्घाटन श्री के शिवदासन नायर, अध्यक्ष, एनसीएआरडीबी फेडरेशन तथा दूसरी संगोष्ठी का उदघाटन श्री पी.वी. प्रभु सेवानिवृत्त प्रबन्ध निदेशक, एनसीएआरडीबीएफ, वर्तमान ट्रस्टी सचिव, एनआईआरबी ने किया। संगोष्ठी के संसाधन व्यक्ति श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्धन निदेशक तथा फेडरेशन के श्री वी. आई. गणेशन के साथ साथ एनआईआरबी के संकाय सदस्य श्री आर वेंकटस्वामी निदेशक एवं श्री शिवन्ना वरिष्ठ सलाहकार थे। सहभागियों नें इस संगोष्ठी को बहुत उपयोगी बताया तथा एआरडी बैंकों के प्रमुख कार्यकर्ताओं के विभिन्न स्तरों के लिये इसप्रकार के आयोजन किये जाने के सुझाव दिये।

एससीबी की समूह अवधारणा पर आधारित एससीएआरडी बैंकों/एससीबी सदस्य, द्वारा कृशि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण हेतु पथ प्रदर्षक परियोजना।

फेडरेशन के प्रबन्धन मण्डल ने दिनांक 20 दिसम्बर 2017 को बैंगलोर में सम्पन्न बैठक में एससीएआरडी बैंकों और एससीबी सदस्य, समूह अवधारणा पर आधारित एससीएआरडी बैंका द्वारा कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण हेतु पथप्रदर्शक परियोजना का अनुमोदन किया। यह निर्णय लिया गया कि, सभी सदस्य बैंक जो नाबार्ड से पुर्नवित्त प्राप्त करने के पात्र हैं, सम्बन्धित राज्यों में बैंक द्वारा फसल /गतिविध के लिये चिन्हित, उन्हें एक या एक से अधिक पंचायत युक्त क्षेत्र का चयन कर, पथ प्रदर्शक परियोजना में भाग लेना चाहिए।

पथ प्रदर्शक योजना के दो भाग हैं। पहले भाग में उन गतिविधियों को जो किसानों को फसलों को बढ़ाने के लिये अथवा उस चिन्हितक्षेत्र की परियोजना में संस्तुत किये गए कार्य के अनुरूप है का वित्त पोषण करना, सम्मिलित है। बैंकों को प्रत्येक समूह/सधन इलाके में 15-20 किसानों को वित्त पोषित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि समूह ऋण स्वीकृत कराने का प्रावधान नहीं है, व्यक्तिगत लाभार्थी को सामान्य ऋण मानदण्डों का पालन करते हुये ऋण स्वीकृत किया जा सकता है किन्तु बैंक/फील्ड ऑफिसर को अवलम्बन सेवाओं के विस्तार, प्रभावी पर्यवेक्षण सुविधा तथा ऋण अनुशासन बनाये रखने के लिये, समूह के सभी लाभार्थियों का एक अनौपचारिक समूह बना लेना चाहिए।

पथ प्रदर्शक परियोजना के दूसरे हिस्से में एससीएआरडी बैंकों/पीसीएआरडी बैंकों द्वारा स्थापित बहु सेवा केन्द्रों (एमएससी) के माध्यम से अथवा इनके अभाव में परियोजना के लाभार्थियों द्वारा स्थापित कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से पिछड़े एवं आगे के सम्बन्धों को सुविधाजनक बनाना है। बहु सेवा केन्द्रों(एमएससी)/ कृषक उत्पादक संगठन(एफपीओ) का उद्देश्य फसल कटाई के बाद के कार्यो जैसे सुखाना, सफाई, श्रेणीकरण और विपणन सहित खरीद, प्रसंस्करण से उत्पादकों की आय को बढ़ाना हैं।

प्रकाशन

लैण्ड बैंक जरनल एक नए रूप में

हाल ही में फेडरेशन ने कागज़ एवं मुद्रण की गुणवत्ता में सुधार करते हुए लैण्ड बैंक जरनल के आकार में परिवर्तन किया है। फेडरेशन ने जरनल (पत्रिका) के सम्पादन एवं प्रकाशन में पेशेवर सहयोग प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख दैनिक राष्ट्रीय में कार्य कर चुके एक वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार की सेवाएं अनुबंधित की हैं। उनकी सेवाएं सदस्य बैंकों के लिए बैंक के अध्यक्ष अथवा नेतृत्व दल के साक्षात्कार पर आधारित विशिष्ट लेख तैयार करने तथा बैंक आदि द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण घटनाओं आदि पर विशिष्ट लेख/रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी उपलब्ध हैं। जरनल (पत्रिका) में (दीर्घकालीन साख संरचना) क्षेत्र की हाल ही की घटनाओं के विवरण के साथ ही एक नियमित स्तम्भ भी दिया जाएगा जिसमें प्रकाशित, एक विचारधारा सृजित करने में अपना विचार और आवाज़ देने के लिए, क्षेत्र के अग्रणी/दीर्घानुभवी महानुभावों के लेख/समीक्षा, नीति निर्माताओं की सोच का आंकलन और विश्लेषण करने का एक सुव्यवस्थित मंच बन सके। जरनल के ये नये वैशिष्ट्य मार्च 2017 के अंक से आरम्भ किये गये थे। लैण्ड बैंक जरनल का प्रकाशन पीआरडी प्रकोष्ठ का एक महत्वपूर्ण कार्य हैं। वर्ष के दौरान लैण्ड बैंक जरनल के तीन अंक अर्थात-जून 2018, सितम्बर 2018 तथा दिसम्बर 2018 का

प्रकाशित एवं परिचालित किये जा चुके है तथा मार्च 2019 का अंक प्रकाशन के अधीन है।

वार्षिक सांख्यकी बुलेटिन

सदस्य बैंकों से सम्बन्धित क्रियाकलापों के आंकड़ों का संकलन एवं संग्रहण तथा वार्षिक सांख्यकीय बुलेटिन का प्रकाशन का कार्य भी प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। वर्ष 2016-17 के सांख्यकी बुलेटिन का प्रकाशन वर्ष के दौरान किया गया। 2017-18 का बुलेटिन संकलन के अधीन है। फेडरेशन इस महत्वपूर्ण प्रकाशन को एआरडी बैंकों के क्रियाकलापों के बुनियादी स्तर के आंकडों से सम्बन्धित युक्त संगत सूचना तंत्र से अद्यतन किये जाने के लिये प्रयत्नशील है।

एआरडी बैंकों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन

फेडरेशन सदस्य बैंकों की अपने स्तर पर तथा भारत सरकार को प्रतिवेदित करने हेतु समीक्षा के लिये मुख्य क्रियाकलापों के आंकड़ों का संग्रहण एवं संकलन मासिक आधार पर करता है। ऋण वितरण, वसूली निष्पादन, उधार राशियां तथा जमा संग्रहण आदि मुख्य क्षेत्र हैं जो इस मासिक प्रगति प्रतिवेदन में अन्तर्निहित हैं। अप्रैल 2018 से फरवरी 2019 तक 11 समेकित मासिक प्रगति प्रतिवेदन 2018-19 के दौरान प्रकाशित किये गये। मार्च 2019 का प्रतिवेदन संकलन के अधीन है।

VI. 2018-19 के दौरान विकास-मुख्य आकर्षण

निवेश ऋण में एआरडी बैंकों के अंश को बढ़ाने पर कार्यदल का प्रतिवेदन

निवेश ऋण में एआरडी बैंकों के अंश को बढ़ाने पर श्री वाई. सी. नन्दा, भूतपूर्व अध्यक्ष, नाबार्ड की अध्यक्षता मे फेडरेशन द्वारा गठित कार्यदल ने अपनी आख्या 1 नवम्बर 2018 को प्रस्तुत की। कार्यदल ने एआरडी बैंकों की संरचना, रूपरेखा तथा व्यवसाय माडल वित्तीय एवं मानव संसाधन तथा प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य में उनके ग्रामीण साख व कृषि निवेश में अंश को बढ़ानें की क्षमता निर्माण के लिये अनेक सिफारिशें की हैं।

कार्यदल ने देखा कि निवेश ऋण में एआरडी बैंकों का अंश वर्ष 2000 के प्रारम्भ से शनै-शनै कम होता जा रहा है। इस संरचना क्षेत्र का निवेश ऋण के वार्षिक वितरण में 1995 में 22 प्रतिशत योगदान था जो 2017-18 में 1.6 प्रतिशत नीचे गिर गया। जब इस अवधि में बाजार 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर था, एआरडी बैंक का मात्र 2 प्रतिशत पर था। पूर्व प्राप्त नीतियों तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असाम, तथा बिहार जैसे प्रमुख राज्यों में दीर्घकालीन संरचना के विघटन/रुग्णता के कारण असम्बद्ध हानियों के कारण हुई अंशों कीं गिरावट ने उल्लेखनीय योगदान दिया। कार्यदल ने इस मुद्दे की बहुत बारीकी से जांच की तथा निम्नाकित प्रमुख मुद्दों की पहचान की।

संरचनात्मक एवं कार्यात्मक त्रुटियों की पहचान करना

कार्यदल ने अनुभव किया कि संरचनात्मक कमियों का अंतिम समाधान जैसा कि कपूर समिति तथा वैद्यनाथन टास्क फोर्स-II द्वारा संस्तुति किया गया है, संरचना में संस्थानों का रूपान्तरण पूर्णरूप से बैंक के रूप में किया जाना है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक को एआरडीबैंकों को बैकिंग लाइसेन्स दिया जाना अभी शेष है।

कार्यदल का मानना है कि बैंकिंग नियामक अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के अन्तर्गत एकात्मक एससीएआरडी बैकों को प्राथमिक सहकारी बैंक के रूप में लाइसेन्स दिया जा सकता है। संघीय एससीएआरडी बैंकं, बैंकिंग लाइसेन्स प्राप्त करने के लिये यदि आवश्यक हुआ तो एकात्मक हो जाने के लिये सहमत है। यद्यपि यह हितधारकों द्वारा समन्वित प्रयास के साथ मध्य अवधि में ही केवल सम्भव होगा।

आन्तरिक सुधार

अल्प अवधि में, अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने तथा बाजारी हिस्सेदारी बढ़ाने व बैंकिंग लाइसेस पाने की तैयारी के लिये, संरचना की संस्थाओं को आंतरिक सुधारों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में कार्यदल की निम्नांकित महत्वपूर्ण संस्तुतियां हैं:-

- निवेश ऋण के ऋणी सदस्यों की उत्पादन ऋण/कार्यशील पूँजी की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करना।
- एआरडी बैंकों के फसल ऋण पाने वाले किसानों को भी भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान प्रदान कराया जाए।
- विभिन्न उद्देश्यों के लिये निवेश ऋण, आवधिक ऋण के रूप में एक अवधि/एक उत्पादन चक्र के लिये उत्पादन ऋण/कार्यशील पूँजी मिले-जुले ऋण के रूप में दिया जा सकता है।
- एससीएआरडी बैंकों को दीर्घ कालीन ऋणी सदस्यों की वृद्धिंगत कार्यशील पूँजी/उत्पादन ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपने अल्पकालीन संसाधनों को जमा तथा ऋण देने के माध्यम से बढ़ाने की आवश्यकता है।
- एआरडी बैंकों को समूह आधारित समूह खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- एससीएआरडी बैंकों को अग्रिम एवं पिछड़े सम्बन्धों तथा अन्य समर्थन सेवाओं के विस्तार के लिए सभी पीसीएआरडी बैंकों/शाखाओं को बहु सेवा केन्द्र स्थापित करना चाहिए।
- एससीएआरडी बैंकों के अकृषि क्षेत्र में घटते अंश विचारणीय विषय है। इसके रोजगार सृजन की क्षमता तथा ऋण वसूली में कृषि क्षेत्र के ऋण की तुलना में अपेक्षाकृत कम समस्याओं को देखते हुए कुल ऋण वितरण में एनएफएस के अंश ऊपर उठने चाहिए।
- एससीएआरडी बैंकों ने आगामी पांच वर्षों के लिये निवेश ऋण में 12.72 प्रतिशत की वृद्धि दर प्रदर्शित की है। एससीएआरडी बैंकों को इन मंसूबो को पूरा करने के लिये पृथक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है।

एससीएआरडी बैंकों के लिए नाबार्ड का पुनर्वित्त

- निवेश ऋण अग्रिम में प्रदर्शित वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये नाबार्ड की एससीएआरडी बैंकों को पुर्नवित्त पोषण को 15.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर बढ़ने की आवश्यकता है।
- जैसा कि अधिकांश राज्य गारण्टी वैधानिक अन्तिम सीमा पर पहले ही पहुँच चुके हैं जिससे पुर्नवित्त हेतु सरकारी गारण्टी की शर्त को पूरा कर पाना तेजी से और अधिक दुरूह होता जा रहा है।
- इसलिये नाबार्ड, एससीएआरडी बैंकों के लिए, उनकी बिना सरकारी गारण्टी वाली भाररहित गुणवत्ता वाली सम्पत्ति, जिसे एससीएआरडी बैंकों के मूल्यांकन एवं मापदण्ड के अनुसार जोखिम मूल्यांकन और सम्प्रेक्षा वर्गीकरण से जोड़ा जा सकता है, पर आधारित अतिरिक्त पुनर्वित्त योजना प्रारम्भ करने के बारे में विचार कर सकता है। ये बैंको को आंतरिक रूप से और अधिक संसाधन जुटाने के लिये अभिप्रेरित करेगा तथा उन्हें राज्य सरकार को महसूस कराने में सहायता करेगा।
- नाबार्ड पुनर्वित्त से सम्बन्धित अन्य मुद्दे :-
  - चूंकि एआरडी बैंकों के पास पुनर्वित्त के अन्तराल को भरने के लिये अपने कोई निजी कोष नहीं हैं अत: नाबार्ड सभी उद्देश्यों के लिये शतप्रतिशत पुनर्वित्त पर विचार कर सकता है।
  - एलटीआरसीएफ का समर्थन एससीएआरडी बैंकों को कोषों की औसत लागत को संतुलित करने में सहायता करता है। किसानों के लिये ऋणों की लागत को कम कराने में एलटीआरसीएफ से बढ़ा हुआ समर्थन पर विचार किया जा सकता है।
  - बहु सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिये पीसीएआरडी बैंकों/शाखाओं द्वारा प्राप्य की प्रतिभूति सुरक्षा पर आनुषंगिक मुक्त ऋण दिए जा सकते हैं।
  - जोखिम प्रतिरोधन के लिये भुगतान किये गये गारण्टी शुल्क को ध्यान में रख कर पुनर्वित्त के लिए सरकार द्वारा दी गई गारण्टी पर जोखिम लागत को छोड़ना।

जमा संग्रहण

सार्वजनिक जमा

- जमा संग्रहण पर दिनांक 26 अगस्त 1997 के नाबार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार एससीएआरडी बैंकों को सार्वजनिक सावधि जमा संग्रहण की अनुमति दी गई है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत जमा, भागीदार फर्म, ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनी अथवा किसी अन्य संस्था अथवा एसोसिएशन से, निम्नांकित शर्तो के अधीन जमा स्वीकार किये जा सकते है:-
  - योजना के अन्तर्गत 15 प्रतिशत जमा शेष, बैंकों में जमा

अथवा सरकारी प्रतिभूतियों सहित नगद रोकड़, के रूप में तरल रूप में रखा जाना है।

- केवल सावधि जमा जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं है, को संग्रहीत/वसूल किया जा सकता है।
- कुल जमाराशियों के शेष किसी भी समय एससीएआरडी बैंकों के शुद्ध निजी कोषों से अधिक नहीं होंगे।
- संघीय संरचना के अंतर्गत पीसीएआरडी बैंक, अपने निजी जमा निवेश स्वीकार करने से पहले, प्रारम्भ में कम से कम 2 वर्ष के लिए एससीएआरडी बैंकों के एजेन्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- कार्यदल ने पाया है कि एआरडी बैंक दो दशको से अधिक से सार्वजनिक जमा निवेश स्वीकार कर रहें हैं, अब उपर्युक्त दिशा निर्देशों एवं राज्यों के अनुसार जमा संग्रहण के उस अनुभव को देखते हुये तथा वस्तुत: देनदारियों को पूरा करने में असफलता/विलम्ब के कोई उदाहरण अभी तक नहीं पाये जाने की स्थिति में : एआरडी बैंकों द्वारा, विषेश रूप से आवधिक जमा और जमा राशियों की अंतिम सीमा के संदर्भ में, अपने सार्वजनिक जमा संग्रहण के क्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिये।
- चूंकि एससीएआरडी बैंकों ने अल्पकालीन ऋणों की शुरुआत की है, अत: निवेश जमा में अवधि के प्रतिबन्ध पर छूट दिये जाने पर विचार किया जा सकता है। इसी तरह वैद्यनाथन टास्क फोर्स-।। की संस्तुति पर आधारित एनबीएफसीज पर लागू मानदण्ड को लेते हुये निवेश जमा की सीमा और तरल निधियों के प्रतिशत को सुविधानुसार संशोधित किया जा सकता है।

सदस्य के निवेश जमा

- नाबार्ड द्वारा 1997 में जारी की गई योजना के अनुसार सार्वजनिक जमा स्वीकार करना।
- एआरडी बैंक्स अपने सदस्यों से भी एससीएआरडी बैंकों के प्रबन्धन मण्डल द्वारा अनुमोदित जमा योजना के अंतर्गत निवेष जमा स्वीकार कर रहे हैं।
- कार्यदल ने सिफारिश की है कि सदस्य जमा योजना के अंतर्गत आने वाले सभी जमाकर्त्ताओं को मतदान के अधिकार वाले सदस्यों के रूप में नांमांकित होना चाहिए।

सीआरएआर (क्रार) आरक्षित परिसम्पत्ति की तुलना में पूँजी का अनुंपात

- एससीएआरडी बैंक-गुजरात, केरल और तमिलनाडु को छोड़ कर अधिकांश बैंकों का सीआरएआर (क्रार) 9 प्रतिशत के अपेक्षित स्तर से कम है।
- बैंकों को क्रार को पूरा करने के लिये दीर्घ अवधि के जमा स्वीकार कर अपना पूँजीगत आधार सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता हैं जो द्वितीय श्रेणी की पूँजी की अर्हता रखती है तथा एनपीए के प्रावधानों के सापेक्ष बन्द पूँजी को खोलती है।
- एआरडी बैंकों को वर्ष में जिनके ऋण खाते बन्द हो गये हैं, वैधानिक सम्प्रेक्षण पूर्ण होने से पहले अंश पूँजी को खत्म नहीं करना चाहिए।
- एआरडी बैंक अपने ऋणी सदस्यों को ऋण खाता बन्द होने के बाद सुनिश्चित लाभ के साथ अंश धन को दीर्घ अवधि की जमा में रूपान्तरित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं जो क्रार की आवश्यकताओं के साथ आवेदन करने के लिये द्वितीय श्रेणी पूँजी की योग्यता रखता है।

नाबार्ड के अतिरिक्त अन्य उधार ऋण के मार्ग

- एससीएआरडी बैंकों को अल्प कालिक/मध्यावधि ऋण उपलब्ध हैं जिन्हें अल्पकालीन उत्पादों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- सुदृढ़ वित्तीय स्थिति तथा उच्च वसूली दरों वाले एससीएआरडी बैंक संपार्श्विक के बिना प्राप्तियों की सुरक्षा के आधार पर एनसीडीसी ऋणों के लिए अर्हता रखते हैं।
- एससीएआरडी बैंकों को नेशनल रूरल हाउसिंग फण्ड के अंतर्गत संघीय ढांचे के मामले में 60 प्रतिशत से अधिक ऋण वसूली तथा एकात्मक ढांचे के मामले में 70 प्रतिशत से अधिक ऋण वसूली तथा बिना संपार्श्विक के साथ एनएचबी से पुनर्वित्त उपलब्ध है।
- एससीएआरडी बैंकों को अपना मूल्यांकन अधिकृत मूल्यांकन एजेन्सी से कराना चाहिए जो वित्तीय रूप से सुदृढ़ एससीएआरडी

बैंकों को वाणिज्यिक बैंक अनुकूल शर्तो पर ऋण सुविधा प्रदान कराने में सहायक होंगे।

- नाबार्ड तथा अन्य ऋण दाता एजेन्सियों से संपार्श्विक मुक्त ऋण के लिये मूल्यांकन भी मार्ग प्रशस्त कर सकता हैं।

अतिदेयों एवं एनपीए से निपटना

2012-13 में आंतरिक सुधारों की शुरुआत के बाद अंतिम ऋणी सदस्य स्तर तथा शीर्ष स्तर पर दोनों पर ही वसूली स्थिति में उल्लेखनीय सुधार दृष्टिगोचर हुए हैं। यद्यपि 2016-17 में विमुद्रीकरण के कारण जो 2017-18 में भी जारी रहा, तथा पूरे देश में राज्य सरकारों द्वारा घोषित ऋण माफी योजना के कारण ऋण वसूली को बहुत बड़ा झटका लगा।

कार्यदल ने एससीएआरडी बैंकों तथा पीसीएआरडी बैंकों द्वारा वसूली नीति निर्धारित करने, कार्य निष्पादन व पर्यवेक्षण की व्यवस्था के साथ सम्बन्धित कर्मचारी के जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने की आवश्यकता पर जोर दिया। फेडरेशन ने सुधार हेतु सुझावों, ऋण वितरण एवं देय तिथि भुगतान/स्वैच्छिक भुगतान की उच्च दर प्राप्त करने हेतु पुनर्भुगतान प्रणाली तथा दुराग्रही बकायेदारों के विरुद्ध एक प्रभावशाली निवारक के रूप में वसूली नीतियों के निर्धारण के साथ साथ विधिक वसूली प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं। कार्यदल ने सुझाव दिया है कि एससीएआरडी बैंक तथा पीसीएआरडी बैंक वसूली नीतियों का क्रियान्वयन तथा रणनीतियों का निर्धारण,फेडरेशन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप करें।

- एससीएआरडी बैंक तथा पीसीएआरडी बैंकों को सकल एनपीए को संतोषजनक स्तर पर लाने के लिये ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। एआरडी बैंकों को प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से मार्च तक उन खातों पर केन्द्रित करते हुय जो मार्च के अंत में एनपीए के लिये वर्गीकृत हैं, विशेष अभियान चलाना चाहिए।
- कार्यदल ने जोखिम प्रबन्धन के अनेक उपायों की भी सुस्तुति की है जैसे कि :- क्रेडिट पोर्टफोलियों के विस्तार हेतु सुझाव देने के लिये प्रधान कार्यालय पर जोखिम प्रबन्धन समिति
  - उपयुक्त ऋण जोखिम मापदण्ड विकसित करना।
  - मूल्यांकन प्रणाली सुधारना
  - ऋणी सदस्य के वित्तपोषण स्तर पर परिसम्पत्ति का बीमा।
  - ऋणों की वसूली हेतु त्रिपक्षीय व्यवस्था के साथ कृषि मूल्य श्रृंखला का वित्तपोषण।

प्रौद्योगिकी अभिग्रहण एवं उन्नयन

- फेडरेशन ने एनआईसीद्वारा एआरडी बैंकों के लिये विकसित समान साप्टवेयर तथा कोर बैंकिंग समाधान की संस्तुति पूर्व में की है।
- अधिकांश एससीएआरडी बैंक पहले ही कम्प्यूट्रीकरण तथा कोर बैंकिंग समाधान के लिये एनआइसी से समझौता ज्ञापित कर चुके हैं। यद्यपि क्रियान्वयन की प्रगति धीमी है। एनआईसी तथा एससीएआरडी बैंकों को कम्प्यूट्रीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिये एक निर्धारित समय सीमा का निर्धारण करना होगा।

मानव संसाधन विकास

- लगभग सभी राज्यों के एआरडी बैंकों में मात्रा एवं गुणवत्ता के मामले में मानव संसाधन की कमी है। एकबार कर्मचारी मापदण्ड तथा भर्ती प्रक्रिया सरकार/रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा अनुमोदित हो जाते हैं, बैंकों को स्टार्फिंग पैटर्न के अनुरूप बिना अग्रिम अनुमोदन कराये, नियुक्ति करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
- एससीएआरडी बैंक तथा पीसीएआरडी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जा सकती है।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सहयोग देने, शीर्ष प्रबन्धन स्तर पर नीतियों की स्थिरता और निरन्तरता बनाये रखने के लिए मध्यम स्तर के प्रबन्धन में पेशेवरों के एक संवर्ग का निर्माण।
- सी-पेग (सी-पीईसी) द्वारा अधिकारिक प्रमाणन हेतु दिशा निर्देश के अनुरूप जेएलटीसी में सुधार। कार्य के लिये उपयुक्त योग्यता अर्जित करने के लिये यथोचित प्रोत्साहन व्यवस्था के प्रारम्भ के द्वारा कर्मचारियों को आत्म प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षण आवश्यकता का आंकलन तथा कैरियर में प्रगति के लिये महत्वपूर्ण मानदण्ड के रूप में कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।

- स्टाफ पैटर्न मापदण्डों की आवधिक समीक्षा, कार्य आवंटन एवं आवर्तन, अनेक स्तरों पर सीधी भर्ती की नीति, अनुक्रम के साथ साथ संरचना आदि में कई स्तरों पर अधिकारों के प्रत्यायोजन

लाभप्रदता

- लाभप्रदता सुधार के लिये एससीएआरडी बैंकों को निम्नांकित उपायों पर लक्ष्यित करना होगा:-
- सम्पूर्ण संरचना के लिए ब्याज की सीमा 5 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर रखते हुए ऋणों का वास्तविक मूल्य निर्धारण।
- ऋण जारी किये जाने के बाद पुनर्वित्त लागत में बाद में वृद्धि पर ऋणो पर आधारित ब्याज दरों में संशोधन।
- हानि से बचने तथा बकाये पर प्रोत्साहन देने से बचने के लिए बकाया ब्याज पर उसी दर से ब्याज लिया जाना चाहिए।

आदर्श वसूली नीति

फेडरेशन के प्रबन्धन मण्डल द्वारा अभी हाल ही में सदस्य बैंकों के लिये निर्धारित आदर्श वसूली नीति ऋण एवं वसूली प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तुत करती हैं। बैंकों को ऋण वसूली को, एक अंतिम कदम के रूप में नहीं वरना ऋण चक्र के एक आवश्यक अंग के रूप में देखने की आवश्यकता है जिससे ऋण अधिकारी ऋण की पूरी अवधि के दौरान उस ऋण की वसूली के लिये उत्तरदायी बना रहे। ऋण खातों के मामलों की सामयिक छानबीन करते रहने से भुगतान में बकाये से बहुत हद तक बचा जा सकता है। कृषि के आवधिक ऋणों में अपनाई जा रही देय तिथि की तिमाही/छमाही/वार्षिक किस्त प्रणाली से शुरुआती पहचान मुश्किल हो जाती है क्योंकि जब ऋण की धनराशि का समस्या ग्रस्त होना पता चल पाता है तब तक एक या अधिक किस्तें बकाया हो जाती हैं, ऋणी सदस्य की सामान्य स्थिति में भुगतान कर पाने की क्षमता से परे बकाया धनराशि बढ़ जाती है।

कृषि अनेक जोखिमों से ग्रस्त है, जैसे जलवायु जोखिम, कीमत जोखिम, कीटों एवं बीमारियों का जोखिम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से फसल बीमा में सुधारों के बावजूद विगत दो वर्षो में फसल बीमा का आवृत्त क्षेत्र किसानों का 40-45 प्रतिशत तक ही सीमित रहा। इसी तरह ऐसी भावना बढ़ रही है कि केन्द्र और राज्य सरकारों की अनुदान की बहुत बड़ी धनराशि फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल बीमा में जा रही जों केवल बीमा कम्पनियों को लाभ पहुँचाती हैं जब कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक क्षतिपूर्ति के भुगतान के रूप में केवल सकल प्रीमियम का 60-65 प्रतिशत संग्रहीत हुआ, वो भी ऋण वितरण में काफी विलम्ब के बाद। पिछले दो वर्षो में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सकल प्रीमियम की कुल धनराशि रु.470408 करोड़ के सापेक्ष कुल अदायगी मात्र रु.31613 करोड़ की हुई। बताया गया कि इस वर्ष फसल बीमा नामांकन 15 प्रतिशत नीचे आ गया है, जिसके लिये बहुत हद तक क्षतिपूर्ति पाने के लिये किये गये दावों के अनुमोदन के मुद्दों को उत्तरदायी माना गया है। फसल हानि के अतिरिक्त किसानों को मौसम की कठोर घटनायें, जो अब प्रतिदिन हो रही हैं, में प्राय: कृषि सम्पत्ति के विनाश व बरबादी के कारण काफी हानि उठानी पड़ती हैं। साथ ही किसान आमतौर पर ऊंची लागत के कारण कृषि परिसम्पत्तियों का बीमा करने से कतराते हैं। इस समस्या का हल करने के लिये फसल बीमा योजना की तरह सरकार के आर्थिक सहयोग के साथ कृषि सम्पत्ति बीमा योजना की आवश्यकता है। वस्तुत: फसल बीमायोजना के अंतर्गत सृजित किये गये विशाल अधिशेष के हिस्से को वर्तमान में, इस प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है। वर्तमान में कृषि परिसम्पत्तियां कुल मिलाकर बीमारहित हैं। किसानोंकी क्षतिपूर्ति विहीन हानियों के कारण बैंको की, जो इन परिसम्पत्तियों के आधार पर वित्त प्रदान कराते हैं, उनके जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाती है।

आदर्श वसूली नीति का सुझाव है कि बैंक को इन जोखिमों के प्रति जागरुक बनाने का प्रयास करना चाहिए और ऋण परियोजनाओं में इस प्रकार के जोखिमों पर ध्यान दे। आंशिक अथवा पूर्णरूप से खराब फसल वर्ष में, इस प्रकार की हानियों की सीमा और उसका ग्राहक की ऋण भुगतान क्षमता पर प्रभाव पर आधारित कृषि के सावधि ऋणों के लिए किस्तों को पुनर्निधारित करने हेतु प्रावधान किया जाना बहुत आवश्यक है। समय से किस्तों के भुगतान में आने वाली दूसरी प्रमुख बाधा ग्रामीण ग्राहकों में वित्तीय साक्षरता का अभाव होना है। ऐसा देखा गया है कि जो ग्राहक अपनी आय और व्यय का लेखाजोखा नहीं रखते, इच्छा और सामर्थ्य होने के बावजूद समय से आमदनी के प्रवाह के खराब प्रबन्धन के कारण समय से ऋण अदायगी कर पाने में

असफल रहते है। एआरडी बैंकों को ऐसे ग्राहकों की बचत और बचत खातों की सुविधा प्रदान कराते हुये उनकी नियमित बचत को संचित कर सहायता करनी चाहिए। वे ग्राहक जो निवेश ऋण की सुविधा प्राप्त कर रहें हैं, के ऋणों की स्वीकृति, कार्यशील पूँजी/उत्पादन ऋण आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिये पर्याप्त व्यवस्था, ग्राहकों द्वारा लिये गये ऋण के उपयोग की गतिविधियों का नियमित निरीक्षण, समय से भुगतान करने पर प्रोत्साहन भुगतान योजना का शुभारम्भ किये जाने की व्यवस्था, ऋण अधिकारी को उसके ऋण वसूली कार्य निष्पादन पर प्रोत्साहन/दण्ड व्यवस्था, नियमित और निरन्तर अनुवर्ती सुविधा के लिये विशेष रूप से छोटे ऋणों की स्वीकृति के लिये संघ आधारित समूह अवधारणा, ऋणी सदस्य की ऋण प्रक्रिया को पूरा कराने में निरर्थक व्ययों को बचाना, देय तिथि से पूर्व अदायगी पर प्रोत्साहन के बारे में सूचित करना और देय तिथि के बाद वसूली के लिये एक निर्धारित मानक प्रक्रिया के पालन किये जाने के बारे में आगाह करना, आदर्श वसूली नीति के अन्य प्रमुख आकर्षण हैं। आदर्श वसूली नीति विधिक वसूली प्रक्रिया को वसूली लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन से अधिक एक निवारक के रूप में अधिक देखती है। कम किस्तों में अतिरिक्त अवधि के लिये पुनर्निधारण और पुनर्गठन तथा अधिभार के एक अंश को माफ करते समय अतिदेय खातों को नियमित करने के लिये अनुशंसित है, जब बकाया पड़ने के कारण प्रामाणिक हैं, उन मामलों में जब ग्राहक भुगतान करने की सामर्थ्य रखते हुए भी ऋण अदायगी से बचता है, इस स्थिति में विधिक वसूली प्रक्रिया ही एकमात्र विकल्प है। देखा गया है कि विधिक कार्यवाही को प्रभावी ढंग से पूरा कर लेने पर कुछ मामलों में दुराग्रहपूर्ण बकाये की घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। बंधकग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय हेतु नीलामी का राज्य व्यापी प्रचार कराना, नीलामी में अन्य जनपदों के सम्भावित कायकर्त्ताओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना, जहां आवश्यकता हो, सम्भावित क्रर्ताओं के ऋणों की स्वीकृति करना, कर्मचारियों आदि की कमी होने की स्थिति में विक्रय प्रक्रिया को पूरा करने के लिये ।

दिनांक ६ मार्च २०१९ को फेडरेशन के प्रतिनिधियों की नाबार्ड के अध्यक्ष के साथ सम्पन्न बैठक

नाबार्ड से सम्बन्धित एआरडी बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये कार्यदल की रिपोर्ट की संस्तुति पर फेडरेशन के प्रतिनिधियों की एक बैठक नाबार्ड के अध्यक्ष डाक्टर हर्ष कुमार भांनवाला, व नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिनांक 6 मार्च 2019 को सम्पन्न हुई। बैठक में हुए विचार विमर्श का सारांश निम्नवत है:-

श्री के. शिवदासन नायर, अध्यक्ष फेडरेशन ने अपने संक्षिप्त अभिभाषण में नाबार्ड से एससीएआरडी बैंकों को भारत सरकार की ब्याज अनुदान योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु सहयोग प्रदान करने के साथ ही एससीएआरडी बैंकों को बैंकिंग लाइसेन्स मापदण्ड निर्धारित किये जाने के मामले में समर्थन करने के लिये अनुरोध किया। उन्होनें अभी हाल ही में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई ऋण माफी तथा लोक सभा चुनावों में भी आगे ऋण माफी के किये गये वायदों के कारण ऋण वसूली के बिगड़ते हालात के बारे में भी बताया। कार्यदल के अध्यक्ष श्री वाई. सी. नन्दा ने अपनी महत्वपूर्ण संस्तुतियों की जानकारी देते हुए कहा कि एससीएआरडी बैंक को सामान्य तौर पर सरकारी गारण्टी निर्गत की जाने वाली कुल गारण्टी पर वैधानिक सीमा प्रतिबन्ध के कारण अपेक्षित सीमा तक की गारण्टी पाने में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त अधिकांश मामलों में एससीएआरडी बैंकों को गारण्टी शुल्क के बोझ को स्वयं वहन करना पड़ता है जिससे उनकी लाभप्रद कार्यप्रणाली प्रतिकूलरूप से प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में कार्यदल ने गुणात्मक परिसम्पत्ति एवं अन्य गुणात्मक मानदण्डों पर आधारित जो बिना सरकार की गारण्टी के अथवा अन्य समपार्श्व के निर्धारित किये जा सकते हैं नाबार्ड द्वारा एक नया अतिरिक्त पुनर्वित्त उत्पाद प्रस्तुत करने का सुझाव दिया है। उन्होंने प्रबन्धन मण्डल में दो पेशेवरों को सम्मिलित किये जाने के प्रावधान को लाये जाने के सम्बन्ध मे भी सलाह दी है। इसी प्रकार एससीएआरडी बैंकों के प्रबन्धन मण्डल में नाबार्ड के प्रतिनिधियों को प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिये मार्गदर्शन करते हुये सक्रिय भूमिका निर्वहन करनी चाहिए।

श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक फेडरेशन ने नाबार्ड से सम्बन्धित कार्य दल की महत्वपूर्ण संस्तुतियां, जिनमें सभी उद्देश्यों के लिये शतप्रतिशत पुनर्वित्त का प्रावधान सम्मिलित है, दीर्घकालीन ऋणी सदस्यों की अल्पकालिक उत्पादन एवं कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशिष्ट ऋण की व्यवस्था, पीसीएआरडी बैंकों को

सहायता देने के लिये योजना का विस्तार करना, एकात्मक एससीएआरडी बैंकों को भी बहु सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिये सहायता देना, तथा सृजित परिसम्पत्तियों एवं प्राप्य की सुरक्षा पर इस उद्देश्य के लिये संपार्श्विक मुक्त सुलभ ऋण उपलब्ध कराना, वार्षिक गारण्टी, जो अभी भी कुछ राज्यों में प्रचिलित है के स्थान पर रिवाल्विंग ब्लॉक गारण्टी को आरम्भ करने के साथ ही राज्य स्तर पर नीतिगत वातावरण में सुधार के लिए नाबार्ड के हस्तक्षेप की आवश्यकता, उनके अधिदेश को उचित मान्यता के साथ सदस्यों के जमा निवेश सावधिक जमा तथा कुल जमा धनराशि की सीमा के बिना किसी प्रतिबन्ध के स्वीकार करने,सम्बन्धी एआरडी बैंकों के जमा संग्रहण के सम्बन्ध में नाबार्ड की नीतियों को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता, धन की औसत लागत को संयत करने के लिये एलटीआरसीएफ के अंतर्गत आंवंटन में एससीएआरडी बैंकों को वरीयता।

डाक्टर हर्ष कुमार भानवाला, अध्यक्ष, नाबार्ड ने कहा कि एक ओर जब कृषि ऋण दो गुनी गति से बढ़ रहा है, एआरडी बैंकों की ऋण वितरण में परिलक्षित गिरावट गम्भीर चिन्ता का विषय है। संरचना का अस्तित्व खतरे में हैं जब तक कि यह प्रवृत्ति उलट नहीं जाती। इसे सुगम बनाने में राज्य सरकारों की नीतियां विशेष महत्व रखती हैं। संरचना को नीतिगत समर्थन के मुद्दे पर राज्य सरकार से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। उन्होनें कहा कि इस प्रक्रिया में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को सक्रिय रूप से सम्मिलित होने की सलाह दी जायेगी। नाबार्ड की पुनर्वित्त से सम्बन्धित नीतियों पर अनेक सुझावों के प्रतिउत्तर में डा. हर्ष कुमार भानवाला ने निम्नांकित क्षेत्रों में नाबार्ड के सहयोग का आश्वासन दिया :-

- यद्यपि एआरडी बैंकों के लिए उपलब्ध लाभ को प्रभावित करते हुए नाबार्ड के पुनर्वित्त पर ब्याज की दर विगत दो वर्षो में ऊंची रहीं, 2018-19 के दौरान ब्याज दर संशोधन का लाभ ग्राहक संस्थानों को हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2018-19 में एआरडी बैंकों के लिये एलटीआरसीएफ सहित कोष की औसत लागत को 7 प्रतिशत नीचे लाया जा सका।
- फेडरेशन को एससीएआरडी बैंकों को एलटीआरसीएफ के अंतर्गत उनके आवंटन की मांग वर्ष के प्रारम्भ में ही इंगित कर देने की सलाह देनी चाहिये जिससे कि सरकार की गारण्टी मिलने में देरी के कारण आहरण में विलम्ब होने पर भी उसे समायोजित किया जा सकता है।
- नाबार्ड को एआरडी बैंकों के अपने सदस्यों के जमा निवेश की अवधि सहित प्रबन्धन मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार किये जा रहे जमा संग्रहण पर कोई आपत्ति नहीं है।
- नाबार्ड शीघ्र ही एआरडी बैंकों द्वारा जमा संग्रहण पर संशोधित दिशा निर्देश निर्गत करेगा।
- गुणात्मक परिसम्पत्तियों सहित एससीएआरडी बैंक वाणिज्यिक बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के परिसम्पत्तियों के साथ प्रतिभूतीकरण किये जाने पर विचार कर सकता है।
- राज्य सरकार के साथ परामर्श में एससीएआरडी बैंकों को अन्य वित्तीय संस्थानों/बैंकों से परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतीकरण के माध्यम से संसाधन सहयोग प्राप्त करने के लिये एक नीति विकसित करने की आवश्यकता है।
- नाबार्ड भी एलटीआरसीएफ के अंतर्गत वित्त पोषण के साथ साथ निवेश ऋण के लिये सामान्य स्थितियों में 7 वर्षीय समान भुगतान अवधि निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है।
- फेडरेशन को एससीएआरडी बैंकों के नीतिगत परिवेश में सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ मुद्दों को उठाना चाहिए और सलाह दी कि नाबार्ड को भी राज्यस्तरीय फोरम पर इन मुद्दों से भिज्ञ रखा जा सकता है।
- अतिरिक्त प्रक्रिया के अल्पकालीन पुनर्वित्त के अनुरोध के लिये फसली ऋणों के मामले का आंतरिक परीक्षण किया जायेगा फसली ऋणों को एससीएआरडी बैंकों को राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से अतिरिक्त उसी तरह एससीबी को एसटीएसएओ सीमा की स्वीकृति प्रदान करते हुए दिशा दी जानी होगी।
- फेडरेशन को सुनिश्चित करना चाहिए कि एससीएआरडी बैंकों ने अपनी कम्प्यूट्रीकरण प्रक्रिया को बिना किसी देरी से पूरा कर लिया है। ऋणों को दिशा दिये जाने सहित डिजिटलीकरण अन्य बैंकों के बीसी की तरह व्यवसाय विस्तार की पहली शर्त है।
- नाबार्ड एससीएआरडी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकरियों की

नियुक्ति पर उपयुक्त और उचित दिशा निर्देश निर्गत करने पर विचार करेगा।

एससीएआरडी बैंकों की वर्ष 2018-19 के लिये योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु नाबार्ड की पुनर्वित्त नीति

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एससीएआरडी बैंकों द्वारा पुनर्वित्त आहरण की पात्रता नाबार्ड द्वारा किये गये जोखिम मूल्यांकन से अभी भी सम्बद्ध है।

एससीएआरडी बैंकों की पुनर्वित्त पात्रता मंद जोखिम, नरम जोखिम, मध्यम जोखिम, उच्च जोखिम के अंतर्गत निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है :-

मानदण्ड	पुनर्वित्त की मात्रा
अ) निम्न जोखिम (अंक 65 और उससे अधिक)	नाबार्ड द्वारा अनुमोदित तथा राज्य बैंक के लिये समस्त आवंटन बैंक के वास्तविक ऋण वितरण स्तर तक पुनर्वित्त (आरपीएल)
ब) नरम जोखिम (अंक 50 से 64 तक)	पुनर्वित्त की मात्रा अंतिम तीन वर्ष की वसूली का 95% अथवा अंतिम वर्ष की 95% वसूली जो भी कम हो।
क) मध्यम जोखिम (अंक 40 से 49 तक)	दिनांक 1.09.2015 को परिपत्र में निहित वर्तमान निर्देशों के अनुसार आरओ की विशिष्ट संस्तुति के साथ प्रधान कार्यालय को संदर्भित मामलेपर विचार
ड) उच्च जोखिम (अंक 40 से कम)	

सम्पेक्षण आख्या : 2017-18 के लिये पुनर्वित्त निर्गमन एससीएआरडी बैंकों के सम्प्रेक्षण वर्गीकरण तथा नाबार्ड के निरीक्षण आख्या अवलोकन के संतोषजनक अनुपालन के अधीन होगा। केवल 'ए' तथा 'बी' सम्प्रेक्षा वर्गीकृत एआरडी बैंक पुनर्वित्त के पात्र होंगे। संप्रेक्षा वर्गीकृत 'डी' श्रेणी के पीसीएआरडी बैंक पुनर्वित्त के पात्र नहीं थे। अप्रैल 2018 से सितम्बर 2018 के दौरान एससीएआरडी बैंकों का जोखिम मूल्यांकन 31.03.2017 को उनकी अंकेक्षित वित्तीय स्थिति के आधार पर होगा। अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 तक का जोंखिम मूल्यांकन 31.03.2018 को अंकेक्षित वित्तीय स्थिति के आधार पर होगा। 1.10.2018 को अथवा उसके बाद आहरण केवल ऐसे एससीएआरडी बैंकों को किया जाना था जिनका 2017-18 का सम्प्रेक्षण पूरा हो गया था तथा सुसंगत सम्प्रेक्षण आख्या सम्बन्धित नाबार्ड के आर ओ के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई हो। 31.03.2018 को किसी भी वित्तीय मापदण्ड में सुधार अथवा गिरावट होने की स्थिति में (वैधानिक सम्पेक्षा पूर्ण हो चुकने के बाद) उसी को पुनर्वित्त की पात्रता के लिए प्रतिपादित किया जाएगा।

30 अंक अथवा उससे कम अंक लाने वाले एससीएआरडी बैंक को कोइ पुनर्वित्त नहीं दिया जाएगा। पुनर्वित्त निर्गमन से पूर्व आर ओ को राज्य सरकार की गारण्टी तथा पूरक जीआर ए के क्रियान्वयन की प्रामाणिकता की पुष्टि करने वाला पत्र प्राप्त करना होगा।

स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा : बैंक ऋण या परियोजनाओं के लिये कुल वित्तीय परिव्यय, कृषि एवं अकृषि क्षेत्र दोंनों को पुनर्वित्त मात्रा में बिना उच्चसीमा प्रतिबन्ध के दिया जाना जारी रखना है। यदि कोई एससीएआरडी बैंक पूर्व अनुमोदन प्रक्रिया के अन्तर्गत पुनर्वित्त प्राप्त करने की इच्छा रखता है, अपना प्रकल्प नाबार्ड के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हैं।

पुनर्वित्त का विस्तार-क्षेत्र : सभी महत्व वाले क्षेत्रों के लिए पुनर्वित्त की सीमा शतप्रतिशत जारी रहेगी तथा कृषि निवेश एवं कृषक साथी योजना के लिये अनुमोदित अन्य उद्देश्यों के लिये 95% है।

पुनर्वित्त पर ब्याज दर

वर्ष 2018-19 में नाबार्ड द्वारा अपने योजनाबद्ध ऋण वितरण, जो कम जोखिम वाले एससीएआरडी बैंकों के लिये इसकी अल्पकालिक पुनर्वित्त के लिये भी है, पर आवेषित ब्याज की दर पर समीक्षा नीचे प्रस्तुत की गई है :

वर्ष 2018-19 के दौरान योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु नाबार्ड पुनर्वित्त

(प्रतिशत में)

से प्रभावी	पांच वर्ष से ऊपर	तीन से पांच वर्ष	18 से 36 माह
03.5.2018	8.65 (8.30)* *22 जनवरी 2018 से प्रभावी	8.70 (8.40)* *22 जनवरी 2018 से प्रभावी	8.65 (8.40)* *22 जनवरी 2018 से प्रभावी
30.5.2018	9.25	9.35	9.30
14.6.2018	9.25	9.35	9.30
19.7.2018	8.80	9.00	8.75
10.8.2018	8.80	9.00	8.75
06.9.2018	9.05	9.25	9.00
08.10.2018	9.25	9.70	9.55
13.12.2018	9.25	9.70	9.55
16.01.2019	9.00	9.15	9.00

यहां पर यह देखा जा सकता है कि नाबार्ड के पुनर्वित्त की ब्याज दर जो 22 जनवरी 2018 को 8.30% थी, 3 मई 2018 को 35 आधार अंक बढ़ कर 8.65% हो गया और आगे 60 आधार अंकों की वृद्धि के साथ क्रमश: 30 मई 2018 और 14 जून 2018 को पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 9.25% के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। पुन: इसी अवधि में 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिये पुनर्वित्त में 30 आधार अंक एवं 60 आधार अंकों की वृद्धि हुई। यद्यपि 18 से 36 महीने की अवधि में नाबार्ड पुनर्वित्त की दर क्रमश: 25 आधार अंक और 65 आधार अंक बढ़ी।

19 जुलाई 2018 और 10 अगस्त 2018 से प्रभावी नाबार्ड के पुनर्वित्त की ब्याज दर क्रमश: 40 आधार अंक, 35 आधार अंक, तथा 55 आधार अंक उपर्युक्त पांच वर्षो, 3-5 वर्षो और 18-36 माह के लिये नीचे गिरी।

बाजार में प्रचलित (बढ़ती हुई) ब्याज दरों के साथ तालमेल बनाये रखते हुये, नाबार्ड ने क्रमश: 6 सितम्बर 2018, 8 अक्टूबर 2018 तथा 15 दिसम्बर 2018 से ऋण वितरण की दर में बढ़ोत्तरी की थी जैसा कि तालिका में ऊपर दिया गया है।

बाजार मे प्रचिलित घटती ब्याज दर व्यवस्था के परिणामस्वरूप, नाबार्ड ने भी अपने पुनर्वित्त की ब्याज दर में पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिये 25 आधार अंकों तथा 55 आधार अंकों की कमी की, दोनों क्रमश: 3-5 वर्ष और 18-36 माह में 16 जनवरी 2019 से प्रभावी है और जो वित्तीय वर्ष के अंत 31 मार्च 2019 तक जारी है।

3 मई 2018 और उससे आगे से प्रभावी, नाबार्ड ने निम्न जोखिम एससीएआरडी बैंकों के लिये अल्पकालीन पुनर्वित्त की ब्याज दर में निम्नानुसार संशोधन किया:-

प्रभावी तिथि ब्याज की दर(%)

03.5.2018	8.00
30.5.2018	8.65
14.6.2018	8.30
19.7.2018	7.85
10.8.2018	7.95
06.9.2018	8.10
08.10.2018	8.80
13.12.2018	8.65
16.01.2019	8.40

नाबार्ड के पुनर्वित्त पर संशोधन का सुझाव देने वाले सभी प्रासंगिक परिपत्रों को दिनांक 29 जून 2018, 15 सितम्बर 2018 तथा 18 जनवरी 2019 को सम्पन्न क्रमश: 155वीं, 156वीं तथा 157वीं बोर्ड की बैठक में सूचनार्थ रखा गया।

यह देखा गया है कि नाबार्ड के पुनर्वित्त पर ब्याज की दरों में वृद्धोन्मुख संशोधन के परिणामस्वरूप लाभप्रदता को प्रभावित करतें हुए ग्राहक बैंकों को उपलब्ध मार्जिन की भी हानि उठानी पड़ी। यद्यपि 2018-19 के दौरान पुनर्वित्त मिश्रण में एलटीआरसीएफ का उच्च अनुपात एससीएआरडी बैंको और एससी बैंको के निवेश ऋण की पुनर्वित्त लागत उल्लेखनीय ढंग से कम कर सका है।

2018-19 के दौरान एससीएआरडी बैंकों को नाबार्ड का पुनर्वित्त

एससीएआरडी बैंकों द्धारा नाबार्ड के पुनर्वित्त के आहरण के साथ विगत 3 वर्षो के तुलनात्मक आंकड़े तथा 2018-19 के लिये आवंटन नीचे दिये गये है।

(रु. करोड़ में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	आहरित पुनर्वित्त				पुनर्वित्त आवंटित
		2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
1	गुजरात	80.00	80.00	80.00	0.00	-
2	हरियाणा	124.81	161.39	100.00	73.13	-
3	हिमांचल प्रदेश	45.00	63.70	100.00	63.96	68.31
4	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-
5	कर्नाटक	236.36	250.00	239.73	350.00	286.39
6	केरल	1154.79	1450.09	1490.32	1095.02	904.05
7	पण्डिचेरी	-	-	-	-	-
8	पंजाब	532.00	518.08	538.30	286.52	172.02
9	राजस्थान	171.00	200.00	250.00	225.00	137.73
10	तमिलनांडु	-	-	-	-	-
11	त्रिपुरा	-	-	-	-	-
12	उत्तर प्रदेश	450.00	450.00	450.00	288.84	117.10
13	पश्चिम बंगाल	129.99	165.00	150.00	212.00	250.00
	योग	**2923.95**	**3258.26**	**3397.34**	**2594.47**	**1935.60**

2017-18 में रु.2594.47 करोड़ तथा 2016-17 में रु.3397.34 करोड़ के सापेक्ष 2018-19 में एससीएआरडी बैंकों का कुल पुनर्वित्त आहरण रु.01935.60 करोड़ था। 2017-18 की तुलना में 2018-19 में उपयोग किये गये पुनर्वित्त में 25.4% की गिरावट हुई।

13 पूर्णत: कार्यशील एससीएआरडी बैंकों में से केवल 7 एससीएआरडी बैंकों ने 2018-19 में पुनर्वित्त आहरित किया। तथापि, राज्य सरकार की गारण्टी की अनुपलब्धता, पात्रता की शर्तो को पूरा न कर पाने के कारण, गुजरात, तमिलनाडु, त्रिपुरा, जम्मू व कश्मीर तथा पाण्डिचेरी

शासकीय गारण्टी के अभाव में पात्रता मानदण्ड को पूरा न कर पाने के कारण निरन्तर पुनर्वित्त के लिये अपात्र बने रहे। एससीएआरडी बैंक केरल जिसने रु.904.05 करोड़ का पुनर्वित्त आहरित किया, कुल 46.71% था जो 2017-18 में बैंक द्वारा आहरित पुनर्वित्त से 9.87% कम था। हिमाचंल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के एससीएआरडी बैंकों के आहरण में वृद्धि हुई जबकि अन्य सभी शेष के संदर्भ में आहरण गत वर्ष से कम रहा। आहरण में उल्लेखनीय गिरावट कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पायी गई। एससीएआरडी बैंक हरियाणा ने 2018-19 में पुनर्वित्त का कोई आहरण नहीं किया।

नाबार्ड ने एससीएआरडी बैंकों के लिये उनके 7 एससीएआरडी बैंकों द्वारा वर्ष के दौरान आहरित 1935.60 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में रु.3000.00 करोड़ आवंटित किया था।

एससीएआरडी बैंकों को राष्ट्रीय आवास बैंक(एनएचबी) का पुनर्वित्त

एनएचबी एससीएआरडी बैंको को नियमित योजना के साथ पुनर्वित्त योजना में ग्रामीण आवास कोष के अंतर्गत पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करा रहा है। एससीएआरडी बैंकों द्वारा एनएचबी पुनर्वित्त का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदण्ड निम्नानुसार हैं:-

- एससीएआरडी बैंक की ऋणवसूली संघीय ढांचे के संदर्भ में 60% से अधिक स्तर पर तथा एकात्मक संरचना के संदर्भ में 75%।
- 5 वर्ष से अधिक के सभी बकाया ऋण विधिक कार्यवाही से आच्छादित होने चाहिए।
- बकायेदार ऋण प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए।
- नियमित पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत, पुनर्वित्त निर्माण/आवास इकाइयों की खरीद के साथ साथ आवास इकाइयों की मरम्मत, नवीनीकरण, उन्नयन के सापेक्ष ऋण सीमा के प्रतिबन्ध, सम्पत्ति की अवस्थिति अथवा ऋण प्राप्त कर्त्ता की श्रेणी के अवरोध के बिना ऋण दिया जाता है।
- नियमित पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत ब्याज की दर बाजार पर आधारित है। एआरडी बैंक फिर से स्थापित करने के या तो मुक्त ब्याज का अथवा निश्चित ब्याज दर का विकल्प ले सकते हैं। एनएचबी ने भी नियमित पुनर्वित्त की ब्याज दर पर निम्नांकित मामलों में ब्याज की दर में रियायत प्रदान कराई है:-

  रु.5 लाख तक के ऋण

  - ग्रामीण क्षेत्र में ऋण
  - महिलाओं को ऋण
  - उभयलिगियों को ऋण
  - विभिन्न विकलांग व्यक्तिओं को ऋण
  - अनुसूचित/जन जाति के व्यक्तियों को ऋण
  - सौर्य उपकरण, जल संचयन आदि ग्रीनहाउस व्यवस्था के लिये ऋण
- एससीएआरडी बैंकों को नियमित पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत अंतिम ऋणी सदस्य स्तर की ब्याज दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता।
- एससीएआरडी बैंक ग्रामीण आवास कोष से निम्नांकित शर्तो के अधीन पुनर्वित्त प्राप्त करने के पात्र हैं:-
  - व्यक्तिगत ऋणों का अधिकतम आकार, कुल निर्माण लागत अधिकतम 25 लाख सहित आवास की लागत रु.20 लाख होगी।
  - सम्पत्ति की अवस्थिति ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार 99999 तक की जनसंख्या वाले गांव में।
  - ऋण प्राप्तकर्त्ता समाज के कमजोर वर्ग जिसकी वार्षिक आय रु. 3 लाख से अधिक न हो, से होना चाहिए।
  - पुनर्वित्त के लिये निश्चित दर जिसमें पुनर्नियोजन नहीं होगा, ब्याजदर 4.86% वार्षिक होगी।
  - पुनर्वित्त की अवधि 3 से 7 वर्ष की होगी।
  - एससीएआरडी बैंकों तथा पीसीएआरडी बैंकों दोंनों के लिये ब्याज उपान्त 3.5% से अधिक नहीं होना चाहिए।
  - एनएचबी द्वारा वित्त पोषण करने वाली एजेन्सी को पुनर्वित्त आवंटन प्रारम्भिक आवंटन के उपयोग के बाद यदि आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त आवंटन, के प्रावधान सहित जुलाई से जून के लिये वार्षिक आधार पर किया जाता है।

अंतरिम बजट 2019

वित्त मंत्री श्री पीयूश गोयल ने 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। क्षेत्रवार आवंटन मे, कृषि क्षेत्र में 2018-19 के

संशोधित अनुमान से अधिक 73% की वृद्धि पायी गई। लघुं एवं सीमान्त कृषकों को प्रति वर्ष रु.6000 की आय प्रदान कराने वाली प्रधानमंत्री किसान समर निधि योजना बजट का मुख्य आकर्षण है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.36% के लिये रु.75,000 करोड़ का परिव्यय होगा। समय से किस्त अदायगी पर 3% की छूट प्रदान करते हुये फसली ऋण अनुदान योजना जारी रखने के अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को 2% ब्याज अनुदान भी प्रारभ किया गया है। आर्य समर्थन योजना से किसानों की व्यथा में तथा ग्रामीण खपत और मांग में कुछ हद तक कमी आने की आशा है। यह पहल आनेवाले वर्षो में समर्थन बढ़ाने की सम्भावना के बेहतर प्रभाव प्रस्तुत करता है। सूक्ष्म, मध्यम और लघु उपक्रमों (एमएसएमई) के लिये सरकार ने रु. एक करोड़ तक के ऋणों पर जो जीएसटी में पंजीकृत इकाइयों हैं, पर 2% ब्याज की छूट घोषणा की है। सरकारी उद्यमों द्धारा एमएसएमई से स्त्रोतो से की आवश्यकता भी 25% तक बढ़ गई है जिसमें कम से कम 3% महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई होने चाहिए। कर आधार को बढ़ाते तथा अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देते हुये ब्याज में छूट से अधिकाधिक एमएसएमई के जीएसटी के अन्तर्गत पंजीकरण को प्रोत्साहित कराने की अपेक्षा की जाती है। सरकारी ई-प्रोक्योरमेण्ट स्थल भी एमएसएमई को बड़ी बाजारों में लाने में सहायक होगा। प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये एक पहल है। ये योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रु.15000 तक की मासिक आय के साथ रु.3000 के आश्वासित मासिक पेन्श्न के प्रावधान पर ध्यान देती है। योजना सरकार द्धारा अनुकूल अंशदान सहित अंशदायी है। योजना से वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराने के साथ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बचत करने के लिये प्रोत्साहित कराने की अपेक्षा हैं। वहनीय आवास परियोजनाओं प्राप्त 100% लाभ में कटौती के द्धारा अचल सत्पत्ति के विकासकों को आय कर अधिनियिम की धारा 80-आइबीए के अन्तर्गत मार्च 2020 तक अनुमोदित परियोजनाओं के लिये अचल सम्पत्ति लाभों को अगले वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया है। इस पहल से भवन निर्माण गतिविधि विशेष रूप से वहनीय भवन निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। व्यक्तिगत करों में, जबकि आयकर दरों व आय खण्डों में कोई प्रभार प्रस्तावित नहीं किए गये हैं, सरकार ने करदाताओं को विशेष कर मध्यम तथा वेतन भोगी वर्ग के लोगों को राहत देने के लिये कुछ प्रमुख प्रस्ताव तैयार किए हैं। व्यक्ति के लिये कर मुक्त आय की सीमा रु.2.5 लाख से बढ़ा कर रु.5.00 लाख किया जाना, वेतन भोगियों के लिये मानक कटौती रु.40000 से बढ़ा कर रु.50000 कर देना, स्वयं अपयोग के दूसरे भवन के काल्पनिक किराये को कर मुक्त किया जाना तथा बैंक या डाकघर के जमा से ब्याज पर कर की कटौती की सीमा रु.10000 से बढ़ा कर रु.40000 किया जाना, कर दाताओं को दिये गये कुछ लाभ हैं।

बजट 2018-19 में रु.24.42 लाख करोड़ से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि चिन्हांकित करते हुए रु.27,84,200 करोड़ के कुल परिव्यय दर्शाता है। कुल परिव्यय रु.27.84 लाख करोड़ के विरुद्ध कुल लिये गये ऋण पर विचार किए बिना, कुल आय का अनुमान मात्र रु. 20.80 लाख करोड़ है। इसका तात्पर्य है कि व्यय और प्राप्तियों को संतुलित करने के लिये सरकार को रु.7.04 करोड़ तक अन्य देयताओं को उधार लेना अथवा सृजित करना है। यह धनराशि राजकोषीय घाटे को, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% ही दर्शाती है। फाइनेंशियल रिस्पान्सिबिलिटी एण्ड बज्ट मैनेजमण्ट अधिनियम (एफआरबीएम) के अनुसार सामान्य रूप से राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद से 3% नीचे होना चाहिए। रु. 27.84 लाख करोड़ के कुल परिव्यय में से रु. 3.36 लाख करोड़ , जो बजट का 12% है, पूँजी परिव्यय के लिये आवंटित है। इसके अतिरिक्त पूरे बजट के सकल पूँजीगत परिव्ययों को बढ़ाते हुये, रु.2 लाख करोड़ राज्य सरकारों को पूँजीगत परिसम्पत्ति सृजन के लिये अनुदान के रूप में आवंटित किया गया है। कुल व्यय के 61% के अनुरूप अपेक्षित कर राजस्व रु.17 लाख करोंड़ है। सरकार रु.2.7 लाख करोड़ के गैर कर राजस्व की अपेक्षा करती है जिससे कुल परिव्यय का 71% बनाते हुये कुल राजस्व प्राप्तियां रु.19.77 लाख करोड़ पर पहुँच जाती हैं। इसी तरह, रु.19.77 लाख करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष कुल राजस्व परिव्यय रु.24.47 लाख करोड है, जो दूसरे शब्दों में सरकारी तंत्र को चलाने के लिये दिन-प्रतिदिन के लिये अपेक्षित व्यय हैं।

राजकोषीय उद्दीपन के माध्यम से रु. एक ट्रिलियन (रु. एक लाख करोड़) का अंतरिम बजट जो लघुं एवं सीमान्त किसानों को प्रत्यक्ष नगद लाभ एवं मध्यम वर्ग को कर लाभ दिलायेगा किन्तु पिछले 2 वर्षो में बजटीय राजकोषीय घाटे में जारी फिसलन की पृष्ठभूमि पर राजकोषीय समेकन पर और दबाव डालता है।

VII. सम्बद्धीकरण

राष्ट्रीय स्तर पर

राष्ट्रीय स्तर पर फेडरेशन निम्नांकित संगठनों से सम्बद्ध है:-

नेशनल कोआपरेटिव यूनियन ऑफ इण्डिया (एनसीयूआई)

फेडरेशन एनसीयूआई का सदस्य है तथा इसके कार्यक्रमों से सक्रिय रूप से जुड़ा है। श्री के शिवदासन नायर, अध्यक्ष, एनसीयूआई की सामान्य सभा में फेडरेशन के प्रतिनिधि हैं जिन्हें सर्व सम्मति से एनसीयूआई की संचालक परिषद के लिए चुना गया है। वर्ष के दौरान एनसीयूआई द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम आयोजित किये गये:-

1) भारतीय सहकारी प्रतिनिधि मण्डल नें श्री चन्द्रपाल सिंह यादव, एम.पी., अध्यक्ष, एनसीयूआई के नेतृत्व में 8-11 अगस्त 2018 को मारीशस का भ्रमण किया जिसमें श्री के. शिवदासन नायर, अध्यक्ष, तथा श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, एनीएआरडीएफ ने भाग लिया।

फेडरेशन निम्नांकित अन्य राष्ट्रीय स्तर के संगठनों/संघों से भी सम्बद्ध है:-

कोआपरेटिव बैंक ऑफ इण्डिया(सीओबीआई)

फेडरेशन सीओबीआई के संस्थापक सदस्यों में से एक है। फेडरेशन के अध्यक्ष श्री के. शिवदासन नायर फेडरेशन के अध्यक्ष को सीओबीआई की सामान्य सभा में नामित किया गया। वर्ष के दौरान एनसीयूआई द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम आयोजित किये गए:-

1. सीओबीआई की सामान्य निकाय बैठक दिनांक 28 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई जिस मे श्री के. शिवदासन नायर, अध्यक्ष, एनसीएआरडीएफ ने भाग लिया।
2. 12-15 नवम्बर 2018 को बुडापेस्ट हंगरी में ''प्रभावी मानव संसाधन विकास नीतियों को सहकारिता क्षेत्र में अपनाने की आवश्यकता'' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन जिसमें श्री दलीप सिंह यादव, उपाध्यक्ष, एनसीएआरडीएफ ने भाग लिया।

नेशनल फिल्म एण्ड फाइन आर्ट्स कोआपरेटिव्स लि. (नेफेक)

फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक इसकी सामान्य सभा के सदस्य हैं।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)

श्री के.के.रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, फेडरेशन को भारत सरकार द्वारा एनसीडीसी अधिनियम 1962 की धारा 3(4)(XVII) के अन्तर्गत एनसीडीसी की सामान्य परिषद का सदस्य नामित किया गया है। वर्ष के दौरान एनसीडीसी की 83वीं सामान्य सभा की बैठक दिनांक 18-04-2018 को तथा 84 वीं महासभा की बैठक 27-02-2019 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई जिसमें श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, एनसीएआरडीएफ ने भाग लिया।

फेडरेशन निम्नांकित संगठनों से भी एसोसिएट सदस्यता बनाए हुए है:-

- इण्डियन मर्चेण्ट्स चेम्बर (आइएमसी)
- इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन (आइबीए)
- इण्डियन सोसाइटी फॉर स्टडीज़ इन कोआपरेशन
- इण्डियन टूरिज़्म कोआपरेटिव लि.(आइटीसी)

सेण्टर फॉर इण्टरनेशनल कोआपरेशन एण्ड ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चरल बैंकिंग (सीआइसीटीएबी)

फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक इसकी सामान्य परिषद के सदस्य हैं। फेडरेशन नियमित रूप से सीआईसीटीएबी के कार्यक्रमों के लिए सदस्य बैंकों से अधिकारी और गैर सरकारी पदाधिकारी नामित करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर

इण्टरनेशनल कोआपरेटिव एलाएन्स (आईसीए)

फेडरेशन वैश्विक आइसीए के साथ ही आइसीए एशिया पैसिफिक रीजन का भी सदस्य है।

फेडरेशन आइसीए की अनेक समितियों से भी सम्बद्ध है।

श्री के शिवदासन नायर, फेडरेशन के प्रतिनिधि के रूप में आईसीए-

एपी के अन्तर्गत रीजनल कोआपरेटिव बैंकिंग एसोसिएशन के अभी भी अध्यक्ष हैं।

फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने वर्ष के दौरान आईसीए के निम्नांकित कार्यक्रमों में भाग लिया:-

- आईसीए-एपी कन्ज्यूमर कमेटी एण्ड मलेशियन नेशनल मूवमण्ट कौलालुमपर (मलेशिया) द्वारा आइसीए एशिया पैसिफिक एसडीजी सेमिनार-2018 का 24-25 अप्रैल 2018 को आयोजन किया गया जिसमें निम्नार्किंत प्रतिनिधयों ने भाग लिया:-
  1. श्री अरविन्द सिंह, आरसीएस, पंजाब
  2. श्री एच.एस. सिद्धू, प्रबन्ध निदेशक, पंजाब एससीएडीबी
  3. श्री के.के.रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, एनसीएआरडीएफ
- 19 अक्टूबर 2018 से 26 अक्टूबर 2018 तक अर्जेण्टाइना में आईसीए महा सभा तथा अन्य आयोजन- श्री के शिवदासन नायर, अध्यक्ष तथा श्री के.के.रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, एनसीएआरडीएफ ने भाग लिया।
- 26 नवम्बर से 30 नवम्बर 2018 तक तेहरान(ईरान) में 13वीं आईसीए एपी क्षेत्रीय महासभा तथा सम्बन्धित आयोजन जिसमें श्री के.के.रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक, एनसीएआरडीएफ ने भाग लिया।

एशिया पेसिफिक रीजनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन (एप्राका)

फेडरेशन एप्राका का संस्थापक सदस्य है। श्री के.के.रविन्द्रन प्रबन्ध निदेशक फेडरेशन 1996 से इसकी सामान्य सभा के सदस्य हैं।

इण्टरनेशनल रैफिसन यूनियन (आईआरयू)

फेडरेशन आई आरयू का सदस्य है। आईआरयू की सामान्य सभा में फेडरेशन का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष करते हैं। वर्ष के दौरान आइआरयू के कार्यक्रमों/ बैंठकों में फेडरेशन की ओर से कोई प्रतिनिधी नहीं गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नाकित कार्यक्रमों में एनसीएआरडीएफ के सदस्यों ने भाग लिया:-

- निम्नांकित प्रतिनिधि मण्डल साइरेक वर्ल्ड कानफ्रेन्स ऑन कोआपरेटिव एण्ड सोशल एण्टरप्राइज़ इन लीग, बेल्जियम एण्ड स्टडी विजिट टु एग्रीकोले पेरिस एण्ड एफएओ रोम में भाग लिया गया:-
  1. श्री के. शिवदासन नायर, अध्यक्ष, एनसीएआरडीएफ।
  2. श्री दलीप सिंह यादव, उपाध्यक्ष, एनसीएआरडीएफ।
  3. श्री सोलोमन एलेक्स, अध्यक्ष एससीएआरडी बैंक, केरल।
  4. श्री के.के.रविन्द्रन, प्रबन्धन निदेशक, एनसीएआरडीएफ।
- ''मध्य एशिया में सहकारिताओं का विकास'' पर 10-14 सितम्बर 2018 को बिशलेक में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिताओं का फोरम जिसमें निम्नांकित प्रतिनिधियों ने भाग लिया:-
  1. डा. बिजेन्द्र सिंह, निदेशक, एनसीएआरडीएफ
  2. श्री सुखबीर सिंह पनंवर, उपाध्यक्ष,दिल्ली एससीबी

VIII. फेडरेशन का प्रबन्धन

सामान्य निकाय

सामान्य निकाय में फेडरेशन के सदस्य होते हैं जिसमें प्रतिनिधि बैंकों के निदेशक मण्डल द्वारा नामित प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होता है।

31.03.2019 को फेडरेशन के सदस्यों की सूची निम्नवत है:-

1. असम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. गुवाहटी।
2. बहु-राज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लि.(बिहार-झारखण्ड) पटना।
3. गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.,अहमदाबाद।
4. हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.,पंचकुला।
5. हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., शिमला
6. जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., श्रीनगर।
7. कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., बैंगलोर।
8. केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., थिरुवनन्तपुरम।
9. उड़ीसा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., भुवनेष्वर।
10. पाण्डिचेरी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक लि., पाण्डिचेरी।
11. पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि., चण्डीगढ़।
12. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर।
13. तमिलनाडु राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., चेन्नै।
14. त्रिपुरा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., अगरतला।
15. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि., लखनउ।
16. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., कोलकता।
17. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि., नई दिल्ली।
18. मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लि., शिलाँग।
19. तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि., हैदराबाद।

निदेशक मण्डल

उपविधि संख्या 20(iii) के अनुसार फेडरेशन के प्रबन्धन मण्डल में सामान्य निकाय से निर्वाचित 20 निदेशक, केन्द्र सरकार द्वारा नामित 1 निदेशक, प्रबन्ध निदेशक जो फेडरेशन का पदेन सदस्य है, के अतिरिक्त निदेशक मण्डल द्वारा सहयोजित 2 निदेशक होते हैं।

फेडरेशन का प्रबन्धन मण्डल निम्नांकित व्यक्तियों से संचालित है ; (1 अगस्त 2019 की स्थिति) :-

क्रम संख्या	बोर्ड के सदस्य का नाम	प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य बैंक
1.	**श्री के. शिवदासन नायर,** अध्यक्ष	केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
2.	**श्री के. शदाक्षरी,** उपाध्यक्ष	कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
3.	**श्री बिजय कुमार सिंह,** उपाध्यक्ष	बहु राज्यीय राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि.(बिहार-झारखण्ड)
4.	**श्री के. रविन्द्र राव,** उपाध्यक्ष	तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि.
5.	**श्री मरचिन्ना सियाम,** उपाध्यक्ष	मेघालय राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि.
6.	**डा. ब्रिजेन्द्र सिंह**	दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि.

क्रम संख्या	बोर्ड के सदस्य का नाम	प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य बैंक
7.	**श्री शिवपाल सिंह यादव**	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.
8.	**श्री आर. परिमल अझगन**	तमिलनाडु राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
9.	**श्री राश बिहारी दत्ता**	त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
10.	**श्री पी.एस. उपाध्याय**	गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
11.	**श्री जी. एल. स्वामी**	राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि.
12.	**श्री नरेश गोयल**	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
13.	**श्री जितेन्दर संजता**	हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि,
14.	**श्री मोहम्मद असलम भट्ट**	जम्मू व कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
15.	**श्री के. के. रविन्द्रन**	पदेन

कार्यकारिणी समिति

उपनियम संख्या 26(ए) के अनुसार ,कार्यकारणी समिति में अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा बोर्ड द्वारा निर्वाचित 5 सदस्य होंगे।

(1) **श्री के. शिवदासन नायर,** अध्यक्ष
(केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)

(2) **श्री के. शदाक्षरी,** उपाध्यक्ष
(कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)

(3) **श्री बिजय कुमार सिंह,** उपाध्यक्ष
(बहु राज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लि.)

(4) **श्री के. रविन्द्र राव,** उपाध्यक्ष
(तेलंगाना राज्य सहकारी बैंक लि.)

(5) **श्री एम. सियाम**, उपाध्यक्ष
(मेघालय राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि.)

(6) **श्री के.के. रविन्द्रन,** प्रबन्ध निदेशक,
एनसीएआरडीबीएफ।
(01.08.2019 को तीन स्थान रिक्त थे।)

प्रशासनिक समिति

उपनियम संख्या 27(ए) के अनुसार ,प्रशासनिक समिति में अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, तथा प्रबन्ध निदेशक होंगे। 1 अगस्त 2019 को निम्नांकित व्यक्ति प्रशासनिक समिति के सदस्य हैं :-

1. **श्री के. शिवदासन नायर,** अध्यक्ष
2. **श्री के. शदाक्षरी,** उपाध्यक्ष
3. **श्री बिजय कुमार सिंह,** उपाध्यक्ष
4. **श्री के. रविन्द्र राव,** उपाध्यक्ष
5. **श्री एम. सियाम,** उपाध्यक्ष
6. **श्री के. के. रविन्द्रन,** प्रबन्ध निदेशक

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सामान्य निकाय तथा संचालक मण्डल की बैठकें

तिथि स्थान के साथ प्रतिवेदन के अन्तर्गत वर्ष के दौरान सामान्य निकाय तथा संचालक मण्डल की बैठकें नीचे सूचीबद्ध हैं:-

बैठकें	स्थान	तिथि
(ए) वार्षिक सामान्य निकाय (बोर्ड का चुनाव)	मुम्बई	30 जून 2018
(बी) वार्षिक सामान्य निकाय (58वीं)	शिलांग (मेघालय)	15 सितम्बर 2018
(सी) प्रबन्धन मण्डल बोर्ड		
155वीं बोर्ड	मुम्बई	29 जून 2018
156वीं बोर्ड	शिलांग(मेघालय)	15 सितम्बर 2018
157वी बोर्ड	धर्मशाला (हिमांचल प्रदेश)	18 जनवरी 2019

महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर बोर्ड की बैठकों में विचार विमर्श हुआ

बोर्ड की बैठकें, सदस्य बैंकों के क्रियाकलापों की समीक्षा के अलावा नीतिगत एवं ग्रामीण साख से सम्बन्धित परिचालन के मुद्दों पर विचार विमर्श के लिये अभी भी प्रमुख वाक्पीठ है।

वर्ष के दौरान प्रतिवेदन के अन्तर्गत बोर्ड ने सदस्य बैंकों के व्यावसायिक क्रियाकलापों तथा नाबार्ड से पुर्नवित्त के अन्तर्गत ऋण वितरण वसूली इत्यादि की आवधिक समीक्षा से सम्बन्धित नियमित विषयों पर विचार विमर्श के अतिरिक्त निम्नांकित विषयों पर भी चर्चा की:-

1. एआरडी बैंकों की ग्रामीण साख में हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु कार्यदल।
2. शताब्दी वर्ष की तैयारी के रूप में पुनरुद्धार कार्य योजना के दिशा निर्देश।
3. एससीएआरडी बैंकों को दिये जाने वाले नाबार्ड पुनर्वित्त की ब्याज दरों का संशोधन तथा एलटीआरसीएफ से ऋण सहित नाबार्ड पुनर्वित्त की औसत लागत।
4. 2018-19 में एआरडी बैंकों की कार्यात्मक पुन:संरचना पर 3 संगोष्ठी आयोजन का प्रस्ताव।
5. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये कार्यक्रमों का कैलेण्डर।
6. प्रमुख परिचालन क्षेत्रों में एससीएआरडी बैंको के अप्रैल 2017-मार्च 2018 के दौरान कार्य निष्पादन की समीक्षा।
7. निवेश साख केन्द्रित ग्रामीण साख में एआरडी बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये कार्यकारी समूह।
8. एआरडी बैंकों का राष्ट्रीय सम्मेलन।
9. राज्यसहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों(एससीएआरडी बैंक) को बैंक के रूप में बैंक नियामक अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स दिये जाना।
10. एससीएआरडी बैंको को राष्ट्रीय आवास बैंक से पुनर्वित्त।
11. एआरडी बैंको को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत प्राथमिक ऋण देने वाली संस्थाओं की सूची में सम्मिलित करना।
12. नाबार्ड पुनर्वित्त के ब्याज की दर में संशोधन।
13. निवेश साख में एआरडी बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये कार्यकारी समूह की रिपोर्ट।
14. 9 मार्च 2019 को नई दिल्ली में निवेश साख में एआरडी बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय सेमिनार।
15. नाबार्ड पुनर्वित्त पर ब्याज दर।
16. एआरडी बैंकों के कार्यात्मक पुनर्गठन पर 2018-19 में फेडरेशन द्वारा आयोजित सेमिनार।
17. सदस्य बैंकों से लैण्ड बैंक जरनल के लिये इनपुट की तलाश-लैण्ड बैक जरनल की सामग्री, कवरेज में सुधार तथा सदस्य बैंकों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के चित्रों का लैण्ड बैंक जरनल में प्रकाशन।
18. केन्द्रीय प्रायोजित योजना ''राष्ट्रीय पशुधन मिशन- 2018-19 के दौरान ईडीईजी घटक'' के क्रियान्वयन के लिये प्रशासनिक अनुमोदन।
19. अप्रैल 18 से अक्टूबर 18 के दौरान प्रमुख परिचालन क्षेत्रों में एससीएआरडी बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा।
20. अकृषि क्षेत्र के क्रिया कलापों में एआरडी बैंकों की वित्त पोषण भागीदारी बढानें की आवश्यकता -गिरते रुझाान -चिन्ता का कारण।

IX. वित्त एवं लेखा

2018-19 के सम्पत्ति एवं दायित्वं, आय एवं व्यय खातों का सारांश नीचे दिया गया है :

सम्पत्ति एवं दायित्व

(लाखों में)

क्रम संख्या	दायित्व	इस तिथि को		क्रम संख्या	सम्पत्ति	इस तिथि को	
		31.3.19	**31.3.18**			**31.3.19**	**31.3.18**
1.	आरक्षित एंव अन्य निधियां	2143.37	2104.58	1.	नगद एवं बैंक अवशेष	12.38	13.93
2.	प्रतिभूत ऋण	0.00	464.04	2.	निवेश	1863.99	2280.99
3.	अन्य दायित्व एवं प्रावधान	75.17	85.98	3.	अचल सम्पत्तियां	218.85	227.63
4.	आय एवं व्यय खाते से हस्तान्तरित अधिशेष	14.57	14.88	4.	विविध देनदार एवं प्राप्य प्राप्तियां	94.33	117.64
				5.	ऋण एवं अग्रिम	6.25	27.99
				6.	दीर्घ कालीन पूँजी हानि(सीएफ)	33.73	0.00
				6.	विविध जमा एवं पूर्वदत्त व्यय	3.58	1.30
	योग	**2233.11**	**2669.48**		**योग**	**2233.11**	**2669.48**

आय एवं व्यय

(लाखों में)

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि	
	आय	**2018-19**	**2017-18**
1.	सदस्य बैंकों से एएमएस तथा अतिरिक्त योगदान	77.97	80.72
2.	ब्याज और लाभांश आय	199.00	164.83
3.	प्राप्त अनुदान(सरकार एवं एनसीयूआई)	8.00	10.00
4.	विविध आय/अतिथिगृह सेवा प्रभार	0.30	0.07
5.	बीडीडीआर से वसूली,अतिरिक्त प्रावधान उलटे गये तथा पुराने देय खारिज किये गये	24.96	3.77
	योग (1 से 5)	**310.23**	**259.39**
	व्यय		
1.	प्रबन्धन लागत	114.86	104.63
2.	अन्य कार्यालय व्यय	60.74	33.63
3.	बैठक/सेमिनार/संगोष्ठी व्यय/पुरस्कार समारोह	8.09	9.17
4.	परिसर रख-रखाव व्यय	8.12	10.13
5.	प्रावधान /निधियां	103.85	86.96
	योग(1 से 5)	**295.66**	**244.52**
	अधिशेष	**14.57**	**14.88**

हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

ब्लाक नम्बर डी-3, एसडीए काम्प्लेक्स, कसुम्पटी, शिमला - 171 009.	
ईमेल - hpardbank@gmail.com	दूरभाष - 0177-2621 437
प्रबन्ध निदेशक - श्री जितेन्द्र सिंह संजता (एचएएस)	-

कर्मचारियों की स्थिति - एससीएआरडी बैंको पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) : 279 पीसीएआरडी बैंको पर : 54	**ऋण पर ब्याज दर -** 10.50% से 14.00% **जमा संग्रहण पर ब्याज दर** - 4.00% से 7.45%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड- (धनराशि लाख रु. में)

विवरण	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
ऋण बकाया	34042.25	42566.46	45387.23
वितरित ऋण	8746.46	8217.82	8502.67
कुल प्रदत्त पूँजी	2425.26	2440.36	2606.50
निर्बांध आरक्षित निधियाँ	17.21	17.21	2121.95
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	4.99	4.99	10.52
अदत्त जमा	11821.63	13757.20	9909.94
उधार बकाया	26560.56	27083.93	27510.66
शुद्ध लाभ	360.04	127.43	32.01
संचित हानिया, यदि कोई हों	-	-	-

जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

भवन संख्या 12, पोस्ट आफिस लेन, हैदरपुरा, मुबारक अस्पताल के पास, श्रीनगर - 190 014.	
ईमेल - scardjk@rediffmail.com	दूरभाष - 0194-2431 892 / 2431 965
प्रबन्ध निदेशक - श्री मोहम्मद असलम भट्ट	-

कर्मचारियों की स्थिति - एससीएआरडी बैंको पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) : 239	**ऋणों पर ब्याज दर -** 14.50% **जमा संग्रहण पर ब्याज दर** - 7.75%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड- (धनराशि लाख रु. में)

विवरण	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
ऋण बकाया	5251.09	5663.61	5567.67
वितरित ऋण	788.94	1268.75	1182.79
कुल प्रदत्त पूँजी	2974.25	2999.25	3016.92
निर्बांध आरक्षित निधियाँ	15.11	14.05	237.63
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	53.20	एनआर	51.12
अदत्त जमा	12935.16	15059.47	17658.11
उधार बकाया	616.00	616.00	616.00
शुद्ध हानि	356.61	693.10	855.17
संचित हानिया, यदि कोई हों	6107.24	6800.34	7655.51

एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड (सूचना अप्राप्त)

X. सदस्य बैंकों का संक्षिप्त विवरण

पूर्ण रूप से क्रियाशील एससीएआरडी बैंक

गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

489, आश्रम रोड, नेहरू ब्रिज के सामने, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380 009.

ईमेल - gscardb@gmail.com	दूरभाष - 079-26585365/70/71
प्रशासक/परिरक्षक - श्री पी. एस. उपाध्याय	**महा प्रबन्धक -** श्री वी. एम. चौधरी

कर्मचारियों की स्थिति - एससीएआरडी बैंक पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) : 326	**ऋण पर ब्याज दर -** 11.00% से 13.50% **जमा संग्रहण पर ब्याज दर** - 6.75% से 7.50%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड- (धनराशि लाख रु. में)

विवरण	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
ऋण बकाया	56128.44	57965.12	58094.56
वितरित ऋण	14256.09	17762.88	14956.81
कुल प्रदत्त पूँजी	4563.35	4590.85	4532.39
निर्बाध आरक्षित निधियाँ	53901.51	54874.66	56022.41
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	47.65	49.07	एनआर
अदत्त जमा	27200.72	26078.30	27041.55
उधार बकाया	45702.35	39201.55	34226.78
शुद्ध लाभ	1804.83	2100.14	2101.52
संचित हानिया, यदि कोई हों	-	-	-

एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड (सूचना अप्राप्त)

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

सहकारिता भवन, बे संख्या 31-34, सेक्टर 2, पंचकुला - 134 112.

ईमेल - pa2md.hscardb@gmail.com	दूरभाष - 0172-2587040
अध्यक्ष - श्री आदित्य देवीलाल चौटाला	**प्रबन्ध निदेशक -** श्री नरेश गोयल
कर्मचारियों की स्थिति - एससीएआरडी बैंकों पर - 62 पीसीएआरडी बैंको पर - 792	**ऋण पर ब्याज दर -** 12.00% से 13.00% **जमा संग्रहण पर ब्याज दर** - लागू नहीं

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड- (धनराशि लाख रु. में)

विवरण	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
ऋण बकाया	201444.37	196679.28	193118.05
वितरित ऋण	9834.58	7721.39	2644.00
कुल प्रदत्त पूँजी	4729.36	4509.36	4509.36
निर्बाध आरक्षित निधियाँ	42146.40	42144.90	42144.90
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	एनआर	एनआर	एनआर
अदत्त जमा	223.43	15.16	10.33
उधार बकाया	173880.63	165209.22	157359.64
शुद्ध हानि	21809.87	3188.11	7638.23
संचित हानिया, यदि कोई हों	34600.19	37788.30	45426.53

एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड (सूचना अप्राप्त)

कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

टीपू सुल्तान पैलेस रोड, चामराजपेट, पी.ओ. बॉक्स नम्बर 1811, फोर्ट, बैंगलोर - 560 018.

ईमेल - stskscardb@gmail.com	दूरभाष - 080-26702024/74
अध्यक्ष - श्री के. शदाक्षरी, भूतपूर्व एमएलए	**प्रबन्ध निदेशक -** श्री ए.सी. दिवाकरा, केसीएस

कर्मचारियों की स्थिति - एससीएआरडी बैंको पर : 306 पीसीएआरडी बैंको पर : 575	**ऋण पर ब्याज दर -** 3.00% से 6.00% **जमा संग्रहण पर ब्याज दर** - 9.40%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड- (धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19
ऋण बकाया	183460.32	179600.40	176405.16
वितरित ऋण	45077.84	20802.31	23377.09
कुल प्रदत्त पूँजी	7779.53	7987.11	7993.88
निर्बांध आरक्षित निधियाँ	2854.52	2860.71	2860.71
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	6.05	6.23	एनआर
अदत्त जमा	28396.81	36878.30	41339.49
उधार बकाया	146719.65	148731.22	141693.40
शुद्ध लाभ	14.87	68.69	एनआर
संचित हानिया, यदि कोई हों	-	-	-

एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड (सूचना अप्राप्त)

केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

स्टेचू जंक्शन, थिरुवनन्थपुरम - 695 001.

ईमेल - ho.cardbank@gmail.com	दूरभाष - 0471-2460 595
अंश कालिक प्रशासक - श्री सज्जाद के.	**प्रबन्ध निदेशक -** श्रीमती अपर्णा प्रताप, कार्यवाहक

कर्मचारियों की स्थिति - एससीएआरडी बैंको पर : 221 पीसीएआरडी बैंको पर : 1178	**ऋण पर ब्याज दर -** 11.00% से 16.50% **जमा संग्रहण पर ब्याज दर** - 5.00% से 8.00%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड- (धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19
ऋण बकाया	583725.29	636161.04	665853.77
वितरित ऋण	203893.80	232755.01	220951.60
कुल प्रदत्त पूँजी	17312.51	18843.28	19152.83
निर्बांध आरक्षित निधियाँ	25300.68	30201.41	63044.44
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	10.10	10.71	12.10
अदत्त जमा	77716.02	59378.94	47978.40
उधार बकाया	565965.31	577682.28	622408.42
शुद्ध लाभ	2330.97	2827.81	2713.95
संचित हानिया, यदि कोई हों	-	-	-

पॉण्डिचेरी कोआपरेटिव सेण्ट्रल लैण्ड डेवलपमण्ट बैंक लि.

पी. 106, नम्बर 24, कोलासनगर, पुडुचेरी - 605 001.	
ईमेल - pccldb@dataone.in	दूरभाष - 0413-2357 985 / 2358 827
प्रशासक - श्री डी. कृष्णमूर्ति	**प्रबन्ध निदेशक -** थिरु. ए. इरयासप्पन

कर्मचारियों की स्थिति - एससीएआरडी बैंको पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) : 30	**ऋण पर ब्याज दर -** 11.50% से 13.50% **जमा संग्रहण पर ब्याज दर** - 8.50%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड- (धनराशि लाख रु. में)

विवरण	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
ऋण बकाया	2721.69	3021.58	3188.84
वितरित ऋण	2422.05	2381.76	2441.57
कुल प्रदत्त पूँजी	455.56	463.69	484.67
निर्बांध आरक्षित निधियाँ	260.80	270.89	136.01
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	एनआर	एनआर	एनआर
अदत्त जमा	2334.48	2691.86	2989.27
उधार बकाया	638.51	534.66	385.70
शुद्ध हानि	28.79	41.75	50.64
संचित हानिया, यदि कोई हों	340.66	383.86	434.50

एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड (सूचना अप्राप्त)

पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि.

एससीओ नम्बर 51-54, बैंक स्क्वायर, सेक्टर 17-बी, चण्डीगढ़ - 160 017.	
ईमेल - sadbmd@gmail.com	दूरभाष - 0172-2708 134 / 5011 708
-	**प्रबन्ध निदेशक -** श्री जे.के. जैन, पीसीएस

कर्मचारियों की स्थिति - एससीएआरडी बैंको पर : 227 पीसीएआरडी बैंको पर : 647	**ऋण पर ब्याज दर -** 11.75% से 12.95% **जमा संग्रहण पर ब्याज दर** - 7.00% से 7.35%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड- (धनराशि लाख रु. में)

विवरण	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
ऋण बकाया	270403.09	269209.05	248012.05
वितरित ऋण	49022.08	28562.51	17486.17
कुल प्रदत्त पूँजी	7716.65	7853.15	एनआर
निर्बांध आरक्षित निधियाँ	13383.96	12791.19	एनआर
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	13.12	12.96	एनआर
अदत्त जमा	34683.27	34495.46	23505.24
उधार बकाया	236863.30	240564.23	199928.44
शुद्ध लाभ	1081.08	828.95	एनआर
संचित हानिया, यदि कोई हों	-	-	-

एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड (सूचना अप्राप्त)

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि.

नेहरु सहकार भवन, 22, गोदाम सर्किल, बी.एस. रोड, जयपुर - 302 005.

ईमेल - rsldbank@yahoo.co.in	दूरभाष - 0141-2740 760
प्रशासक - श्री जी.एल. स्वामी	**प्रबन्ध निदेशक -** श्री राजीव लोचन

कर्मचारियों की स्थिति - एससीएआरडी बैंको पर : 69 पीसीएआरडीबी बैंको पर : 367	**ऋण पर ब्याज दर -** 12.80% **जमा संग्रहण पर ब्याज दर** - 7.25% से 8.00%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड- (धनराशि लाख रु. में)

विवरण	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
ऋण बकाया	153858.56	162972.89	157159.70
वितरित ऋण	19527.79	24372.30	13932.53
कुल प्रदत्त पूँजी	3817.55	3930.53	3988.06
निर्बांध आरक्षित निधियाँ	42364.73	51656.97	52057.40
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	11.98	8.79	12.80
अदत्त जमा	1130.78	1328.00	1242.15
उधार बकाया	119601.12	123744.00	113791.84
शुद्ध लाभ / हानि*	566.95	(4391.65)	4420.46
संचित हानिया, यदि कोई हों	-	-	-

* कोष्टक के आंकडे हानि दर्शाते है ।

तमिलनाडु राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

नम्बर 181, लुज़ चर्च रोड, माइलापुर, चेन्नई - 600 004.

ईमेल - sldbchn@yahoo.co.in	दूरभाष - 044-2499 3854
अध्यक्ष - श्री आर. परिमल अशगन	**प्रबन्ध निदेशक -** श्री आर. जी. शक्तिशरवनन

कर्मचारियों की स्थिति - एससीएआरडी बैंको पर : 113 पीसीएआरडीबी बैंको पर : 475	**ऋण पर ब्याज दर -** 8.25% से 9.00% **जमा संग्रहण पर ब्याज दर** - 7.00% से 7.50%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड- (धनराशि लाख रु. में)

विवरण	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
ऋण बकाया	68033.54	68652.15	71611.00
वितरित ऋण	80668.03	70843.05	77322.15
कुल प्रदत्त पूँजी	4037.12	4120.26	4120.26
निर्बांध आरक्षित निधियाँ	5918.44	8026.02	8026.02
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	3.10	3.10	2.98
अदत्त जमा	23655.36	22443.26	22724.00
उधार बकाया	6397.97	6395.27	6392.57
शुद्ध लाभ	821.65	1043.54	1909.00
संचित हानिया, यदि कोई हों	-	-	-

त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

ऑफिस लेन, अगरतला - 799 001.	
ईमेल - tcardbltd.2012@gmail.com	दूरभाष - 0381-2323 972
अध्यक्ष - श्री राश बिहारी दत्ता	**महा प्रबन्धक -** श्री अपूर्व कृष्ण चक्रवर्ती

कर्मचारियों की स्थिति - एससीएआरडी बैंक स्तर पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) : 23	**ऋण पर ब्याज दर -** 14.25% से 16.25%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड- (धनराशि लाख रु. में)

विवरण	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
ऋण बकाया	1935.01	1646.94	1322.58
वितरित ऋण	63.25	13.70	0.00
कुल प्रदत्त पूँजी	1029.92	1019.35	1000.43
निर्बांध आरक्षित निधियाँ	8.85	8.85	8.85
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	45.48	39.53	एनआर
उधार बकाया	1417.05	961.02	559.83
शुद्ध लाभ / हानि*	(62.73)	19.68	(301.26)
संचित हानिया, यदि कोई हों	1665.07	1645.38	1946.64

*कोष्टक के आंकडे हानि दर्शाते है ।
एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड (सूचना अप्राप्त)

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.

10 माल एवेन्यू, लखनऊ - 226 001.	
ईमेल - upsgvb@yahoo.in	दूरभाष - 0522-2238 844 / 3056 439 / 2239 806
अध्यक्ष - श्री शिवपाल सिंह यादव	**प्रबन्ध निदेशक -** श्री के. पी. सिंह

कर्मचारियों की स्थिति - एससीएआरडी बैंक (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) : 2940	**ऋण पर ब्याज दर -** 13.00% से 13.50% **जमा संग्रहण पर ब्याज दर** - 7.00% से 7.75%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड- (धनराशि लाख रु. में)

विवरण	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
ऋण बकाया	360456.16	336079.54	313280.48
वितरित ऋण	23592.09	6251.27	15174.46
कुल प्रदत्त पूँजी	33149.62	31822.82	30413.10
निर्बांध आरक्षित निधियाँ	80161.20	81726.01	26151.00
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	22.89	एनआर	एनआर
अदत्त जमा	7513.37	6033.79	5400.12
उधार बकाया	151439.01	128655.11	137548.51
शुद्ध लाभ / हानि*	(2695.86)	191.80	एनआर
संचित हानिया, यदि कोई हों	2695.86	2504.05	एनआर

*कोष्टक के आंकडे हानि दर्शाते है ।
एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड (सूचना अप्राप्त)

पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.	
25-डी, शेक्सपियर सरांय, कोलकाता - 700 017.	
ईमेल - wbscardb@gmail.com	दूरभाष - 033-2287 1786 / 87 / 88 / 2280 6681
-	**प्रबन्ध निदेशक -** श्री अमलॉन भट्टाचार्य

कर्मचारियों की स्थिति - एससीएआरडी बैंक (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) : 85 पीसीएआरडीबी बैंको पर : 573	**ऋण पर ब्याज दर -** 8.08% (अनन्तिम) **जमा संग्रहण पर ब्याज दर** - 7.14% (अनन्तिम)

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड- (धनराशि लाख रु. में)

विवरण	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
ऋण बकाया	107724.88	110015.55	114462.63
वितरित ऋण	18736.73	22333.84	25090.39
कुल प्रदत्त पूँजी	4145.40	4161.11	4173.11
निर्बाध आरक्षित निधियाँ	1824.38	2001.55	2253.87
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	3.50	3.44	3.25
अदत्त जमा	20246.72	20577.52	22198.50
उधार बकाया	81565.16	84030.41	89367.46
शुद्ध लाभ	59.28	244.05	322.93
संचित हानिया, यदि कोई हों	1313.91	1211.27	1044.13

एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड(सूचना अप्राप्त)

राज्य सहकारी बैंक	
दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि.	
31, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली - 110 002.	
ईमेल - dscbho@gmail.com / bkg.dscb@gmail.com	दूरभाष - 011-2327 2447 / 2328 1875
अध्यक्ष - डा. बिजेन्दर सिंह	**प्रबन्ध निदेशक -** श्रीमती अनिता रावत

कर्मचारियों की स्थिति - प्रधान कार्यालय पर : 58 शाखाओं पर : 459	**ऋण पर ब्याज दर -** 7.00% से 8.50% **जमा संग्रहण पर ब्याज दर** - 4.00 से 7.35%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड- (धनराशि लाख रु. में)

विवरण	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
ऋण बकाया	66742.41	76965.33	80293.12
वितरित ऋण	58866.53	55473.36	52404.36
कुल प्रदत्त पूँजी	971.19	1335.98	1512.46
निर्बाध आरक्षित निधियाँ	20557.67	23557.44	25056.65
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	27.30	46.67	47.00
अदत्त जमा	116478.26	114184.35	118578.50
उधार बकाया	1777.06	1103.29	248.58
शुद्ध लाभ	2857.51	2913.17	2668.99
संचित हानिया, यदि कोई हों	-	-	-

मेघालय कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लि.

एम.जी. रोड, प्रधान कार्यालय, शिलाँग - 793 001.

ईमेल - apexbank@sancharnet.in/mcab@dataone.in	दूरभाष - 0364-2224 160 / 2222 026
अध्यक्ष - श्री मारचिन्ना सियम	**प्रबन्ध निदेशक -** श्री ओसमांड ई. जे. नोंगब्री

कर्मचारियों की स्थिति - प्रधान कार्यालय पर : 145 शाखाओं के पर : 430	**ऋण पर ब्याज दर -** 9.00% से 10.00% **जमा संग्रहण पर ब्याज दर** - 4.00% से 7.25%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड- (धनराशि लाख रु. में)

विवरण	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
ऋण बकाया	106792.85	117302.21	137200.88
वितरित ऋण	22980.49	18806.52	20000.00
कुल प्रदत्त पूँजी	919.80	935.75	939.31
निर्बाध आरक्षित निधियाँ	11497.52	12123.90	13085.68
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	18.98	19.68	20.00
अदत्त जमा	225999.67	245979.01	265617.23
उधार बकाया	4475.37	5004.53	5277.99
शुद्ध लाभ	867.25	944.95	2000.00
संचित हानिया, यदि कोई हों	-	-	-

तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि.

4-1-441 टुप बाजार, हैदराबाद - 500 001.

ईमेल - mdoffice@tscab.org	दूरभाष - 040-2344 3822
अध्यक्ष - श्री कोण्डुरु रवीन्दर राव	**प्रबन्ध निदेशक -** डा. नेति मुरलीधर

कर्मचारियों की स्थिति - प्रधान कार्यालय पर : 190 शाखाओं के पर : 240	**ऋण पर ब्याज दर -** 5.00% से 14.00% **जमा संग्रहण पर ब्याज दर** - 5.00% से 7.10%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड- (धनराशि लाख रु. में)

विवरण	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
ऋण बकाया	445789.78	519575.61	559680.95
वितरित ऋण	426463.45	604400.18	608112.82
कुल प्रदत्त पूँजी	12048.16	14410.03	15729.62
निर्बाध आरक्षित निधियाँ	14178.75	15290.86	34690.61
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	1.67	1.89	1.89
अदत्त जमा	342438.44	385125.24	362225.81
उधार बकाया	320204.38	338891.85	350198.80
शुद्ध लाभ	5906.87	6656.45	6365.31
संचित हानिया, यदि कोई हों	-	-	-

अन्य एससीएआरडी बैंक	
बहुराज्यीय सहकारी लैण्ड डेवलपमेण्ट बैंक लि.	
बुद्ध मार्ग, पटना - 800 001.	
ईमेल - ldbpat@gmail.com	दूरभाष - 0612-2226 221 / 22
अध्यक्ष - श्री बिजय कुमार सिंह	**प्रबन्ध निदेशक -** श्री अजय कुमार सिंह

कर्मचारियों की स्थिति - एससीएआरडी बैंक पर(प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) : 478	**ऋण पर ब्याज दर -** 11.00% **जमा संग्रहण पर ब्याज दर** - सूचना अप्राप्त

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड- (धनराशि लाख रु. में)

विवरण	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
ऋण बकाया	5242.94	5032.95	एनआर
वितरित ऋण	125.00	175.00	169.00
कुल प्रदत्त पूँजी	2842.31	2833.32	एनआर
निर्बाध आरक्षित निधियाँ	1554.78	1554.78	एनआर
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	3.48	3.20	एनआर
अदत्त जमा	497.35	471.26	एनआर
उधार बकाया	860.66	860.66	860.66
शुद्ध हानि	1351.77	2485.60	एनआर
संचित हानिया, यदि कोई हों	-	-	-

एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड (सूचना अप्राप्त)

XI. 2018-19 के दौरान सदस्य बैंकों के कार्यों पर प्रतिवेदन

1. सामान्य जानकारी

31 मार्च 2019 को फेडरेशन की सदस्यता में 16 एससीएआरडी बैंक तथा 3 एससी बैंक सम्मिलित हैं। 16 एससीएआरडी बैंकों मे से 7 बैंकों का स्वरूप संघीय है जो पीसीएआरडी बैंकों से सम्बद्ध होकर बुनियादी स्तर पर कार्य कर रही हैं तथा 7 का स्वरूप एकात्मक है जो अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्य कर रहीं हैं एवं अवशेष 2 एससीएआरडी बैंक कुछ क्षेत्रों में पीसीएआरडी बैंकों के साथ मिश्रित स्वरूप में तथा राज्य के अन्य दूसरे क्षेत्रों में अपनी शाखाओं के साथ कार्य कर रहीं हैं। मुख्य रूप से पूर्व लेखा परीक्षित आंकड़ों पर आधारित वर्ष 2018-19 में 13 पूर्ण रूप से क्रियाशील एससीएआरडी बैंकों की संगठनात्मक एवं परिचालन सम्बन्धी जानकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट्स अनुभाग में दी गई है। एकात्मक/मिश्रित स्वरूप के पूर्ण रूप से कार्यशील एससीएआरडी बैंक अपनी 686 शाखाओं के माध्यम से कार्य कर रहे थे जब कि संघीय ढांचे में 602 पीसीएआरडी बैंक तथा 463 पीसीआरडी बैंकों की शाखाओं का नेटवर्क 31 मार्च 2019 को था। 31.03.2019 को पूर्ण रूप से कार्यशील 13 एससीएआरडी बैंकों की सदस्य संख्या 107.49 लाख थी जिसमें ऋण लाभार्थी सदस्यों की संख्या 62.41 लाख थी। 31.03.2019 को पूर्ण रूपसे 13 कार्यशील एससीएआरडी बैंकों में से राज्य स्तर पर 7 बैंकों के निर्वाचित प्रबन्धन मण्डल हैं तथा 602 पीसीएआरडी बैंकोंमें से 541 के भी निर्वाचित प्रबन्धन मण्डल हैं। संरचना, सदस्यता कर्मचारी तथा निर्वाचित बोर्ड से सम्बन्धित समस्त सूचनायें नीचे तालिका में दी गई हैं।

क्रम संख्या	विवरण	31.03.2018 को	31.03.2019 को
1)	एससीएआरडी बैंको की संख्या(संघीय)	7	7
2)	एससीएआरडी बैंको की संख्या(एकात्मक)	7	7
3)	मिश्रित प्रणाली वाले एससीएआरडी बैंको की संख्या	2	2
4)	एससीएआरडी बैंको की शाखाओं की संख्या	686	686
5)	पीसीएआरडी बैंको की संख्या	601	602
6)	पीसीएआरडी बैंको की शाखाओं की संख्या	464	463
7)	कुलसदस्य संख्या (लाखों में)	107.38	107.49
8)	मद संख्या 7 में से ऋण लाभार्थियों की संख्या (लाखों में)	59.65	62.41
9)	निर्वाचित प्रबन्ध समिति वाले एससीएआरडी बैंकों की संख्या	9	7
10)	निर्वाचित प्रबन्ध समिति वाली पीसीएआरडी बैंकों की संख्या	544	541
11)	एससीएआरडी बैंकों में कार्मिकों की संख्या	4985	4900
12)	पीसीएआरडी बैंकों में कार्मिकों की संख्या	4788	4669

2 वितरित ऋण

13 एससीएआरडी बैंकों (पूर्ण रूप से कार्यशील) द्वारा 2017-18 में रु.4421.46 करोड़ के कुल ऋण वितरण के सापेक्ष 2018-19 के दौरान मुख्य रूप से कुछ राज्यों द्वारा ऋण माफी की घोषणा से सामान्य ऋण वितरण प्रक्रिया में उत्पन्न अवरोध के कारण 4.32% की नकारात्मक वृद्धि दर्शाते हुए रु.4230.62 करोड़ का ऋण वितरित किया गया। शीर्ष बैंक स्तर पर इन बैंकों का कुल ऋण बकाया गतवर्ष के रु.20675.86 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में

0.02% की आंशिक वृद्धि के साथ रु.20679.26 करोड़ रहा।

3 उधार राशियां

13 एससीएआरडी बैंकों (पूर्णरूप से कार्यशील) की ऋण राशियां 2017-18 में दिये गये ऋण रु. 3109.34 करोड़ से घटकर 2018-19 में रु.2720.23 करोड़ पर पहुंच गई। वर्ष के दौरान बैंकों को रु.1935.60 करोड़ के पुर्नवित्तसहयोग के साथ जो बैंकों द्वारा दिये गये कुल ऋण का 71.16% था, नाबार्ड ऋण का प्रमुख स्त्रोत बना रहा। इन एससीएआरडी बैंकों द्वारा अवशेष 28.84% ऋणों का स्त्रोत सरकार, एनसीडीसी, एनएचबी तथा अनेक राज्यों के एससीबी रहे। 13 एसीएआरडी बैंकों (पूर्ण कार्यशील) का उधार बकाया 31 मार्च 2018 के रु.15169.17 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च 2019 को रु.15059.18 करोड़ था। 5 बैंको अर्थात हिमांचल प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, के उधार बकाया में वृद्धि हुई जबकि 7 राज्यों अर्थात गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पाण्डिचेरी, पंजाब, राजस्थान तथा तमिलनाडु, में विगत वर्ष की तुलना में गिरावट आई। जम्मू कश्मीर एससीएआरडी बैंक ने अपनी बकाया ऋण स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं दिखाया।

4 जमा संग्रहण

त्रिपुरा को छोड़कर शेष सभी पूर्ण कार्यशील एससीएआरडी बैंक प्रतिवेदित वर्ष में दौरान निक्षेप जमा ले रहे थे। इन बैंको के जमा में मुख्य रूप से निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित अनेक जमा योजनायों में सदस्यों के जमा सम्मिलित हैं। कुछ एससीएआरडी बैंक नाबार्ड द्वारा 1997 में जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत एससीएआरडी बैंकों को जमा संग्रहण के लिए दी गई अनुमति के आधार पर 1 से 3 वर्ष की अवधि के सावधि जमा का संग्रहण भी कर रहे हैं। 31.03.2018 को रु.2157.38 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2019 को एससीएआरडी बैंकों का कुल बकाया जमा गतवर्ष की तुलना में 1.12% की मामूली गिरावट दिखाते हुये रु. 2133.38 करोड़ था।

5 वित्तीय निष्पादन

13 एससीएआरडी बैंकों (पूर्णतया कार्यशील) की 31 मार्च 2019 को लाभ/हानि की स्थिति दर्शाती है कि 9 एससीएआरडी बैंक लाभ में हैं तथा अवशेष 4 एससीएआरडी बैंकों (हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, पाण्डिचेरी तथा त्रिपुरा) को हानि हुई। लाभ में रहने वाले तथा हानि में रहने वाले एससीएआरडी बैंकों की संख्या गतवर्ष के समान ही रही। हरियाणा को छोड़ कर सभी एससीएआरडी बैंकों जिन्होने वर्ष के दौरान नाबार्ड से पुर्नवित्त प्राप्त किया था, इस बार भी लाभ पर रहे। तमिलनाडु यद्यपि नाबार्ड से पुर्नवित्त नही प्राप्त कर रहा है फिर भी वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ में बढ़त बनाये हुये है। कर्नाटक, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के सम्प्रेक्षित आंकड़े एक बार प्राप्त होने पर, स्थिति में बदलाव होने की सम्भावना है। इन बैंकों के संदर्भ में समीक्षा के लिए गत वर्ष की स्थिति को बरकरार रखा गया है।

6 गैर निश्पादित आस्तियां

31.03.2019 को 13 एससीएआरडी बैंकों (पूर्णतया कार्यशील) को कुल बकाया ऋण रु.20464.06 करोड़ था जिसमें सकल एनपीए रु. 5125.58 करोड़ था जो 31 मार्च 2018 को कुल बकाया ऋण के 24.84% एनपीए के सापेक्ष कुल बकाये का 25.05% था। 13 एससीएआरडी बैंकों में से 3 एससीएआरडी बैंकों (केरल, पाण्डिचेरी तथा पंजाब) का एनपीए उल्लेखनीय रूप से औसत स्तर 5% से नीचे था।

7 वसूली कार्य-निष्पादन

शीर्षस्थ एवं अंतिम ऋण लाभार्थी स्तर पर वार्षिक वसूली प्रगति का आंकलन प्रत्येक वर्ष 30 जून को किया जाता है। तथापि मांग वसूली और अवशेष की नवीनतम स्थिति 30 जून 2018 तक की उपलब्ध है। 30 जून 2018 के अंत में 13 एससीएआरडी बैंकों (पूर्णतया कार्यशील) की बुनियादी स्तर की कुल मांग रु.14114.61 करोड़ थी जिसके विरुद्ध रु.6112.53 करोड़ की ऋण वसूली हुई जो कुल मांग का 43.31% था जब कि 30.06.2017 को ऋण वसूली 37.89% थी। 4 एससीएआरडी बैंकों का, अर्थात हिमांचल प्रदेश, केरल, पाण्डिचेरी एवं तमिलनाडु का अंतिम ऋण लाभार्थी स्तर पर वसूली प्रतिशत 50% से अधिक था जब कि गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल एससीएआरडी बैंक 50% से नीचे की सीमा में थे। 30.06.2017 को रु. 7785.80 करोड़ की तुलना में 30.06.2018 को अति देयों की धनराशि रु.8002.09 करोड़ थी जो गतवर्ष की तुलना में रु.216.29 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। ऋण वसूली का वातावरण कुछ राज्यों में ऋण माफी योजना की घोषणा के बाद के प्रभाव के कारण बिगड़ गया था।

XII. आभार

फेडरेशन केन्द्र और राज्य सरकारों, नाबार्ड, भारतीय रिर्जव बैंक, एन.सी.डी.सी., एन.सी.यू.आई. तथा अन्य अभिकरणों एवं संस्थाओं के साथ निरन्तर सम्बन्ध और सम्पर्क बनाये हुये है। प्रबन्धन मण्डल इन सभी अभिकरणों और संस्थाओं द्वारा फेडरेशन को दिये गये उनकी आलम्बन एवं सहयोग के लिये कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

फेडरेशन तथा इसकी सदस्य संस्थायें कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से वित्तीय एवं नीतिगत सहयोग प्राप्त करते रहे हैं। प्रबन्धन मण्डल मंत्रालय को फेडरेशन एवं दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना को उसके द्वारा निरन्तर दिये जा रहे समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिये आभार प्रदर्शन करता हैं।

आरम्भ से ही नाबार्ड एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को पुर्नवित्त सहयोग के साथ सम्वर्धन सहयोग प्रदान करता रहा है प्रबन्धन मण्डल नाबार्ड को एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को उसके सतत पुर्नवित्त सहयोग तथा दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिये इनके द्वारा निर्वहन की जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के लिये कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

हम, एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को वित्तीय सहयोग प्रदान कर रहे एन.सी.डी.सी., एनएचबी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा राज्य सहकारी बैंकों के प्रति अपना आभार ज्ञापित करते हैं जिससे उन्हें अपने सदस्यों को उनकी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को अपेक्षाकृत अच्छे ढंग से पूरा करने में मदद मिली है।

एन.सी.यू.आई. अपना सक्रिय सहयोग फेडरेशन के क्रिया कलापों में करता रहा है। फेडरेशन इस उदारता की सराहना करते हुये डा चन्द्रपाल सिंह, अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सत्य नारायण के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता है।

प्रतिवेदित वर्ष में फेडरेशन को अपने सदस्य बैंकों से निरन्तर वित्तीय एवं अन्य दूसरे सहयोग के साथ समर्थन मिलता रहा हैं। हम अपने सदस्य बैंकों के प्रबन्धन, कर्मियों विशेष रूप से एससीएआरडी बैंकों के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के प्रति गहन आभार व्यक्त करते हैं। प्रबन्धन मण्डल माननीय अध्यक्ष श्री के शिवदासन नायर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, जिन्होनें माननीय उपाध्यक्षों श्री के. सदाक्षरी, श्री के.रवीन्दर राव, श्री बिजय कुमार सिंह, तथा श्री मरचिन्ना सियाम जिन्होनें फेडरेशन तथा दीर्घ कालीन साख संरचना को प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान किया।

प्रबन्धन मण्डल श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक की सेवाओं की सराहना करता है जिन्होनें पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ मुख्य कार्यकारी के दायित्वों का निर्वहन किया। प्रबन्धन अपने सभी अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा प्रतिवेदित वर्ष में की गई सेवा एवं सहयोग की सराहना करता है।

प्रबन्धन मण्डल की ओर से,

के. शिवदासन नायर

अध्यक्ष

तालिका 1 - ऋण वितरण एवं ऋण अवशेष

(धनराशि लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	2018-19 मे वितरित ऋण			2017-18 में वितरित ऋण	31 मार्च 2019 को ऋण बकाया			ऋण बकाया 31 मार्च 2018 को
		कृषि क्षेत्र	अकृषि क्षेत्र (आरएचएस/ एस.टी./ अन्य सहित)	कुल वितरित ऋण (3+4)		कृषि क्षेत्र	अकृषि क्षेत्र (आरएचएस/ एस.टी./ अन्य सहित)*	कुल ऋण बकाया (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	गुजरात	11489.80	3467.01	14956.81	17762.88	53824.79	4371.40	58094.56	57965.12
2.	हरियाणा	2453.04	190.55	2643.59	7721.32	130252.15	62865.90	193118.05	196679.28
3.	हिमांचल प्रदेश	एनआर	एनआर	8502.67	8217.82	एनआर	एनआर	45387.23	42566.46
4.	जम्मू व कश्मीर	एनआर	एनआर	1182.79	1268.75	एनआर	एनआर	5567.67	5663.61
5.	कर्नाटक	23377.09	0.00	23377.09	20802.31	187983.07	3737.80	191720.87	179592.24
6.	केरल	73287.65	147663.95	220951.60	232755.01	208580.20	457273.57	665853.77	636161.04
7.	पाण्डिचेरी	0.00	2441.57	2441.57	2381.76	0.00	3188.84	3188.84	3021.58
8.	पंजाब	13880.75	3605.42	17486.17	28562.51	159860.62	88151.43	248012.05	259684.94
9.	राजस्थान	11719.13	2213.40	13932.53	24372.30	121706.26	35453.44	157159.70	162972.89
10.	तमिलनाडु	0.00	77322.35	77322.35	69702.89	6721.11	64036.34	70757.45	75537.17
11.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	13.70	एनआर	एनआर	1322.58	1646.94
12.	उत्तर प्रदेश	एनआर	एनआर	15174.46	6251.27	एनआर	एनआर	313280.48	336079.54
13.	पश्चिम बंगाल	20941.43	4148.96	25090.39	22333.84	82820.14	31642.49	114462.63	110015.55
योग (1 से 13)		**157148.89**	**241053.21**	**423062.02**	**442146.36**	**951748.34**	**750721.21**	**2067925.88**	**2067586.36**

सूचना - एन आर का तात्पर्य सूचना अप्राप्त

तालिका 2 - उधार राशियाँ वर्ष के दौरान

(धनराशि लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	2018-19 में बढ़ाई गई				महा योग	
		नाबार्ड	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	अन्य (एनसीडीसी/ एनएचबी/एससीबी आदि)	2018-19 (3+4+5+6)	2017-18
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	हरियाणा	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	23382.83
3.	हिमांचल प्रदेश	6830.60	एनआर	एनआर	एनआर	6830.60	6667.90
4.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	कर्नाटक	28638.83	0.00	61.82	0.00	28700.65	2011.57
6.	केरल	90405.00	0.00	0.00	0.00	90405.00	124501.50
7.	पाण्डिचेरी	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	-148.96	-103.84
8.	पंजाब	17202.14	0.00	0.00	15900.00	33102.14	58652.01
9.	राजस्थान	13773.55	0.00	0.00	18650.00	32423.55	45738.00
10.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	उत्तर प्रदेश	11709.93	एनआर	एनआर	एनआर	35709.93	28883.98
13.	पश्चिम बंगाल	25000.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	21200.00
योग (1 से 13)		**193560.05**	**0.00**	**20061.82**	**34550.00**	**272022.91**	**310933.95**

सूचना : एनआर का तात्पर्य सूचना अप्राप्त

तालिका 3 - उधार राशियाँ का अवशेष

(धनराशि लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	31 मार्च 2019 को उधार बकाया				महा योग	
		नाबार्ड	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	अन्य (एनसीडीसी/ एनएचबी/एससीबी आदि	31/03/2019 को (3+4+5+6)	31/03/2018 को
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात	6690.62	40.74	180.27	0.00	6911.63	12434.77
2.	हरियाणा	62935.34	3441.13	73213.88	17769.29	157359.64	165209.22
3.	हिमांचल प्रदेश	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	27510.66	27355.83
4.	जम्मू एवं कश्मीर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	616.00	616.00
5.	कर्नाटक	109536.84	2005.77	2097.69	28053.10	141693.40	148731.22
6.	केरल	551208.05	269.69	269.69	70660.99	622408.42	577682.28
7.	पाण्डिचेरी	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	385.70	534.66
8.	पंजाब	180856.30	160.29	11.85	18900.00	199928.44	240564.23
9.	राजस्थान	101046.99	1657.97	1656.83	9430.05	113791.84	123744.00
10.	तमिलनाडु	0.00	0.00	6389.87	2.70	6392.57	6398.27
11.	त्रिपुरा	559.83	1.61	40.23	1401.67	2003.34	961.01
12.	उत्तर प्रदेश	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	137548.51	128655.11
13.	पश्चिम बंगाल	89298.80	9.30	59.36	0.00	89367.46	84030.41
योग (1 से 13)		**1102132.77**	**7586.50**	**83919.67**	**146217.80**	**1505917.61**	**1516917.01**

सूचना : एनआर का तात्पर्य सूचना अप्राप्त

तालिका 4 – जमा संग्रहण

(धनराशि लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	बकाया जमा के अंत तक	
		31.03.2018	31.03.2019
1.	गुजरात	26078.30	27041.55
2.	हरियाणा	15.16	10.33
3.	हिमांचल प्रदेश	13757.20	9909.94
4.	जम्मू एवं कश्मीर	15059.47	17658.11
5.	कर्नाटक	36878.30	41339.49
6.	केरल	51207.55	39319.37
7.	पाण्डिचेरी	2691.86	2989.27
8.	पंजाब	19667.60	23505.24
9.	राजस्थान	1328.00	1242.15
10.	तमिलनाडु	22443.26	22724.00
11.	उत्तर प्रदेश	6033.79	5400.12
12.	पश्चिम बंगाल	20577.52	22198.50
	योग (1 से 12)	**215738.01**	**213338.07**

तालिका 5 – लाभ / हानि (शीर्षस्थ बैंक स्तर पर)

(धनराशि लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	इस तिथि को लाभ / हानि		इस तिथि को संचित हानि	
		31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019
1.	गुजरात	2100.14	2101.52	0.00	0.00
2.	हरियाणा	(3188.11)	(7638.23)	37788.30	45426.53
3.	हिमांचल प्रदेश	127.43	32.01	0.00	0.00
4.	जम्मू एवं कश्मीर	(693.10)	(855.17)	6800.34	7655.51
5.	कर्नाटक*	68.69	68.69	0.00	0.00
6.	केरल	2827.81	2713.95	0.00	0.00
7.	पाण्डिचेरी	(-41.75)	(50.64)	383.86	434.50
8.	पंजाब*	828.95	828.95	0.00	0.00
9.	राजस्थान	(4391.65)	4420.46	0.00	0.00
10.	तमिलनाडु	1043.54	1909.00	0.00	0.00
11.	त्रिपुरा	19.69	(301.26)	1645.38	1946.64
12.	उत्तर प्रदेश*	191.80	191.80	2504.05	2504.05
13.	पश्चिम बंगाल	244.05	322.93	1211.27	1044.13

सूचना :- (1) कोष्ठक में दिये गये आंकड़े हानि दर्शाते है

(2) *31.03.2018 की स्थिति समीक्षा की दृष्टि से विचारणीय है।

तालिका 6 - गैर निष्पादित आस्तियाँ (एन.पी.ए.)

(धनराशि लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	31 मार्च 2018 को			31 मार्च 2019 को		
		कुल ऋण बकाया	कुल एनपीए	कुल बकाया ऋण में एन.पी.ए. का %	कुल ऋण बकाया	कुल एनपीए	कुल बकाया ऋण में एन.पी.ए. का %
1.	गुजरात	57965.12	31894.00	55.02	58094.56	31855.34	54.83
2.	हरियाणा	196679.28	163363.54	83.06	193118.05	161155.79	83.45
3.	हिमांचल प्रदेश	42566.46	9820.22	23.07	45387.23	11568.17	25.49
4.	जम्मू एवं कश्मीर	5663.61	1145.24	20.22	5567.67	1280.54	23.00
5.	कर्नाटक*	179609.20	40798.14	22.71	179609.20	40798.14	22.71
6.	केरल	636161.04	3199.23	0.50	665853.77	15844.82	2.38
7.	पाण्डिचेरी	3021.58	215.39	7.13	3188.84	70.65	2.22
8.	पंजाब*	259869.33	11781.21	4.53	259869.33	11781.21	4.53
9.	राजस्थान	162972.89	71975.16	44.16	157159.70	69713.50	44.36
10.	तमिलनाडु	68652.15	11690.67	17.03	71611.00	11548.00	16.13
11.	त्रिपुरा	1646.94	773.76	46.98	1322.58	1190.32	90.00
12.	उत्तर प्रदेश*	291161.28	128434.62	44.11	291161.28	128434.62	44.11
13.	पश्चिम बंगाल	110015.55	25597.15	23.27	114462.63	27316.77	23.87
योग (1 से 13)		**2015984.43**	**500688.33**	**24.84**	**2046405.84**	**512557.87**	**25.05**

सूचना:- * 31.03.2018 की स्थिति समीक्षा की दृष्टि से विचारणीय है।

तालिका 7 - मांग, संग्रहण, अवशेष की स्थिति

(धनराशि लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडीबी का नाम	शीर्षस्थ बैंक स्तर पर 30 जून 2018 को				30.06.2017 को वसूली प्रतिशत	अंतिम ऋणी लाभार्थी स्तर पर 30 जून 2018 को				30.06.2017 को वसूली प्रतिशत
		मांग	ऋण वसूली	अधिशेष	वसूली प्रतिशत		मांग	वसूली	अधिशेष	वसूली प्रतिशत	
1.	गुजरात #	59183.94	19323.56	39860.38	32.65	32.43	59183.94	19323.56	39860.38	32.65	32.43
2.	हरियाणा	164699.72	26624.48	138075.24	16.17	11.88	174298.01	24277.63	150020.38	13.93	15.47
3.	हिमांचल प्रदेश	11976.68	4976.54	7000.14	41.55	40.64	14716.34	7716.20	7000.14	52.43	51.30
4.	जम्मू एवं कश्मीर*	2743.12	1267.08	1476.04	45.66	45.81	2743.12	1267.08	1476.04	45.66	45.81
5.	कर्नाटक	112466.87	39640.57	72826.30	35.25	44.01	77495.54	37902.40	39593.14	48.91	50.92
6.	केरल	175182.14	173487.52	1694.62	99.03	98.91	242442.41	175130.48	67311.93	72.24	71.35
7.	पाण्डिचेरी	2705.32	2540.37	164.95	93.90	94.74	2705.32	2540.37	164.95	93.90	94.74
8.	पंजाब	86635.19	58745.18	27890.01	67.81	61.30	227343.84	81364.05	145979.79	35.79	19.55
9.	राजस्थान	102669.38	26583.74	76085.64	25.89	29.99	120064.87	36147.03	83917.84	30.11	33.93
10.	तमिलनाडु #	84237.67	72146.82	12090.85	85.65	84.87	113097.28	102897.28	10200.00	90.98	88.43
11.	त्रिपुरा	1700.00	550.49	1149.51	32.38	38.99	1700.00	550.49	1149.51	32.38	38.99
12.	उत्तर प्रदेश	296884.37	90634.38	206249.99	30.53	13.97	296884.37	90634.38	206249.99	30.53	13.97
13.	पश्चिम बंगाल	72339.87	29210.58	43129.29	40.38	38.14	78785.99	31501.55	47284.44	39.98	36.87
योग (1 से 13)		**1173424.27**	**545731.31**	**627692.96**	**46.51**	**43.19**	**1411461.03**	**611252.50**	**800208.53**	**43.31**	**37.89**

सूचना :- (1) *जम्मू एवं कश्मीर एससीएआरडीबी ने रु. 14.68 लाख 2018-19 के दौरान ब्याज माफी द्वारा प्राप्त किया नगद वसूली के अतिरिक्त

(2) # 31 मार्च की मांग वसूली एवं बकाया की स्थिति

तालिका 8 - नेटवर्क, सदस्यता चयनित प्रबन्ध मण्डल एवं कर्मचारी (एससीएआरडी बैंक)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या (एकात्मक/मिश्रित स्वरुप)		पीसीएआरडी बैंको की संख्या (संघीय/मिश्रित ढांचा)		पीसीएआरडी शाखाओं की संख्या		कुल सदस्यता (ऋण प्राप्तकर्ता + गैर ऋणी)		ऋणी सदस्य		क्या एससीएआरडी बैंको का निर्वाचित बोर्ड है या नही है		निर्वाचित बोर्डवाली पीसीएआरडीबी कि संख्या		एससीएआरडी बैंकों के कर्मचारीयों की संख्या		पीसीएआरडी बैंको के कर्मचारीयों की संख्या	
		31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018	31.3.2019
1.	गुजरात	181	181	लान	लान	लान	लान	673827	674612	673827	674612	हाँ	नही	लान	लान	331	326	लान	लान
2.	हरियाणा	0	0	19	19	72	71	728305	732190	131370	109419	हाँ	नही	0	0	71	62	838	792
3.	हिमांचल प्रदेश	51	51	1	1	30	30	87646	82816	29421	32070	हाँ	हाँ	1	1	177	279	54	54
4.	जम्मू एवं कश्मीर	51	51	लान	लान	लान	लान	97342	97841	77159	78040	नही	नही	लान	लान	240	239	लान	लान
5.	कर्नाटक*	25	25	177	178	लान	लान	1143888	1143888	651041	651041	हाँ	हाँ	175	175	306	306	613	575
6.	केरल*	14	14	75	75	162	162	1154295	1154295	636685	636685	हाँ	हाँ	74	73	221	202	1178	1178
7.	पाण्डिचेरी	1	1	लान	लान	लान	लान	19018	5142	4038	3802	नही	नही	लान	लान	31	30	लान	लान
8.	पंजाब	0	0	89	89	0	0	840989	832754	106618	99760	हाँ	हाँ	79	78	242	227	679	647
9.	राजस्थान*	7	7	36	36	125	125	1227930	1227930	742918	742918	नही	नही	12	13	85	69	367	367
10.	तमिलनाडु	26	26	180	180	2	2	1358533	1355660	181974	181974	हाँ	हाँ	180	180	117	113	486	475
11.	त्रिपुरा	5	5	लान	लान	लान	लान	22564	22573	2739	2742	हाँ	हाँ	लान	लान	29	27	लान	लान
12.	उत्तर प्रदेश	323	323	लान	लान	लान	लान	3024657	3037560	2519647	2806402	हाँ	हाँ	लान	लान	3050	2940	लान	लान
13.	पश्चिम बंगाल	2	2	24	24	73	73	358734	382030	207563	221043	नही	नही	23	21	85	80	573	581
योग (1 से 13)		686	686	601	602	464	463	10737728	10749291	5965000	6240508	-	-	544	541	4985	4900	4788	4669

टिप्पणीः- (1) लान का तात्पर्य लागू नहीं ।

(2) *31.03.2018 की स्थिति कि दृष्टी से विचारणीय है ।

Note

LIST OF MEMBERS
(31.3.2019)

1. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
2. The Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd. (Bihar-Jharkhand)
3. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
4. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
5. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
6. Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
7. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
8. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
9. Odisha State Co-operative Agricultural & Rural Development BankLtd., Bhubaneshwar.
10. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Pondicherry.
11. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.
12. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
13. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
14. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
15. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
16. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
17. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
18. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.
19. Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd., Hyderabad

सदस्यों की सूची
(31.03.2019)

१) असम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., गुवाहाटी ।

२) बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लि., (बिहार–झारखण्ड), पटना ।

३) गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., अहमदनगर

४) हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., पंचकुला ।

५) हिमांचल प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., शिमला ।

६) जम्मू व कश्मीर राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., श्रीनगर ।

७) कर्नाटक राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., बैंगलोर ।

८) केरल राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., थिरुवनन्तपुरम ।

९) उड़ीशा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., भुवनेश्वर ।

१०) पाण्डिचेरी सहकारी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक लि., पाण्डिचेरी ।

११) पंजाब राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., चण्डीगढ़ ।

१२) राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर ।

१३) तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., चेनैई ।

१४) त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., अगरतला ।

१५) उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि., लखनऊ ।

१६) पश्चिम बंगाल राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., कोलकता ।

१७) दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि., नई दिल्ली ।

१८) मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लि., शिलांग ।

१९) तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि., हैदराबाद ।

NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.

राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ मर्यादित

७०१, ७वीं मंज़िल, ए - विंग, बीएसईएल टेक पार्क,
रेलवे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३.
टेलीफोन (कार्यालय) : ०२२-२७८१ ४११४ / ४२६ / २२६
(एम.डी) : २७८१ ४२२४
फैक्स : ९१-२२-२७८१ ४२२५
ई-मेल : nafcard.org@gmail.com / info@nafcard.org
वेबसाईट : www.nafcard.org

701, 7th Floor, BSEL Tech Park, A Wing,
Opp. Railway Station, Vahsi, Navi Mumbai - 400 703
Telephone (Office) : 022-27814114 / 426 / 226
(M.D.) : 022-27814224
Fax : 91-22-27814225
E-mail : mafcard.org@gmail.com / info@nafcard.org
Website : www.nafcard.org